मंगलवार, 5 अगस्त 1980

14 श्रावण 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 43, मंगलवार, 5 अगस्त, 1980/14 श्रावण, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—28
*तारांकित प्रश्न संख्या : 837 से 843 और 846 से 849	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या : 2	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	29—180
*तारांकित प्रश्न संख्या : 844, 845, 850 से 854, 856 और 857	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6786 से 6805, 6807, 6808 से 6852, 6854 से 6868, 6870 से 6887, 6889 से 6901 और 6903 से 6946	
अतारांकित प्रश्न संख्या 3389 दिनांक 8-7-80 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	180
सभापटल पर रखे गए पत्र	181
नियम 377 के अधीन मामले	181—190
(एक) हल्दी और अदरक पर से निर्यात शुल्क हटाने और जायफल, लौंग तथा कोको के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल	181
(दो) के० के० एक्सप्रेस और अन्य तीव्रगति रेल गाड़ियों का देरी से चलना श्री वी० एस० विजयराघवन	182
(तीन) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 5 अगस्त, 1980 को दो प्लाटों की प्रस्तावित नीलामी श्री राम जेठमलानी	183

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(चार) गोरखपुर जिला के अनेक गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए कार्यवाही 183
श्री महावीर प्रसाद

(पांच) स्थानीय राजस्व अधिकारियों द्वारा असम में मिकिर पहाड़ियों से बंगालियों को हटाए जाने का समाचार 184
श्री समर मुखर्जी

स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण सूचना इत्यादि के बारे में 184

मंत्रियों के भत्ते, (चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम के बारे में सांविधिक संकल्प—स्वीकृत 191—204

श्रीमती कृष्णा साही 191
श्री आर० एन० राकेश 193
श्री पी० नामग्याल 194
श्री एम० सत्यनारायण राव 195
श्री सोमनाथ चटर्जी 196
श्री बापु साहेब परूलेकर 198
श्री योगेन्द्र मकवाना 200

मोटरयान (रक्षात्मक हैडगियर) नियम, 1980 में रूपभेदों के बारे में प्रस्ताव अस्वीकृत 205—216

श्री आर० के० महालगी 205
श्री मूलचन्द डागा 209
श्री बापू साहेब परूलेकर 210
श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर 211
श्री हरिकेश बहादुर 213
श्री अनन्त प्रसाद शर्मा 214

ब्रह्मपुत्र बोर्ड विधेयक-विचार करने के लिए प्रस्ताव 217—244

श्री केदार पाण्डे 217
श्री टी० आर० शमन्ना 218
श्री जार्ज फर्नांडीज 220

	224
श्री गिरधारी लाल व्यास	227
श्री रविन्द्र वर्मा	231
श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर	233
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	235
श्री सोमनाथ चटर्जी	239
श्री अर्जुन सेठी	240
श्री एम० सत्यनारायणराव	243
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	

लोक-सभा

मंगलवार, 5 अगस्त, 1980 /14 श्रावण, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का मानदंड

***837 श्री सत्यनारायण जाटिया :** क्या सूचना और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ;

(ख) नये दूरदर्शन केन्द्र की क्षमता और अधिकतम (रेंज) क्या है ; और

(ग) क्या दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के मामले में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और औद्योगिक महत्व के शहरों को प्राथमिकता दी जाती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के लिए स्थानों का चयन करने में विभिन्न बातों को ध्यान में रखा जाता है यथा ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के लिए सेवा की मात्रा, सीमावर्ती क्षेत्रों, दूरस्थ तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए सेवा श्रमिक वर्ग औद्योगिक जनसंख्या के बड़े खंडो को कवर करना, कार्यक्रम निर्माण और कार्यक्रम योजक सुविधाओं और अन्य अवस्थापना की उपलब्धि। उपरोक्त मानदंड सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और औद्योगिक महत्व के शहरों का ध्यान रखेंगे। उपरोक्त बातों के आधार पर "योजना" में स्थानों का विवेकसंगत मिश्रण शामिल करने के प्रयास किए जाते हैं।

150 मीटर ऊंचे ऐंटीना वाले 10 किलोवाट के ट्रांसमीटर की परिधि 75 किलोमीटर है। 100 मीटर ऊंचे ऐंटीना वाले 1 किलोवाट के ट्रांसमीटर की परिधि 40 किलोमीटर होगी। उपरोक्त परिधियां समतल मैदान के लिए प्रारूपिक हैं।

श्री सत्यनारायण जाटिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जो वक्तव्य है उसको मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना है, मैं आपके माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्री से जानना चाहता हूं

कि मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल, औद्योगिक सांसकृतिक नगर उज्जैन के लिए टी वी की सुविधा कबतक उपलब्ध कराई जाएगी ?

श्री बसन्त साठे : माननीय सदस्य को सुनकर संतोष होगा कि छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के लिए जो बनने जा रही हैं उसमें माइक्रोवेव सिस्टम पर इन्दौर और भोपाल—दोनो के लिए प्रावधान सुझाया गया है ।

श्री सत्यनारायण जाटिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि भोपाल और इन्दौर में टी वी सेन्टर्स की स्थापना करके उसमें इन्दौर का रेंज इतना बढ़ायं जिससे उज्जैन भी कवर हो जाए ।

इसके अतिरिक्त में मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि रायपुर में प्रसारण के लिए कार्यक्रम तैयार करके दिल्ली से भेजे जाते हैं तो वहाँ रायपुर की यूनिट में कार्यक्रम तैयार क्यों नहीं किए जाते हैं ?

श्री वसंत साठे : रायपुर के लिए प्रोग्राम प्रोड्यूसिंग सेन्टर बनेगा, इसका सुझाव 79-83 के प्लान में आलरेडी मंजूर किया गया है ।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि छठी पंचवर्षीय योजना में इन्दौर और भोपाल को लेने जा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार से दिल्ली, मद्रास, बम्बई के बीच में राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों का आदान-प्रदान होता है, जिस प्रकार से बम्बई के कार्यक्रम पूना में दिखाए जा सकते हैं, क्या मंत्री महोदय ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि जो वर्तमान माइक्रोवेव टावर इन्दौर में है उसमें अतिरिक्त एन्टीना लगाकर इन्दौर एवं समीपवर्ती क्षेत्र के लोगों को उसकी सुविधा प्रदान की जाएं ? क्या मंत्री महोदय ऐसा प्रयास करेंगे ?

श्री वसन्त साठे : सुझाव पर विचार आवश्य किया जाएगा । माइक्रोवेव सिस्टम पर कितने ज्यादा से ज्यादा रिले सेन्टर्स आ सकते हैं, यह धनराशि के ऊपर निर्भर है, जो कुछ आप लोग देंगे उतनी ज्यादा शक्कर दूध में डाली जा सकती है ।

श्री जगदीश टाइटलर : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसरण किसी अन्य देश के उपग्रह से किया जाएगा या हमारे अपने उपग्रह से क्या कार्यक्रम का प्रसारण की वर्तमान व्यवस्था की तुलना में यह बचतपूर्ण होगा, विशेष रुप से सीमित दूरी के लिए ?

श्री वसन्त साठे : संभवतः माननीय सदस्य 'इनसोट' उपग्रह की संभावनाओं का उल्लेख कर रहे हैं । हमारे द्वारा छोड़े गये उपग्रह में टेलीविजन प्रसारण की सुविधा और क्षमता नहीं है । 1982 के आरंभ में छोड़े जाने वाले उपग्रह 'इनसोट' में टेलीविजन प्रसारण के लिए दो ट्रांस-बाउन्डर' लगाये गये हैं और समूचे देश में आठ क्षेत्रों में विजली वाले गांवों में इनसे प्रसारण हो सकेगा । यदि स्थलीय भाग की साफ्टवेयर और हार्डवेयर व्यवस्था समय पर हो जाती है ।

श्री रामअवतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने दूरदर्शन केन्द्रों के बारे मापदंड बतलाया। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उस मापदंड के अन्तर्गत बिहार की राजधानी पटना और जमसेदपुर, जो कि एक लोह नगरी है, जहां हजारों मजदूर काम करते हैं तथा रांची जो कि आदिवासी इलाका है, एक महत्वपूर्ण स्थान है, इनके बारे में आपके जहन में कोई योजना है या नहीं है ?

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष महोदय, विहार में जिन स्थानों पर विचार किया जा रहा है, उसमें पटना शामिल है। बाकी के स्थानों पर विचार किया जाएगा।

नागपूर में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करना

*838. **श्री केशवराव पारधी :** क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागपुर में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना का कार्य कबतक आरंभ किया जाएगा ; और

(ख) यदि यह आरंभ किए जाने की संभावना नही है तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना ओर प्रसारण मंत्री (श्री वसंतसाठे) : (क) और (ख) "इनसेट" के माध्यम से दूरदर्शन के विस्तार की योजनाएं तैयार की जा रहीं हैं। इस योजना के अन्तर्गत नागपुर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है और इसका कार्यान्वयन छठी पंचवर्षीय योजना की स्विकृति के बाद संसाधनों की उपलब्धता तथा धन के आबंटन पर निर्भर करेगा।

श्री केशवराव पारधी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि "इनसेट" के माध्यम से दूरदर्शन केन्द्र नागपुर में भी स्थापित करने जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह योजना कब तक तैयार होगी और इसमें कितना खर्च होगा ?

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष महोदय जैसा मैने पहले कहा था कि 1982 में जब "इनसेट" आएगा, तब उसी समय यह योजना आगे-पीछे कार्यान्वित की जा सकती है। नागपुर के लिए मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि कलकत्ता और बम्बई में जो माइक्रोवेव-सिस्टम है, वह पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के तहत दो-तीन साल में तैयार हो जायेगा, तब नागपुर रीले सिस्टम को भी कवर किया जा सकता है। जहाँ तक खर्चे का सवाल है, आज उसका सही आंकड़ा बताना मुश्किल है. लेकिन रिले सेन्टर के लिए करीबन सवा-डेढ़ करोड़ रु० खर्चा लगता है।

श्री केशवराव पारधी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोंदय ने संसाधनों की उपलब्धता के बारे में बतलाया है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि महाराष्ट्र में चूंकि बम्बई एक बड़ा शहर है ओर रायपुर में टी० वी० होने के बाद तथा नागपुर एक औद्योगिक नगरी है, जहां हजारों मजदूर काम करते हैं और वह आदिवासी एरिया भी है, इस दृष्टिकोण से वहां पर जल्दी टी० वी० उपलब्ध हो, इस बारे में क्या विचार किया जायेगा ?

श्री वसन्त साठे : नागपुर का महत्व जितना मेरे मित्र जानते है, उतना मैं भी जानता हूं क्योंकि वहां से मैं आता हूं। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि ये दोनों सिस्टम—माइक्रोवेव और "इनसेट"—को मिलाकर नागपुर के लिए विचार किया जाएगा। सर्वे में यदि कोई दिक्कत आए और आपके प्रभाव से महाराष्ट्र सरकार उसमें कुछ योगदान करे, चूंकि नागपुर भी राजधानी है, तो इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : अध्यक्ष महोदय……

अध्यक्ष महोदय : निर्मला जी, इस सवाल का तो बहुत लिमिटेड-रेंज है।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : मैं यह पुछना चाहती हूं कि राजस्थान में कोटा एक औद्योगिक नगर है और चित्तौड़गढ़ एक ऐतिहासिक नगर है—क्या इन नगरों में दूरदर्शन की कोई व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : यह राजस्थान का सवाल नहीं है, फिर भी मिनिस्टर साहब जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री वसंत साठे : राजस्थान में जयपुर में व्यवस्था है। आगे की योजना में अजमेर के लिए विचार किया जा रहा है।

श्री सुन्दर सिंह : स्पीकर साहब……

अध्यक्ष महोदय : चौधरी साहब, इस-दे-वीच पंजाब दि गल नहीं निकलती है।

श्री सुन्दर सिंह : टी० वी० से पंजाब का सत्यानाश हो रहा है, बच्चे पढ़ नहीं सकते है……

अध्यक्ष महोदय : तुमी-बं-जाओ। यह नागपुर के बारे में है। इसमें और क्या पूछना रह गया है ? अब अगला प्रश्न लेते है।

गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी

***839. श्री अमर सिंह बी० राठवा** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी के बंद हाने की नौबत आ रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या ; और

(ग) इसे बंद होने से रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटील) (क) गुजरात राज्य फर्टिलाइजर कंपनी द्वारा उत्पादित केप्रोलेक्टम का विक्रय पिछले कुछ महीनों के दौरान बहुत कम रहा है।

(ख) गुजरात राज्य फर्टिलाइजर कम्पनी के केप्रोलेक्टम का मूल्य आयातित केप्रोलेक्टम के मूल्य से अधिक है। इसके अतिरिक्त गुजरात राज्य फर्टिलाइजर कम्पनी द्वारा उत्पादित केप्रोलेक्टम घटिया किस्म का है और कुछ औद्योगिक उपयोगों में यह स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

(ग) गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी को सलाह दी जाती है कि वे अपने विक्रय मूल्य स्तर तक कम करें जिसपर फिर भी उन्हें पूंजी पर उचित प्रतिप्राप्ति होती रहे। घटे हुए मूल्यों पर उसका उपयोग करने वाले उद्योग गुजरात राज्य फर्टिलाइजर कम्पनी का माल लेना पसन्द करेंगे और कम मूल्य का लाभ अन्ततः उपभोक्ता को ही प्राप्त होगा।

श्री अमर सिंह राठवा : माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि वहां का कैप्रोलैक्टम घटिया हैं, में जानना चाहता हूं कि इस का कारण क्या है ? 1972 में सरकार इस कम्पनी में 51 प्रतिशत शेयर रखना चाहती थी और आज भी रखना चाहती है—मैं जानना चाहता हूं कि अगर 51 प्रतिशत शेयर नहीं रखा हैं तों उसका क्या कारण ?

श्री विरेन्द्र पाटिल : इस मेंगवर्नमेन्ट का भी शेयर है और प्राईवेट कम्पनियों का भी शेयर है, इस लिए शेयर न रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

श्री अमर सिंह राठवा : गवर्नमेन्ट का शेयर तो है, लेकिन 51 परसेन्ट नहीं रखा है—ऐसा मेरा ख्याल है। मेरा प्रश्न है— इस कम्पनी के जो चेअर मैंन हैं, वे गुजरात के सबसे बड़े उद्योगपति रहे हैं, उन को बदला नहीं जा रहा है—इसका क्या कारण है ? चूंकि एक उद्योगपति इस का चेअरमैंन है, इस लिए इस में जरूर गड़बड होगी।

श्री विरेन्द्र पाटिल : चेअरमैंन कौन होगा, मैंनेजिग डायरेक्टर कौय होगा—जहां तक मुझे मालूम है, इन को गवर्नमैंन्ट एप्वाइन्ट करती है। जो चैयरमैंन अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं या जो मैंनेजिग डाईरेक्टर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, उनको निकालने का पूरा अधिकार गवर्नमेंट को है लेकिन सवाल यहां पर ये नहीं है। सवाल तो माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि गुजरात स्टेट फर्टिलाईजर कम्पनी जों केप्रोलेक्टम प्रोड्यूस कर रही है, उस के लिए मार्किट नहीं है, 5 हजार टन केम्प्रोलेक्टम उन के यहां पड़ा हुआ है और उस को कोई लेने वाला नहीं है। इसलिए यह क्राइसिस वहां पैदा हुआ है। उन्होने जो प्रश्न पूछा था, उस को जवाब मैंने दे दिया है।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : अभी मिनिस्टर साहब ने चेअरमेन और मेनेजिंग डाइरेक्टर के बारे में बताया कि अगर वे ठीक काम नहीं करते हैं तो उन को निकाला जा सकता है लेकिन मंत्री जी ने अपने रेप्लाई में बताया है कि इस कम्पनीं का जो कैप्रोलेक्टम है, वह ऊंची क्वालिटी का नहीं है और जो आयातित केप्रोलेक्टम की लैंडेड कास्ट है, उससे वह महंगा है। तो फिर वो जो चेअरमेन मेनेजिंग डाइरेक्टर इन्होने एपाईन्ट किए हैं, वे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं।

दूसरी वात अपने उत्तर में इन्होने यह बताई है कि कास्ट को रिड्यूस करने के लिए इन्होने कहां था। मैं कहना चाहता हूं कि जो कैपिटल इस कम्पनी में एम्प्लाय किया गया है, उसका ठीक रिटंन मिले और जो चेअरमैन और मेनेजिंग डाईरेक्टर गवर्नमेंट ने एपाइन्ट किए हैं, वे डिस्क्रिशनरी प्राइस तय कर देते हैं जिस की वजह से जो स्टेट अन्डरकिंग है, इस में यह सब घाटा होता है तो इस के माइने यह होते हैं कि आम लोगों के विश्वास के पात्र नहीं होते। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में कोई विचार नहीं कर रही है, जिस ढंग से स्टेट अन्डरटेकिंग चलनी चाहिए, उन को वैसे चलाने के लिए क्या आप कुछ सोच रहे हैं या नहीं ?

श्री विरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य का जो यह अभिप्राय है कि स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी घाटे में चल रही है, यह बात नहीं है। पूरे देश के अन्दर जो केप्रोलेक्टम पैदा होता है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी में उस काफी मात्रा में प्रोडक्शन होंता है और उसको कैपेसिटी 20 हजार टन केप्रोलेक्टम पैदा करने की है और वह काफी मुनाफा कमा रही है, उस को काफी प्रोफिट हो रहा है। 1977 में केप्रोलेक्टम की कीमत 15600 रुपये टन थी, जिसको बढ़ाकर उन्होंने 1980 में 26 हजार रुपये टन कर दिया और इस कीमत के बढ़ाने से कन्ज्युमर सफर कर रहे थे। हम ने उनको कहा कि इतना प्रोफिट मत कमाओ और इस में आप कुछ कमी कीजिए। इस तरह से आप देखेगें कि यहां पर नुकसान का सवाल नहीं है लेकिन जब उन्होंने प्रोफिट वहुत ज्यादा बनाना शुरु कर दिया और हमने उनसे कहा कि प्रोफिट कम करो, अपनी प्राइस कम करो लेकिन प्राइस कम करने के लिए वे तैयार नहीं हुए, जब ऐसी बात हुई, तो हमने इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दिया। और एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया अब उनका माल केप्रोलेक्टम बचा पड़ा है और बिक नहीं रहा है और इस वजह से उनके सामने मुश्किल आ रही है।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह रखा गया है कि क्या सरकार को पता है कि गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी के बन्द होने की नौबत आ रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इस कम्पनी ने पिछले 3 सालों में कितना मुनाफा कमाया है, कितना डिवीडेंड दिया है और मार्केट में उसके शेयरों की कीमत क्या है और उसके बंद होने की जो नौबत आ रही है, उसकी वजह क्या है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : आपने जो कम्पनी के बन्द होने का सवाल पूछा है, उसके बारे में मुझे यह कहना है कि फर्टिलाइज़र कम्पनी के बन्द होने का सवाल नहीं है। वहां पर फर्टिलाइजर तो प्रोड्यूस होता है लेकिन जो केप्रोलेक्टम का यूनिट है, उस यूनिट की हालत यह हो गई है कि उन लोगों के भाव बहुत ज्यादा बढ़ाने की वजह से उसकी कोई मांग नहीं है। इसलिए 5 हजार टन केप्रोलेक्टम वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। उसको लेने वाला कोई नहीं है, यह हालत है लेकिन फर्टिलाईजर कम्पनी ठीक तरह से चल रही है।

अध्यक्ष महोदय : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामविलास पासवान।

"आक्रोश" फिल्म को "ए" प्रमाण-पत्र दिया जाना

*840. **श्री राम विलास पासवान :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सेंसर बोर्ड द्वारा "आक्रोस" फ़िल्म को "ए" (केवल वयस्कों के लिए) प्रमाण-पत्र दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसंत साठे : (क) और (ख) जी हां, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा सभी फिल्मों की जांच चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबंधों और इनके अंतर्गत जारी किए गए मार्गदशी सिद्धान्तों के अनुसार की जाती है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, जो फिल्में अवयस्कों के लिए प्रदर्शन के लिए अनुपयुक्त समझी जाती हैं, उन्हें केवल वयस्क दर्शकों के लिए प्रदर्शन के लिए अनुपयुक्त समझी जाती हैं, उन्हें केवल वयस्क दर्शकों के लिए प्रदर्शन के लिए ही प्रमाणीकृत किया जाना होता है। फिल्म "आक्रोश" को "ए" प्रमाण-पत्र दिया गया है, क्योंकि बोर्ड ने इसे अवयस्कों के लिए अनुपयुक्त पाया। प्रोड्यूसर ने प्रमाण-पत्र स्वीकार कर लिया।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह जो हम लोगों के सेंसर बोर्ड के नियम हैं ये ब्रिटिश सेंसर बोर्ड के नियमों की हुबहू नकल है। इनमें बहुत सारे नियम अनुपयुक्त हो गये हैं। दूसरे आपके जो नियम हैं उनकी खुल कर अवहेलना की जाती है। आपने जो खोसला कमेटी बनायी थी उसकी रिपोर्ट के पृष्ठ 110 पर अध्याय 8(19) में लिखा है कि—

> "वर्तमान कानून या वर्तमान सेंसर संहिता में ऐसी कोई चीज नहीं है, जो ऐसी फिल्म पर विचार का अधिकार देती हो, क्योंकि न तो अंग्रेजों ने, जिन्होंने शुरु में नियम बनाए, न बम्बई फिल्म सेंसर बोर्ड ने, जिसने अधिकतर अंग्रेजों के ही 43 नियमों के आधार पर सामान्य सिद्धान्तों और आपत्तिजनक विषयों की सूची बनाई, और न सरकारी अधिकारियों ने ही, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में वर्तमान सेंसर संहिता तैयार की, ऐसी विध्वंसकारी फिल्मों के बारे में सोचा था।"

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत में सेंसर संहिता नाम की कोई चीज है ? क्या इस विषय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं ? आजकल सेंसर बोर्ड जिस फिल्म को चाहे वे पास कर देते हैं। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई लिखित आचार संहिता बनाने का विचार रखती है ?

श्री वसन्त सांठे : माननीय सदस्य ने जो कहा कि सेंसर के बारे में जो कानून हैं वे बहुत पुराने हो गए हैं इसलिए सिनेमाटोग्राफ एक्ट में अमेंडमेंट करने की बात सोची गई है। हम अगले सेशन में सिनेमाटोग्राफ एक्ट में अमेंडमेंट ला रहे हैं। उसमें खोसला कमेटी के सुझाव और अन्य जो सुझाव हैं वे भी विचार के लिए जाएंगे और वह आपके समक्ष विचार के लिए आ जाएगा।

जहां तक सेंसर बोर्ड का सवाल है माननीय सदस्य का कहना है कि उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। गाइडलाइंस जो है, जहां तक माननीय सदस्य ने पढ़ा होगा कि वे गाइडलाइंस ठीक है। गाइडलाइंस कितनी भी अच्छी हों, अमल करने में सारी कठिनाई पड़ती है। उस पर क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर विचार अवश्य किया जा रहा है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो अपना मार्गदर्शी सिद्धान्त रखा है उसका खुल कर उल्लंघन किया जाता है। उसमें दिया है कि अपराधी पात्रों में रोमांस और वीरता गुणों को विभूषित न करता हो। लेकिन प्राय: फिल्मों में ऐसा देखा जाता है कि जो विलेन होता है उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, इतना मारधाड़ कर के लोगों को उत्तेजित किया जाता है कि आम तौर पर जब लोग सिनेमा से निकलते हैं तो हुबहू उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं। इस में खोसला कमेटी की रिपोर्ट में भी कई फिल्मों के नाम उद्धृत किए गए हैं जो कि 'ए' प्रमाण-पत्र देने के लायक थी लेकिन उनको यूनीवर्सल केटेगरी में रख दिया गया जबकि उन्हें यूनीवर्सल में नहीं रखा जाना चाहिए था। क्या सकार का सेंसर बोर्ड के ऊपर कोई ग्रिप नहीं है कि वह जब चाहे, जैसे चाहे फिल्मों को छूट देती रहे और सरकार मूकदर्शी की तरह देखती रहे ?

श्री वसंत साठे : जाहिर है कि सिनेमा में जो कुछ दिखाया जाता है उसका कुछ असर तो हो रहा है। यहां भी राम विलास जी जब कुछ करते हैं तो कुछ लगता है कि कुछ असर हो रहा है। इसलिए असर होता होगा, यह मैं नामंजूर नहीं करता हूं। लेकिन इसके लिए सेंसर बोर्ड को सरकार के नियंत्रण में रखना और हर फिल्म के लिए रखना यह मुमकिन भी नहीं है और ठीक भी नहीं है। हम यह सोच रहे हैं कि सेंसर बोर्ड भी गाइडलाइंस को देखे। उसकी एक अपीलेट अथारिटी हो जो कि एक रिप्रेजेन्टेटिव करेक्टर की हो जिससे कि निष्पक्ष रूप से फिल्मों की जांच की जाए। यह ख्याल है।

एफ द्वारा जारी

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन को सेंसरशिप सर्टिफिकेट आज से कई बरस पहले, पांच दस बरस पहले दे दिया गया था। हमारी नीतियां उत्तरोत्तर बदलती जा रही है। कल चर्चा हो रही थी और समाज कल्याण मंत्री जी कह रहे थे कि शराब पीना बुरा है और उससे भी ज्यादा बड़ी बुराई अधिक पीने में है। एक फिल्म हमने देखी थी जिस में एक गीत यह था :

जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर।

ऐसी फिल्में जो बहुत बरस पहले पास कर दी गई थीं उन पर अब आप प्रतिबन्ध लगाने की कोशिश करेंगे ?

श्री भागवत झा आजाद : इसकी आखिरी लाइन भी बता दें।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : या वह जगह बता दें जहां खुदा न हो।

श्री वसन्त साठे : आप भी बता दें लहां खुदा न हो और तब पहला जो आपका जुमला है जिस को चाहते हैं कि अमल में लाया जाए और वैसी फिल्में न बनाई जाएं तो उसकी बात सोची जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : इस में तो सारा निचोड़ आ गया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : सरकारी बैंचों में खुदा नहीं है ।

श्री रत्नसिंह राजदा : मेरे मित्र ने गालिब या किसी अन्य शायर का कलाम नहीं पढ़ा है। एक शायर ने कहा है :

मयखाना बन्द हुआ तो क्या
रिन्दों का ठिकाना और भी है ।

शायद उन्होंने यह शेर नहीं पढ़ा है । चलचित्र एक बहुत शाक्तिशाली माध्यम है तथा केवल बालिगों के लिये इन सभी चलचित्रों के बारे में कुछ अनियमितता चलती रही है । निर्माता स्वयं 'ए' प्रमाणपत्र लेना चाहते हैं । इसके अतिरिक फिल्मों में चुम्बन प्रदर्शित करने का विवाद चलता रहा है । मंत्री महोदय ने अपना मत व्यक्त किया है और उससे देश में गंभीर विवाद खड़ा हो गया है । किसी ने कहा कि माननीय मंत्री श्री साठे चुम्बन दिखाने के पक्ष में हैं । ···**(व्यावधान)**

मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वे चुम्बन के पक्ष में हैं या इसके विरुद्ध हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न को दो भागों में बांटना चाहिए ।

श्री वसन्त साठे : मैं जानना चाहूंगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो चुम्बन के पक्ष में न हो ।

प्रो० मधु दण्डवते : आप ये क्यों नहीं कहते कि आपको चुम्बन के लिए दिखावे की सहानुभूति है ।

श्री वसन्त साठे : मुझे पूर्ण सहानुभूति है । हम सब मनुष्य हैं । यदि मानव जीवन में यह सामान्य और स्वाभाविक चीज है, तो फिर यदि फिल्में सामान्य और स्वाभाविक चीजें दिखाती हैं, तो इसमें कोई हानि नहीं होनी चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने अभिव्यक्त रूप से स्वीकार किया है कि फिल्म सेंसर अधिनियम का पालन कम और उल्लंघन अधिक किया जाता है । क्या उन्हें इस बात की जानकारी है—बल्कि प्रश्न तो यह है कि वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं—कि निकाले गए भाग सुरक्षित रखे जाते हैं और वे बाद में फिल्म में जोड़ कर देश में दिखाए जा रहे हैं । वे बहुत अश्लील, कामोत्तेजक तथा लोगों में हिंसा की भावना भड़काने वाले दृश्य हैं । इसे रोकने के लिए वे क्या कार्यवाही करेंगे और सीमा-शुल्क अधिनियम लागू करेंगे ? इसके लिए क्या कार्यवाही करने का उनका विचार है ?

श्री वसन्त साठे : माननीय सदस्य के सभा में इतना उत्तेजित होने का मुझे कोई कारण नजर नहीं आता । मुझे नहीं मालूम कि इसका निकाले गए उन भागों से कुछ सम्बन्ध है । यदि फिल्म सेंसर अधिनियम का उल्लंघन किया जाता है, तो यह प्रत्यक्ष रूप से राज्यों के क्षेत्राधिकार

का मामला है । यदि फिल्मों का सेंसर किये जाने और प्रमाणपत्र दिए जाने के बाद कोई अप्रमाणित भाग दक्षम रूप से दिखाया जाता है, तो राज्यों को कार्यवाही करनी चाहिये और मैं आशा करता हूं कि राज्य कार्यवाही करेंगे ।

हिमाचल प्रदेश को कोयले का आबंटन

***841. श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश को कोयले का आबंटन प्रारंभ से ही असंतोषजनक रहा है और अब इस आबंटन पर 60 प्रतिशत कटौती कर दी गई है;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा यह बात भारत सरकार के नोटिस में लाई गई है कि इस कटौती के परिणाम स्वरूप बहुत से लघु उद्योग या तो बंद हो गए हैं अथवा वे कम उत्पादन करने के लिए बाध्य हो गए हैं;

(ग) क्या वर्ष 1978 में कोयले पर निर्भर 47 औद्योगिक एककों के लिए 700 वैगनों की मांग पर हिमाचल प्रदेश को कोयले के केवल 362 वैगन आबंटित किए गए थे और वर्ष 1979 में ऐसे 83 औद्योगिक एककों के लिए 3112 वैगनों की वार्षिक मांग पर केवल 105 वैगन ही आवंटित किए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य में औद्योगिक एककों के लिए कोयले की संतोषजेनक सप्लाई सुनिश्चित करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों में हिमाचल प्रदेश में कोयले की उपलब्धि में कुछ कमी रही है जिसका मुख्य कारण परिवहन के पर्याप्त साधन न मिलना है । किन्तु हिमाचल प्रदेश को कोयले के आबंटन में कोई कटौती नहीं की गई है ।

कोयले की कमी और उसका औद्योगिक इकाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव कोयला विभाग की जानकारी में लाया गया है ।

(ग) हिमाचल प्रदेश की कोयले की मांग 0·18 मिलियन टन प्रति वर्ष निर्धारित की गई है किन्तु इसकी तुलना में 1979-80 में केवल 27,000 टन और 1978-79 में 11,000 टन कोयला ही सप्लाई किया गया ।

(घ) कोयला कम्पनियां रेलवे के साथ लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं ताकि हिमाचल प्रदेश सहित सभी स्थानों को रेल द्वारा अधिकतम कोयला भेजा जा सके । रेलवे द्वारा कोयले के लदान की, उच्चतम स्तर पर, "औद्योगिक आधारभूत व्यवस्था सम्बन्धी मंत्रिमंडलीय समिति" भी निगरानी कर रही है ।

प्रो० नारायण चंद पराशर : उत्तर से लगता है कि माननीय मंत्री ने जब वे कोयला विभाग के प्रभारी थे कोयला विभाग को इसकी जानकारी दे दी थी । सप्लाई को नियमित करने

और यहां दिए गए आंकड़े—1,80 लाख टन की अनुमानित मांग के बदले केवल 27,000 टन सप्लाई—पुन: न दोहराए जाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

श्री विक्रम महाजन : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमने कोयले का कोटा घटाया नहीं है। वास्तव में वे वैगनों की कमी है। हम रेल विभाग से ढुलाई में गति लाने की कह रहे हैं। मंत्रि-मण्डल की औद्योगिक आधार भूत ढांचा समिति भी इस सब पर नजर रखे हैं। हम हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों को कोयले की नियमित सप्लाई बनाए रखने का प्रयत्न कर रहे हैं।

प्रो० नारायण चंद पराशर : लगता है गलती रेलवे की है। कोयला विभाग अथवा मंत्रालय ने वैगनों को नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए रेल मंत्रालय को कब लिखा ?

श्री विक्रम महाजन : मैंने अभी-अभी बताया है कि मंत्रिमण्डल समिति देश भर में कोयले की ढुलाई पर आंख रखती है। प्रत्येक दिन का लेखा-लोखा रखा जाता है तथा इसके लिए विशेष रूप से पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है।

राज्य विद्युत बोर्डों के संसाधन-आधार को सुदृढ़ बनाना

***842 श्री के० प्रधानी :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों के संसाधन-आधार की सुदृढ़ बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्वसंबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राज्य बिजली बोर्डों का गठन राज्य सरकारों द्वारा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत किया जाता है। यद्यपि, राज्य बिजली बोर्ड अपने कार्य संचालन में स्वायत्तशासी है, तो भी वे समग्र रूप से संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। राज्य बिजली बोर्डों के संसाधन आधार को सुदृढ़ करने की प्रारम्भिक जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की है।

परन्तु राज्य बिजली बोर्डों के संसाधन आधार को सुदृढ़ बनाने तथा उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ आवश्यक कदम पहले ही उठाए गए हैं। ठोस वाणिज्य सिद्धान्तों पर कार्य करने के लिए बिजली बोर्डों को समर्थ बनाने तथा उनकी वित्तीय जीवन क्षमता में सुधार करने के लिए विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 को 1978 में संशोधित किया गया था। इस संशोधन से राज्य सरकारें राज्य बिजली बोर्डों की ईक्विटी के रूप में धन उपलब्ध कराने में सक्षम हो गई हैं। इस संशोधन से राज्य सरकारें इस बात के लिए सक्षम हैं कि राज्य बिजली बोर्डों द्वारा अपने सभी खर्चों को पूरा करने के पश्चात, अर्जित किए जाने वाले अधिशेष का वे उल्लेख कर दें।

देश में केन्द्रीय और राज्य सेक्टर—दोनों ही क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई उद्योग, के कार्यकरण की जांच करने के लिए भारत सरकार ने एक विद्युत समिति का गठन किया है यह समिति राज्य

बिजली बोर्डों को तथा बिजली के उत्पादन, परिषण तथा वितरण में लगे सभी केन्द्रीय संगठनों के कार्यकरण के सभी पहलुओं की जिसमें उनकी संगठनात्मक संरचना, प्रबन्ध कार्य, आयोजना प्रणाली प्रचालन की कार्यकुशलता, वित्तीय निष्पादन टैरिफ ढांचा तथा विधायी कार्य पद्धति शामिल है, जांच करेगी और इनमें सुधार लाने के लिए सुझाव देगी। समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

श्री के० प्रधानी : 1978 में जनता सरकार ने विद्युत प्रदाय अधिनियम में संशोधन किया था। इसके पश्चात् राज्य विद्युत बोर्ड विकास संस्थाएं रहने के बजाय एक व्यापारिक संस्थान बन गए। इस तथ्य को देखते हुए क्या कुछ राज्यों ने विद्युत बोर्डों को छूट देना बन्द कर दिया है? इसके परिणाम स्वरूप क्या विद्युत बोर्ड अपना वह सामाजिक कार्य चालू रखेंगे या छोड़ देंगे जो वे पिछड़े क्षेत्रों में करते हैं?

श्री विक्रम महाजन : राज्य विद्युत बोर्ड सीधे राज्यों के अन्तर्गत हैं और उन पर हमारा अधिक नियंत्रण नहीं है। हम केवल सुझाव दे सकते हैं। जहां तक पिछड़े क्षेत्रों के विकास का प्रश्न है हमारी ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना है जिसके तहत केन्द्र राज्यों को करोड़ों रुपया उनके और हरिजन बस्तियों के विकास के लिए दे रहा है।

श्री के० प्रधानी : वर्ष 1978 में जनता सरकार ने श्री राज्याध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की। जनता सरकार के कार्यकाल में अनेकों आयोगों और समितियों के प्रतिवेदन प्रस्तुतत किए गए। परन्तु इस समिति ने 20 मास में भी अपना काम पूरा नहीं किया। अब यह समिति अपना प्रतिवेदन कब तक दे देंगी?

श्री विक्रम महाजन : समिति की नियुक्ति देश में विद्युत ढांचे तथा इसके सुधार करने के लिए की गई थी। हमें शीघ्र ही प्रतिवेदन मिलने की आशा है।

श्री के० पी० सिंह देव : मंत्री महोदय के उत्तर से यह प्रश्न उठता है कि उड़ीसा के तलचर स्थित बन्द पड़े विद्युत संयंत्र के सम्बन्ध में सरकार क्या ठोस उपाय अपना रही है, जबकि उसके कार्य को राज्य विद्युत बोर्ड ने लेने से मना कर दिया है और भारत सरकार तथा फ्रान्स की सहयोगी फर्म अपने सहयोग से लगने वाले एल्यूमीनियम धातु संयंत्र के लिए इसे पूरा करना चाहती है।

श्री विक्रम महाजन : हमने 1980-85 के लिए तलचर संयंत्र की पहले ही स्वीकृति दे दी है। पहले भी इस सम्बन्ध में बताया गया था। तलचर के विस्तार पर 78 करोड़ रुपया लगेगा। 110 मेगावाट की क्षमता 1980-81 में शुरू की जाएगी तथा 1981-82 में फिर से 110 मेगावाट क्षमता का विस्तार किया जाएगा।

श्री के० पी० सिंह देव : मेरा प्रश्न फ्रान्स के सहयोग से बन रहे एल्यूमिनियम कारखाने के लिए बन्द बिजली घर के बारे में था। तलचर बिजली घर सर्वथा अलग संयंत्र है। उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि मेरे पास इसके लिए आवश्यक 70 करोड़ रुपया नहीं है।

क्या इस सहयोग की इसी आयकर पर समाप्त कर दिया जाएगा अथवा विजली घर के कार्य को केन्द्र सरकार अपने हाथ में लेगी ?

श्री विक्रम महाजन : यह सर्वथा राज्य विद्युत बोर्ड के क्षेत्राधिकार का मामला है। इस सम्बन्ध में हमसे अभी तक कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि 1978 में एक्ट में संशोधन करके इलेक्ट्रिसिटी बोर्डज को कामर्शल बेसिस पर रन करने की पावर दी गई है। उन्हें मालूम है कि आज इलैक्ट्रिसिटी बोडर्ज में क्या हो रहा है। पूरे हिन्दुस्तान में करोड़ों रुपयों का लास हो रहा है। वे फिजूलखर्ची कर रहे हैं और इसका बोझ किसानों पर डाल रहे हैं, उनसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। उनका मेंनेजमेंट ठीक नहीं है और जरा भी एफिशेंसी नहीं है। वे किसानों को लूट रहे हैं। क्या मंत्री महोदय इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जहां तक किसानों का सम्बन्ध है, उनको बिजली देने के सम्बन्ध में कोई कामर्शल बेसिस न हो ?

श्री विक्रम महाजन : ग्रामीण सेक्टर को बिजली रियायती दर पर दी जाती है। लगभग सभी राज्य विद्युत बोर्डों के हानि पर चलने का एक कारण यह भी है। इस हानि को पूरा करने के लिए केन्द्र उन्हें सहायता देता है। हम उन्हें बहुत कम लागत दर बिजली देते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : राज्य विद्युत बोर्डों पर पड़ रहे वित्तीय और खपत के दबाव को देखते हुए क्या मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन देंगे कि परम्परा गत विद्युत उत्पादन तरीकों पर जोर देने के स्थान पर सौर ऊर्जा आदि की ओर कुछ ध्यान दिया जाएगा जिससे परम्परागत संसाधनों पर निर्भर रहने के बजाय और अधिक विद्युत उत्पादन किया जा सके ?

श्री विक्रम महाजन : हम ऊर्जा के वैयक्तिक स्रोतों का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि प्रधान मंत्री ने कुछ दिन पहले बताया था विज्ञान डिवीजन ने 10 किलोवाट के सौर विद्युत पर के सम्बन्ध में प्रयोग शुरु कर दिए हैं। हम विश्व भर में ऐसे देश का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसने व्यापारिक आधार पर सौर ऊर्जा का विकास किया है। अभी तक कोई देश ऐसा कर नहीं सका है। हम सौर ऊर्जा, ज्वार-भाटा ऊर्जा आदि अनेकों ऊर्जा स्रोतों पर अनु-संधान कर रहे हैं।

कोल इण्डिया लि० द्वारा देय भविष्य निधि की धन-राशि

*843. **श्री के० प्रधानी** : क्या उर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० और उसकी सहायक कम्पनियों के नाम में 31 मार्च, 1979 को भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान की कोई धनराशि बकाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उक्त धनराशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालन में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री के० प्रधानी : क्या कोल इण्डिया लि० और उसकी सहयोगी संस्थाएं कर्मचारियों द्वारा जमा कराए जाने वाली भविष्य निधि में कोई योगदान देती है और यदि हों तो किस दर से तथा वह कब अपना अंगदान देती है ?

श्री विक्रम महाजन : कर्मचारियों की अनिवार्यतः अपने वेतन का 8 प्रतिशत भविष्य निधि में देना पड़ता है तथा इतना ही नियोजक अपना अंगदान देता है ।

पेंट्रोलियम उत्पादों के भण्डारण की समस्या

*** 846. श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या पेंट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण उपभोक्ता केन्द्रों में पैंट्रोलियम उत्पादों के भण्डारण की निरन्तर समस्या का माल डिब्बों के आवागमन पर विशेष रूप से दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या असम में आन्दोलन तथा वहां स्वैचालित उपलब्ध होने के कारण केन्द्र द्वारा रेलवे से कहा गया है कि अन्य तेल शोधन कारखानों से लदान बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जायें जिससे आसाम का कच्चा तेल प्राप्त करने वाले क्षेत्रों को इसका प्रभाव न सहन करना पड़े :

(ग) यदि हां, तो क्या आवागमन में तेजी लाए जाने के कारण प्रमुख उपभोक्ता केन्द्रों में भण्डारण समस्या उत्पन्न हो गई है; और

(घ) क्या इस प्रकार रेलवे को भी नुकसान पड़ा और ज्यादातर पैट्रोलियभ उत्पाद भी खराब हुए ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) पैट्रोलियम उत्पादकों के लिए समूचे देश के लिए रेलवे टैंक गाड़ियों की कुल उपलब्धता आवश्यकता से बहुत कम है और इस कमी को पूरा करने के लिए इन उत्पादों की टैंक लारियों में सड़क परिवहन द्वारा अतिरिक्त परिवहन किया जा रहा है । दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा सप्लाई किए जाने वाले डिपो में पैट्रोलियम उत्पादकों का स्टाक बड़ी मात्रा में पड़ा हुआ है और वर्षा ऋतु के आरंभ होने से उनकी मांग कम हो गई है । इसके परिणाम स्वरूप, यह संभव है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे में कुछ समय के लिए टैंक गाड़ियां खाली रहेंगी ।

(ख) असम में आन्दोलन के कारण, असम स्थित शोधनशालाओं से पैट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता कम हो गई है । स्थिति का सामना करने के लिए, पैट्रोलिनम;उत्पादों की उपलब्धता कम हो गई है । स्थिति का सामना करने के लिए, पेट्रोलियम उत्पादों के रेलों द्वारा परिवहन के समय में पुनः समायोजन करना आवश्यक है ताकि इन शोधकशालाओं से उत्पाद सप्लाई किये

जाने वाले क्षेत्रों को दूसरे स्थानों से यथा संभव उतनी ही सप्लाई मिल सके जितनी कि उन्हें पहले मिलती थी।

(ग) जी नहीं, वास्तव में इस समय देश के कई ऊपरी भागों के डिपों में जहां भण्डारण क्षमता अत्यधिक है, आगामी दो वर्षों में यथा संभव सीमा तक टैंकों को भरा जा सकता है, जब मांग के कम होने की संभावना है।

(घ) जी, नहीं।

श्री गुलाम रसूल कोचक : अध्यक्ष महोदय विवरण में अनेकों तथ्य तोड़-मरोड़ कर दिए गए हैं। अतः सत्य क्या है यह सभा को बताने की मुझे अनुमति दी जाए।

मेरा कहना है कि पेट्रोलियम उत्पादों के भण्डारण की समस्या आज की ही समस्या नहीं है वरन यह हमेशा से चली आई समस्या है और मंत्री महोदय ने इस तथ्य से इन्कार किया है कि भारत में ऐसी कोई समस्या है। असम आन्दोलन के दौरान भारत सरकार ने असम के अलावा अन्य तेल शोधक कारखानों की पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल पहुंचाने के लिए कदम उठाए और रेलवे को कहा गया कि वह अन्य तेल शोधक कारखानों को अधिक मात्रा में तेल पहुंचाए जिससे देश में पेट्रोलियम पदार्थों का अभाव न हो अथवा देश को अधिक अभाव का सामना न करना पड़े। इस संकट के दौरान भारत सरकार और रेलवे विभाग ने सैंकड़ों टैंकर और वैगन इस काम में लगा दिए परिणामस्वरूप जब ये वैगन वहां पहुचे तो या तो पर्याप्त मात्रा में वहां पेट्रोलियम पदार्थ ही नहीं थे या उनका उपयोग उनकी पूरी क्षमता तक नहीं किया जा सका।

दूसरे बड़ी भारी मात्रा में हानि…

अध्यक्ष महोदय : आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री गुलाम रसूल कोचक : मुझे सत्य को सामने लाना है। मैं प्रश्न पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पूछने का ढंग नहीं है।

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्योंकि यह एक समस्या बन गई है और इस बारे में समाचार पत्रों में बहुत चर्चा हुई है।

अब मैं इस संबंध में प्रश्न पूछूंगा। मंत्री महोदय ने कहा है कि हो सकता है हानि हुई है। परन्तु मैं जानना चाहूंगा कि कितनी हानि हुई? दूसरे यदि हानि हुई है तो क्या सरकार यह नहीं मानेगी कि यह हानि उसकी लापरवाही तथा उसकी गलतियों के कारण हुई है? मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी प्राप्त करना भी चाहूंगा कि पेट्रोलियम पदार्थों की ढुलाई के लिए कितने वैगनों को उपयोग में लाया गया तथा प्रतिदिन कितने माल की…

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार प्रश्न पूछ रहे हैं जैसे कि किसी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर पूछा जाता है।

श्री गुलाम रसूल कोचक : इससे हमारी आंखें खुल जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह तरीका नहीं है। … **(व्यावधान)**

श्री गुलाम रसूल कोचक : सरकार यह बताए कि कितनी हानि हुई ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : उत्तर क्या दिया जाए ? उन्होंने कोई भी बात स्पष्ट नहीं की है। ··· (व्यवधान)

माननीय सदस्य ने प्रश्न नहीं किया है वरन एक भाषण दिया है।

अध्यक्ष महोदय : एक वक्तव्य ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : उनका यही विचार है। मैं नहीं जानता, परन्तु इतना सच है कि उनकी जानकारी गलत है। वह यह मानते हैं कि देश में भण्डारण की क्षमता नहीं है। यह तथ्य नहीं है। हमारे पास पर्याप्त भण्डारण क्षमता है। दूसरी ओर जितनी भी भंण्डारण क्षमता हमारे पास है वह पूरी है और हम और वैगन चाहते हैं और टैंकर चाहते हैं परन्तु हमें पर्याप्त मात्रा में रेल वैगन नहीं मिल रहे हैं और यही हमारी समस्या है। परन्तु जून और जुलाई के महीने में भण्डारण क्षमता के कारण नहीं, वरन हमारे कुछ उर्वरक कारखानों के कारण मांग कम हो गई इसलिए विशाखापटनम ओर हल्दिया में वेगनों की मांग नहीं रही। उनकी मांग वहां केवल दो महीने तक रही। परन्तु समूचे देश में हम अपने विभिन्न डिपों को अधिक मात्रा में माल भेजना चाहते परन्तु हमें पर्याप्त संख्या में वैगन नहीं मिले।

श्री एम० वी० चंद्रशेखर मूर्ति : यह सिद्ध हो गया है कि खपत के स्थानों पर भण्डारण सुविधा की कमी के कारण भी टैंकर वैगन और टैंकर लारियां खाली रहीं। इस दृष्टि से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया। यदि हां, तो वास्तविक भण्डारण क्षमता क्या है और सरकार किस प्रकार स्थिति का सामना करने जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : लाबी में इतना शोर क्यों हो रहा है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य का विचार है कि भण्डारण क्षमता पर्याप्त नहीं है। मैंने इस बात को स्वीकार नहीं किया।

श्री एम० वी० चंद्रशेखर मूर्ति : खपत के स्थानों पर।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : खपत के स्थानों में हमारे पास पर्याप्त भण्डारण क्षमता नहीं है। हम अधिक से अधिक मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों की दुलाई करना चाहते हैं और मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे पास भण्डारण क्षमता है। जब भी हम यह अनुभव करते हैं कि भण्डारण क्षमता पर्याप्त नहीं है हम अधिक क्षमता बनाने को तैयार रहते हैं।

श्री नीरेन घोष : जिन विदेशी कम्पनियों को हाथ में लिया गया था उनकी अपनी टैंकर सेवा थी। उनके टैंकर ठेके पर नहीं थे। आप वैगनों की कमी को पूरा करने के लिए टैंकर सेवा क्यों शुरू नहीं करते ?

दूसरे आप असम में तेल की नकाबन्दी को स्वीकार करने को क्यों सहमत हो गए ? इसका उत्तर देना आपका काम है क्योंकि आप मंत्री हैं। आप इससे सहमत हैं ? यदि नहीं तो इस कमी

के बने रहने के क्या कारण हैं। क्या आपने इस संबंध में सरकार से बात की या नहीं। बातचीत के दौरान क्या आपने इस बात पर जोर दिया, क्योंकि यह आपके अपने मंत्रालय का मामला है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। क्योंकि हमें पर्याप्त संख्या में टैंकर वैगन नहीं मिल रहे हैं हम पेट्रोलियम पदार्थों की दुलाई सड़क से भी कर रहे हैं।

माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि हम असम में तेल की नकाबन्दी से क्यों सहमत हो गए। यह बहुत ही नाजुक प्रश्न है। इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता।

श्री नीरेन घोष : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री नीरेन घोष : क्यों नहीं ? किस नियम के अन्तर्गत आप मुझे संरक्षण नहीं दे रहे हैं ? ···(व्यवधान)

राष्ट्रीयकृत तेल उपक्रमों के कर्मचारियों का सेवा-समाप्ति का नोटिस दिया जाना

*347. **श्री एच० एम० नन्जे गौडा :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत तेल उपक्रमों के प्रबन्धक कर्मचारियों को सेवा-समाप्ति का नोटिस दिया गया है और उन्हें अपेक्षाकृत घटिया शर्तों पर पुनः नियोजन की पेशकश की गई है :

(ख) क्या यह निर्णय सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण के समय दिए गए आश्वासन के अनुरूप नहीं है;

(ग) क्या कम्पनी के वरिष्ठ प्रबन्ध कार्मिक शानदार मकानों, अत्यधिक मनोरंजन भत्तों तथा कारों के निबोध प्रयोग सहित परिलब्धियों (पर्क्स) और लाभों का उपभोग कर रहे हैं और और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन (बी० पी० सी०) के प्रबन्धक कर्मचारियों के उन सदस्यों को जो उर्मा शील कम्पनी के अधिग्रहण किए जाने के समय पदों पर थे, को सेवा समाप्ति के नोटिस दे दिए गए हैं और साथ ही साथ उनको पुन: नौकरी की पेशकश संशोधित शर्तों के साथ दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) : बी० पी० सी० के प्रबंधक कर्मचारियों की सुविधाएं और अन्य भत्ते वर्तमान सुव्यवस्थीकरण योजना के पूरी तरप कार्यान्वित हो जाने पर लगभग वहीं होंगे जो इंडियन आयल कार्पोरेशन में दिए जाते हैं तथापि आई० ओ० सी० में दिए जाने वाले सवारी भत्ते के स्थान पर कुछ थोड़े से वरिष्ठ अधिकारियों को कम माइलेज के साथ कार रखने की अनुमति दे दी गई है।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : माननीय मंत्री ने केवल एक कम्पनी के बारे में उत्तर दिया है जब कि काल्टेक्स और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कम्पनी जैसी कई कम्पनियों का अधिग्रहण किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि अन्य कम्पनियों के कर्मचारियों के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है? इन कम्पनियों के कर्मचारियों की कुल मिला कर संख्या कितनी है? सरकार उनके बारे में तथा उनके पुनर्नियोजन के बारे में क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे खेद है कि मैंने केवल वर्माशैल के बारे में बताया है। परन्तु हमने कुल मिला कर तीन कम्पनियों अर्थात् बर्माशैल हस्सो और कालटैक्स का अधिग्रहण किया है। हमने जो निर्णय किया है वह सभी कम्पनियों पर लागू है। बी० पी० सी० की कर्मचारियों की संख्या 846 है और एच० पी० सी० में 833 है।

श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा : उन्हें पुनः रोजगार में कैसे रखा जाएगा। यह कहा गया है कि उन्हें सेवा समाप्त करने के नोटिस दे दिए गए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष कोई शर्तें रखी है. मैं जानना चाहता हूं कि पुनरीक्षित शर्तें क्या हैं?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : हमने जिन अधिकारियों को नोटिस दिए हैं, उनमें से कुछ उच्चतम न्यायालय में चले गए हैं तथा मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। युक्तियुक्त करण प्रस्ताव संक्षेप में इस प्रकार है :—)1) एच० पी० सी० और बी० पी० सी० के अधिकारियों पर आई० ओ० सी० के वेतनमान लागू किए जाने चाहिएं !

(2) एच० पी० सी०/बी० पी० सी० के अधिकारियों की सेवा समाप्त की जाए तथा उन्हें साथ ही साथ नए वेतनमानों में पुनः नियुक्त किया जाए, अर्थात् आई० ओ० सी० के जो भी वेतनमान हैं, वे उन पर लागू किये जाएं।

(3) इन अधिकारियों को सेवा समाप्ति से पहले कि उन की सेवाओं के लिए नियमों के अनुसार बिना कटौती के पेंशन या उपदान दिया जाए।

(4) यदि पेंशन/उपदान जमा वर्तमान वेतन सेवा समाप्ति के वेतन से कम हो, तो अन्तर दो वार्षिक वृद्धियों में पूरा किया जाए। सेवा निवृत्ति की आयु समान रूप से 58 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिएं। इन अधिकारियों की अन्य सुविधाएं और सेवा निवृत्ति लाभ, वही हों, जो आई० ओ० सी० के अधिकारियों को उपलब्ध हैं।

हम इन शर्तों पर उन्हें पुनः नौकरी पर रखना चाहते हैं।

श्री जैनुल बशर : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन जब नेशनलाइज हुआ, उस समय इन दोनों फारन कम्पनियों में एफिशियेंट अधिकारी लोग काम करते थे। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सैलरी रैशनलाइजेशन की वजह से वहुत से अच्छे-अच्छे और एफिशियेंट आफिसर उन कम्पनियों को छोड़कर

चले गए और जो रह गए उनके मनोबल पर खराब असर पड़ रहा है, जिससे एफिशियेंसी प्रभावित हुई है। अगर उनको यह पता है, तो वे इस विषय में क्या कर रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मान्यवर, यह कहना सही नहीं है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन में जो आफिसर नेशलाइजेशन से पहले काम कर रहे थे वे बहुत ही एफिशियेंट आफिसर थे और दूसरे आई० ओ० सी० में जो आफिसर काम कर रहे हैं, वे एफिशियेंट नहीं हैं। बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि जो आई० ओ० सी० में आफिसर काम कर रहे हैं, वे भी उतने ही एफिशियेंट है, जितने कि भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन में काम कर रहे हैं। नेशनलाइजेशन होने के पहले उनकी सैलरी बहुत बड़ी थी। मैं मिशाल के तौर पर आपको बता सकता हूं कि जनरल मैंनेजर की सैलरी आई० ओ० सी० में 3000 या 3500 रु० पर-मन्थ थी, लेकिन दूसरी कम्पनियों में जनरल मैंनेजर्स की सैलरी 5000 या 7500 रु० पर-मन्थ थी। जनरल मैंनेजर, आई० ओ० सी० में काम करने वाला, 3000 रु० लेता है और बर्माशैल या दूसरी कम्पनियों में काम करने वाला जनरल मैंनेजर 7000 रु० ले, तो इससे डिमारेलाइजेशन होगा। इसलिए इन दोनों का नेशलाइजेशन करके आई० ओ० सी० में जो जनरल मैंनेजर काम कर रहे हैं या हैड आफ-दी डिपार्टमेंट या दूसरे आफिसर्स काम कर रहे हैं, उनको भी उतनी ही सैलरी देनी चाहिए। इसमें रेशनालाइजेशन करना चाहिए। इस हिसाब से हमने यह स्कीम बनाई है।

डा० सुब्रह्माण्यम स्वामी : मंत्री महोदय को ज्ञात है कि मैं इण्डियन आयल आफिसर्सा एशोसिएशन का अध्यक्ष हूं। अतः उन्हें इस एशोसिएशन के विरुद्ध हम लिए भेद भाव नहीं करन चाहिए, क्योंकि मैं उसका अध्यक्ष हूं। वह ठीक कहते हैं कि इण्डियन आयल के आफिसरों का मनोबल नहीं गिरने देना चाहिए और वेतन मानों में समानता रखी जानी चाहिए। इण्डियन आयल के अधिकारी समय-समय पर यह मांग करते रहे हैं कि समानता रखने के लिए उन्हें बोनस दिया जाये, जिस से उन्हें अब तक वंचित रखा गया है। क्या मंत्री ने इण्डियन आयल के अधिकारियों को बोनस देने के लिए कोई निर्णय किया है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यह प्रश्न इण्डियन आयल के आफिसरों के सम्बन्धित नहीं है। यह केवल बी० पी० सी० ओर एच० पी० सी० से सम्बन्धित है। वह कोई और प्रश्न पूछें, मैं उसका उत्तर दूंगा।

कोटा में रेडियो स्टेशन तथा दूरदर्शन केन्द्र संबंधी प्रस्ताव

*848. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के एक औद्योगिक केन्द्र कोटा में एक रेडियो स्टेशन तथा दूरदर्शन केन्द्र खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें वहां कब तक खोले जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ख) राजस्थान में कोटा को "योजना" (1978-83) अवधि के दौरान स्थानीय रेडियो स्टेशन की स्थापना के लिए चुना गया है। स्कीम के कार्यान्वयन का काम वित्तीय स्वीकृति के बाद हाथ में लिया जायेगा।

कोटा में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को छठी "योजना" 1980-85 के प्रस्तावों के अंग के रूप में माइक्रोवेव लिंक के माध्यम से दूरदर्शन के विस्तार की योजना में शामिल किया गया है। तथापि, इसका कार्यान्वयन "योजना" की स्वीकृति, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे कोटा में रेडियो स्टेशन तथा दूरदर्शन केन्द्र की व्यवस्था करने जा रहे हैं। लेकिन मैं एक जानकारी चाहता हूं—कोटा में रेडियो स्टेशन तथा दूरदर्शन केन्द्र की व्यवस्था करने जा रहे हैं। लेकिन मैं एक जानकारी चाहता हूं कोटा में रेडियो स्टेशन की स्थापना के लिए 1978-83 की योजना में व्यवस्था की गई थी, क्या उसका एस्टीमेट तेयार हो चुका है ? यदि एस्टीमेट तैयार हो चुका है, तो वह कितना है और कब तक मंत्री महोदय उस एस्टीमेट को स्वीकार करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री वसन्त साठे : वर्ष 1978-83 की योजना में 210-75 लाख की लागत पर छठी योजना के दौरान प्रारेषण क्षमता 20 से 200 के डब्ल्यू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल बिलकुल अलग था। कोटा के अन्दर रेडियो स्टेशन की स्थापना करने की योजना 1978-83 की योजना के लिए मन्जूर की गई थी। उस का एस्टीमेट कितना है तथा एस्टीमेट बनने के बाद आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री बसन्त साठे : मैंने उसी के बारे में बतलाया है। उसका एस्टीमेट अभी हमारे पास नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अभी मुझे दूसरा प्रश्न भी पूछना है।

अध्यक्ष महोदय : आप दो प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री गंगानगर के सीमावर्ती क्षेत्र में टेलीविजन

*849. **श्री सतफूल सिंह चौधरी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनको श्री गंगानगर के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगाए जाने वाले अनेक टेलीविजन सेटों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कोई कार्यक्रम वहां देखे जा सकते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनको वहां पर रहने वाले लोगों पर पाकिस्तानी टेलीविजन

कार्यक्रमों के प्रतिकूल प्रभाव का पता है जो उनकी राष्ट्रीय भावनाओं को प्रभावित करते हैं,

(घ) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस क्षेत्र को भारतीय दूरदर्शन के प्रभाव-क्षेत्र में लाने के लिए कोई योजेना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और इसे किस तिथि से कार्यान्वित किया जाना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) श्री गंगानगर के सीमावर्ती क्षेत्र में टेलीविजन सेटों की संख्या के बारे में विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, डाक-तार विभाग की सूचना के अनुसार, 31-12-1979 को राजस्थान के पोस्टल सर्कल में 18,485 लाइसेंसशुदा टेलीविजन सेट हैं । संभवतया ये आंकड़े अधिकतर जयपुर के आस-पास के क्षेत्रों से संबंधित है जहां पर दूरदर्शन ट्रांसमीटर 1977 से चालू है ।

(ख) अमृतसर, जलन्धर और जयपुर दूरदर्शन केन्द्रों से टेलीकास्ट होने वाले कार्यक्रमों के श्री गंगानगर में दिखाई देने की संभावना नहीं है ।

(ग) श्री गंगानगर क्षेत्र के निवासियों पर पाकिस्तानी टेलीविजन के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) से (ङ) उपयुक्त संसाधनों के अभाव के कारण इस क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करना संभव नहीं हुआ है । इस सीमावर्ती क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने की आवश्यकता को छठी पंचवर्षीय योजेना में दूरदर्शन के विस्तार की योजनाएं तैयार करते समय ध्यान में रखा जायेगा ।

श्री मनफूल सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न गंगानगर के बारे में पूछा था, जयपुर के बारे में नहीं पूछा था । मैं गंगानगर के बारे में पूछना चाहता हूं ।

श्री बसन्त साठे : मैं गंगानगर की ही बात कह रहा था । गंगा नगर को जयपुर या जलन्धर के टी० वी० सेन्टर्स का कोई लाभ नहीं होता है । वहां जो टी० वी० सेट्स हैं वे अक्सर पाकिस्तान के टी० वी० प्रोग्राम्ज को देखते हैं । हम सोच रहे हैं कि छठी योजना में बोर्डर एरियाज में, गंगानगर जैसे क्षेत्र में, टी० वी० का इन्तजाम हो सकेगा ।

पश्चिमी कोसी नहर परियोजना

श्री हरिनाथ मिश्र : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों में सिंचाई के प्रयोजनों के लिए कोसी नदी का उपयोग करने और इसकी बाढ़ लाने को नैसर्गिक प्रवृत्ति कम करने की तत्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का हाल ही में पुनरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय क्षेत्र में कार्य को तेजी से पूरा करने का संशोधित कार्यक्रम क्या है; और

(ग) पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और कार्य को समय पर पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति ने 7-6-1980 की इस परियोजना का पुनरीक्षण किया है। इस स्कीम से शायद ही कोई बाढ़ नियंत्रण लाभ प्राप्त होगा।

(ख) राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह इस परियोजना को अधिक से अधिक जून 1987 तक पूर्ण कर दें, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया जाएगा।

(ग) परियोजना के निर्माण-कार्यों को 1972-73 में कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया गया था। भारतीय क्षेत्र में जून 1980 तक निर्माण-कार्यों पर लगभग 22 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं, जबकि संशोधित अनुमान 161.80 करोड़ रुपए का था। इस परियोजना के निर्माण कार्यों को यथासंभव शीघ्र पूर्ण करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए, परियोजना के परिव्यय में पर्याप्त रूप से वृद्धि करनी होगी और निर्माण-कार्यों को गति की तेज करने के लिए अन्य उपाय करने होंगे, जैसे संगठनात्मक ढांचे की, जिसमें भूमि अधिग्रहण, उपस्करों आदि को प्राप्ति का ढांचा भी शामिल है, मजबूत करना। इस परियोजना के संशोधित अनुमान का अनुमोदन करते समय योजना आयोग ने यह कहा है कि राज्य सरकार की पर्याप्त धन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इस परियोजना को जून, 1987 तक पूरा किया जा सके। इस परियोजना के क्रियान्वयन का मानोटरिंग केन्द्रीय जल आयोग में गठित मानोटरिंग यूनिट द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार से भी कहा गया है कि वह परियोजना स्तर पर मानोटरिंग यूनिट स्थापित करे।

श्री हरिनाथ मिश्र : में केवल दो प्रश्न पूछूंगा, परन्तु इन प्रश्नों के भिन्न-भिन्न खण्ड होंगे। सर्वप्रथम मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि 1961 की जनगणना के तुरन्त वाद जनगणना आयुक्त ने समूचे देश के विकास स्तर के सम्बन्ध में अध्ययन आरंभ किया था और उस अध्ययन के परिणाम स्वरुप बिहार के चार जिलों अर्थात दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारन और चम्पारन का विकास स्तर सबसे कम पाया गया था।

श्री केदार पाण्डे : हां, यह सच है।

श्री हरिनाथ मिश्र : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जबकि अन्य जिलों में यहां-वहां थोड़ा बहुत विकास कार्य हुआ है पश्चिम कोसी नहर के भारतीय क्षेत्र अर्थात् वर्तमान तधुबनी और दरमंगा चिले में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। वहां 98.5% क्षेत्र में न तो सिंचाई की व्यवस्था है और न ही कोई उद्योग है, जबकि जनसंख्या का घनत्व वहां केरल को छोड़कर सबसे अधिक हैं। मैं यह भी उल्लेख करदूं कि उत्तर बिहार में 400 मील लम्बी भारत-नेपाल सीमा है। यह सब होते हुए स्थिति इस प्रकार की है। माननीय मंत्री ध्यान दें।··· (व्यवधान)

श्री हरिनाथ मिश्र : मैं पहले प्रश्न के चौथे भाग के बारे में पूछूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे स्थान पर बैठिए यही एक समाधान है ··· (**व्यवधान**)

श्री हरिनाथ मिश्र : मेरी जिन्दगी का यह ध्येय है । अतः अब मैंने जो कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आप चार प्रश्न नहीं पूछ सकते ।

श्री हरिनाथ मिश्र : मैं नहीं कह रहा···
मेरे पहले प्रश्न का खण्ड यह है······

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान, यह आपका दूसरा अनुपूरक प्रश्न है ।

श्री हरिनाथ मिश्र : क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष श्री खोसला के कहने पर पश्चिम कोसी नहर के लिए 1961 में, जब मैं एक प्रतिनिधि मंडल के नेता की हैसियत से उनसे मिला था, न कि 1971 में, जैसा कि मंत्री ने कहा है 2 करोड़ रुपये का सांकेतिक अनुदान दिया गया था और तबसे इन दो दशकों में एक वर्ग इंच भूमि के लिए भी सिंचाई सुविधा प्रदान नहीं की गई हैं तथापि यह सच है कि कुछ विश्राम गृह आवश्य बना दिये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मिश्र जी, आप जानकारी दे रहे हैं । आप उनसे कुछ पूछिए ।

श्री हरिनाथ मिश्र : मैं यह पूछ रहा था कि क्या यह सच है कि हालांकि दो दशक व्यतीत हो गये हैं तथापि एक इचं भारतीय भूमि में भी सिंचाई की सुविधा प्रदान नहीं की गई है ।

श्री केदार पाण्डे : पश्चिम कोसी नहर समूची कोसी परियोजना का एक अगं है । इस में से पूर्वी कोसी नहर तथा बराज का निर्माण पूरा हो गया है तथा पश्चिम कोसी नहर अभी आरंभिक अवस्था में है । यह सच है कि पश्चिम कोसी नहर अभी पूरी नहीं हुई है और वहाँ सिंचाई सुविधा नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री योगेन्द्र झा ।

श्री हरिनाथ मिश्र : महोदय, मैं दो प्रश्न पूछ सकता हूं । यह पहले का चोथा भाग है ।

अध्यक्ष महोदय : वे मुझ पर भाई-भतीजावाद का आरोप लगा सकते हैं ।

अब महोदय, आप कितने प्रश्न पूछेगें ।

श्री बापूसाहिब परूलेकर : जब वह यहां बैठते हैं तो हमें अनुमति नहीं देते ।

श्री हरिनाथ मिश्र : यदि नियमानुसार हो तो मैं अनुमति देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : नियम 4 अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं देते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, इसकी अनुमति दी जाए यह महत्वपूर्ण मामला है ।

श्री हरिनाथ मिश्र : चौथा भाग है क्या···

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐस नहीं होने दूंगा...

श्री हरिनाथ मिश्र : क्य.···

अध्यक्ष महोदय : कृपया नियमानुसार चलें।

श्री हरिनाथ मिश्र : मैं नियमानुसार ही चल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। आपने दो अनुपूरक प्रश्न पूछ लिए हैं। और नहीं पूछिये। अन्य लोग भी प्रश्न करना चाहेंगें। कानून किसी का पक्ष नहीं लेता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह सभा की परम्परा है कि सभापति से कठोर बातें नहीं कही जाती।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर रहा।

श्री हरिनाथ मिश्र : मैं 3-4 मिनट में खत्म कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत हो गया।

श्री हरिनाथ मिश्र : मैं इस छेत्र के आर्थिक संकट के बारे में पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह बात आप दोहरा रहे हैं।

श्री हरिनाथ मिश्र : क्या यह तथ्य नहीं कि योजना आयोग की निति के अनुसार आर्थिक संकट में फंसे क्षेत्रो के लिए आयोग या भारत सरकार योंजनाएं बना सकती है। तो केन्द्र अपने दायित्व से मुहं क्यो मोड़ रहा हैं। इसी परियोजना से 30 लाख लोगों को सिंचाई सुविधाएं मिल सकती हैं।

श्री केदार पाण्डे : महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत संगत प्रश्न उठाया है। मैं मानता हूं कि अभी तक केन्द्र सरकार सीधे ही परियोजना के कार्यन्वयन कार्य में शामिल नहीं यद्यपि हम परियोजना सम्बधी जानकारी और नेपाली छेत्र में परियोजना के लिए वित्तीय साहयता दे रहे हैं चूंकि नदी नेपाल से गुजरती है इसलिए यह अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना है। यदि केन्द्र सरकार इसके कार्यन्वयन में भाग ले तो निश्चय ही लाभदायक रहेगा क्योकि उसे न केवल पूर्ण जानकारी है बल्कि परिचालन के अन्य पहलुओं का भी पत है। इससे कार्य भी शीघ्र पूरा होगा और परियोजना के पूरे लाभ भी शीघ्र मिल सकेंगे। ··· (व्यवधान) ···

इसलिए मैं कोसी नियंत्रण बोर्ड बनाने के पक्ष में हूं जिसमें केन्द्रीय मंत्री, बिहार के मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्री शामिल होंगे।··· (व्यवधान)···

परियोजना का कार्य सिधान्त रूप में आरम्भ करने और उस छेत्र में सिंचाई सुवयधाओं का विकास करने में पहले मैं बिहार के मुख्य मंत्री से इस विषय में बात करूंगा। (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : श्री योगेन्द्र झा।

श्री हरिनाथ मिश्र : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझ से अधिक आशा न रखें। अपने स्थान पर बैठ जायें। व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दीजिए श्री झा।

श्री योगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का उत्तर भ्रमात्क है। आज भी मैं बता दूं कि वह गलत है। मैंने 14 जुलाई को पत्र लिखकर उनकी साहयता की कोशिश की तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेने पत्र की जांच कर रहे हैं। आज वह उसे पूरी तरह भूल गए है। उनका पत्र मेरे हाथ में है। उन्होने लिखा है :

आपका 24 जुलाई 1980 का पत्र पश्चिम नहर की खुदाई के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। धन्यवाद। पत्र में लिखित सुझावों को मैंने पढ़ लिया है और इसे विभाग को दिखवा रहा हूं।

महोदय, हमारे अनुरोध पर कोसी नदी को दो भागों—एक कमला तक, जिसे शीघ्र पूरा करना है ताकि सिंचाई शुरू हो सके और दूसरे भाग पर बाद में काम हो सकता है। पहले भाग का 80% तक खुदाई कार्य 3 वर्ष पूर्व हो चुका है। बाद की सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं 3 बार वहां गया हूं। मंत्री जी पूरा हो चुके काम को दूसरे आधे भाग के साथ मिला रहे हैं। वहां तो अभी तक जमीन भी नहीं खरीदी गई। इससे किए गए कार्य का प्रतिशत कम हो जाता है और कार्य समाप्ति 1987 तक निश्चित होती है।

महोदय, कमला के पूर्व की और परियोजना 1 वर्ष में पूरी होकर काम शुरू हो सकता है। उस पर लगभग कार्य पूरा हो चुका है और सीमेंट की कमी से ढांचा तैयार करने का काम रुका हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या दूसरे भाग को पूरा करने का या राज्य सरकार की सहायता करने का दायित्व भी वे ले रहें हैं ताकि 1 वर्ष में सिंचाई शुरू हो सके।

इस बीच दूसरे आधे भाग हेतु भुमि ली जा सकती है। एक अन्य समस्या यह है कि समूची नदी को' जो 10 लाख भूमि की सिंचाई का कर सकती है, नीचे की ओर कमला नदी के पार जाना होता है। भूमि के नीचे एक बडी सुरंग खोदनी होगी ताकि समूची पश्चिमी कोसी मुख्य नदी को पार किया जा सके। इस कार्य में केन्द्रीय सहायता की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के गलत वक्तव्य के पश्चात् कार्यकारी इंजीनियर जिसका मुख्यालय नेपाल में राजबिरज में है, का वक्तव्य आया था जो 31 जुलाई के सर्चलाईट में प्रकाशित हुआ है जिसमें उसने कहा है कि 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। वह इस सरकार का एक अधिकारी है और नेपाल में तैनात है। उसने सार्वजनिक वक्तव्य के जरिए मंत्री जी द्वारा 8 जुलाई को दिए गये उत्तर को ठीक करने की कोशिश की है, इसलिए, मंत्री जी ने खुद अपने को गुमराह किया है और सभा को गुमराह कर रहे हैं और परियोजना से छ: वर्ष का विलम्ब कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि कमला के पूर्व में यह परियोजना एक वर्ष के भीतर पूरी हो जाएगी और सिंचाई आरम्भ हो जाएगी ? कमला के पूर्व में सिंचाई कब आरम्भ हो जायेगी ? यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ? जहां तक कमला के पश्चिम का सम्बन्ध है, भूमिगत नहर तथा अन्य ढांचों (स्ट्रक्चर्स) के लिए भूमि का अर्जन सीमेन्ट तथा अन्य सामग्री की आवश्यकता है। वित्त के

सम्बन्ध में सरकार ने चौथी लोक सभा में इस सभा में मेरे वक्तव्य के उत्तर में वचन दिया है कि उस भाग के लिए नेपाल में जो लाभ होगा उसे भारत सरकार वहन करेगी क्योंकि वह एक बाहरी मुल्क है।

श्री केदार पाण्डे : मैंने सदन को और सदस्यों को गुमराह नहीं किया है। यह पश्चिमी कोसी नगर नेपाल राज्य क्षेत्र से गुजरती है—नेपाल राज्य क्षेत्र में उसका जो हिस्सा है संभवतः वह जल्दी पूरा हो जायेगा किन्तु जहाँ तक भारतीय राज्य क्षेत्र में के हिस्से का सम्बन्ध है, कुछ नहर की लम्बाई 77 किलोमीटर है और यह सच है कि 77 किलोमीटर में से पहले 30 किलोमीटर में काम शुरू हो गया है और इस पर 22 करोड रूपए खर्च हुए हैं। प्रश्न में मुख्यतः इस बात को जोर देकर पूछा गया है कि पश्चिमी कोसी नहर की प्रगति क्या है और वह कब तक पूरी हो जायेगी यह मैंने बता दिया है। यह पश्चिमी कोसी नहर मुख्य परियोजना 1987 तक पूरी हो जाएगी। ··· (व्यवधान) ···

एक हिस्से में, काम, अर्थात् खुदाई चल रही है। यह सच है। किन्तु मैं इससे सहमत नहीं हूं कि कमला के पूर्वी हिस्से में एक वर्ष के भीतर सिंचाई हो जाएगी। हम इस बात के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं कि यह योजना 1987 तक पूरी हो जाए किन्तु इसमें समय लगेगा और सिंचाई पांच वर्ष बाद आरम्भ होगी।

श्री योगेन्द्र झा : किस वर्ष तक।

अध्यक्ष महोदय वह उत्तर दे चुके हैं।

श्री केदार पाण्डे : मैं बता चुका हूं। ...(व्यवधान)...
मैं कैसे कह सकता हूं, एक वर्ष के भीतर ?

अध्यक्ष महोदय : श्री धनिक लाल मंडल।

श्री धनिक लाल मंडल (झंझारपुर) : मैं मंत्री महोदय को स्मरण कराना चाहता हूं कि 1964 में उस समय के मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री, ओर नेपाल के राजा, दोनों ने मिल कर वीरपुर से कुछ ही दूर पश्चिमी कोसी नहर का शिलान्यास किया था। तब से यह काम शुरू है। आज 1980 है। अभी तक एक इंच जमीन को भी पानी नहीं मिला है। ··· (व्यवधान)

मंत्री महोदय ने कहा है कि यह कैनाल दो देशों में से गुजरेगी—नेपाल और हिन्दुस्तान। यह कैनाल 22 मील या 35 किलोमीटर तक नेपाल टेरीटरी में से हो कर गुजरेगी और भारत में मधुबनी जिले में लौकी के पास प्रवेश करेगी। जहां तक नेपाल का सम्बन्ध है, वहां पर नदियों में बहुत से स्ट्रक्चर बने हुए हैं। हमारे यहां जो इलाका है, वहां एक मील पर नदियां है—वहां पर नदियों का जाल सा विछा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सवाल करें।

श्री धनिकलाल मंडल : जब स्ट्रक्चर खड़ा होगा, तभी नहर निकलेगी। मगर हमारे यहां एक भी स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ है। मंत्री महोदय ने कहा है कि वह बहुत जल्दी काम करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल करें।

श्री धनिक लाल मंडल : मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक भारत सरकार राज्य सरकार के सहयोग से इस काम को अपने हाथ में नहीं लेती है, तब तक यह काम जल्दी पूरा नहीं हो पाएगा।

इसके अलावा दोनों देशों की ट्रीटी का भी मामला है। 1975 में भारत सरकार के तत्कालीन मंत्री, श्री ललित नारायण मिश्र, ने इस सम्बन्ध में दिलचस्पी ली थी और उनके प्रयास से नेपाल के साथ समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि 1981 तक पानी दिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो वह संधि भंग हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सीधा सवाल क्यों नहीं करते हैं ?

श्री धनिक लाल मंडल : मेरा सवाल यह हैं कि इस संधि को देखते हुए, यह भी ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार के मंत्री और नेपाल के राजा ने इस योजना का शिलान्यास किया था, और इस बात को भी दृष्टि में रखते हुए कि यह नहर दोनों देशों में से हो कर निकलेगी, क्या भारत सरकार राज्य सरकार के सहयोग से इस काम को अपने हाथ में लेगी। मैं ज्यादा लम्बी चौड़ी बात में नहीं जाना चाहता। मेरे प्रश्न का (ख) भाग यह है कि जो कमला से पूर्व का इलाका है, क्या मंत्री जी इस कैनाल को खंडो में बांट कर, कमला के पूरब के खंड को हाथ में लेकर जल्दी से जल्दी पानी किसानों को पहुचाने की व्यवस्था करेंगे और इसके लिए साथ-साथ सब कैनाल और फील्ड चैनल वगैरह तमाम कामों को करने के लिए अपने इंजीनियरों को आर्डर करेंगे ? ···(**व्यवधान**)···

श्री केदार पाण्डे : जहां तक पहला सवाल है, यह बात सही है कि इस योजना को पूरा करने में काफी देर हुई है। मैं इस बात को मानता हूं। 1961 में यह स्कीम सैक्शन हुई, यह बात भी ठीक है। लेकिन नेपाल टेरिटरी से जो नहर निकलने की बात थी उस में काफी देर हुई। नेपाल गवर्नमेंट से हमें समय पर जमीन नहीं मिली। इसलिए 71 से हम ने शुरू किया। ...(**व्यवधान**)...

दस साल तो उसी में डिले हो गया। ··· (**व्यवधान**) ···

वह बात सब ठीक है आप की। डिले हुआ है। लेकिन नेपाल टेरिटरी में हमें जमीन मिलने में काफी विलम्ब हुआ, इसलिए 71-72 से हमने यह काम शुरू किया। ··· (**व्यवधान**)

वह ऐग्रीमेंट तो है ही। बिना एग्रीमेंट के कैसे यह स्कीम बनती ? ऐग्रीमेंट तो है ही। यह हम प्री स्पोज करते हैं, तभी तो काम शुरू हुआ। नेपाल टेरिटरी में बहुत काम हो गया। 35

किलोमीटर की नहर प्रायः बन चुकी है, थोड़ी बाकी है । जब नेपाल की टेरिटरी में बनने के बाद तब न इंडियन टेरिटरी में नहर बनेगी ? इस में कमला नदी के पूर्व तक जो है उस में काम लगा है । जो मैंने कहा कि 77 किलोमीटर लम्बी यह नहर है इंडियन टेरिटरी में, उसमें से 40 किलोमीटर में हमने काम जारी किया है । उसमें एक्सकेवैशन काम हो रहा है । उसी के बारे में आप का कहना है कि इस को पहले जल्दी कराएं । ··· (**व्यवधान**) ···

यह सब भारत सरकार को ही करना है । वहां भी भारत सरकार को ही करना है और यहां पर भी भारत सरकार को ही करना है । नेपाल सरकार को कुछ नहीं करना है । सब भारत सरकार को अपने हाथ में ले कर उस तरह से यह काम नहीं करना है । सब भारत सरकार को करना है । ··· (**व्यवधान**) ···

भारत सरकार को अपने हाथ में ले कर उस तरह से यह काम नहीं करना है लेकिन अभी मैंने जवाब जरूर दिया कि पहले कोसी कंट्रोल बोर्ड नहीं था, आज मैंने एलान किया है । कि कोसी कंट्रोल बोर्ड बनेगा जिस का चैयरमैन हरीगेशन मिनिस्टर होगा और चीफ मिनिस्टर और और लोग उस में होंगे । इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस में उस एक्सटेंट तक इन्वाल्व होगी कि कोसी कंट्रोल बोर्ड बनेगा और उस के जरिए यह काम होगा । ··· (**व्यवधान**) ···

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया । अब और क्या सवाल करेंगे ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय······

अध्यक्ष महोदय : गुजरात का बिहार से क्या मतलब है ? गुजरात का मसला तो यह है नहीं । गुजरात वाले क्या चाहते हैं ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार के सदस्यों ने जो भावनाएं व्यक्त की है, उनकी मैं पूर्णतः सराहना करता हूं । किन्तु प्रश्न यह है कि चाहे वह पूर्वी नहर है या पश्चिमी नहर, यदि कोसी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र को पारिस्थिति की तौर पर सुरक्षित नहीं रखा गया तो यह परियोजना बेकार हो जाएगी । इसलिए कोसी परियोजना के अधीन क्या नेपाल सरकार से कोसी जलग्रहण क्षेत्र का सन्तुलन बनाए रखने के लिए कहा जाएगा ताकि कोसी नहर में बाढ़ न आने पावे और गाद (मिट्टी) जमा न होने पाए ।··· (**व्यावधान**) ···

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए । बहुत हो गया । शास्त्री जी, अब और काम करने दीजिए ।

श्री रामावतार शास्त्री : एक सवाल तो पूछने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : वह हो गया । अब और क्या करेंगे ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मेसर्स ओशन इंचकेप लि०, लंदन से बहुउद्देश्यीय सहायक जहाज की खरीद

***844. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने बम्बई तटदूर परियोजना में प्रयोग के लिए मैसर्स ओशन इंचकेप लिमिटेड, लंदन से बहुउद्देश्यीय सहायक जहाज की खरीदने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या क्रय मूल्य 23 करोण रुपये है ;

(ग) क्या इसके लिए कोई विश्व-व्यापी टेंडर नहीं मागे गये थे ;

(घ) यदि हां, तो केवल तीन देशों की फर्मों के साथ सम्पर्क क्यों किया गया ;और

(ङ) क्या मैसर्स ओशन इंचकेप लिमिटेड ने स्वीकार किया था कि उन्हें ऐसे जहाज बनाने और चलाने का कोई अनुभव नहीं है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) ओ० एन० जी० सी० का यू० के० की मैसर्स ओशन इंचकेप लि० से डच ऋण के अन्तर्गत 20.83 करोड़ रुपयों की लागत पर एक बहुद्देश्यीय सहायता जहाज (एम०एस०वी०) की खरीद सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार द्वारा नवम्बर, 1979 को अनुमोदित किया गया था। परन्तु बाद में मेसर्स ओशन इंचकेप लिमिटेड ने अपनी पेशकश वापिस ले ली थी और इस प्रकार इस समय ओ० एन० जी सी० मै० ओशन इंचकेप लि०, लन्दन से कोई बहुद्देशीय सहायता जहाज नहीं खरीद रहा है।

(ग) और (घ) भारत सरकार के निर्देशनों के अनुसार एम० एस० वी० की खरीद के लिए तीन देशों अर्थात् यू०के०, नीदरलेंड्स और फ्रान्स से टेंडर आमंत्रित किए गए थे। ऐसा इन देशों ऋण/अनुदान की उपलब्धता का उपयोग करने के विचार से किया गया था।

(ङ) ओ० एन० जी० सी० द्वारा मैसर्स ओशन इंचकेप लि० की पेशकश मैसर्स ओशन इंचकेप लिमिटेड की सक्षमता तथा डचयार्ड, जहां एम० एस० वी० का निर्माण होना था, से स्वयं सन्तुष्ट होने पर ही स्वीकार की गई थी।

बिहार में बक्सर—कोयलवाड़ तटबंध पर कार्य की प्रगति

*** 845 श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :** क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या बिहार में गगां के दक्षिणी और बक्सर-कोयलवाड़ तटबंध का एक-चौथाई काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) ओर (ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि

बक्सर—कोयलवाड़ तटबंध के लिए अपेक्षित कुल 171.52 लाख घन मीटर मिट्टी के काम में से जून, 1980 तक 77.27 लाख घन मीटर मिट्टी का काम हो चुका था ।

कर्नाटक में उत्तरी कनारा में बैडथी विद्युत परियोजना

* **850. श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या उर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बैडथी विद्युत परियोजना का प्राक्कलन क्या है और परियोजना की क्रियान्विति किस अवस्था में है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिक्रम महाजन) : बेडथी (गंगावली) जल विद्युत परियोजना चरण-1 (2×105 मेगावाट) 13924 लाख रूपयों की अनुमानित लागत पर योजना आयोग द्वारा स्वीकृत कर दी गई है । इसमे परिषण लाइनें तथा अभिग्राही केन्द्र शमिल हैं। इस समय, सरंचनात्मक कार्य और विभिन्न संघटकों के निर्माण को हाथ में लेने के लिए विस्तृत अन्वेषण किए जा रहे हैं ।

कोयला उद्योग में पूंजी निवेश

***851. श्री मूल चन्द डागा :** क्या उर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था और सरकार द्वारा अब तक इसमें कितनी पूंजी लगाई गई है;

(ख) कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड और कोल इण्डिया लिमिटेड में सरकार द्वारा अब तक कितनी पूंजी लगाई गई है और दोनों कंपनियों के कृत्य क्या हैं और उन दोनों के बीच किस प्रकार का समन्वय स्थापित है ;

(ग) कोयला खान प्राधिकरण तथा कोल इंडिया लिमिटेड में गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा कितनी पूंजी लगाई गई है ; और

(घ) क्या वे दोनों कम्पनियाँ पिछले बहुत से सालों से घाटे पर चल रही हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण दो चरणों में किया गया था अर्थात् (1) 1-5-1972 को सारी कोककर कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें भारत कोकिंग कोल लि० के अधीन कर दिया गया था ; (2) 1-5-1973 को बाकी सभी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और उन्हें सरकारी क्षेत्र की एक कम्पनी "कोयला खान प्राधिकरण लि०" के अधीन कर दिया गया था। इस कम्पनी में उस समय विद्यमान एक अन्य सरकारी कंपनी राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का भी विलय कर दिया गया था । नवम्बर, 1975 में राष्ट्रीयकृत कोयला उद्योग का पुनर्गठन किया

गया और कोयला खान प्राधिकरण लि० तथा भारत कोकिंग कोल लि० का स्वरूप वदल कर "कोल इण्डिया लि०" नामक एक धारक कम्पनी स्थापित की गई जिसकी पांच सहायक कम्पनियां बनाई गई। सहायक कम्पनियों के नाम थे—भारत कोकिंग कोल लि०, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० सैंट्रल कोलफील्ड्स लि० और केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन इस्टर्न कोलफील्डस लि० संस्थान। चूंकि कोयला खान प्राधिकरण लि० की, भारत कोकिंग कोल लि० का भी विलय करके, कोल इंडिया लि० नामक कम्पनी बना दी गई थी इसलिए कोयला खान प्राधिकरण लि० और कोल इण्डिया लि० के बीच किसी समन्वय का प्रश्न ही नहीं उठता। कोल इंडिया लि० राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दृष्टि से कोयला भण्डारों के विकास और उपयोग के लिए उत्तरदायी हे ; इस काम में उसे इस दुवारा न मिल सकने वाली प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण और कोयला खान मजदूरों की सुरक्षा का समुचित ध्यान रखना पड़ता है। भारत सरकार ने 31-3-198० तक कोल इंडिया लि० में, जो कुल पूंजी लगाई है वह लगभग 1343.31 करोड़ रुपए है।

(ग) कोल इंडिया लि० में किसी गैर सरकारी एजेन्सी का कोई रुपया नहीं लगा है।

(घ) कोल इंडिया लि० को घाटा होने का मुख्य कारण सरकार द्वारा नियत कोयले की वह अलाभकारी कीमतें थीं जो लगभग चार वर्ष तक अपरिवर्तित रहीं। इसके साथ ही घाटा होने का अन्य कारण यह रहा कि मजदूरी में तथा उत्पादन के अन्य साधनों की लागत में वृद्धि होती रही और दूसरी ओर बिजली की कमी, डीजल और विस्फोटक पदार्थों की कमी, मजदूरों की अनुपस्थिति, कानून और व्यवस्था की समस्या तथा अन्य समस्याओं के कारण उत्पादन में कमी होती रही।

कुकिंग गैस की नई एजेन्सियां देने के लिए लंम्बित आवेदनपत्र

†852. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1979 के दिन सरकार के पास कुकिंग गैस की नई एजेंसियों के लिए कितने आंवेदन पत्र लंवित थे ;

(ख) क्या वर्ष 1980 के दौरान कोई नई एजेंन्सी आवंटित की गई है ;

(ग) यदि हां, तो कब और किस को ; और

(घ) उक्त एजेंसियों के आबंटन के लिए क्या कसोटी अपनाई जाती है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री विरेन्द्र पाटील) : (क) फुटकर पेट्रोल पम्प वितरक एजेन्सियां जिनमें खाना पकाने की गैस एजेन्सियां भी शामिल हैं, सरकार द्वारा नहीं बल्कि सम्बद्ध तेल कम्मनियों द्वारा दी जाती हैं। डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों की नियुक्ति इस काम के लिए निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार की जाती है। आवेदकों में से डीलर का चयन हो जाने के वाद शेष आवेदन-पत्र रद्द माने जाते हैं। सरकार को व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किए जाने का कोई रिकार्ड बहीं रखा जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा गया है।

(घ) इस समय प्रचलित मार्ग-दर्शक सिद्धान्त नीति के अनुसार सभी एजेन्सियों का 25% अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए, 10% रक्षा कार्मिक जो लड़ाई में अपंग हो गए हों और लड़ाई में मारे गए रक्षा कार्मिकों की विधवाओं के लिए, 10% विकलांग लोगों, 30% बेरोजगार स्नातकों/इंजीनियरों के लिए आरक्षित होता है तथा शेष 30% एजेंसियां वाणिज्यिक आधार पर दी जाती हैं। सभी नियुक्तियां सम्बन्धित क्षेत्र में परिचालित समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन-पत्र आमंत्रित करके की जाती हैं और प्रत्याशियों का चयन सम्बद्ध तेल कम्पनी द्वारा इस काम के लिए गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है। परन्तु सरकारी उपक्रमों को एजेंन्सियां उनके द्वारा विभागीय तौर पर चलाए जाने की स्थिति में विज्ञापन की प्रक्रिया अपनाए बिना ही दी जाती हैं।

विवरण

1980 में तेल कम्पनियों द्वारा दी गई वितरण एजेंसियां निम्न प्रकार हैं :

क्रम सं०	पार्टी का नाम	स्थान	कब नियुक्त हुए
1.	श्री नागराज पी० सेठ	यूरान	जनवरी, 1980
2.	श्री जी० एम० कटकढोंढ	उस्मानाबाद	फरवरी, 1980
3.	श्री डी० आर० जाधव	पारभानी	फरवरी, 1980
4.	श्री एम० डी० वेन्गूलेकर	वेन्गुर्ला	मार्च, 1980
5.	खानपुर तालुका एग्रीकल्चरल प्रोडयूस को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लि०	खानपुर	अप्रैल, 1980
6.	श्री आर० एन० भगतजी	खरड़	जुलाई, 1980
7.	श्री गिरि राज सिंह	आगरा	जनवरी, 1980
8.	श्रमती कृष्णा तोमर	आगरा	—वही—
9.	श्री विनीत कुमार	शिमला	—वही—
10.	श्री आर० एल० चौधरी	चण्डीगढ़	—वही—
11.	श्री विक्रान्त ढोंढियाल	जययुर	—वही—
12.	श्री भानु प्रसाद पांड्या	अहमदाबाद	—वही—
13.	श्री एच० के० चावड़ा	अहमदाबाद	—वही—
14.	श्री भूपेन्द्र आई० शेठ	अहमदाबाद	—वही—
15.	श्री जे० पी० शाह	अहमदाबाद	—वही—
16.	श्री रतिलाल जी० मकवाना	सूरत	जून, 1980
17.	श्री जे० एन० देव दत्त	हैदराबाद/सिकन्दराबाद	जून, 1980
18.	मेजर एस० डी० गोस्वामी	मेरठ	जून, 1980

आन्ध्र प्रदेश को डीजल का आबंटन

†853. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम मंत्री तथा रसायन यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी और जून, 1980 के बीच आंध्र प्रदेश को कुल कितनी मात्रा में डीजल आबंटित किया गया है ; और

(ख) गत दो वर्षों के आबंटनों की तुलना में इसकी स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल : (क) आन्ध्र प्रदेश को जनवरी और जून, 1980 के बीच दी गई हाई स्पीड डीजल तेल की कुल मात्रा करीब 359000 मी० टन है।

(ख) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, जिसमें आन्ध्र प्रदेश भी शामिल है, को हाई स्पीड डीजल (एच० एस० डी०) के मासिक आबंटन करने की प्रणाली 1 अक्तूबर, 1979 से पहली बार आरम्भ की गई थी। तदनुसार आन्ध्र प्रदेश में जनवरी-जून, 1978 और 1979 के दौरान डीजल के केवल विक्रय आंकड़े ही दिखाना सम्भव है, जो निम्न प्रकार है :

आन्ध्र प्रदेश

(आंकड़े मी० टनों में)

वर्ष	बिक्री
1977 (जनवरी-जून)	297300
1979 (जनवरी-जून)	323670

आकाशवाणी केन्द्रों से कृषि कार्यक्रम का प्रसारण

*854. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के कितने केन्द्रों से कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का प्रसारण होता है और उन पर कितना व्यय होता है ;

(ख) क्या कृषि और ग्रामीण कार्यक्रमों में अथवा उसके ढांचे में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और यह परिवर्तन कब तक लाया जाएगा ; और

(ग) क्या इन कार्यक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्तियां और पदोन्नतियां अन्य कार्यक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों की भांति की जाती हैं और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुर्नवास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) अस्सी आकाशवाणी केन्द्र ग्रामीण कार्यक्रम प्रसारित करते हैं जिनमें कृषि और ग्रामीण विकास संबंधी प्रसारण भी शामिल हैं। इनमें से, 60 केन्द्रों में फार्म और गृह यूनिटें हैं जो ग्रामीण तथा कृषि कार्यक्रमों की देखरेख करती है। जहां तक इन कार्यक्रमों पर किए गए खर्च का संबंध है, इन लागतों को अलग से निकालना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम केन्द्रों की सामान्य गतिविधि का अंग होते हैं, जो बहुत से अन्य कार्यक्रम प्रसारित करते हैं और जिन के लिए विद्युत प्रभारों, स्थान और तकनीकी सुविधाओं, आदि के लिए सामान्य खर्चा होता है।

(ख) कृषि ग्रामीण कार्यक्रमों अथवा उनके ढांचे में कोई परिवर्तन लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कार्यक्रमों में सुधार एक सतत प्रक्रिया है और कार्यक्रमों की आवश्यकताओं के अनुसार जब भी आवश्यक महसूस किया जाता है, परिवर्तन किए जाते हैं।

(ग) फार्म और गृह यूनिटों में कार्यरत कर्मचारियों यथा फार्म रेडियो रिपोर्टरों और फार्म रेडियो अधिकारियों का अलग संवर्ग है और नियुक्तियां और पदोन्नतियां इन पदों के लिए निर्धारित भर्त्ती नियमों के अनुसार की जाती हैं। अन्य कार्यक्रमों के लिए नियुक्त कर्मचारियों यथा ट्रांसमीशन एक्जीक्यूटिवों, कार्यक्रम एक्जीक्यूटिवों के अलग-अलग भर्ती नियम हैं जो उनकी नियुक्तियां और पदोन्नतियां विनियन्त्रित करते हैं। चूंकि दोनों संवर्गों के लिए भर्त्ती नियम भिन्न है, अतः उनकी नियुक्यियां और पदोन्नतियां समान ढंग में करने का प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में खनिकों की मृत्यु

† 856. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में हाल ही में एक दुर्घटना में ग्यारह खनिज मारे गए थे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) . (क) और (ख) : दिनांक 3.7,1980 को बिहार में गोपालीचक कोलियरी में छत्त गिरने के फलस्वरूप एक दुर्घटना हो गई जिसमें 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 8 घायल हुए।

पावर प्रोटेक्शन रिलेज तथा उपकरणों के क्रयादेश

*857 **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की विद्युत प्रजनन तथा वितरण एजेन्सियां, पावर प्रोटेक्शन रिलेज तथा अन्य उपकरणों के लिए लगभग 90 प्रतिशत क्रयादेश विदेशी स्वामित्व

वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दे रही हैं जबकि भारतीय स्वामित्व वाली उत्पादक-कम्पनियां इन क्रयादेशों के लिए तरस रही हैं ; और

(ख) सरकार के विचार इस आशय के लिए क्या कदम उठाने का है कि इन रिलेज तथा उपकरणों के लिए क्रयादेश उचित रूप में देश में ही सभी उत्पादकों में नितरित किए जाएं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) देश. में पावर प्रोटेक्शन रिलेज बनाने वाली विभिन्न फर्मों के आय, उनके सहयोगियों के आय, सहयोगी की इक्विटी, लाइसेंस प्राप्त क्षमता और प्रतिष्ठापित क्षमता, 1977, 1979 के दौरान हुए उत्पादन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है जिससे यह पता चलता है कि इस फर्मों को किस मात्रा में आर्डर मिल रहे हैं। चूंकि राज्य बिजली बोर्डों की सामान्य पद्धति खुली निविदाएं आमंत्रित करने और तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य न्यूनतम मूल्य के प्रस्ताव के लिए आर्डर देने की है, अतः किसी विशिष्ट निर्माता को किस हद तक आर्डर प्राप्त होते है, यह उपस्कर के कार्य-निष्पादन, कारगर मूल्य, सुपुर्दगी के कार्यक्रम, आदि बातों पर निर्भर करता है। इस क्षेत्र में सरकार से लाइसेंस प्राप्त नई यूनिटों में उत्पादन आरम्भ हो जाने से, सबको समान रूप से आर्डर मिलने की आशा की जानी चाहिए।

विवरण

पावर प्रोटेक्शन रिलेज

क्रम सं०	फर्म का नाम	सहयोगी का नाम	सहयोगी की इक्विटी	लाइसेंस क्षमता की संख्या	प्रतिष्ठापित क्षमता की संख्या	उत्पादन 1977	उत्पादन 1978	उत्पादन 1979
1.	मैसर्स इंगलिश इलैक्ट्रिक कं० आफ इण्डिया लि० मद्रास	मैसर्स जी०ई०सी० यू० के०	66.67%	49,200	49,200	43,186	45,937	45,991
2.	मैसर्स ज्योति लि०, बड़ौदा	मैसर्स कम्प्यूटर्स शुल्पबेरगर, फ्रांस	सहयोग समाप्त हो चुका है	12,500	12,500	8,596	14,958	20,437
3.	मैसर्स यूनिवर्सल इलैक्ट्रिक्स लि० कलकत्ता	मैसर्स मित्थोबिशो इलेक्ट्रिक्स कं०, जापान	24%	30,000	30,000	3,305	6,313	6,646
4.	मैसर्स मैसूर इलैक्ट्रिकल्स इण्डस्ट्रीज, बम्बई	कोई सहयोग नहीं	—	5,040	5,040	1,212 वित्तीय कठिनाई के कारण मई, 1977 से जुलाई, 1977 तक यूनिट बन्द था)	शून्य	917
5.	मैसर्स टाटा मर्लिन एंड गेरिन लि०, बम्बई	मैसर्स मर्लिन गेरिन फ्रांस	9.37% सहयोग समाप्त हो चुका है	30 लाख रु० (केवल निजी-उपयोग)	—	शून्य	शून्य	शून्य
6.	मैसर्स ए० एस० इ० ए० लि०, बम्बई	मैसर्स अलुमुन्ना, स्वीडन	—	27,000	27,000	प्रारंभिक उत्पादन दिसम्बर, 1977 में शुरू किया		107

1	2	3	4	5	6	7
7.	असुन रेयरोल रोलेज एंड डिवासोस प्रा० लि० मद्रास	मैसर्स रेयरोल पारसन्स इन्डस्ट्री लि० यू० के०	25%	22,400	22,400	बाणिज्यिक उत्पादन 1-7-80 से शुरू किया
8.	मैसर्स हिन्दुस्तान ब्राउन बावेरी लि०. वड़ौदा	मैसर्स ब्राउन बावेरी लि०, बाडेर स्विटजरलेंड	27%	32,500		वे इस वर्ष वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की आशा करते हैं
9.	मैसर्स अल्युमिनियम इण्डस्ट्री लि०, मन्नेर	मैसर्स डेल्ले, अल्सथोम, फ्रांस	6.1%	18,000		1981-82 में उत्पादन होने की संभावना है
10.	मैसर्स ऊषा रेक्टोफायर कारपोरेशन, फरीदाबाद	कोई सहयोग नही	—	10,000		अगले 2/3 वर्षों में उत्पादन होने की आशा नहीं है।

संशोधित हेराडी सिंचाई परियोजना प्रतिवेदन

6786. **श्री गिरधारी गोमांगो** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आँध्र प्रदेश सरकार तथा उड़ीसा सरकार द्वारा समुचित रूप से अनुमोदित संशोधित हेराडी सिंचाई परियोजना प्रतिवेदन आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कितना क्षेत्र और गांव उसमें जलमग्न होने की संभावना है और प्रतिवेदन में किन बचावों का उल्लेख किया गया है; और

(ग) उड़ीसा सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वंसधारा नदी पर अब तक कितनी सिचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया है अथवा किया जाना है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) एक बृहद परियोजना आँध्र प्रदेश में और दो मध्यम परियोजनाएं उड़ीसा में क्रियान्विती की जा रही हैं । उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि उनका वंसधारा बेसिन में 25 मध्यम और लघु स्कीमों को हाथ में लेने का विचार है । आँध्र प्रदेश में एकबृहद परियोजना को हाथ में लेने का प्रस्ताव है ।

एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा पार्टियों के विरुद्ध कार्यवाही

6787. **श्री डी० एस० एन० शिवप्रकाशम** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में वर्ष 1979 (जनवरी-दिसम्बर) में अधिनियम की धारा 11 तथा विनिमय 19 तथा 35 के अन्तर्गत कार्यवाही की थी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : 1979 कलेन्डर वर्ष की अवधि में तमिलनाडु, केरल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में किसी भी पार्टी के विरुद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 11, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के विनमय 19 तथा 35 और आयोग विनमय 1974 के अन्तर्गत जाँच निदेशक की रिपोर्ट के आधार पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 10 (क) (1) के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा कोई जाँच संस्थापित नहीं की गई । ना ही पहले संस्थापित जाँचों के सम्बन्ध में किसी भी पार्टी के विरुद्ध को कार्यवाही कीं गई । तथ्यगत मै० साउथ इंडिया विस्कोस लि०, कोयम्बटूर के विरुद्ध 31-12-76 को संस्थापित जाँच को समाप्त कर दिया गया और 20-979 को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्याहार आयोग द्वारा आरोप रद्द कर दिये गये ।

उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं

6788. **श्री निहाल सिंह : क्या सूचना और प्रसाण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से प्रकाशित होने वाली दैनिक, साप्तांहिक तथा पाक्षिक पात्रिकाओं के नाम क्या हैं;

(ख) पत्र सूचना कार्यालय द्वारा दिल्ली के समाचारपत्रों की तरह किन किन प्रकाशनों को विज्ञापन दिये गये, और

(ग) पत्र सूचना कार्यालय द्वारा प्रत्येक समाजार पत्र अथवा पत्रिका को दिये गये विज्ञापनों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) : कृपया वांछित सूचना भारत के समाचरपत्रों के रजिस्ट्रार की "प्रेस इन इंडिया-1976" नामक वार्षिक रिपोर्ट, जो 27 मार्च, 1979 को सदन की मेज पर रखी गयी थी, में देख ली जाए ।

(ख) पत्र सूचना कार्यालय किसी भी समाचार पत्र/नियतकालिक पत्र को विज्ञापन-सामग्री नहीं देता, किन्तु प्रचार सामग्री सप्लाई करता है ।

(ग) उत्तर प्रदेश के जिन समाचार पत्रों और नियतकालिक पत्रों को पत्र सूचना कार्यालय द्वारा प्रचार सामग्री सप्लाई की जाती है उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए** सख्या एल० टी० 1223/80]

मेकीनन मेकेंजी एण्ड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई

6789. **श्री एस० एम० कृष्ण : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेकीनन मेकेंजो एण्ड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के निदेशक बोर्ड के सदस्य कौन-कौन से हैं; ऐसे प्रत्येक निदेशक के पास कितने मूल्य के शेयर है; साम्य पूंजी और अधिमान्य शेयरों का मूल्य क्या है और कुल प्रदत्त और अभिदत्त पूंजी क्या है;

(ख) ब्रिटिश इंडिया स्टीमशिप कम्पनी लिमिटेड सहित विदेशियों द्वारा अभी तक कुल कितनी राशि के और कुल कितने प्रतिशत शेयर रखे गये है;

(ग) क्या यह सच है कि बम्बई उच्च न्यायालय ने इस कम्पनी के उपरोक्त बोर्ड में कम्पनी के कुल निदेशकों/प्रबंधकों को कार्य करने से मना किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बधी तथ्य और ब्यौरा क्या है और इस कम्पनी में सरकार के हित की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) कम्पनी द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, इसके निदेशक मंडल में आठ निदेशक है :

1. श्री श्याम कुमार श्रीवास्तव
2. श्री एम० सी० भट्ट
3. श्री एच० एन० वेसुवाला } वित्तीय संस्थानों के मनोनीत
4. श्री आर० पी० वाछा, उप-प्रबन्ध निदेशक
5. श्री जी० एस० के मोहन राव, पूर्ण-कालिक निदेशक
6. श्री दिलीप श्रीवास्तव
7. श्री एन० सुन्दरसन, जीवन बीमा निगम का मनोनीत निदेशक
8. श्री आर० पी० प्रधान, सेन्ट्रल बैंक का मनोनीत निदेशक

ऊपर-वर्णित, निदेशक मंडल के 8 निदेशकों में से, श्री आर० पी० वाछा के पास 10 रु० की दर के 200 साम्य हिस्से हैं, तथा श्री एच० एन० वसुवाला के पास 10 रु० की दर के 50 हिस्से हैं।

कम्पनी की कुल अभिदत्त पूंजी, 10 रु० दर के 25.00 लाख साम्य हिस्सों में विभाजित, 2.50 करोड़ रु० की है। 31दिसम्बर, 1978 को पूंजी 1, 56,750 रु० की राशि वशिष्ट याचना है, एवं इस प्रकार प्रदत्त पूंजी 2, 48, 43, 250 रु० की राशि की है।

(ख) साम्य पूंजी का 40 प्रतिशत, ब्रिटिश इन्डिया स्टीमशिप कम्पनी लिमिटेड द्वारा धारित है।

(ग) उपल्ध सूचना के अनुसार, बम्बई उच्चन्यायालय ने कम्पनी के निदेशक मंडल में, अपने पद पर कार्य करने से, कुछ निदेशकों/प्रबन्धकों को रोकते हुये कोई आदेश पारित नहीं किया है। तथापि, निदेशकों में से एक को 20 प्रतिशत हिस्सों की बाबत मताधिकार का प्रयोग करने से नियंत्रित करते हुये, तथा उच्च न्यायालय में कुछ वादियों को, बिना विकल्प के खरीदने के लिए 40 प्रतिशत हिस्सों के अन्तरण को अवरोधित करते हुये एक न्यायालय आदेश है।

(घ) उत्पन्न नहीं होता।

आकाशवाणी के इन्दौर केन्द्र से मराठी प्रसारण सेक्शन का शुरू किया जाना

6790. श्री रामकृष्ण मोरे : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आकाशवाणी के इन्दौर केन्द्र से एक मराठी प्रसारण सैक्शन शुरू करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसे शुरू करने में सरकार को किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) आकाशवाणी के इन्दौर केन्द्र ने 29 जून, 1980 से एक मिश्रित मराठी कार्यक्रम चालू किया है।

इसको प्रत्येक रविवारीय को 30 मिनट की अवधि के लिए प्रातः 8-3-बजे से 9.00 बजे तक प्रसारित किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मधुबनी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव परिणाम का गलत समाचार देना

6791. श्री योगेन्द्र झा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने जनवरी, 1980 में मधुबनी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणाम संबंधी समाचार में दूसरे निकटतम प्रत्याशी के नाम को छोड़कर मुख्य पराजित प्रत्याशी की जगह तीसरे नंबर के प्रत्याशी के नाम की गलत घोषणा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे और इस भूल के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। आकाशवाणी ने जनवरी, 1980 में मधुबनी निर्वाचन क्षेत्र का परिणाम प्रसारित करते समय 8-1-1980 को अपने दोपहर 1.00 बजे के अंग्रेजी के और दोपहर 2.10 बजे के हिन्दी के बुलेटिनों में गलती से यह कहा था कि कांग्रेस (ई) के उम्मीदवार ने जनता पार्टी के अपने विरोधी उम्मीदवार को 98000 मतों से पराजित किया। यह गलती प्रेषण में उस समय हुई जब देश के विभिन्न भागों से आकाशवाणी के न्यूज रूप में सैकड़ों परिणाम भेजे जा रहे थे। तथापि, उसी दिन शाम के 4.50 बजे हाटलाइन पर सही सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस (ई) के उम्मीदवार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को 3200 से अधिक मतों से पराजित किया और जनता पार्टी के उम्मीदवार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। संशोधित समाचार तमिल, मलयालम, नेपाली, बंगला, कन्नड़, पंजाबी, गुजराती, मराठी, असमिया, तेलगु, डोगरी, कशमीरी, उड़िया और सिंधी सहित आकाशवाणी के शाम के सभी भाषाई बुलेटिनों में प्रसारित किया गया था।

आकाशवाणी के उदयपुर केन्द्र में "बागड़ी भाषा अनुभाग स्थापित करना

6792. श्री भीखा भाई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के उदयपुर केन्द्र में "बागड़ी भाषा" के लिए कोई अनुभाग स्थापित नहीं किया गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस डिवीजन के भील और मीना समुदाय के बागड़ी भाषा के लोकगीत, वैले तथा लोक वार्ता को अब तक अपना उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ है ;

(घ) क्या उदयपुर डिवीजन के सांस्कृतिक मेलों तथा त्यौहारों सम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रसारण नहीं किया जा रहा है ; और

(ङ) क्या सरकार भविष्य में उस डिवीजन की विशेष संस्कृति, लिवास और नृत्य कला को प्रसारित करने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) बागड़ी गीत तथा बागड़ी भाषी क्षेत्रों में रिकार्ड किए गए अन्य कार्यक्रम सामान्य और ग्रामीण कार्यक्रमों के अंग के रूप में प्रसारित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, उदययुर केन्द्र भी उदयपुर मंडल के सांस्कृतिक मेलों और त्यौहारों को कवर करता है। वर्तमान कार्यभार से एक अलग बागड़ी अनुभाग खोलने का औचित्य सिद्ध नहीं होता। बागड़ी लोक गीतों आदि का अधिक मात्रा में प्रस्तुत किया जाना बांसवाड़ा में रेडियो स्टेशन स्थापित होने के बाद ही संभव हो सकेगा।

कोयला पट्टों क्षेत्र में विद्युत परियोजनायें स्थापित करने का प्रस्ताव

6793 **डा० ए० यू० आजमी** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयला-पट्टों क्षेत्र में कुल कितनी विद्युत परियोजनायें स्थापित करने का विचार है ;

(ख) इस समय समूचे देश में, राज्यवार, अनेक विद्युत संयंत्र में कितनी कमी बनाई गयी है ; और

(ग) ऐसे प्रत्येक विद्युत संयंत्र को वर्तमान क्षमता को पूरी तरह उपयोग में लाने के लिए क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश में कोयला पट्टी क्षेत्रों में निम्नलिखित ताप विद्युत परियोजनाएं स्वीकृति की गई हैं और ये प्रतिष्थापना के विभिन्न चरणों में हैं :

क्रम सं०	ताप विद्युत केन्द्र का नाम	क्षमता मेगावाट
1.	अनपारा (उत्तर प्रदेश)	3×210
2.	सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र	5×210+2×500
3.	सतपुड़ा 8वीं और 9वीं यूनिटें (मध्य प्रदेश)	2×210
4.	कोरवा पूर्वी (मध्य प्रदेश)	1×120
5.	कोरवा पश्चिमी (मध्य प्रदेश)	2×210
6.	कोरबा पश्चिमी विस्तार (मध्य प्रदेश)	2×210
7.	चन्द्रपुर चरण । और 2 (महाराष्ट्र)	4×210

8.	कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र	3×210+1×500
9.	रामागुण्डप सुपर ताप विद्युत केन्द्र	3×210÷1×500
10.	पतरातू 9वीं और 10वीं यूनिट (बिहार)	2×110
11.	तेनुघाट (बिहार)	2×110
12.	दुर्गापुर (दामोदर घाटी नियम)	1×210
13.	बोकारो 'बीं' (दामोदर घाटी निगम)	1×210
14.	तलचेर विस्तार (उड़ीसा)	2×110
15.	सन्थालडीह चौथी यूनिट (पश्चिम बंगाल)	1×210
16.	दुर्गापुर परियोजना लि० (पश्चिम बंगाल)	1×110
17.	फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र	3×210

क्रियान्वित की जा रही उपर्युक्त विद्युत परियोजनाओं के अतिरिक्त निम्नचिखित पिट हैड ताप विद्युत केन्द्रों के लिए प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है :

		क्षमता मेगावाट
1.	बीरसिंहपुर (मध्य प्रदेश)	2×210
2.	बोकारो 'बी' विस्तार (दामोदर घाटी निगम)	2×210
3.	फरक्का सुपर ताप विद्युन केन्द्र विस्तार केन्द्र विस्तार	1×500
5.	अनपारा 'सी' (उत्तर प्रदेश)	3×500
6	विन्ध्याचल (मध्य प्रदेश)	2×500
7.	पेंच (मध्य प्रदेश)	2×210
8.	चन्द्रपुर चरण-तीन (महाराष्ट्र)	1×500
9.	कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-दो	2×500
10.	भद्राचलप चरण-एक (आन्ध्र प्रदेश)	2×210
11.	कहलगांव	6×500
12.	रे	2×200+4×500
13.	बारगोलाई	2×30
14.	गारोहिल्स (मेघालय)	4×30
15.	बोरजन	1×30

(ख) जून, 1980 के महीने के दौरान कोयले के कुल 3862, 500 मीटरी टन कोयले के आबंटन की तुलना में देश में ताप विद्युत केन्द्रों को वास्तव में 2923,000 मीटरी टन कोयला प्राप्त हुआ था। जून 1980 के महीने के दौरान देश में ताप विद्युत संयंत्रों की कोयले कीं आवश्यकता (आबंटन), वास्तविक प्राप्ति तथा उपभोग दिखाने वाला विवरण उपाबंध में दिया गया है। इस विवरण से यह देखा जा सकता है कि जून, 1980 में कोयले की 2,923,000 मीटरी टन की वास्तविक प्राप्ति को तुलना में देश में ताप विद्युत केन्द्रों में कोयले का कुल उपभोग लगभग 2,739,000 मीटरी टन हुआ।

(ग) ताप विद्युत केन्द्रों के क्षमता सपुपयोजन में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए है। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल है :

(1) नए चालू किए गए ताप विद्युत उत्पादन यूनि2ों को शीघ्र सुस्थिर करने के लिए संगठित प्रयास करना ;

(2) डिजाइन, उपकर आदि में कमियों का पता लगाना तथा कई ताप विद्युत केन्द्रों में परियोजना नवीकरण कार्यक्रम की शीघ्र पूरा करना ,

(3) ताप विद्युत संयंत्रों के प्रचालन और अनुरक्षण में गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ;

(4) अभिज्ञात ताप विद्युत केन्द्रों में बेहतर प्रचालन पद्धतियां लागू करने के लिए विशेषज्ञों के भ्रमणशील दलों द्वारा विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों का दौरा ;

(5) ताप विद्युत केन्द्रों को अपेक्षित मात्रा में और वांछित गुणवत्ता वाले कोयले को सप्लाई ;

(6) लम्बी अवधि से बंद पड़ी विद्युत उत्पादन यूनिटों की मरम्मत करने/पुनः चालू करने में विद्युत केन्द्रों की सहायता की व्यवस्था करना ;

(7) अधुनातन अनुरक्षण तकनीकें लागू करना, इनमें सुरक्षात्मक अनुरक्षण पद्धतियां शामिल हैं ; और

(8) विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए सुझाव देने हेतु विद्युत केन्द्रों में विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञों के दौरे की व्यवस्था करना ।

राज्य बिजली बोर्डों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कोयले की कमी के कारण कोई विद्युत केन्द्र बन्द नहीं हुआ है। तथापि, कुछ मामलों में विद्युत उत्पादन कम करना पड़ा था ।

देश में विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं ; इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :

(1) कोयला कम्पनियों और रेलवे से कहा गया है कि विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में वृद्धि करें ।

(2) कोयला विभाग, रेलवे और विद्युत विभाग के बीच घनिष्ठ सम्पर्क रखा जा रहा है और विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय अन्तः मंत्रालयीय बैठकें भी समय-समय पर की जाती हैं ।

(3) ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई की मानीटरिंग, मन्त्रिमंडलीय औद्योगिक अवसंरचना समिति द्वारा भी साप्ताहिक आधार पर की जा रही है ।

(4) विद्युत केन्द्रों की दैनिक आधार पर कोयले की सप्लाई की मानीटरिंग करने के लिए रेलवे बोर्ड में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है ।

जून, 1980 के महीने के दौरान ताप-विद्युत केन्द्रों को स्थायी निकेतन समिति के कोयले के आबंटन, वास्तविक प्राप्ति और उपभोग को दिखाने वाला विवरण।

(आंकड़े हजार मीटर टन में)

क्रम सं०	ताप-विद्युत केन्द्र का नाम	आबंटन	वास्तविक प्राप्ति	उपभोग
1	2	3	4	5
	उत्तरी क्षेत्र			
दिल्ली				
1.	बदरपुर	140	120	104
2.	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान			
	(1) इन्द्रप्रस्थ	120	46	63
	(2) राजघाट	15	5	7
	जोड़	275	171	174
हरियाणा				
3.	फरीदाबाद	25	4	6
4.	पानीपत	50	22	29
	जोड़	75	26	35
पंजाब				
5.	भटिंडा	110	83	89
उत्तर प्रदेश				
6.	हरदुआगंज ए०	**	—	—
7.	हरदुआगंज बी० और सी०	140	72	73
8.	कानपुर (आर० पी० एच०)	30	16	15
9.	ओबरा	250	236	244
10.	(1) पंकी	25	17	18
	(2) पंकी विस्तार	80	47	55
11.	रेणुसागर	80	68	81
	जोड़	605	456	486
जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)		1065	736	784
	पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात				
12.	अहमदाबाद	100	86	57

13.	घुवरन		10	15	8
14.	गांधीनगर		70	59	28
15.	उकई		160	131	104
		जोड़	340	291	197
महाराष्ट्र					
16.	भुसावल		80	55	46
17.	चोला		25	17	21
18.	खापरखेड़ा		30	28	28
19.	कोराडी		220	209	187
20.	नासिक		160	120	112
21.	पारस		40	39	40
22.	पारजी		35	24	30
23.	ट्राम्बे		शून्य	शून्य	शून्य
		जोड़	590	492	474
मध्य प्रदेश					
24.	अमरकंटक		95	84	66
25.	कोरबा		220	144	172
26.	सतपुड़ा		120	104	118
		जोड़	435	332	356
जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)			1365	1115	1027
दक्षिणी क्षेत्र					
आन्ध्र प्रदेश					
27.	कोठागुडम		185	138	122
28.	रामागुंडम		32	29	26
29.	विजयवाड़ा		65	9	शून्य
		जोड़	285	176	148
तमिलनाडु					
30.	बेसिन ब्रिज		30	19	25
31.	गन्नोर		110	107	66
32.	तुतीकोरिन		60	34	शून्य
		जोड़	200	160	91
जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)			485	335	239
पूर्वी क्षेत्र					
बिहार					
33.	बरौनी		30	15	19

34.	पतरातु	145	136	98
	जोड़	175	151	108
दामोदर घाटी निगम				
35.	बोकारो	65	81	48
36.	चन्द्रपुरा	155	122	126
37.	दुर्गापुर (दामोदर घाटी निगम)	65	11	26
	जोड़	285	214	200
उड़ीसा				
38.	ततचेर	45	37	48
पश्चिम बंगल				
39.	बंदेल	65	63	64
40.	कलकत्ता	130	120	116
41.	दुर्गापुर (डी० पी० एल०)	65	32	33
42.	संथालडीह	80	49	50
	कोड़ (पूर्वी क्षेत्र जोड़	340	264	263
	जोड़ (बृहद ताप-विद्युत केन्द्र)	3760	2853	2669
	जोड़ (लघु ताप-विद्युत केन्द्र)	102.5	70*	70*
	कुल जोड़	3862.5	2923	2739

* अबन्तिम आंकड़े

* विजली धर बन्द पड़े हैं।

दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना

***6794. श्री एन० सेलवाराजू :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्र में, जहाँ सम्पर्क नहरें केवल गुरुत्वाकर्षण द्वारा कार्य कर सकती हैं, नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : जल संसाधनों के विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रायद्वीपीय नदियों के विकास से संबंधित भाग पर संबंधित राज्यों के सिंचाई सचिवों और मुख्य इन्जीनियरों के साथ जून, 1980 में हुई कई बैठकों में विचार-विमर्श किया गया था। इसमें, जहाँ संभव हो वहाँ, इष्टतम जल—संचयन की व्यवस्था करने और विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने की परिकल्हना की गई है। राज्य सरकारें इस बात पर सहमत हो गई थीं कि वे निकट भविष्य में जल के उपयोग के बारे में अपनी योजनाओं के संबंध में और आंकड़े तथा जानकारी भेजेंगी। राज्यों के प्रस्तावों का अध्ययन और विश्लेषण करने बाद, प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के लिए राज्यों के साथ और विचार-विमर्श किया जाएगा।

राज्यवार ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा की आवश्यकता

6795. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1977-78, 1978-79 और 197भ-80 के दौरान देश में ऊर्जा का राज्यवार और वर्षवार उत्पादन कितना हुआ और उसको कितनी आवश्यकता थी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान राज्यवार ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा को आवश्यकता और ऊर्जा को सप्लाई दिखाने वाले दो विवरण संलग्न हैं ।

विवरण—(एक)

वर्ष 1977-78, 1979 और 1979-80 के दौरान राज्यवार ताप विद्युत, जल विद्युत तथा परमाणु विद्युत का उत्पादन दिखाने वाला विवरण

(सभी आंकड़े जी० डब्ल्यू० एच० में हैं)

क्षेत्र/राज्य		विद्युत उत्पादन		
		1977-78	1978-79	1979-80
उत्तरी क्षेत्र				
1. भाखड़ा	जल विद्युत	5437	6827	6663
2. ब्यास निर्माण बोर्ड	जल विद्युत	538	3150	3333
3. हिमाचल प्रदेश	जल विद्युत	198	388	338
4. जम्मू और कश्मीर	ताप विद्युत	11	7	12
	जल विद्युत	325	516	677
जोड़ :		336	523	689
5. दिल्ली	ताप विद्युत	2843	2834	3364
6. हरियाणा	ताप विद्युत	604	351	531
7. पंजाब	ताप विद्युत	801	870	1143
	जल विद्युत	597	492	485
	जोड़ :	1398	1362	1628
8. राजस्थान	जल विद्युत	1478	1100	1115
	परमाणु	198	483	1130
	जोड़ :	1676	1583	2245
9. उत्तर प्रदेश	ताप विद्युत	7184	7480	7958
	जल विद्युत	3173	3689	3269
	जोड़ :	10357	11169	11227

उत्तरी क्षेत्र का जोड़ :	ताप विद्युत	11443	11542	13008
	जल विद्युत	11746	16161	25880
	परमाणु	198	483	1130
	जोड़ :	23387	28186	30018
पश्चिमी क्षेत्र				
1. गुजरात	ताप विद्युत	5892	6834	7662
	जल विद्युत	1292	1161	1206
	जोड़ :	7184	7995	8868
2. मध्य प्रदेश	ताप विद्युत	4876	5025	5622
	जल विद्युत	660	624	465
	जोड़ :	5536	5649	6087
3. महाराष्ट्र	ताप विद्युत	8467	8683	9798
	जल विद्युत	6280	7036	5947
	परमाणु	2075	2287	1746
	जोड़ :	16822	18006	17491
पश्चिमी क्षेत्र का जोड़ :	ताप विद्युत	19235	20542	23082
	जल विद्युत	8232	8821	7618
	परमाणु	2075	2277	1746
	जोड़ :	29542	31650	32446
दक्षिणी क्षेत्र				
1. आन्ध्र प्रदेश	ताप विद्युत	3147	2877	3269
	जल विद्युत	2296	3610	3539
	जोड़ :	5443	6487	6807
2. कर्नाटक	जल विद्युत	4499	5812	5411
3. केरल	जल विद्युत	4473	5188	5118
4. तमिलनाडु	ताप विद्युत	1545	4536	4410
	जल विद्युत	3770	4536	5505
	जोड़ :	8315	9111	9915
दक्षिणी क्षेत्र का जोड़ :	ताप विद्युत	7692	7452	7679
	जल विद्युत	15038	19146	19572
	जोड़ :	22730	26598	27251
पूर्वी क्षेत्र				
1. बिहार	ताप विद्युत	2476	2308	2537

	जल विद्युत	37	116	78
	जोड़ :	2513	2424	2615
2. दामोदर घाटी निगम	ताप विद्युत	4903	5219	4429
	जल विद्युत	259	225	189
	जोड़	5161	5444	4618
3. उड़ीसा	ताप विद्युत	670	726	698
	जल विद्युत	2340	2386	1786
	जोड़ :	3010	3112	2484
4, पश्चिम बंगाल	ताप विद्युत	4960	4976	5211
	जल विद्युत	76	40	13
	जोड़ :	5036	5011	5224
पूर्वी क्षेत्र का जोड़ :	ताप विद्युत	13008	13229	12875
	जल विद्युत	2712	2767	2066
	जोड़ :	15720	15996	14991
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र				
1. असम	ताप विद्युत	584	655	512
2. मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड	जल विद्युत	233	243	358
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का जोड़ :	ताप विद्युत	584	655	511
	जल विद्युत	233	243	358
	जोड़ :	817	898	869
अखिल भारत जोड़ :	ताप विद्युत	51962	53420	57155
	जल विद्युत	37961	47138	45494
	परमाणु	2273	2770	2876
	जोड़ :	92196	103328	105525

विवरण (दो)

क्षेत्र/राज्य	वर्ष	आवश्यकता (जे. डब्ल्यू. एच.) (विल)	सप्लाई (जे. डब्ल्यू. एच.) (निवल)
1. उत्तरी क्षेत्र			
1. हरियाणा	1977-78	2804	2353
	1978-79	3184	3074

	1979-80	4124	3451
2. हिमाचल प्रदेश	1977-78	304	312
	1978-79	313	296
	1979-80	360	318
3. जम्मू और कश्मीर	1977-78	601	540
	1978-79	760	573
	1979-80	885	793
4. राजस्थान	1977-78	3333	3004
	1978-79	3783	3595
	1979-80	4489	3966
5. दिल्ली	1977-78	2104	1996
	1978-79	2268	2293
	1979-80	2611	2476
6. चण्डीगढ़	1977-78	184	174
	1978-79	204	209
	1979-80	218	213
7. उत्तर प्रदेश	1977-78	13150	9665
	1978-79	13154	10725
	1979-80	13932	10760
8. पंजाब	1977-78	3775	3310
	1978-79	4975	2674
	1979-80	6111	5320
9. एन० एफ० एफ०	1977-78	1341	819
	1978-79	863	1003
	1979-80	825	846
उत्तरी क्षेत्र :	1977-78	27596	22203
	1978-79	29504	26643
	1979-80	33555	28133
2. पश्चिमी क्षेत्र			
1. गुजरात	1977-78	7867	7453
	1978-79	8014	8299
	1979-80	9230	9882
2. मध्य प्रदेश	1977-78	5317	4973

	1978-79	6103	5228
	1979-80	6531	6531
3. महाराष्ट्र	1977-78	16799	14162
	1978-79	17705	15686
	19घ9-80	19322	15535
3. गोवा	1977-78	274	197
	1978-79	292	232
	1979-80	324	245
पश्चिमी क्षेत्र	1977-78	30257	26785
	1978-79	32114	29445
	1979-80	35407	30286
3. दक्षिणी क्षेत्र			
1. आन्ध्र प्रदेश	1977-78	5246	5017
	1978-79	5741	5626
	1979-80	6578	5956
2. कर्नाटक	1977-78	7875	5215
	1978-79	8482	6357
	1979-80	8470	6266
3. केरल	1977-78	2909	2851
	1978-79	3124	3043
	1979-80	3327	3168
4. तमिलनाडु पांडिचेरी सहित	1977-78	9721	8986
	1978-79	10510	10404
	1979-80	11303	10314
दक्षिणी क्षेत्र :	1977-78	25751	22068
	1978-79	27857	25430
	1979-80	29678	25704
4. पूर्वी क्षेत्र			
1. बिहार	1977-78	3720	2624
	1978-79	3670	2481
	1979-80	3644	2483

2. पश्चिम बंगाल	1977-78	6190	5017
	1978-79	6207	5038
	1979-80	6193	5177
3. उड़ीसा	1977-78	2870	2724
	1978-79	3057	2995
	1979-80	3343	2747
4. दामोदर घाटी निगम	1977-78	4739	4149
	1978-79	4924	4481
	1979-80	5306	3835
पूर्वी क्षेत्र :	1977-78	17519	14514
	1978-79	17858	14995
	1979-80	18446	14242
5. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र :	1977-78	1057	772
	1978-89	1202	836
	1979-80	1244	937
अखिल भारत	1977-78	102180	86343
	1978-79	108535	97349
	1979-80	118370	99302

चाय बागानों का कार्य कर रही बहुराष्ट्रीय तथा एम०आर०टी०पी० कम्पनियां

6796. **श्री सुबोध सेन :** क्या विधि न्याय और कम्पनी **कार्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने बहुराष्ट्रीय निगम तथा एम० आर० टी० पी० कम्पनियां चाय बागानों का कार्य कर रही हैं और उनके नाम क्या है ;

(ख) उपरोक्त कम्पनियों में से प्रत्येक कम्पनी के पास बागानों का कुल कितने एकड़ क्षेत्र है ;

(ग) उपरोक्त कम्पनियों में से प्रत्येक की प्रदत्त पूंजी तथा रिजर्व फंड कितना-कितना है ; और

(घ) उन कम्पनियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि विदेश भेजी गयी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 31-3-1979 तक देश भर में चाय बागानों (तैयार करने तथा विनिर्मित करने को सम्मिलित करते हुए) में बहुराष्ट्रीय निगमों की 84 शाखाएं तथा 13 भारतीय सहायकें कार्य कर रही थीं। 84 शाखाओं

में से 29 तथा 13 सहायकों में 6 को भी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, 19 अन्य भारतीय कम्पनियां जो चाय बागानों में कार्य कर रही थीं, उनको भी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया था। बहुराष्ट्रीय निगमों की 84 शाखाओं तथा 13 सहायकों के नामों को विवरण-पत्र 1 और 2 अनुलग्नक और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत 19 अन्य भारतीय कम्पनियों को विवरण-पत्र 3 अनुलग्नक में दिया जाता है।

(ख) चाय बागानों के अधीन एकड़ों की सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसका कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(ग) बहुराष्ट्रीय निगमों की शाखाओं की प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षितों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि बहुराष्ट्रीय निगमों की शाखाएं भारत में अपनी गतिविधियों के लिए अलग से प्रदत्त पूंजी और आरक्षित नहीं रखती हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों की भारतीय सहायकों और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार-अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत भारतीय कम्पनियों के लिए प्रदत्त पूंजी और आरक्षितों की सूचना प्रश्न के भाग (क) में सदर्भित क्रमश: विवरण-पत्र 2 तथा 3 में दी जाती है।

(घ) गत तीन वर्षों नामश: 1976-77, से 1978-79 की अवधि में, बहुराष्ट्रीय निगमों की शाखाओं तथा सहायकों द्वारा विदेश भेजी गई राशि के सम्बन्ध में सूचना, उपरोक्त संदर्भित क्रमश: विवरण-पत्र 1 और 2 में दी जाती है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत भारतीय कम्पनियों की विदेश भेजी गई राशि, जो कम्पनियों की वार्षिक विवरणियों में दिखलाई गई हैं, विवरण-पत्र 3 में दी जाती है।

भारत में 31-3-1979 तक चाय बागान (विधायन तथा निर्माण सहित) में संलग्न बहुराष्ट्रीय निगमों की शाखानों के नाम तथा 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 के वर्षों में उनके द्वारा बाहर भेजी गई राशियां।

(लाख रु० में)

क्रम सं०	शाखा का नाम	विदेश भेजी गई राशि		
		1976-77	1977-78	1988-79
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
×*1.	तिप्परा हिल डवलपमेंट कम्पनी लि०	—	—	—
2.	पी० सी० अब्राहम एण्ड कम्पनी लि०	—	—	—
*3.	एकाबाम टी कम्पनी लिमिटेड	3.23	—	1.12
*4.	अम्लगेमेटड टी एस्टेट कम्पनी लि०	34.46	—	7.07
*5.	अम्गूरी टी एस्टेट लि०	19.42	—	—

*6.	एंग्लो अमेरिकन डाइरेक्ट टी ट्रेडिंग	37.64	—	8.65
*7.	आसाम कम्पनी लिमिटेड	—	—	—
8.	आसाम कन्सोलिडेटड टी एस्टेट (इन्डिया) लिमेटेड	—	—	—
×9.	आसाम डूअर्स टी कम्पनी लि०	39.14	2.70	—
×10.	आसाम एस्टेट्स लिमिटेड	3.91	—	—
×11.	आसाम फ्रन्टियर्स टी कम्पनी लि०	17.51	—	123.24
×12.	अटारोखात टी कम्पनी लिमिटेड	21.71	—	30.31
13.	भादुलीपर टी कम्पनी लिमिटेड	1.00	—	—
14.	बागराकोट टी कम्पनी लिमिटेड	—	—	—
15.	बामगांव टी कम्पनी लिमिटेड	—	—	—
*×16.	बारगेंग टी कंपनी लि०	3.50	—	10.65
17.	बाजालोनी टी कंपनी	5.82	—	—
18.	बेल्सनी टी कंपनी लि०	—	—	—
×*19.	बोरदूबी टी कंपनी लि०	—	—	9.02
×*20.	बोरेल्ली टी कंपनी लि०	2.60	—	11,24
*21.	बरोहाट टी कंपनी लि०	—	—	1.35
22.	बोरहोला आसाम टी कंपनी लि०	—	—	...
×*23.	बोरोय टी कंपनी लि०	1.29	—	2.69
*24.	ब्राइ एण्ड विगूर टी एस्टेट्स लि०	1.29	—	—
×*25.	ब्रिटिश दार्जलिंग टी कंपनी लि०	—	—	—
26.	ब्रिटिश इन्डियन टी कंपनी लि०	5.25	—	—
27.	बुडला बेटा टी कंपनी लि०	—	—	—
*28.	बक्सा डूअर्स टी कंपनी लि०	—	—	—
×29.	चुब्वा टी कंपनी लि०	46.31	—	4.72
×30.	चुल्सा टी कंपनी लि०	—	—	—
*31.	कन्सोलिडेटड टी एण्ड लैंड्स कंपनी (इण्डिया) लि०	31.02	—	12.37
×*32.	कैरामोर टी कंपनी लि०	1.52	—	4.78
33.	क्रेगमोर लैंड प्रोड्यूस लि०	—	—	—
×34.	डांगआ झार टी कंपनी लि०	4.83	—	—
35.	दार्जलिंग कंपनी लि०	5.93	4.74	—
36.	दार्जलिंग कन्सोलिड कंपनी लि०	—	—	—
37.	दीजू टी कंपनी लि०	5.42	—	—
38.	धूलिया टी कंपनी लि०	13.73	—	—

39. दुलाहाट टी कंपनी लि०	—	—	—
*40. डूम डूमा टी कंपनी लि०	98.64	—	—
41. इश्पायर प्लांटेशन लि०	—	—	—
42. इन्डोग्रांम टी कंपनी लि०	0.42	—	—
43. एस्टेट एण्ड एजेन्सी कंपनी लि०	—	—	—
×*44. ग्रीनवुड टी कंपनी लि०	17.61	—	—
55. हारमुटटी टी कंपनी लि०	3.75	—	—
×46. हेरिसन एण्ड क्रासफिल्ड लि०	32.95	2.13	—
×47. होप टी कंपनी लि०	7.78	—	—
48. इसा भोल टी कंपनी लि०	5.33	—	—
×*49. इताखुली टी कंपनी लि०	5.97	—	9.87
50. जालानगर साऊथ एस्टेटस लि०	—	—	—
51. जालिंगा टी कंपनी लि०	—	—	—
52. जालिंगा वैली टी कंपनी लि०	—	—	—
53. झाक्जी टी एसोसियेशन लि०	—	—	—
54. जोरहाट टी कंपनी लि०	29.28	—	14.79
55. केनन देवन हिल प्रोड्यूस कंपनो लि०	—	—	10.90
×*56. कीमसोंग टी कंपनी लि०	8.20	—	10.73
57. कूकीचेरा टी कंपनीं लि०	—	—	—
58. लेक्टेरिया लिमिटेड	—	—	—
59. लंकापारा टी कंपनी लिमिटेड	—	—	—
60. लेबोंग टी कम्पनी लिमिटेड	3.04	—	—
61. लीश रिवर टी कम्पनी लि०	9.73	—	—
×*62. लिप्टन (इण्डिया) लिमिटड	11.11	15,90	43.39
63. लोंगई वेलि टी कम्पनी लि०	0.14	—	—
×64. मद्रास टी एस्टेट्स लिमिटेड	—	—	25.00
×*65. मजुली टी कंपनी लि०	10.17	—	17.24
×66. मत्यालम प्लांटेशन लि०	15.13	—	22.47
67. मारांगी टी कंपनी लि०	—	—	—
×68. मोंगलास टी कंपनी लि०	1.94	2.08	—
69. मेलोंग टी एस्टेट् लि०	—	—	—
×*70. मियबन्द टी कंपनी लि०	—	—	0.33
71. मोरन टी कंपनी लि०	23.00	—	—
×*72. राजमाई टी कंपनी लि०	0.67	2.93	5.94.
×73. रोमई टी कंपनी लि०	—	—	—

74.	रुकनी टी कंपनी लि०	—	—	—
×*75.	रूपाजूली टी कंपनी लि०	0.64	—	2.49
×*76.	सेलोना टी कंपनी लि०	10.66	—	—
77.	सिंगल टी कंपनी लि०	7.99	23.59	—
78.	सोनाभील (आसम) टी कंपनी लि०	—	—	—
×79.	सदर्न इन्डिया टी एस्टेट्स लि०	—	1.84	—
80.	स्टेनमोरे (अनाम्ले) एस्टेट्स लि०	—	—	—
×*81.	थानाई टी कंपनी लि०	9.65	—	—
×*82.	टिंगरी टी कंपनी लि०	11.96	—	23.91
×*83.	अपर असाम टी कंपनी लि०	22.26	—	—
84.	वागामोन (ट्रावनकोर) टी कंपनी लि०	—	—	—
	योग :	704.55	55.91	427.29

नोट:— *चाय बागान (चाय के निर्माण तथा विधायन सहित) में संलग्न 84 शाखाओं में से 29 शाखायें, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत थीं। ये शाखायें तारांकित हैं।

×इन 84 शाखाओं में से 38, 31.3. 1979 के परवर्ती बंद हो गई थीं। इन्हें× से अंकित किया गया है।

33-3-1979 तक चाय बागान (विधायन तथा निर्माण सहित) में संलग्न बहुराष्ट्रीय नियमों की भारतीय सहायक कम्पनियों के नाम, 1978-79 में उनकी प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित धन, तथा 1976-77, 1977-78 व 1978-79 में उनके द्वारा बाहर भेजी गई राशि।

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	भारतीय सहायक कम्पनी का नाम	प्रदत्तपूंजी 1978 -	आरक्षितधन 79	विदेश भेजी गई राशि 1976-77	1977-78	1978-79
1	2	3	4	5	6	7
1.	अमगोरी इण्डिया लिमिटेड,	××	××	—	—	—
2.	बुक्सा डोआर्स टी कम्पनी लि.	30.00	12.91	—	—	—
3.	दारजलिंग प्लान्टेशन्स इण्डिया लिमिटेड	44.40	159.11	—	—	6.33
4.	एम्पायर प्लान्टेशन्स (इण्डिया) लिमिटेड	60.00	92.79	—	—	25.00
5.	जोकाई इण्डिया लि.*	250.00	168.58	—	—	45.79
*6.	लिपटन टी (इण्डिया) लि.	252.71	75.50	—	—	—

7.	मेजुली टी कं. (इण्डिया) लि.	33.30	25-36	—	—	—
*8.	मेकुम टी कं· (इण्डिया) लि.	84.85	91:25	80.95	12.84	11.22
*9.	मैकलियोड रूसल इण्डिया लि.	199.98	130.58	—	—	74.37
*10-	नामडांग टी कं. इण्डिया लि.	95.65	90.15	9.56	15.16	13.25
11.	सिंगलो (इण्डिया) टी कं. लि.	60.00	81 35	—	—	26.90
*12.	टी एस्टेट्स इडिया प्रा. लि	50.00	638.91	1.70	—	9.63
*13.	वारेन टी लिमिटेड	325.00	69.58	—	—	—
	योग	1485.89	1635.77	92.21	28.00	212.49

* चाय बागान में संलग्न बहु-रास्ट्रीय नियमों की 13 सहायक कम्पनियों से में6 एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के पजीकृत थीं। ये शास्खायें तारांकित हैं।

×× तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह नवीन रूप से स्थापित हुई हैं।

1979 में चाय बागान के कार्य (विधायन तथा निर्माण सहित) में संलग्न एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत भारतीय कम्पनियों (बहु राष्ट्रीय निगमों की शाखाओं तथा सहायक कम्पनियों को छोड़ कर) के नाम, 1978-79 में उनकी प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित धन, तथा 1976-77, 1977-78 व 1978-79 में उनके द्वारा बाहर भेजी गई राशियां।

(लाख रु० में)

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	प्रदत्तपूंजी 1978-	आरक्षितधन 79	विदेश भेजी गई राशि 1976-77	1977-78	1978-79
1	2	3	4	5	6	7
1.	टाटा फिनले लिमिटेड	600.00	750.09	53.47	98.51	88.91
2.	रेडाक टी सिन्डीकेट लि०	97.31	159.23	4.49	1.30×	0.95
3.	टी. स्टेन्स एण्ड कं. लि.	63.94	45.14	—	0.01	0.01
4.	जयश्र टी. इण्डस्ट्रीज लि.	273.33	796.96	2.67	9.32	1.11
5.	स्टेन्स अमालगामेटेड एस्टेट्स लिमिटेड	33.75	45.27	0.07‡	0.07×‡	0.08×‡
6.	राजगर टी कं. लि.	3.20(-)	8.22	—	—	—
7.	जूनकाटोली टी एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	30.36	21.16	—	0.12	—

8. धिल्लीडारी टी कं. लि.	8.00	9.80	—	0.01	—
9. तेजपुर टी कं. लि.	49.64	96.86	1.28	3.56	—
10. आसामब्रुक एस्टेट लि.	105.00	53-24	9.29	8.20	5.80
*11. डुमडुमा इण्डिया लि.	129.50	352.07	—	—	—
12. डनकस एग्रो इण्डस्ट्रीज लि.	196.83	655.93	0.10	0.86	12.41
13. बिशनाथ टी कं. लि.	02.47	80.34	17.75	21.17	18.00
14. डीमाकुशी टी कं. लि.	39.07	114.33	1.82	12.18	3.63
15. यूनाइटेड नीलगिरी टी एस्टेट्स कम्पनी लि.	49.34	71.61	0.03	0.04	—
16. न्यू समनबाग टी कं. लि.	6.60(-)	19.45	—	—	—
17. ब्रुक बांड इण्डिया लि.	1423.80	702.54	52.19	145.89	64.17
18. डावरशोला टी कं. लि.	12.00	12.56	—	—	—
19. थाइसीला टी कं. लि.	3.50	6.99	—	0.04	—
योग	3207.64	3956.55	143.16	301.28	201.01

*कम्पनी का प्रथम तुलन-पत्र 1978-79 के वर्ष का है।

×भारत में शत्रु की जायदाद के अभिरक्षक, शासकीय प्राप्त कर्ता, भाण्डाडे में भारतीय बैंक को दिया।

‡ भारत में विदेशियों के बैंकरों के लिए राशि भेजी।

कोयला, अभ्रक तथा अन्य खनिजों पर रायल्टी में वृद्धि

6797. **श्री जार्ज फर्नांडीस :** क्या उर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने मांग की है कि कोयला और अभ्रक तथा अन्य खनिजों पर उन्हें अदा की जाने वाली रायल्टी में वृद्धि की जाए ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी हां।

(ख) कोयले, अबरख तथा अन्य खनिजों की स्वामित्व दरों में बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित वृद्धि का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) बिहार सरकार द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर स्वामित्व दरों में संशोधन हेतु गठित अध्ययन दलों ने विचार किया था और उन प्रस्तावों के सम्बन्ध में उनकी रिपोर्टों पर सरकार विचार कर रही है।

विवरण

क्रम सं०	खनिज का नाम	वर्तमान दर	विहार सरकार द्वारा प्रस्ताविक दर
1	2	3	4
1.	**कोयला**		
	1. ग्रुप I कोयला (क) कोककर कोयला ए० वी० और सी० (ख) अकोकर कोयला, चुनींदा ग्रेड "ए"	पांच रुपए प्रति टन	कोयले की रेपर्यन्त नि:शुल्क कीमत का 10%
	2. ग्रुप II कोयला : (क) कोककर ग्रेड डीं और ई (ख) अकोककर कोयला : चुनींदा ग्रेड और चुनींदा ग्रेड बी	चार रुपए पचास पैसे प्रति टन	—वही—
	3. ग्रुप III कोयला : (क) कोककर कोयला : ग्रेड जे जी० एच० और एच० एच०	चार रुपए प्रति दिन	—वही—
	4. ग्रुप IV कोयला : (क) कोककर कोयला ग्रेड जे तथा के (ख) कोककर कोयला : ग्रेड II, III, III ए, III बी	तीन रुपए पचास पैसे प्रति टन	—वही—
	5. ग्रुप V कोयला : बिना ग्रेड कोयला	दो रुपए प्रनि टन	—वही—
	6. ग्रुप VI कोयला : रद्दी	दो रुपया प्रति टन	—वही—
2.	**अवरक**		
	1. कच्चा अवरक	रु8/-का प्रति 100 कि० ग्रा०	रु० 12/- प्रनि 100 ग्रा०
	2. भारी—धब्बेदार भीगे, धब्बेदार या चितरीदार दूसरी किस्म के अलावा ट्रिम्ड किस्म का अबरक	रु० 16 प्रति 100 कि० ग्रा०	रु० 16/- प्रति 100 कि० ग्रा०

3. भारी-धब्बेदार घने धब्बों वाला या दूसरी किस्म का धब्बेदार ट्रिम्ड अवरक	रु० 8-40 का प्रति 100 कि० ग्रा०	रु० 12.00 का प्रति 100 कि० ग्रा०
4. रद्दी अबरक की कतरनें	रु० 2.80 का प्रति 100 कि० ग्रा०	रु० 3.00 का प्रति 100 कि० ग्रा०
5. रद्दीं गोल	रु० 200 प्रति 100 कि० ग्रा०	रु० 5.00 प्रति 100 कि० ग्रां०
3. चूना पत्थर	रु० 2.50 प्रतिटन	रु० 5.00 प्रतिटन
4. ग्रेफाइट		
1. 80% या अधिक निश्चित कार्बन सहित	रु० 16,00 प्रतिटन	रु० 75.00 प्रतिटन
2. 4% से 89% के बीच कार्बन	रु० 11.00 प्रतिटन	रु० 50.00 प्रतिटन
3. 40% से कम निश्चित कार्बन	रु० 3.50 प्रविटन	रु०10.00 प्रतिटन
5. फाइनवले	रु० 2.00 प्रतिटन	रु० 4.00 प्रतिटन
6. पाइराइट्स	सल्फर के प्रतिशत और अयस्क के प्रतिटन पर 10 पैसे प्रति यूनिट और यथानुपात आधार पर	रु० 15.00 प्रतिटन
7. सूतिया पत्थर		
(क) क्राइसोटाइल :		
(i) बढ़िया किस्म का अर्थात् जैसे ए. बी. और सी.	रु० 250.00 प्रतिटन	रु० 300.00 प्रतिटन
(ii) घटिया किस्म का अर्थात् ए० बी० और सी० के अलावा	रु० 60.00 प्रतिटन	रु० 100.00 प्रतिटत
(ख) एम्फीबोल	रु० 12.00 प्रतिटन	रु० 15.00 प्रतिटन
8. क्वर्टसाइट	रु० 1.25 प्रतिटन	रु० 3.00 प्रतिटन
9. क्रोमाइट		
(क) 45% और उससे अधिक सी-आर 2°3 वाला	रु० 20.09 प्रतिटन	रु० 25.00 प्रतिटन

(ख) 40% से 48% सी आर 2°3रु० वाला	12.00 प्रतिटन	रु० 15.00 प्रतिटन
(ग) 40% अथवा उससे कम सी. आर. 2°3 वाला	रु० 6.00 प्रतिटन	रु० 9.00 प्रतिटन
10. सोपस्टोन		
(क) सभी ग्रेडों पर, कीटनाशी उद्योग में प्रयुक्त घटिया ग्रेड को छोड़कर	रु० 4.50 प्रतिटन	रु० 6.00 प्रतिटन
(ख) कीटनाशी उद्योग में प्रयुक्त घटिया ग्रेड	रु० 2.25 प्रतिटन	रु० 3.50 प्रतिटन
11. चीनी मिट्टीं (बुल मिट्टी सहित)		
(क) कच्ची	रु० 2.00 प्रतिटन	रु० 5.00 प्रतिटन
(ख) धुली	रु० 8.00 प्रतिटन	रु० 15·00 प्रतिटन
12. बेराईट्ज		
(क) सफेद (हिमधवल सहित)	रु० 10.00 प्रतिटन	रु० 12.00 प्रतिटन
(ख) रंगहीन	रु० 6.50 प्रतिटन	रु० 8.00 प्रतिटन
13. एपरटाइट		
(क) 25% पी $_2$ओ$_5$ सहित	रु० 5.00 प्रतिटन	रु० 10.00 प्रतिटन
(ख) 25% से कम पी$_2$ ओ$_5$ सहित	रु० 4.00 प्रतिटन	रु० 8.00 प्रतिटन
14. बाक्साइट	रु० 4.00 प्रतिटन	रु० 6.00 प्रतिटन
15. डोलोमाइट	रु० 3.00 प्रतिटन	रु० 5.00 प्रतिटन
16. यूरेनियम		
1. 0.05% यू$_3$ ओर$_8$	खान मुहाने पर की कीमत के 10%	1. रु० 5/-प्रतिटन प्रति 0.01%
2. 0.05% यू$_3$ ओ$_8$	की दर से	2. रु० 1/- प्रतिटन 0.01%
17. फेल्सवार	रु० 3.00 प्रतिटन	रु० 5.00 प्रतिटन

कृष्णा नदी का कुछ जल आन्ध्र प्रदेश में रायलसीमा की ओर भेजने का प्रस्ताव

6798 **श्री योगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा नदी के कुछ जल को रायलसीमा आन्ध्र प्रदेश की ओर भेजने का प्रस्ताव

किया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या कृष्णा नदी में एक उचित स्थान पर वर्षा ऋतु में पानी एकत्रित करने हेतु एक जलागार का निर्माण करके, इस कृष्णा नदी से सिंचित क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव डाले बिना ही रायलसीमा क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो रायलसीमा क्षेत्र की सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय हैं

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) जी, हां। श्री शैलम दांयी शाखा नहर परियोजना, जिसमें रायलसीमा क्षेत्र में 76,900 हेक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई के लिए 161.29 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर श्री शैलम जलाशय से कृष्णा-जल के व्यपवर्तन की परिकल्पना की गई है, आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त हो गई है। परियोजना की जांच की जा रही है। इस परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता संतोषजनक रूप से सिद्ध हो जाने और तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा इसे स्वीकार पाने के पश्चात् ही योजना आयोग द्वारा स्वीकृति के लिए इस परियोजना पर विचार किया जाएगा।

(क) से (घ) कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण ने निर्णय किया है कि आन्ध्र प्रदेश को यह स्वतंत्रता होगी कि वह किसी भी जल-वर्ष में महाराष्ट्र और कर्नाटक को आबंटन करने के बाद कृष्णा नदी में बह रहे जल का उपयोग कर सकेगा। परन्तु इससे उसे किसी भी जल-वर्ष में 800 टी०एम०सी० जल से अधिक जल उपयोग करने का अधिकार नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त, कुछ पुनः प्राप्त जल भी आन्ध्र प्रदेश द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें से 782.16 टी०एम०सी० जल श्री शैलम जलाशय में वाष्पण हानियों और सुरक्षित उपयोगों के लिए तथा 17.84 टी०एम०सी० जल तेलगांना क्षेत्र में जुराला परियोजना के लिए है। न्यायाधिकरण ने यह भी अनुमान लगाया है कि 1998-99 तक आंध्र प्रदेश को लगभग 11 टी०एम०सी० जल रीजेनरेशन द्वारा भी उपलब्ध होगा, इस जल तथा वर्तमान प्रणालियों में जल के उपयोग में होने वाली सम्भाव्य किफायतों और भविष्य में गोदावरी के जल को कृष्णा में व्यपवर्तित किए जाने के आधार हर आन्ध्र प्रदेश ने श्री शैलम दाई शाखा पर नहर परियोजना का प्रस्ताव किया है। इसको दृष्टि में रखते हुए रायलसीमा क्षेत्रों को जल व्यपवर्तित करने के लिए जलाशयों के निर्माण या मौजूदा जलाशयों की क्षमता में वृद्धि करने की बहुत कम गुंजाइश है।

कोलाबा, महाराष्ट्र में उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए भारत-इटली करार

6699. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **पेट्रोलियम** तथा **रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में सुपर उर्वरक संयंत्र की स्थापना हेतु जुलाई, 1980 में भारत-इटली करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो संयंत्र पर क्या लागत आएगी और इसकी कितनी क्षमता होगी, और

(ग) निर्माण-कार्य कब शुरू किया जाएगा और कब तक पूरा हो जाएगा ।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) मेसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमि० द्वारा महाराष्ट्र के कुलाबा जिले में थाल वैसठ नामक स्थान में स्थापित किए जा रहे उर्वरक कम्पलैक्स के यूरिया संयंत्रों के लिए परामर्शी सेवाओं के बारे में मेसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमि० और फर्टिलाइजर (योजना एवं विकास) इण्डिया लिमि० (जो कि दोनों पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है) तथा इटली की मेसर्स सनाम प्रोगेटी के बीच करारनामें पर जुलाई, 1980 में हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) थाल वैसठ उर्वरक कम्पलैक्स में दो आमोनिया संयंत्र होंगे, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 1350 टन प्रतिदिन होगी तथा तीन यूरिया संयंत्र होंगे जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 1500 टन प्रति दिन होगी । जनवरी 1979 में उनकी लागत लगभग 512 करोड़ टन होने का अनुमान लगाया गया था ।

(ग) परियोजना पर कार्य पहले ही आरम्भ किया जा चुका है तथा सभी स्वीकृतियों के दिए जाने के बाद 45 महीने में परियोजना के पूर्ण होने की आशा है ।

कोयला खान कल्याण संगठन में नैमित्तिक और अस्थायी श्रमिकों की संख्या

6800. श्री ए० के० राय : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान कल्याण संगठन, धनबाद में एक वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे ऐसे नैमित्तिक और अस्थायी श्रमिकों की संख्या कितनी है जिनकी नौकरी को स्थायी नहीं बनाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मंत्रालय को इस विषय में दिनांक 1 अगस्त, 1980 से होने वाली अनिश्चितकालीन भूख-हड़ताल के नोटिस की जानकारी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अन्डमान और निकोबार द्वीप समूहों के न्यायिक न्यायालयों में कर्मचारियों की कमी

6801. श्री मनोरंजन भक्त : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के न्यायिक न्यायालयों में जिनके अन्तर्गत जिला न्यायाधीश का न्यायालय भी है, कर्मचारियों और पर्याप्त सुविधाओं की कमी हैं ; यदि उत्तर सकारात्मक है, तो उसके कारण का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस संबंध में अन्डमान प्रशासन को पोर्ट ब्लेयर के जिला न्यायाधीश की ओर से कोई पत्र प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या जिला न्यायालय में कोई दुर्विनियोग हुआ था और उसके कारणों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार लोगों को न्याय दिलवाने के हित में पर्याप्त कर्मचारी और सुविधाएं प्रदान करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उस संघ राज्य क्षेत्र के जिला न्यायाधीश ने प्रशासन को सूचित किया था कि न्यायिक न्यायालयों में कर्मचारियों की और पर्याप्त सुविधाओं की कमी है। उन्होंने अनुरोध किया था कि तीन उच्चतर ग्रेड लिपिकों, छह: निम्नतर ग्रेड लिपिकों और चार आशुलिपिकों, तीन चपरासियों तथा झाड़ूकशों और दो चौकीदार के पदों का सृजन किया जाए। जिला न्यायाधीश ने पोर्ट ब्लेयर स्थित जिला न्यायालय में रिक्त स्थान के निर्माण का भी अनुरोध किया है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने जिला न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि वह आगामी बजट में निधियों की उपबंध की दृष्टि से अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए प्रस्ताव भेजे। जहां तक अतिरिक्त स्थान का प्रश्न है प्रशासन स्थानीय लोक निर्माण विभाग से परामर्श करके इस संबंध में कार्यवाही कर रहा है।

(ग) अन्डमान और निकोबार प्रशासन के अनुसार जिला न्यायाधीश ने सूचित किया है कि लेखाओं की जांच करने पर और लेखा परीक्षा करने पर भी गबन की कुछ मदों का पता चला है और यह कि उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखवा दी है तथा लेखा लिपिक एव रोकड़िया के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर दी है।

(घ) अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन से जब प्रस्ताव भारत सरकार को प्राप्त हो जाएंगे तब उन पर उचित रूप से विचार किया जाएगा।

दामोदर घाटी निगम में बिजली का उत्पादन

6802. **श्री बिन्देश्वरी दुबे** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रबंधकीय अकुशलता और अधिकारी संघ द्वारा भड़काए गए तकनीकी अधिकारियों का असहयोग दामोदर घाटी निगम में बिजली उत्पादन की कमी का एक प्रमुख कारण है ?

(ख) क्या यह भी सच है कि अपने निर्माण एककों से काफी दूर स्थित दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय का दूर-दराज से नियंत्रण किया जाना भी दामोदर घाटी निगम की बिगड़ती हुई स्थिति का एक कारण है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर सकारात्मक है, तो इस स्थिति में

सुधार लाने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : दामोदर घाटी निगम में विद्युत उत्पादन में कमी के मुख्य कारण हैं औद्योगिक संबंध संबधी समस्याएं होना तथा जिन क्षेत्रों में विद्युत केन्द्र स्थित हैं वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति का खराब होना। तकनीकी कठिनाइयों से भी विद्युत उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) चूंकि दामोदर घाटी निगम प्रणाली में प्रचालन मुख्यालय क्षेत्रों में ही स्थित है, अतः दूर पर स्थित मुख्यालय से नियन्त्रण का प्रश्न नहीं उठता। दिन-प्रतिदिन के आधार पर नियंत्रण के लिए क्षेत्र अधिकारियों को पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं।

(ग) दामोदर घाटी निगम में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। निश्चित समय अवधि के आधार पर कार्यान्वयन के लिऐ सुधार करने तथा पुनः कार्यक्षम बनाने के कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। अनुरक्षण प्रबंध को और अधिक कारगर किया जा रहा है। दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों और इन्जीनियरों में सुरक्षा की भावना बैठाने के लिए अधिक पुलिस फोर्स लगाई गई है।

भारतीय तेल निगम द्वारा आयात आदेशों के अनुरूप तेल की पूरी मात्रा का आयात

6803. **श्री निरेन घोष : क्या पैट्रोलियम** तया **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय तेल निगम ने आयात आदेशों के अनुरूप पूरी मात्रा में तेल का कभी भी आयात नहीं किया और आयातित मात्रा सदा ही कुछ हजार मीटरी टन कम रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच कराने पर विचार कर रही है ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) विश्व भर में पैट्रोलियम उत्पादों के विक्रय। खरीद कर आमतौर पर अनुबन्ध की गई मात्रा पर 10 प्रतिशत की घटत या बढ़त की व्यवस्था रखी जाती है क्योंकि पूरे-2 मीट्रिक टन तक माल उठाना सम्भव नहीं होता। 10 प्रतिशत की इस घटत। बढ़त की व्यवस्था इस बात को ध्यान में रखकर की जाती है कि माल चढ़ाने और उतारने वाले बन्दरगाहों पर उपलब्ध टैंकरों की किस्म और क्षमता और वास्तव में उपयोग किए जाने वाले टैंकरों के "ड्राफ्ट" की कठिनाइयों के कारण कुछ संचालन संबंधी समस्याएं होती हैं। अप्रैल, 1979 से मार्च 1980 के बीच विभिन्न पैट्रोलियम पदार्थों के कुल आयात की समीक्षा के पश्चात् आई०ओ०सी० ने सूचित किया है कि उठाए गए माल में अन्तर 10 प्रतिशत की घटत/बढ़त की सीमा के बीच है।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए इस मामले में कोई जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक राज्य में नये रासायनिक एककों की स्थापना करना

6804. **श्री एस० बी० सिदनाल :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मूल कच्चे माल तथा अन्य अनुकूल प्राकृतिक संसाधनों और रासायनिक उद्योगों की संभावनाओं को देखते हुए केन्द्र सरकार का विचार कर्नाटक राज्य में रासायनिक क्षेत्र में नए एककों की स्थापना हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहन देने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए अपनाये जाने वाले उपायों के रूप में भारत सरकार ने कुछ चुने हुए पिछड़े इलाकों/जिलों में स्थापित उद्योगों को कुछ वित्तीय प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। ये प्रोत्साहन राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग रूप से दी जा रही सुविधाओं और प्रोत्साहनों के अतिरिक्त है, जहां तक कर्नाटक राज्य का सम्बन्ध है, राज्य के तीन जिले, अर्थात् रायचुर, मैसूर और धारवार, भारत सरकार द्वारा 1971 में घोषित सहायता योजना के अन्तर्गत उद्योग स्थापित करने के लिए किये जाने वाले प्रोत्साहनों के हकदार है। इसके अलावा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए कुछ जिलों को भी वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता के लिए चुना गया है। ये जिले निम्न प्रकार हैं—बेलगांव, बिदार, विजौर, धारवार, गुलवर्गा, हसन, मैसूर, उत्तरी कनारा, रायचूर, दक्षिण कनारा और टुम्कूर।

रसायन उद्योगों सहित सभी प्रकार के लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिए लघु उद्योग क्षेत्र को कुछ सूविधाएं विशेष रूप से उपलब्ध हैं और ये सुविधाएं कर्नाटक सहित सम्पूर्ण भारत में उपलब्ध हैं, जो निम्न प्रकार हैं :—

1. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से भाड़ा खरीद के आधार पर मशीनरी सप्लाई करना।
2. बैंकों से वित्तीय सहायता प्रदान करना।
3. पिछड़े क्षेत्रों में एकक स्थापित करने के लिए 15 प्रतिशत तक पूंजीगत सहायता।
4. इंजीनियरों उद्यमियों को प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की दर से ब्याज और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज के अन्तर के बराबर ब्याज सहायता दी जाती है।

गोआ में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करना

6805. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ के उत्तर में हाल में मिले आशाप्रद गैस क्षेत्र उस क्षेत्र में उर्वरक कारखाने के लिए "फीड-स्टाक" के रूप में काम दे सकता है,

(ख) क्या सरकार का उस क्षेत्र के औद्योगिक पिछड़ेपन को देखते हुए वहां सरकारी क्षेत्र का एक कारखाना लगाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ।

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) गोवा के उत्तर में रत्नागिरी के समुद्र तट दूर खोजे गए क्षेत्रों की श्रेणी में रखा गया है । तथापि गैस, क्षेत्रों में खोदे गए कुंओं में से एक क्षेत्र में एक कुएं में गैस दर्शाई गई है ।

(ख) और (ग) जी नहीं । इन कुंओं से गैस उत्पादन का मूल्यांकन अभी नहीं किया गया है और न ही इन कुंओं से गैस का इस समय कोई उत्पादन ही किया जा रहा है । अतः गैस पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना का इस समय कोई प्रश्न नहीं उठता ।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा अल्जीरिया तथा अन्य देशों में लिये गए कार्य

6807. श्री मोहम्मद असरार अहमद क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के एक उपक्रम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने अल्जीरिया में 65 लाख डालर का परामर्शदायी तथा इंजीनियरी कार्य लिया है; और

(ख) क्या इसने गत पाँच वर्षों के दौरान अन्य देशों में ऐसे कार्य लिए हैं तथा तत्सम्बन्धी वर्ष-वार, देश वार और राशिवार ब्यौरा क्या हैं;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी; हां । इंजीनियर्स इंडिया लि० ने 1980-81 के दौरान अल्जीरिया में 6·5 मिलियन अमेरिकी डालर का परामर्शदायी और इंजीनियरिंग कार्य लिया है ।

(ख) जी, हां । गत पांच वर्षों में जिन देशों में कार्य लिए हैं वे नीचे दिये गए हैं :—

(मिलियन अमेरिकी डालर में)

देश	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80
श्री लंका	1.536	—	—	—	—
ईराक	—	1.453	—	—	—
अल्जीरिया	—	—	—	11.2	4.2
सऊदी अरब	—	—	—	0.16	0.00039
अबू-धावी	—	—	—	—	3.0
यमन	—	—	—	—	0.077
ईथोपिया	—	—	—	—	0.0985

औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की औषधियों के बारे में सिफारिश

6809. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की औषधियों के सम्बन्ध में सिफारिशें स्वीकार कर ली है,

(ख) यदि हां तो क्या इससे उद्योग का वित्तीय संकट दूर हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) बल्क औषधियों के उचित मूल्य सम्बन्धित औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की सिफारिशों पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है। इस पर नियंत्रण तभी सम्भव हो सकेगा जब उस प्रक्रिया और सिद्धान्तों, जिस पर बल्क औषधियों और फार्मूलेशनों के मूल्य में संशोधन लागू किये जाने हैं, को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता है, जिसमें कुछ और समय लगेगा।

(ख) बल्क औषधियों और फार्मूलेशनों के प्रस्तावित मूल्य संशोधन से मूल्य को सुव्यवस्थित करने के अलावा उत्पादकों को जहां अपेक्षित है कच्चे मालों के मूल्यों में वृद्धि की प्रतिपूर्ति होगी और इस प्रकार आवश्यक सहायता मिलेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन कर्मचारियों के बारे में कर्मचारी निरीक्षण एकक की रिपोर्ट

6810. श्री राम अवध : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन कर्मचारियों के बारे में कर्मचारी निरीक्षण एकक की रिपोर्ट को अभी तक आंशिक रूप से प्रकाशित किया गया है;

(ख) क्या उक्त रिपोर्ट का कार्यान्वयन कुछ श्रेणियों के नियमित कर्मचारियों को ही लाभ पहुंचाने की दृष्टि से किया गया है;

(ग) यदि हां, तो पूरी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी श्रेणियों के कर्मचारियों से सम्बन्धित सिफारिशों को कब लागू किया जाएगा ताकि स्टाफ आर्टिस्टों की आगे पदोन्नति के द्वार खुल सकें ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) कर्मचारी निरीक्षण एकक की रिपोर्ट जिसमें सात मुख्य दूरदर्शन केन्द्रों में कर्मचारियों को देने के मानकों की सिफारिश की गई थी, को पूर्णतया कार्यान्वित किया जा चुका है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पूर्वी आजाद नगर, दिल्ली-51 के कोयला व्यापारियों को परेशान किया जाना

6811. कुमारी कमला कुमारी : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वी आजाद नगर, दिल्ली-51 के कुछ कोयला व्यापारियों को पूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है और उनसे यहां तक कहा जा रहा है कि स्थानीय अधिकारियों को खुश न करने पर उनके लाइसेंस रद्द कर दिये जाएंगे; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तुरन्त कार्यवाही करने और वहां के सम्पूर्ण स्टाक को स्थानान्तरित करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन में सेल्स इंजीनियरों, सेल्स रिप्रेजेन्टेटिवों और डिपों सुपरवाइजरों के ग्रेड

6812. श्री रसीद मसूद : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के बाद इसके (एक) सेल्स इन्जीनियरों, (2) सेल्स रिप्रेजेन्टेटिवों और (तीन) डिपों सुपरवाइजरों के निर्धारित वेतन और अलग-अलग ग्रेड क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेट ने 28 जून, 1977 को सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव और सेल्स इन्जीनियर के कुछ पदों के लिए विज्ञापन दिया था ;

(ग) यदि हां, तो इन पदों के लिए उपरोक्त विज्ञापन में उल्लिखित परिलब्धियां क्या हैं ; और

(ग) उपरोक्त प्रत्येक पद के लिए कितने उम्मीदवार चुने गए थे और अर्हता, अनुभव, के लिए दिए जाने वाले वेतन सहित उनका वैयक्तिक ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) तीन पदों के निर्धारित वेतन और उनके अलग-अलग ग्रेड निम्न प्रकार हैं :

पद	वेतन एच० पी० सी० (ए) ग्रेड
सेल्स इन्जीनियर्स	रु० 850—1550 (31.3.1979 तक)
सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव्स डिपो सुपरवाइजर्स	रु० 750-40-1150-1550 (1.4.1979 से)

(ख) जी, हां। एच० पी० सी० एल० ने जून, 1977 में सेल्स रिप्रेजेन्टेटिवों और सेल्स इंजीनियरों के तथा डिपो-सुपरवाइजरों के पदों को भरने के लिए जुलाई, 1977 में विज्ञापन दिए थे।

(ग) इन तीन पदों के लिए विज्ञापन में उल्लिखित कुल परिलब्धियां 1190 रु० प्रतिमास जिसमें डी. ए., सी. सी. ए., एच. आर. ए. और उस समय लागू अन्य लाभ भी शामिल हैं, थी।

(घ) कुल 22 प्रत्याशी चुने गए थे जिनके विवरण निम्न प्रकार हैं :—

	नाम	शैक्षणिक योग्यताएं	दिया गया पद	मूल वेतन (रुपये)
सर्वश्री				
1.	के. मुरली धरन	बी. ई. (मैक) एम. बी. ए.	सेल्स इन्जीनियर	850 प्रति माह
2.	एन. चन्द्रशेखरन	बी. एस. सी. (इन्जी.)	सेल्स इन्जीनियर	850 प्रति माह
3.	एस. आचार्य	बी. ई. (इलेक्ट.)	सेल्स इन्जीनियर	850 "
4,	के. अहमद	बी. ई. (इलेक्ट्रोनिक्स)	सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव	850 "
5.	आर. के. पाडेकर	बी. टेक (एल.एल.पी.)	सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव	850 "
6.	के. अनन्थ	बी.एस.सी., ए.एम. आई. ई.	-वही-	850 "
7.	एस. सरकार	बी. ई. (इलेक्ट्रोनिक्स)	-वही-	850 "
8.	एस. टी. सावन्त	एम. एस. सी.	टर्मिनल सुपरवाईजर	850 "
9,	एस. के. साहा	बी. काम	-वही-	850 "
10.	जी. भास्करन	बी. टेक (केम.)	-वही-	850 "
11.	एम. टोकदार	डी. एम. इ.	-वहीं-	850 "
12.	वी. रघुराम	बी. ई. (मेक)	-वही-	850 "
13.	आर. कृष्णन	डी. एम. ई.	-वही-	850 "
14.	एम. एम. अत्रे	डी. सी. ई.	डिपो सुपरवाईजर	850 "
15.	डब्ल्यू. खान	बी. एस. सी. (सिविल इन्जी.)	-वही-	850 "
16.	एस. आर. मिश्रा	इन्जी. में डी.आई.पी. (एरोनोटिक्स)	-वही-	850 "
17.	ए. डब्ल्यू, डर्नकोर्ड	रेफ्रिजरेशन में डी.आई.पी.	-वही-	850 "
18.	एस. सी. मल्होत्रा	ई. एल. डब्ल्यू. सी. में डी. आई. पी.	-वही-	850 "
19.	एस. पी. शर्मा	माईनिंग में डी.आई.पी.	-वही-	850 "
20.	पी. के. राय	डी। एम. ई.	-वही-	850 "
21.	एम. आर. नायर	बी. एस सी. (इन्जी)	-वही-	850 "
22.	पी. एम. कुलकर्णी	एम. एस. सी.	-वही-	850 "

भारतीय औषध कम्पनियों औद्योगिक लाइसेंस ना मंजूर करना

6813. श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय औषध कम्पनियों के औद्योगिक लाइसेंसों के लिए कितने आवेदन-पत्र पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से ना मंजूर किये गये हैं

(ख) इन कम्पनियों द्वारा किन-किन बल्क औषधियों और फार्मूलिशन के लिये आवेदन पत्र दिये गए थे लेकिन वे सरकार द्वारा ना मंजूर कर दिए गए; और

(ग) इस नामंजूरी के क्या कारण हैं और इससे प्रभावित हुई भारतीय कम्पनियां कौन-कौन सी हैं;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) (ख) और (ग) :— वर्ष 1977-1978 और 1979 के दौरान रद्द किए गए। भारतीय कंपनियों के औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन पत्रों (नई मद और/अथवा पर्याप्त विस्तार) के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है।

[**ग्रंथालय में रखा गया।** देखिए संख्या एल० टी० 1224/80]

श्रम संबंधी संकट के कारण कोयले का कम उत्पादन

6814. **श्री सुन्दर शर्मा :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को यह मालूम है कि कोयला उद्योग में कोयले का कम उत्पादन वर्तमान श्रम संबंधी संकट के कारण भी है जिसका कारण बहु श्रमिक संघ पद्धति है.

(ख) क्या सरकार कोयला उद्योग में एक दलीय संघ पद्धति क्रियान्वित करने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) यूनियनों की प्रतिद्वन्द्विता भी ऐसे अनेक कारणों में से एक है जिसकी वजह से कोयले के उत्पादन में हानि होती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जल विद्युत के लिए नेपाल के जल संसाधन

9815. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जो नदियां नेपाल के राज्य क्षेत्र में गिरती हैं उनके उपरले पाटों (अपर रीचेज) में जल विद्युत केन्द्र स्थापित करने होंगे; और

(ख) क्या नेपाल के अथाह जल संसाधनों का जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग करने के बारे में नेपाल सरकार के साथ विचार विमर्श करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) कई जल-विद्युत परियोजनाएं जैसे करनाली, राप्ती, कोसी, पंचेश्वर आदि नेपाल राज्य क्षेत्र की नदियों की पहुंचों में स्थापित होंगी।

(ख) जी, हां। नेपाल के जल संसाधनों का उपयोग, की महामहिम सरकार के साथ चल रहे विचार-विमर्श का एक विषय है।

सिग्रेनी कयोला खानों से रायचूर ताप विद्युत परियोजना कोयले की सप्लाई

6816. श्री बी० बी० देसाई : ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने रायचूर ताप विद्युत परियोजना को सिग्रेनी कोयला खानों से कोयला सप्लाई करने का निर्णय किया है?

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त कोयला खानों से रायचूर ताप विद्युत परियोजना को कुल कितना कोयला सप्लाई किया जाना है;

(ग) अब तक कितना कोयला सप्लाई किया जा चुका है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार रायचूर ताप विद्युत परियोजना के निकट धोवनशालाएं स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(च) क्या रायचूर ताप विद्युत परियोजना की मांग पूरी कर दी गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) जी, हां ।

(ख) रायचूर ताप विद्युत केन्द्र (2×210 मेगावाट) को 1983-84 के दौरान चालू जाने की तारीख से आगे इसकी कोथले की अनुमनित आवश्यकता निम्नलिखित है:—

वर्ष	कोयले की अनुमनित आवश्यकता, मिलियन टनों में
1983-84	0.16
1984-85	0.65
1985-86	1.06
1986-87	1.30
1687-88	1.34 और अधिक

(ग) क्योंकि विद्युत केन्द्र अभी निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था में है इस लिए कोयले की आवश्यकता इस समय नहीं है ।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है ।

(च) रायचूर ताप विद्युत परियोजना की कोयले की मांग को पूर्णतया पूरा किया जायेगा ।

राष्ट्रीय गैस ग्रिड का बनाया जाना

6817. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या पेट्रोलियम तथा रासायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय गैस ग्रिड बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या आन्ध्र समुद्रतट में उपलब्ध गेस भी उसमें जुड़ी हुई है

पेट्रोलियम रासायन और उर्वरक मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में तेल की खोज

6818. श्री जितेन्द्र प्रताप : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर और पीलीभीत जिले में तेल की खोज के मामले में प्रगति हुई ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में अन्य कौन से जिले हैं जहां तेल की खोज की जाएगी ।

पेट्रोलियम रसायन श्रौर उर्वरक मंत्री : श्री वीरेन्द्र पाटिल : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) खूदाई के लिए स्थलों का चयन हिमालय की पहाड़ियों में प्रस्तावित भू-वैज्ञानिक और भू-रसायनिक अध्ययनों के परिणामों पर निर्भर होगा ।

फार्मस्यूटिकल उपयोग के प्रतिनिधियों की बैठक

6819. श्री के० ए० राजन : यया **पेट्रोलियम** तथा **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्मास्यूटिकल उद्योग की सभी गसोसिएशन के प्रतिनिधियों की इस वर्ष 9 जुलाई को वैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो वातचीत का ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले ।

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सभी उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के साथ इस वर्ष 9 जुलाई को कोई वैठक नहीं हुई थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयले की ग्रन्तर्राष्ट्रीय तस्करी

6820. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या उर्जा और **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जुलाई, 1980 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में "इन्टर-स्टेट कोल स्मगलर गैंग डिटेक्टेड" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 22 मई के समाचार पत्रों में "इल्लीगच सेल आफ 0 लाख टन्स आफ कोल बाइ द फेन्स; आई० सी० ए० रेड बाइ द विजिलेंस डिपार्टमेंट" शीर्षक समाचार की ओर भी दिलाया गया है , और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और दोषी अधिकारियों को क्या सजा दी गई ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सरकार का ध्यान 7 जुलाई, 1980 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस समाचार की ओर आर्कषित किया गया है जिसका शीर्षक था—"इन्टर-स्टेट गेंग आफ कोल स्मगलर्स बस्टैड ।

(ख) दिनांक 22 मई, 1980 का कोई समाचार जानकारी में नहीं आया है । परन्तु सरकार का ध्यान उस समाचार की ओर आर्कषित किया गया है जिसका शीर्षक था "फेक ई० सी० एल० आफिस अनअथ्ड" तथा जो 23 मई, 1980 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था ।

(ग) प्रथम समाचार में राज्य सरकार के अधिकारियों और कोयले के लाइसैंसदारों के अपराधी आचरण का आरोप है तथा कोयला खनन कंपनियों के अधिकारियों की सांठ-गांठ होने का कोई उल्लेख उसमें नहीं है । फिर भी, इस मामले में जांच का आदेश दे दिया गया है । जहां तक दूसरे समाचा का प्रश्न है, इस प्रकार का ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का कोई नकली कार्यालय नहीं पकड़ा गया है । परन्तु पुलिस ने 8.5.1980 को रानीगंज में जी० टी० रोड पर स्थित निजी परिवहन ठेकेदारों के कार्यालय पर अचानक छपा मारा था । यह जगह स्थानीय लोगों में पंजाबी मोरी के नाम से विख्यात है । पुलिस ने यहां से ई० को० लि० के कुछ नकली रोड चालान पकड़े थे । इन चालानों में कुछ चालात लादे थे और कुछ पर ई० को० लि० की विभिन्न कोलियरियों और वेब्रिजों की नकली सीलें लगी हुई थी । इस सम्बन्ध में रानीगंज पुलिस थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 468/47/420 के अन्तर्गत चार मुकदमें कायम किए गए । रानी गंज पुलिस इनमें आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है ।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के सतर्कता विभाग द्वारा की गई जांच से यह पता चला है कि ये चालान फार्म ई० को० लि० के नही है । यह छापा भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने नहीं मारा था । इस मामले से सम्बन्धित फार्मों को ब्लैक लिस्ट करने पर विचार किया जा रपा तथा स्थिति में सुधार लाने के अन्य उपाय भी विचाराधीन हैं ।

इस आरोप के बारे में कि ई० को० लि० ने आठ लाख टन खान मुहावना स्टाक राइट-आफ कर दिया है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उर्वरक संयंत्र की स्थापना

6821. श्री ईरा अनवारासु : क्या **पेट्रोलियम** तथा **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा

(क) क्या सरकार को दूसरे उर्वरक सयंत्र की स्थापना के लिए नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव का सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया है औ२ यदि नहीं, तो उसके क्या कारथ है ।

पेट्रोलियम उर्वरक और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) नेवेली लिग्नाइट पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए एक प्रारम्भिक सम्यभाव्य रिपोर्ट प्रस्तुत की है ।

(ख) इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

आयातित और देशी कोयले कीमत में अन्तर

6822. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयातित और देशी कोयले की कीमत में काफी अन्तर है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तर की प्रतिशतता क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विक्रम महाजन : (क) और (ख) : जी हां। धुले भारतीय कोककर कोयले की औसत कीमत रु० 280/- प्रति टग है। इस प्रकार आयातित कोयले की कीमत देशी कोयले की कीमत से लगभग 243 प्रतिशत अधिक है।

सूरत में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

6823. **श्री सी डी० पटेल :** क्या सूचना और प्रसारण यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए प्रस्तावों के अधीन, सूरत नगर (गुजरात राज्य) में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित किया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना कब तक पूरी किए जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) डाक-तार माइक्रोवेव लिंको की सहायता से रिले केन्द्रों की स्थापना करके दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने की योजनाएं तैयार की जा रही हैं। सूरत, जो योजमाबद्ध माइक्रोवेव के मार्ग में आता है, के इस स्कीम के कार्यान्वित होने पर कवर होने की संभावना है। तथापि, इस स्कीम का कार्यान्वियन संसाधनों की उपलब्धता तथा साक्षेप प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

भोपाल में कुकिंग गैस प्राप्त करने में दिक्कत

6824. **श्री प्रभू नारायण टंडन :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि एस्सो के राष्ट्रीयकरण के बाद मध्य प्रदेश में भोपाल तथा अन्य नगरों में उपभोक्ताओं को कुकिंग गैस प्राप्त करने में एक अथवा डेढ मास लग जाता है; और

(ख) उपभोक्ताओं को इस बारे में राहत देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है।

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल : (क) सभी तीन कम्पनियां अर्थात् इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और भारत

पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश में तरल पेट्रोलियम गैस का विपणन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ बाजारों में हल्दिया शोधनशाला से उत्पाद की सीमित उपलब्धता और बरौनी शोधनशाला से परिवहन समस्याओं के कारण उत्पाद की सप्लाई के रुक जाने के कारण सप्लाई आर्डर बकाया पड़े हुए हैं।

(ख) मध्य प्रदेश में भोपाक और अन्य शहरों को वैकल्पिक स्रोतों से सप्लाई प्राप्त करके तथा परिवहन समस्याओं का समाधान करके सप्लाई बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

बिहार में ग्रामीण वितरण लाइन में ट्रांसफार्मरों की चोरी

6825. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : क्या उर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में ग्रामीण वितरण लाइन में अवक्रम ट्रांसफार्मरों की चोरियों के समाचार आए हैं ;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में समूचे देश में इन ट्रांसफार्मरों के जल जाने की दर अधिक है ; और

(ग) यदि इनका उत्तर हां है, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही हो गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिक्रम महाजन) : (क) बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ट्रांसफार्मरों की चोरी को 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 की घटनाएं निम्नानुसार है :

क्रम सं०	वर्ष	ट्रांसफार्मरों की चोरी
1.	1974-75	442
2.	1975-76	273
3.	1976-77	168

(ख) यह सूचना उपलब्ध नहीं है। ऐसा समझा जाता है कि बिजली बोर्डों द्वारा इस सूचना का संकलन करना एक जटिल कार्य होगा और इसमें काफी समय लगेगा। इसके अतिरिक्त इसके बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मानक भी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि ट्रांसफार्मरों की चोरी रोकने के लिए वे निम्नलिखित कदम उठा रहे हैं :

(1) ट्रांसफार्मरों को सहायक संरचनाओं के साथ वैल्ड किया जा रहा है या कुछ मामलों में ट्रांसफार्मरों के ऊपरी ढकनों को ट्रांसफार्मरों की वाडी के साथ वैल्ड किया जा रहा है।

(2) नए ट्रांसफार्मर आबादी वाले क्षेत्र प्रतिष्ठापित किए जा रहे हैं और जो ट्रांसफार्मर असुरक्षित स्थानों पर प्रतिष्ठापित किए जा रहे हैं उनको धीरे-धीरे सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाया जा रहा है।

(3) सभी मुखियों और प्रखंड विकास अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि अपने क्षेत्रों में प्रतिष्ठापित ट्रांसफार्मरों पर नजर रखें तथा ग्राम स्वयं सेवक दल का गठन करें।

(4) स्थानीय अधिकारियों को हिदायतें दी गई हैं कि असामाजिक तत्वों से ट्रांसफार्मरों की रक्षा करने के लिए ग्राम पंचायत प्राधिकारियों, प्रमुख ग्रामवासियों तथा अन्य लोगों से सम्पर्क करें।

(5) कानून और व्यवस्था के प्रभारी आधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि ग्रामीणों द्वारा ट्रांसफार्मरों के अधिकृत संचालन को रोकने तथा असामाजिक तत्वों द्वारा ट्रांसफार्मरों की चोरी को रोकने के लिए समुचित उपाय करें।

(6) जले हुए ट्रांसफार्मरों को चोरी से बचाने के लिए इन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए हिदायतें दे दी गई हैं।

पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के स्थान पर एक पावर पम्प स्टोरेज यूनिट की स्थापना

6826. **श्री चित्त बसु** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के स्थान पर एक पावर पम्प स्टोरेज यूनिट की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा तैयार की गई एक परियोजना इस समय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्राधिकरण ने इस बारे में कोई अन्तिम निष्कर्ष निकाल लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त निष्कर्ष का स्वरूप क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) इस परियोजना के बारे में कोई रिपोर्ट अभी केन्द्रीय विद्युतप्राधिकरण में प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला उत्पादन की औसत लागत

6827. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोलले के उत्पादन की औसत लागत से संबंधित ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या उत्पादन लागत में कमी करने के प्रयास किए जा रहे हैं और यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० के बिना लेखा परीक्षा हुए अन्तिम खातों के अनुसार वर्ष 1979-80 में कोयले के उत्पादन की औसत लागत निम्नलित है :

कोल इण्डिना लि०	—	रु० 105.34 प्रतिटन
सिगरैनी कोलियरीज कं० लि०	—	रु० 112·03 प्रतिटन

(ख) मजदूरी बिलों तथा उत्पादन के साधनों की लागत में वृद्धि होने के परिणाम स्परूप कोयले की उत्पादन लागत में जो वृद्धि हुई है उसमें कमी कर पाना बहुत मुश्किल है।

6828. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ऊर्जा और **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार मे जिला संथाल परगना में कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व वहां पर 52 कोयला खानें कार्यरत थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या अब वहाँ पर केवल 11 खानें कार्यरत हैं ;

(ग) क्या अनेक खानों के बन्द हो जाने के कारण लगभग 12 हजार मजदूर बेरोजगार हो गए हैं ;

(घ) क्या आपात स्थिति के दौरान इन खानों में से लगभग 3 हजार मजदूरों को गैर-कानूनी तरीके से काम से हटा दिया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो इन खानों के बन्द होने के क्या कारण हैं और उनको पुनः खुलवाने और बेरोजगार हुए मजदूरों को काम दिलवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में शारणर्थी

6829· **श्री आर० के०** महालगी : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मूल के उन व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है जो 31-5-1980 तक देशवार, स्वादेश लौटे थे और और महाराष्ट्र में बसे थे;

(ख) इन भारतीय लोगों के पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या उन व्यक्तियों के मार्गदर्शन और सहायता करने के लिये कोई सैल बनाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) स्वादेश लौटे

और महाराष्ट्र में बसाए गए भारतीय मूल के व्यक्तियों की कुल संख्या नीचे दर्शाई गई है:—

(1)	युगान्डा	—	लगभग 2200 व्यक्ति
(2)	वियतनाम	—	83 व्यक्ति
(3)	बर्मा	—	4 व्यक्ति

(ख) युगान्डा और वियतनाम से आए अधिकांश प्रत्यावासी अपने साथ अपनी सम्पत्तियाँ लाए थे। युगान्डा से आए प्रत्यावासियों को युगान्डा में छोड़ी गई सम्पत्तियों के लिए मुआवजा भी दिया गया था। ऐसे व्यक्ति सरकार से सहायता लिए बगैर स्वयं बस गए थे। इन प्रत्यावासियों के पुनर्वास के लिए मंजूर की गई योजनाओं के अन्तर्गत जिन प्रत्यावासियों ने सहायता चाही थी, उन्हें स्वीकार्य व्यवसाय और आवास ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर दी गई है। राज्य सरकार के पास इस प्रकार की सहायता के लिए कोई आवेदन-पत्र शेष नहीं है।

(ग) और (घ) : प्रत्यावासियों के भारत लौटने के समय केन्द्रीय और राज्य सरकारों में अपेक्षित स्टाफ को उनके स्वागत और भेजने की व्यवस्था करने के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रत्यावासियों को स्वीकार्य राहत और पुनर्वास सुविधाओं के बारे में उन्हें अवगत कराने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जिला प्राधिकारियों को उपयुक्त हिदायतें जारी की जाती हैं।

आने वाले त्यौहारों के मौसम के दौरान पेट्रोलियम उत्पादनों की सप्लाई करने का प्रस्ताव

6830. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा आने वाले त्यौहारों के मौसम के दौरान जनता को डीजल, मिट्टी के तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उठाये अथवा वे उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) त्यौहारों के दिनों में जिन पेट्रोलियम उत्पादों की मांग अधिक होती है वे हैं, हाई स्पीड डीजल तेल और मिट्टी का तेल। सभी राज्यों। केन्द्र, शासित प्रदेशों को हाई स्पीड डीजल तेल और मिट्टी के तेल का मासिक आवंटन करने की प्रणाली है। यह आवंटन करते समय उत्पाद की समस्त उपलब्धता, पिछली बिक्री और परिवहन क्षमता तथा त्यौहारों के कारण मौसमी अन्तर जैसे अन्य सम्बद्ध घटकों को ध्यान में रखा जाता है। देश में इन उत्पादों की सप्लाई को अधिकतम बनाये रखा जायेगा और इस उद्देश्य के लिए किये गये कुछ मुख्य उपाय निम्न प्रकार हैं—

(1) इन उत्पादों के आयात की योजना इस प्रकार बनाई गई है कि बन्दरगाह स्थलों पर डीजल तेल और मिट्टी के तेल की उपलब्धता पर्याप्त रहे।

(2) पैट्रोलियम पदार्थों के रेल द्वारा परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और नये टैंक-गाड़ियों द्वारा परिवहन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है।

(3) बड़ी संख्या में अतिरिक्त टैंक लारियों का प्रयोग करके पैट्रोलियम उत्पादों का सड़क द्वारा परिवहन क्षमता को बढ़ाया गया है।

(4) त्योहार के दिनों में भूतपूर्व में खपत की प्रवृति, समस्त परिवाहन क्षमता आदि को ध्यान पर रखकर डीजल तेल और मिट्टी के तेल का आवंटन यथा सम्भव अधिकतम स्तर पर किया जाता है।

रायपुर और गुलबर्गा में दूरदर्शन केन्द्रों के लिए उपकरण

6831. श्री जनार्दन पुजारी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायपुर और गुलबर्गा में दूरदर्शन कार्यक्रम प्रोडक्शन केन्द्र के लिये उपकरणों की खरीद के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) उपकरणों को हासिल करने लिए सरकार द्वारा वित्तीय मंजूर दे दी गई है। उपकरणों के तकनीकी प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं।

बिहार में नवादा में ग्रीड स्टेशन का निर्माण कार्य

6832. श्री कुंवर राम : क्या **ऊर्जा और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विहार में नवादा में ग्रिड स्टेशन के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) उक्त स्टेशन कब कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विक्रम महाजान (क) बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नवादा उप केन्द्र के निर्माण-कार्य कों स्थिति नीचे दिये अनुसार है:—

(1) नींव का कार्य तथा सुपर संरचना का उत्थापन कार्य पूरा हो गया है।

(2) ट्रांसफार्मर का उत्थापन पूरा हो गया है।

(3) अन्य उपकरों का उत्थापन कार्य लगभग 70%पूरा हो गया है।

(ख) यह आशा है कि मार्च, 1981 के अन्त तक यह उप-केन्द्र पूरा हो जायेगा।

नालन्दा, नवादा तथा जिला मुंगेर के दक्षिणी भाग के लिये केन्द्रीय सिंचाई योजना

6833. श्री विजय कुमार यादव : क्या **सिंचाई** मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच्च है कि नालन्दा, नवादा और जिला मुंगेर के दक्षिणी भाग वर्षा क्षेत्र के अन्तर्गत आ गये हैं; और

(ख) यदि यह सच है तो क्या उन क्षेत्रों के लिए केन्द्र सिंचाई योजना तैयार की गई है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) (क) जी, नहीं।

(ख) चूंकि सिंचाई राज्य-विषय है, इसलिए इन क्षेत्रों के लिए कोई केंन्द्रीय सिंचाई स्कीम तैयार नहीं।

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट

6834. श्री चिरंजीलाल शर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पुस्कार विजेता फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट देने के लिए "आल इन्डिया फिल्म्स गोअर्स एमोसिएशन के अनुरोध पर विचार किया है ताकि अधिक लोग इन फिल्मों जो देख सकें; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) (क) और (ख) आल इन्डिया फिल्म्स गोअर्स एसोसिएशन से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, सरकार ने स्वत: ही सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से 16-4-80 को यह सिफारिश की है कि वे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त सभी फिल्मों का मनोरंजन कर से छूट दे दें।

फ्लाइंग क्लबों के लिये पेट्रोलियम उत्पादों का विशेष कोटा

6835. श्रीमती प्रमिला दडण्वते : क्या **पेट्रोलियम** तथा **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फ्लाइंग क्लबों के लिये पेट्रोलियम उत्पादों का कोई विशेष कोटा रखा रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या फलाईंग कलब नियमित रूप से गैसोलिन का अपना कोटा ले रहे हैं;

(ग) क्या देश में पेट्रोल की कमी को देखते हुए इन पलाइंग क्लबों के पेट्रोलियम के सभी लाइसेंस वापस लेने का कोई प्रस्ताव है

पेट्रोलियम, और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) फ्लाइंग क्लबों सहित सभी नागरिक वायुयान प्रचालको को वर्ष 1978-79 के लिए उत्पाद की मासिक औसत कुल खरीद के आधार पर अपनी विमानन गैसोलीन की आवश्यकता प्राप्त करने की अनुमति दी गई है तथा उन्हें इस आधार पर सप्लाई प्रदान की जा रही है।

(ग) फ्लाइंग क्लबों को विमानन गैस की सप्लाई बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय चलचित्रों को निर्यात से आय

6836. श्री नवीन रवाणी (प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत) : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार भारतीय चलचित्रों के निर्यात से कितनी आय हुई ;

(ख) यदि आय में कमी होती जा रही है, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ लोग इन चलचित्रों के देश में विड्यो-टेप्स तैयार कर लेते हैं और विदशों में उनका अवैध बिक्री करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान भारतीय फिल्मों के निर्यात से हुई आय इस प्रकार है :—

1977-78	966 लाख रुपए
1978-79	949 लाख रुपए
1979-80	वास्तविक निर्यात के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । लेकिन भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा पास किए गए शिपिंग बिलों का मूल्य 1215 लाख रुपए हैं ।

(ख) वर्ष 1978-79 के दौरान निर्यातों के मूल्य में मामूली से कमी हुई है । वर्ष 1979-80 के दौरान पास किए गए शिपिंग बिलों के आधार पर, वास्तविक निर्यातों से हुई आय पिछले वर्षों की तुलना में अधिक होने की सम्भावना है ।

(ग) और (घ) वीडियो टेपों पर भारतीय फिल्मों की गैर-कानूनी ढंग से नकल करने और उनको भारत से बाहर चोरी छिपे ले जाने के बारे में सरकार के पास कोई प्रमाणिक सूचना नहीं है ।

अधिक दूरदर्शन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव

6837. श्री डी० एल० बैठा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना और पूर्णिया में दूरदर्शन केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ख) क्या सरकार बतायेगी कि किसी स्थान विशेप पर दूरदर्शन केन्द्र खोलने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) पटना में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को अब तैयार की जा रही छठी—"योजना" (1980-85)

के प्रस्तावो में शामिल किया गया है। संसाधनों की कमी के कारण पूर्णिया में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के लिए स्थानों का चयन करने में विभिन्न बातों को ध्यान में रखा जाता है तथा ग्रामीण और शहरी जनसंख्या को कवर करने की सीमा, सीमावर्ती क्षेत्रो, दूरस्थ तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए सेवा, श्रमिक वर्गों/औद्योगिक जनसंख्या के बड़े खण्डों को कवर करना, कार्यक्रम निर्माण और कार्यक्रम योजक सुविधाओं और अन्य अवस्थापना की उपलब्धि। उपरोक्त बातों के आधार पर स्थानों का विवेकसंगत मिश्रण शामिल करने के प्रयास किए जाते हैं।

उच्च न्यायालय की आगरा में एक बेंच स्थापित करना

6838. श्री राजेश कुमार सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की आगरा में एक बेंच स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई निर्णय किया गया है तो वह क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक बेंच की स्थापना का प्रस्ताव मई, 1979 में भेजा था। इस विषय में अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

कोयला खानों में बिजली की खपत

6839. श्री राम लाल राही : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कोयला खानों में बिजली की खपत कितनी है और क्या सरकार का विचार बिजली की उपलब्धिता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी क्षेत्र में बिजली के उत्पादन सयंत्रों को स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि खानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध नहीं होती है तो उचित कोयला खनन के लिए क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) : कोल इंडिया लि० की खानों की बिजली की अनुमानित जरूरत 346 एम० वी० ए० है। परन्तु बिजली की उपलब्धि उसकी मांग के अनुसार नहीं रही है। कोयला खानों को बिजली की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

1. बिजली के आवंटन में कोयला खानों को उच्चतर वरीयता देना।

2. कोयला उद्योग को आवंटन में दी गई उच्चतर प्राथमिकता को करने के लिए गैर-खनन लोड को कोयला सरकिटों से अलग क

3. जहां कहीं सम्भव हो वहां कोयला कम्पनियों को दामोदर घाटी सीधी सप्लाई ।

4. भारत कोकिंग कोल लि०, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० तथा सेन्ट्र उपयुक्त और समुचित स्थानों पर लगभग 50 मे० वा० क्षमता ग्रहीत विद्युत उत्पादन संयत्र लगाने के लिए एक योजना तैयार

कोल इंडिया लिमिटेड में पदों का भरा जाना

6840. श्री तारिक अनवर : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बता

(क) क्या कोल इण्डिया लि०, कलकत्ता ने उन पदों को भरा है जं से भरे जाने थे;

(ख) ऐसे कितने पद खाली पड़े हैं जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जान

(ग) इन पदों को किन कारणों से अभी तक नहीं भरा गया है; और

(घ) इन पदों को कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गुजरात के गांवों में किया गया विद्युतीकरण

6841. श्री छीतू भाई गामित : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह कि :

(क) गुजरात के कितने गांवों को अब तक बिजली दी जा चुकी है शेष हैं;

(ख) वर्ष 1980-85 के दौरान गुजरात में कितने गांवों को बिजल

(ग) क्या जिन गांवों का विद्युतीकरण किया गया है उनकी हरिजन ही साथ बिजली दे दी गई थी और यदि नहीं, तो कितनी हरिजन बस्तियों और कितनों को अभी दी जानी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में [राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 1: अनुसार गुजरात राज्य में 18,275 गांव हैं। इनमें से 31 मई, 1980 विद्युतीकृत किया जा चुका था । शेष 7,204 गांवों को अभी बिजली दी ज

(ख) देश में 1980-85 की अवधि के दौरान गांवों का विद्युतीकरण करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, वर्ष 1980-81 के दौरान गुजरात राज्य 1,500 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की आशा है।

(ग) गुजरात बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई अद्यतन प्रगति रिपोर्ट के अनुमार मार्च, 1980 के अन्त में राज्य में 6,537 गांवों में सड़कों पर रोशनी की सुविधा है। इनमें से 6,199 गांवों में, निकटवर्ती हरिजन बस्तियों को सड़कों पर भी रोशनी पहुंचाई जा चुकी है। राज्य में 291 विद्युतीकृत गांवों के समीप हरिजन बस्तियां नहीं हैं। इस प्रकार 47 विद्युतीकृत गांवों की समीपवर्ती हरिजन बस्तियों को सड़कों पर रोशनी की सुविधा दी जानी बाकी है। सरकार हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की ओर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बनाई जा रही, ग्राम विद्युतीकरण की सभी स्कीमों में हमेशा यह सुनिश्चिय किया जाता है कि जब कभी मुख्य गांव की सड़कों पर रोशनी की सुविधा देने का प्रस्ताव हो तो समीपवर्ती हरिजन बस्तियों को भी यह सुविधा दी जाए।

नर्मदा जल की बन्नी नहर परियोजना का रद्द किया जाना

6842. **डा० महीपात राय एम० मेहता :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ के उत्तरी भागों की सिंचाई करने के लिए नर्मदा जल की बन्नी नहर परियोजना को लोगों की मांग के बावजूद रद्द किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि नर्वदा न्यायाधिकरण द्वारा सिंचाई के लिए और घरेलू तथा औद्योगिक उपयोग के लिए 9 मिलियन एकड़ फुट जल का जो आबंटन किया है, उससे बन्नी क्षेत्र को नर्वदा कमान के अन्तर्गत लाना सम्भव नहीं है।

सम्बलपुर में दूरदर्शन केन्द्र

6843. **श्री नित्यानन्द मिश्र :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा के सम्बलपुर में स्थिति वर्तमान दूरर्शन केन्द्र में प्रसारण स्टेशन (रिले स्टेशन) को कार्यक्रम तैयार करने वाले केन्द्र में परिवर्तित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) दूरदर्शन केन्द्र, सम्बलपुर "साइट" उत्तरवर्ती योजना के अन्तर्गत स्थापित एक प्रेषण केन्द्र है (रिले

केन्द्र नहीं) इस केन्द्र के लिए कार्यक्रमों को कटक स्थित बेस प्रोडक्शन यूनिट में रिकार्ड किया जाता है और उनको टेलीकास्ट किए जाने के लिए सम्बलपुर भेजा जाता है। स्थानीय सम्पर्क से कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए सम्बलपुर में चलती फिरती फिल्म और वीडियो यूनिटों की व्यवस्था की गई है। संसाधनों की कमी के कारण वहां दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करना सम्भव नहीं हुआ है।

अशोधित तेल की सप्लाई के लिए ईराक के साथ करार

6844. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को अशोधित तेल सप्लाई करने के लिए 1973 से अथवा उसके बाद से ईराक का भारत के साथ कोई करार है;

(ख) इराक द्वारा 1973 से प्रति वर्ष कितनी मात्रा में तेल सप्लाई किया गया है;

(ग) 1980 में और उसके बाद प्रति वर्ष इराक द्वारा कितनी मात्रा में तेल सप्लाई किये जाने का करार हुआ है; और

(घ) क्या इराक भारत को सबसे अधिक मात्रा में तेल सप्लाई करता है और 1980 के दौरान अन्य देशों द्वारा भारत को कितनी-कितनी मात्रा में तेल सप्लाई किया जायेगा।

पेटोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार ने ईरान के साथ खनिज तेल की सप्लाई के लिए कोई निरन्तर अनुबंध नहीं किया हैं। इण्डियन आयल कार्पोरेशन द्वारा ईराक के साथ अनुबंध कैलेण्डर वर्ष आधार पर किये जाते हैं।

(ख) ईराक द्वारा 1973 से अशोधित तेल की सप्लाई की गई मात्रा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मि. मी. टनों में मात्रा
1973	0.85
1974	2.79
1975	2.91
1976	2.08
1977	2.80
1978	4.76
1979	5.79

(ग) और (घ) : 1980 के बाद खनिज तेल की सप्लाई करने के लिए ईराक के साथ अभी कोई करार नहीं किया गया है। आगे और ब्यौरे देना लोक हित में नहीं होगा।

पेट्रोल की बचत करने के लिए कारों और बसों के लिए अलकोहल का उपयोग

6842. श्री राजेश पाइलट : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ब्राजील में सफलता को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल की बचत हेतु कारों और बसों के लिए अलकोहल का उत्पादन करने, उसे प्रोत्साहन देने और उसका उपयोग करने के लिए किन्ही योजनाओं अथवा परियोजनाओं पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाएं कुटीर तथा लघु उद्योगों में किस सीमा तक आरंभ की जायेगी; और

(ग) अलकोहल से चलने वाले इंजनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस सीमा तक प्रोत्साहन और समर्थन दिये जाने का विचार है ।

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) मंत्रालय ने अलकोहल को मोटर स्प्रिट (पेट्रोल) के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग के विषय में जांच करने के लिए एक अन्तर्विभागीय समिति गठित की थी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और ऐसे मिश्रण की संभाव्यता का मूल्यांकन किया जा रहा है ।

कोयम्बतूर में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

6846. श्री ईरा मोहन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बतूर में एक स्वतन्त्र दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का कोयम्बतूर में व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, वहां एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) : स्वीकृत "योजना" 1978-83 में मद्रास दूरदर्शन केन्द्र के कार्यक्रमों को रिले करने के लिए कोडैकनाल में एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर की व्यवस्था है । इस ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर कोयम्बतूर के इसके सेवा क्षेत्र में आने की उम्मीद है ।

अंग्रेजी और हिन्दी मासिक पत्रिका "भागीरथ" का प्रकाशन

6847 श्री जैनुल बशर : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई तथा विद्युत विभाग की अंग्रेजी और हिन्दी मासिक पत्रिका के प्रकाशन और सम्पादन की वर्तमान व्यवस्था क्या है और उनके वर्तमान अधिकारियों और सम्पादकीय मंडल के सदस्यों की पत्रकारिता सम्बन्धी अर्हताएं और अनुभव क्या हैं;

(ख) क्या पिछले एक वर्ष से अंग्रेजी और हिन्दी मासिक पत्रिका के प्रकाशन में शिथिलता आ गई है और वर्ष के दौरान सम्पादकीय मंडल की कोई बैठक नहीं हुई है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पत्रिकाओं का समय पर प्रकाशन सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) (क) केन्द्रीय जल आयोग दो त्रैमासिक पत्रिकाएं 'भागीरथ' (अंग्रेजी) में और 'हिन्दी भगीरथ' सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से प्रकाशित करता है। अंग्रेजी भगीरथ का प्रकाशन 1954 में और हिन्दी भगीरथ का प्रकाशन 1974 में प्रारम्भ हुआ था अंग्रेजी भगीरथ में एक सम्पादक हैं, जिनके पास पत्रकारिता सम्बन्धी कोई विशिष्ट अर्हता नहीं है, लेकिन जिन्हें भूतपूर्व केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के इंजीनियरी प्रकाशनों के सम्पादन का तीन वर्ष का अनुभव है और इसके पश्चात् उन्होंने 14 वर्ष से अधिक समय तक इसी पत्रिका के सहायक सम्पादक के रूप में भी कार्य किया। हिन्दी भगीरथ में एक सहायक सम्पादक है जिनके पास भूगोल और हिन्दी विषयों में स्नातकोत्तर अर्हता है और पत्रकारिता में डिप्लोमा है। अंग्रेजी भगीरथ के लिए कोई सम्पादकीय बोर्ड नहीं है। हिन्दी भगीरथ के लिए एक सम्पादकीय बोर्ड है। इस बोर्ड के सदस्यों की सूची संलग्न है।

(ख) अंग्रेजी और हिंन्दी भगीरथ दोनों पत्रिकाओं का प्रकाशन तिमाही रूप से हाल के कुछ संस्करणों को छोड़कर, काफी नियमित तौर पर हो रहा है। इन संस्करणों के प्रकाशन में देरी होने का कारण फरीदाबाद के सरकारी मुद्रणालय में, जहां पर ये पत्रिकाएं छपती हैं, बिजली की सप्लाई में गड़बड़ होना था।

हिन्दी भगीरथ के सम्पादकीय बोर्ड की बैठकों के लिए निश्चित समय निर्धारित नहीं है और जब कभी कोई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, जिनके बारे में बोर्ड द्वारा निर्णय किए जाने की आवश्यकता होती है, तो समय-समय पर बोर्ड की बैठकों आयोजित की जाती हैं।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता है।

विवरण

भागीरथ (हिन्दी) के सम्पादकीय बोर्ड के सदस्यों की सूची

1. श्री एन० एल० शंकरन संयुक्त सचिव, सिंचाई मंत्रालय, नई दिल्ली।	......	अध्यक्ष
2. श्री महेश चन्द, मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग	......	सदस्य

3. श्री वी० डी कुलवर्गी, ... सदस्य
निदेशक (पी० एण्ड पी०),
केन्द्रीय जल आयोग

4. डा० शची रानी गुर्टू, ... सदस्य
उप-महानिदेशक (हिन्दी)
डाक और तार ।

5. श्री विजय मोहन शर्मा, ... सदस्य
उप-निदेशक, सी० एस० एम० आर० एस०,

6. डा० श्याम सिंह 'शशि' ...... सदस्य
उप-निदेशक, प्रकाशन प्रभाग

7. श्री शैलेन्द्र, ... सदस्य
विशेष संवाददाता,
दैनिक 'हिन्दुस्तान'

8. श्री राधाकान्तन्त भारती, ... सदस्य
सहायक सम्पादक,
केन्द्रीय जल आयोग

दिल्ली में बिजली की भारी कमी

6848 **श्री भीकूराम जैन :** क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के पास बिजली की उपलब्धता में बहुत कमी हो जाने के कारण दिल्ली में फिर बिजली के गंभीर संकट की रिपत है;

(ख) राजधानी को कब तक बिजली की कटौती का सामना करना पड़ेगा; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) इस समय दिल्ली में विद्युत की कमी है । यद्यपि इन्द्रप्रस्थ और बदरपुर ताप विद्युत केन्द्रों में उत्पादन यूनिटों की एक साथ बंदी के कारण जुलाई 1980 में कुछ अवसरों पर लोड शेडिंग करनी पड़ी थी ।

(ख) और (ग) : दिल्ली की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता सामान्यतः दिल्ली की विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है । तथापि इन्द्रप्रस्थ और बदरपुर विद्युत केन्द्रों में एक या अधिक उत्पादन यूनिटों की एक साथ बन्दी के समय कभी-कभी कुछ लोड शैडिंग से बचा नहीं जा सकता । इस समय अच्छी मानसून होने के कारण भाखड़ा में जल अन्तर्वाह की स्थिति संतोषजनक है । दिल्ली में व्यस्ततपकालीन मांग को लगभग 20 से 30 मेगावाट प्रतिबन्ध कम करने के लिए, उद्योगों पर कुछ प्रतिबन्ध सप्ताह में छुट्टियां भिन्न-भिन्न दिनों में किए जाने के रूप में लगाए गए हैं । आशा की जाती है कि कुल मिलाकर, दिल्ली अपनी विद्युत की मांग को

अपने ही स्रोतों से तथा भाखड़ा ब्यास जल विद्युत प्रणाली से अल्पकालीन सहायता की व्यवस्था से पूरा करने में समर्थ होगी।

दिल्ली की विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र पर 210 मेगावट के एक और यूनिट का उत्थापन भी हो रहा है। बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र का और विस्तार करने की व्यवहार्यता का भी अध्ययन किया जा रहा है। सिंगरौली में स्थापित किए जा रहे सुपर ताप विद्युत केन्द्र से दिल्ली को विद्युत का हिस्सा मिलेगा।

सीतलपुर कोयला खान के श्रमिकों को नियमित करना

6849. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1973 से पत्थर, कोयला आदि काटने में लगे सीतलपुर कोयला खान के 42 श्रमिकों को नियमित करने में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनको नियमित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) कोयला खान कर्मचारी संघ ने 41 व्यक्तियों को नियमित किए जाने के बारे में एक विवाद उठाया था। ये व्यक्ति एक सिंकिंग ठेकेदार द्वारा नियुक्त किए गए थे तथा सीधे कोलियरी के कर्मचारी नहीं थे। उन्हें कभी कोलियरी में कोयले की कटाई के काम पर भी नहीं लगाया गया था यह विवाद मध्यस्थता संराधन के लिए लिया गया था किन्तु संराधन मध्यस्थता असफल रहा।

भोजो-डीह वाशरी प्लांट में खराबी

6850. **श्री ए० के० राय :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि भोजो-डीह वाशरी प्लांट में बार-बार खराबी होने के कारण उत्पादन में भारी कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इन खराबियों, उनके हुये घाटे और बार-बार खराबी के कारणों के बारे में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) भोजो-डीह वाशरी खराबी से प्रभावित नहीं हुई थी। अप्रैल-जून, 1980 में यह वाशरी अपनी निर्धारित क्षमता के 9/% पर काम करती रही।

चीनी कारखानों द्वारा शीरे का निपटान

6851. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी कारखानों से निकले शीरे के उपयोग के विभिन्न तरीके क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि शीरे की मांग कम होने के कारण चीनी कारखानों को मंजबूर होकर शीरा नष्ट करना पड़ता है और इस प्रकार उन्हें घाटा हो रहा है ;

(ग) यदि हां तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने 1 अप्रैल, 1977 से 31 दिसम्बर 1979 की अवधि के दौरान विभिन्न पार्टियों को शीरे के निर्यात कोटे की मंजूरी दी थी ;

(ङ) यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक पार्टी को मंजूर किये गये कोटे सहित उन पार्टियों के नाम क्या हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और उन्होंने कितनी मात्रा में शीरे का निर्यात किया था ; और

(च) इससे विदेशी मुद्रा की कितनी राशि अर्जित हुई;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटेल) : (क) चीनी कारखानें के शीरे को प्रमुख रूप से अल्कोहल यीस्ट और अनेक रसायनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है । पशुओं के चारे के निर्माण के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है ।

(ख) मांग की कमी के कारण चीनी कारखानों द्वारा शीरे को नष्ट किये जाने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) से (च) 1-4-1974 से 31-12-1979 की अवधि के दौरान राज्य व्यापार विभाग के माध्यम से शीरे का निर्यात रसायन और उर्वरक विभाग की विशेष सिकारिश पर किया गया था । इसमें केवल 29-11-1978 से 31-379 तक की अल्प अवधि शामिल नहीं है जबकि शीरे के निर्यात को खुले सामान्य लाइसेंसों (ओ० जी० एल०) के अन्तर्गत रखा गया था और निर्यात तभी किया जा सकता था जेबकि सम्बन्धित राज्य के अधिकारी आयुक्त द्वारा जारी किया हुआ इस आशय का प्रमाण-पत्र सरकार को प्रस्तुत किया जाए कि निर्यात किया जाने वाला उपाद उसी राज्य में बना हुआ था ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा किए गए शीरे के निर्यात के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	मात्रा टनों में	मूल्य रुपये लाखों में
1977-78	21407	62
1978-79	163337	691
1979 (30-12-1979 तक)	363204	2179

संगीत तथा नाटक प्रभाग के विस्तार करने का प्रस्ताव

6852. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान संगीत तथा नाटक प्रभाग का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ताकि क्षेत्र में इसकी यूनिटें अधिक संख्या में स्थापित की जा सके; और

(ख) यदि हां तो, राज्यवार, इसके योजनाबद्ध विस्तार का स्वरूप क्या है और ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जहां नयी यूनिटें स्थापित किये जाने की योजना है ?

(क) · जी, हां ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में बंगलौर में एक गीत और प्रकाश यूनिट स्थापित की जा रही है । संशोधित छठी "योजना" (1980-85) में शामिल किए जाने के लिए गीत और नाटक प्रभाग के प्रस्तावों में देश के केन्द्रीय और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्रों के लोक रूपों का उपयोग करने के लिए एक "पायलट" परियोजना तथा ग्रामीण युवकों में उपलब्ध कलात्मक प्रतिभा के उपयोग के लिए भी एक 'पायलट' परियोजना स्थापित करने की स्कीमें शामिल हैं। तथापि, इन स्कीमों का कार्यान्वियन 'योजना' के प्रस्तावों की स्वीकृति और धनराशि के आवंटन पर निर्भर करता है ।

दण्डकारण्य परियोजना

6854. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कोरापुट, उड़ीसा की दण्डकारण्य परियोजना के अन्तर्गत आने वाले खंडों के नाम क्या हैं ;

(ख) खंडों में अब तक कितने शरणार्थियों को बसाया जा चुका है और उनके शिविरों के नाम क्या हैं ,

(ग) उनमें स्थानीय अदिवासी लोगो और शरणार्थी लोगों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(घ) उस क्षेत्र और वहां के लोगों के विकास के लिए क्या कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं ;

(ङ) शरणार्थियों और आदिवासियों के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम पृथक-पृथक आरंभ किए गए हैं ;

(च) शरणार्थियों और स्थानीय आदिवासियों संबंधी परियोजना पर आरंभ से लेकर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है : और

(छ) शरणार्थी समस्या और आदिवासियों की समस्याओं को हल करने के संबंध में दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण, कोरापुट द्वारा अब तक की गई कितनी प्रगति का समाचार मिला है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) दण्डकारण्य परियोजना के कोरापुट के हिस्से में निम्न खंड शामिल हैं :—

1. जैपुर, 2. रायगढ़, 3. उमरकोट, 4. दाबूगांव, 5. जोरीगांव, 6. मलकानगिरी, 7. कोरुकोंडा, 8. कालीमेला, 9. पोदिया ।

(ख) अब तक अमरकोट क्षेत्र के 64 गांवों में 4,430 शरणार्थी परिवारों ओर मलकानगिरी क्षेत्र के 195 गांवों में 10,179 परिवारों को बसाया मया है। मलकानगिरी क्षेत्र में गांवों के नाम एम०वी० 1 से 123 और एम०पी०वी० 1 से 71 एम०पी०वी० 75 तथा उमरकोट क्षेत्र में यू०वी० 1 से 23,51 से 54,57 यू०आर०वी० 24 से 30 31ए 31बी० बी०यू०आर०वी० 32 से 50, यू०आर०वी० 55, 56, 58, 59, 60 और बी०जे० 1 से 3 है।

(ग) इन गांवों में स्थानीय आदिवासियों और शरणार्थियों की जनसंख्या नीचे दर्शाई गई हैं :—

क्षेत्र	आदिवासियों की जनसंख्या	शरणार्थियों की जनसंख्या	योग
1- उमरकोट	2,32,000	26,000	2,58-000
2- मलकानयिरी	1,66,000	49,000	2,15-000

(घ) दण्डकारण्य परियोजना ने उस क्षेंत्र और वहां के व्यक्तियों के विकास तथा हित के के लिए सड़क निर्माण और सिंचाई परियोजनाओं, चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था, शिक्षा सुविधाएं और पीने के पानी की सप्लाई कृषि विकास, पशुपालन और बाजार सुविधाओं और राज्य विद्युत बोर्ड को सहायता और प्रेरणा देकर बिजली प्राप्त करने जैसे विभिन्न कार्य शुरू किए हैं।

(ङ) शरणार्थियों के परिवारों को कृषि में पुनर्वास देने के लिए उन्हें निर्धारित मात्रा में उदार की हुई और विकसित भूमि जैसे प्रति परिवार 5 एकड़ शुष्क भूमि, 4 एकड़ आशिक सिंचित भूमि और 3 एकड़ एकड़ बारहमासी सिंचित भूमि उपलब्ध कराकर कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। उन्हें अधिकांशतः आवास बैल कृषि निवेश इत्यादि तथा सहायक व्यवसायों के लिए ऋण के रूप में पुनर्वास सहायता भी प्रदान की जाती है। लघु व्यापार/व्यवसाय में बसाए गए गैरकृषक शरणार्थी परिवारों को आवासीय प्लाट और आवास तथा व्यावसायिक ऋण दिए जाते हैं।

जहां तक आदिवासियों के लिए कार्यक्रम का संबंध है परियोजना द्वारा उद्धार की गई 25 प्रतिशत भूमि आदिवासियों के पुनर्वास के लिए संबंधित राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई जाती है। व्यक्तिगत आदिवासी परिवारों को आवास सहायता और उनके आर्थिक विकास की योजनाओं के लिए परियोजना द्वारा प्रति आदिवासी परिवार को 3500/-रु0 की वित्तीय सहायता (इसमें 650/-रु0 ऋण के रुप में शामिल हैं) भी दी जाती है आदिवासियों के पुनर्वास का कार्यकम राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

(च) मार्च, 1979 तक सम्पूर्ण दण्डकारण्य परियोजना पर 115-36 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं; जिसमें से 34-55 करोड़ रुपए सामान्य विकास पर 24-59 करोड़ रुपए आदिवासियों के कल्याण पर और 56-52 करोड़ रुपए शरणार्थियों की सहायता और पुनर्वास पर व्यय किए गए हैं।

(छ) लगभग 23,000 विस्थापित व्यक्ति परिवारों को सम्पूर्ण परियोजना में पुनर्वास दिया गया है और कर्मों शिविरों में शेष लगभग 2000 परिवारों को खरीफ 1981 के दौरान बसा दिए जाने का प्रस्नाव है। परियोजना क्षेत्र में लगभग 4, 150 आदिवासी परिवारों को भी पुनर्वास दिया गया है। संचार स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आधारमूत सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। बड़े पैमाने पर सिचाई सुविधाओं की भी व्यवस्था की जा रही है। सरकार सड़कों मकानों प्राथमिक स्कूलों के निर्मण पीने के पानी की सप्लाई इत्यादि जैसी अधूरी योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए उत्सुक है। इन योजनाओं से बसाए गए व्यक्तियों और आदिवासियों दोनों को लाभ उपलब्ध हैं। पोटेरु सतीगुणा और परलकोट जैसी सिचाई परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर शरणार्थियों और साथ ही आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार हा जाएगा।

कोरापुट परियोजना के लिए दी गई विधियां

6855. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)उनके मंत्रालय ने दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण परियोजना के लिए इस परियोजना के आरम्भ से लेकर चालू वित्त वर्ष तक योजना-वार कितनी विधियां दीं;

(ख) अब तक इन्फ्रास्ट्रक्चार, सिंचाई विद्युतीकरण उद्योग सत्रंधी तथा अन्य कौन-कौन सी योजनायें हाथ में ली गई तथा पूरी कीं गई;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने आदि वासियों के विकास के लिए दंडकारण्य विकास प्राधिकरण के लिए अपनी योजना में धन की व्यवस्था की थी;

(घ) उड़ीसा सरकार ने आदिवासियों तथा शरणार्थियों की समस्याएं हल करने के लिए अब तक क्या भूमिका निभायी हैं;

(ङ) यदि इस संबधी में उड़ीसा सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण है ;और

(च) यदि कुछ कार्य किया है, तो कितना ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री श्री (वसन्त साठे) : (क) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) 561 किलोमीटर मुख्य सड़कों; 295 कि०मी० अदिवासी सड़कों, 822 कि०मी० सम्पर्क सड़कों और 405 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण/सुधार करके आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं। शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 305 प्राथमिक स्कूल, 31 मिडिल स्कूल ओर 8 हाई स्कूल स्थापित किए गए हैं। वहां के निवासियों की चिकित्सा संबंधी देख रेख के लिए 10 अस्पताल, 3 ओषधालय, 20 उपकेन्द्र, 51 प्राथमिक उपचार केन्द्र और 4 चल चिकित्सा यूनिटें प्रदान की गई है। पीने के पानी तथा अन्य सामुदयिक प्रयोग के लिए 314 ग्रामीण टंकियों; 350 ऊपरी पानी की टंकियों, 505 चिनाई वाले कूंओं और 1781 नलकूपों का निर्माण किया गया है। 1.67 लाख एकड़ क्षेत्र को खेती योग्य बनाया गया है, विस्थापित

व्यक्तियों के लिए 386 गांव और आदिवासियों के लिए 107 गांव स्थापित किए गए हैं और बसाए गए व्यक्तियों के लिए 16,600 मकानों का निर्माण किया गया है। 10;588 हैक्टेयर भूमि पर सम्पर्क वनरोपण पूरा कर लिया गया है। 1.50 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से 48.86 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मुख्य सिंचाई परियोना, पोटेरू का कार्य शुरू किया गया है। कुल 6820 एकड़ सिंचाई क्षमता वाली एक अन्य मध्यम सिंचाई परियोजना - अर्थात भास्कल बांध का कार्य पूरा हो गया है। इस पर कुल 1·35 करोड़ रुपये लागत आई है। दो अन्य मध्यम सिंचाई परियोजनाएं अर्थात् सतीगुड़ा तथा परलकोट बांध क्रमशः 11·05 और 5·46 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्माणाधीन है, जिनसे क्रमशः 28,000 एकड़ और 24,000 एकड़ भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी। 46 लघु सिंचाई योजनाए पूरी कर ली गई हैं जिनसे खरीफ में लगभग 7, 000 एकड़ भूमि के लिए सिंचाई प्रदान की जाएगी। राज्य विद्युत बोर्डों कों विशेष अनुदान देकर उमरकोट, मलकानगिरी तथा परलकोट दोनों में बिजली पहुंचा दी गई है। संबंधित राज्य सरकारों के ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत गांवों का विद्युतिकरण करने सबंधी योजनाएं राज्य बिजली बोर्डों के माध्यम से तैयार तथा क्रियान्वित की जाती है। जगदलपुर, बोरेगांव तथा अम्बगुडा में तीन उत्पादन-प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं जिनमें मध्यम पैमाने की क्षमता वाले कृषि औजार, फर्नीचर, बैलगाड़ी के पहिए तथा कपड़ा आदि तैयार किया जता है। खादी ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा नए माडल के चरखों के लिए कुछ प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं। बैंत तथा बांस के कार्यों में प्रशिक्षण देने के लिए अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

(ग) जी हां। सामान्य विकास कार्यक्रम शुरु करने के अलावा; उड़ीसा सरकार ने डी०डी० ए० क्षेत्र में आदिवासियों के विकास के लिए मलकानगिरी तथा नवरंगपुर में समेकित आदिवासी विकास एजेन्सियों को धनराशि भी प्रदान की है।

(घ) दण्डकारण्य विकास प्रधिकरण, क्षेत्र में शरणार्थियों तथा आदिवासियों के पुनर्वास के लिये उड़ीसा सरकार द्वारा भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता से उड़ीसा सरकार द्वारा दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण के अधीन आदिवासी पुनर्वास कार्य क्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। क्षेत्र में उनके द्वारा स्थापित की गई समेकित आदिवासी विकास एजेन्सी के माध्यम से आदिवासियों तथा साथ ही लाभ पाने वाले सामान्य व्यक्तियों के लिए विकास कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जैसा कि उक्त (ग) और (घ) उत्तरों में उल्लेख किया गया है।

विवरण

दण्डकारण्य परियोजना के प्रारंभ से 1679-80 तक इस परियोजना द्वारा किए गए "योजनावार" व्यय को दर्शाने वाला विववरण :

क्रम० सं०	योजना	अवधि	किया गया व्यय लाख रुपयों में
1.	द्वितीय योजना	1957-58 से 1960-61	727.67
2.	तृतीय योजना	1961-62 से 1965-66	2105.38
3.	वार्षिक योजना	1966-67	315.33
4.	वार्षिक योजना	1967-68	331.78
5.	वार्षिक योजना	1968-69	358.37
6.	चतुर्थ योजना	1969-70 से 1973-74	2039.94
7.	पांचवी योजना	1974-75 से 1977-78	3755.65
8.	वार्षिक योजना	1978-79	1454.78
9.	वार्षिक योजना	1979-80	1184.68
		योग	रु० 12273.57 लाख

इसके अतिरिक्त 1979-80 तक दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा 877.28 लाख रुपए का व्यय शिविरों/कर्मी शिविरों में रखे गए विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों को राहत सुविधाओं की व्यवस्था पर किया गया है।

समाचारपत्रों की राज्यवार बिक्री

6856. श्री निहाल सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य में प्रकाशित होने वाले दैनिक और साप्ताहिक समाचार पत्रों के नाम क्या हैं और प्रत्येक राज्य में उसकी कुल बिक्री संख्या कितनी है ;

(ख) इनमें से कितने समाचार पत्रों को सरकारी अखबारी कागज का कोटा नहींदिया जा रहा है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें अखबारी कागज का कोटा देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) अपेक्षित सूचना "प्रेस इन इण्डिया—1976" नामक भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार की वार्षिक रिपोर्ट के भाग-2, जो सदन की मेज पर 27 मार्च, 1979 को रखा गया था, में देखी जा सकती है।

(ख) और (ग) किसी भी समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र को अखबारी कागज का कोटा देने से मना नहीं किया जाता बशर्ते कि वह सरकार द्वारा प्रति वर्ष घोषित और भारत के राजपत्र

में प्रकाशित सरकार की अखबारी कागज आबंटन नीति में निर्धारित ढंग से उसके लिए आवेदन करें। वर्ष 1980-81 के लिए अखबारी कागज आबंटन नीति 2 जुलाई, 1980 को सदन की मेज पर रखी गई थी।

महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए नियत धनराशि

6857. **श्री आर० के० महलगी :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई और वास्तव में कितनी दी गई हैं ;

(ख) आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं ;

(ग) यदि निर्धारित की गई पूरी धनराशि से क्या वास्तविक लक्ष्य जिलावार प्राप्त किये गए ; और

(ङ) यदि कोई वास्तविक लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा 1978-79 और 1979-80 अवधि के दौरान पृथक रक्षित राशियां तथा वास्तव में संवितरित की गई राशियां नीचे लिए अनुसार हैं :—

(लाख रुपए में)

	1978-79	1979-80
पृथक रक्षित राशि	90	100
संवितरित राशि	75	134

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने भी राज्य के सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1978-79 और 1979-80 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम हाथ में लिए होंगे।

(ख) : जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत करने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए जाते हैं :—

(1) स्कीम के अन्तर्गत बिजली की बिक्री से प्रत्याशित राजस्व इतना प्रयाप्त हो कि (1) स्कीम के 7वें वर्ष की समाप्ति पर आधार पूंजी पर 6% निवल लाभ अथवा 10% सकल लाभ मिले। (2) स्कीम के 15वें वर्ष के अन्त में लाभ-अलाभ (ब्रेक-ईवन) स्तर प्राप्त हो जाए; और (3) 25 वें वर्ष के अन्त में आधार पूंजी पर $3\frac{1}{2}$% निवल लाभ मिले।

(2) आधार पूंजी पर लाभ की गणना के प्रयोजन हेतु 11 के.वी. (मुख्य तथा स्पर) लाईनों पर होने वाला निवेश परियोजना की आधार पूंजी में शामिल नहीं किया जाता।

(3) संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के मामले में, विशिष्ट रूप से दुर्गम क्षेत्रों को स्रोतों पर उपयुक्त मानदण्ड में यथा आवश्यकता और अधिक छूट देने के लिए अलग-अलग स्रोतो पर गुणदोषों के आधार पर उनके विचार किया जाता है।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण स्रोतों को 5 वर्ष तक की अवधि में पूरा करने के लिए सोपान-बद्ध किया जाता है। इन स्कीमों के संबंध में ऋण राशि किस्तों में विमोचित की जाती है, पहली किस्त आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद विमोचित की जाती है, तथा बाद की किस्तें निर्माण कार्यक्रम के सोपान के आधार पर तथा स्कीमों के क्रियान्वयन में वास्तविक प्रगति पर्याप्त न होने के कारण राज्य बिजली बोर्ड 1978-79 के लिए पृथक रक्षित राशि पूरी मात्रा में नहीं ले सका। तथापि वर्ष 1978-79 और 1979-80 के लिए पृथक रक्षित 1.90 करोड़ रुपए को राशि की तुलना में बोर्ड ने जनजातीय स्कीमों के लिए 2.09 करोड़ रुपए लिए हैं।

(घ) जैसा कि प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में बताया गया है, ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्तपोषिय स्कीमों को 5 वर्ष तक की अवधि में पूरा करने के लिए निर्धारित राज्यवार लक्ष्य तथा इनकी तुलना में उपलब्धियां दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई धीमी प्रगति के कारणों में उल्लेखनीय कारण हैं निर्माण सामग्री की कमी, विद्युत की कमी, भार को बढ़ावा देने के प्रयत्नों की ओर समन्वय की कमी तथा संगठनात्मक कठिनाइयां।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के लिए वर्ष 1978-79 और 1979-80 के जिलेवार लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा

क्रम सं०	जिले का नाम	1978-79				1979-80			
		विद्युतीकृत किए जाने वाले नए गांव		ऊर्जित किए जाने वाले पम्प सेट		विद्युतीकृत किए जाने वाले नए गांव		ऊर्जित किए जाने वाले पम्प सेट	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	अमरावती	शून्य	शून्य	167	181	शून्य	शून्य	332	96
2.	चन्द्रपुर	105	44	75	6	76	59	104	28

3.	धूलिया	73	12	278	568	70	8	311	329
4.	नासिक	10	8	526	245	9	1	541	267
5.	पूना	24	4	—	142	20	3	—	86
6.	थाना	11	2	329	11	9	—	318	—
	जोड़	223	70	1375	1153	184	71*	1606	806*

* अनन्तिम

विदेशी मुद्रा बिनियमन अपीली बोर्ड, नई दिल्ली के समक्ष लम्बित मामलें

6858. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशन :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा विनिमयन अपीली बोर्ड, नई दिल्ली के पास गत तीन वर्षों से भी अधिक समय से कुल कितने मामले लम्बित हैं और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) मामलों के लम्बित के लम्बित रहने के क्या कारण हैं ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तारीख 1 जुलाई, 1980 को तीन वर्ष से अधिक समय से लम्बित अपीलों की कुल संख्या 333 है । 129 अपीलों में न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा 50,000 रुपए से अधिक की शास्तियां अधिरोपित की गई थीं । इन अपीलों की सुनवाई दो सदस्यों वाली बैंचों द्वारा की जानी है । शेष 204 अपीलों की सुनवाई एकल सदस्य द्वारा की जानी है ।

(ख) लम्बित रहने के कारण निम्नलिखित हैं :

(1) पक्षकारों की प्रार्थना पर स्थगन का मंजूर किया जाना ;

(2) कुछ अपीलों में मूल अपीलार्थियों की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाया जाना है ,

(3) कुछ अपीलें इस लिए लम्बित रखी गई हैं कि मिलते जुलते मुद्दे न्यायालयों में निपटाए जाने के कारण लम्बित हैं ;

(4) 50,000 रुपए से अधिक शास्तियों वाली अपीलों के संबंध में दो सदस्यीय बैंचों के गठन में बहुत अधिक समय लग जाता है । ये बैंचें गठित की जाती हैं और बोर्ड के सदस्यों, पक्षकारों तथा उनके काउन्सेल की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन मामलों की सुनवाई तारीख नियत की जाती है ।

एस० एस० सी० इंजीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता

6859. **डा० म० यू० प्राजमी :** क्या विधि, और न्यय कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० एस० सी० इन्जीनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्ट्स लिमिटेड कलकत्ता अपना नाम बदल कर ए० एस० सी० इन्जीनियर्स एण्ड अलाईड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड रखने की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या 'संस्था के अन्तर्नियमों और 'संस्था के ज्ञापन' में भी परिवर्तन किया गया है ,

(ग) उक्त कम्पनी के निदेशक मंडल का गठन क्या है, इसके यदि साम्य और अधिमान्य शेयर हों तो उनकी संख्या एवं मूल्य क्या है, प्रत्येक निदेशक के नाम कितने शेयर हैं और इसके पूर्णकालिक निदेशकों की संख्या कितनी है, उनके पारिश्रमिक आदि क्या हैं ;

(घ) क्या कम्पनी कानून के उपबन्धों के अनुसार समय पर विवरणियां दायर नहीं कर रही है ; और

(ङ) कम्पनी द्वारा किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है और गत तीन वर्षों में इसका कुल व्यापार कितनी राशि का था ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) कम्पनी ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 173 के अनुसरण में स्पष्टीकारी विवरण में बताया कि उसने ऐसा अनुभव किया है कि इसके विद्यमान नाम, यथा, "ए० एस० सी० इंजीनियरर्स एण्ड कन्सल्टेन्ट्स लिमिटेड" से, जो लोग उसके साथ संव्यवहारित हैं, उनके ध्यान में, तथा जन साधारण के ध्यान में भी यह अभिव्यक्ति होती है कि यह केवल इंजीनियरी परामर्शी सेवाओं की ही व्यवस्था करती है । कम्पनी के निदेशक मंडल की राय में यह अभिव्यक्ति भ्रामक है तथा इसे कम्पनी ने "ए० एस० सी० इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्ट्स लिमिटेड" से "ए० एस० सी० इंजीनियर्स एण्ड अलाईड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड" नाम परिवर्तित करके ठीक कर लिया था, क्योंकि कम्पनी के मुख्त उद्देश्यों में संयत्रों का स्थापित करना भी सम्मिलित था तथा कम्पनी ने भारत तथा बाहर के देशों में संयंत्रों स्थापित करने का प्रस्ताव किया था । कम्पनी द्वारा नाम परिवर्तन के लिए दिया गया औचित्य, तर्क संगत समझा गया था, एवं नाम परिवर्तन का अनुमोदन कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 21 के अन्तर्गत, दिनांक 12 दिसम्बर, 1978 को प्रदान किया गया थां । संस्था के अन्तर्नियमों तथा ज्ञापन में भी नमुचित संशोधन कर दिया गया है ।

(ग) इस कम्पनी का प्रबन्ध, निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, तथा इस कम्पनी के निदेशकों के नाम, एवं प्रत्येक निदेशक द्वारा धारित साम्य हिस्सों तथा अधिनियम हिस्सों का मूल्य, और साथ ही पूर्ण कालिक निदेशकों की संख्या व उनका पारिश्रमिक आदि निम्न प्रकार है :

निदेशकों के नाम	10 रु० की दर के धारित साम्य हिस्से	10 रु0 की दर के धारित अधिमान हिस्से
1. श्री एम० एल० मित्तल अध्यक्ष अध्यक्ष	20	200
2. श्री मद्दी सुदर्शनम	×	×

3. श्री एस० के० चक्रवर्ती	×	×
4. श्री आर० के० चौधरी	10	×
5. श्री एम० गोइन्का	50	×
6. श्री एल० एन० मित्तल	20	100
7. श्री के० के० दामानी	×	×
8. श्री पी० के० मित्तल	21,00	100
9. श्री बी० के० मित्तल	20,050	×

कम्पनी के 30-4-79 तक के नवीन-तुबन-पत्र के अनुसार, इस कम्पनी में कोई पूर्ण-कालिक निदेशक तहीं था। किसी भी निदेशक ने कोई पारिश्रमिक नहीं लिया था, परन्तु 2,900 रु० तथा 61,233 रु० की राशि निदेशकों को कमशः निदेशक शुल्क तथा यात्रा व्यय के रूप में दी गई थी।

(घ) कम्पनी कानून के उपबन्धों के अनुसरण में अपनी विवरणियां प्रस्तुत कर रही है।

(ङ) कम्पनी के मुख्य उद्देश्य. लोहा तथा इस्पात संस्थापकों, मैकेनीकल, इंजीनियरों व धातुओं के निर्माण कर्ताओं, वाइल्डर बनाने वालों, मिलराइट, मैकनिस्ट, लोहा तथा इस्पात परिवर्तकों, लकड़ी के काम करने वालों, विद्युतीय इंजीनियरों, गैस बनाने वालों, फर्मर, मुद्रक आदि का व्यापार करना है। इस कम्पनी का गत तीन वर्षों का कुल व्यापारावर्त निम्न प्रकार था :

वर्ष	व्यापारावर्त
21-10-76 के तुलन-पत्र के अनुसार	कुछ नही
9-11-77 के तुलन-पत्र के अनुसार	40.14 लाख रु०
30-4-79 के तुलन-पत्र के अनुसार	50.65 लाख रु०

महाराष्ट्र में विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की मासिक आवश्यकता

6860. **श्री रामकृष्ण मोरे** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में विद्युत संयंत्रों के लिए कितने कोयले की मासिक आवश्यकता होती है ;

(ख) गत तीन महीनों के दौरान कितना कोयला सप्लाई किया गया ;

(ग) विद्युत गृहों को कोयले की कम सप्लाई किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा विद्युत गृहों की उनकी जरूरत के मुताविक कोयला सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि राज्य में बिजली की सप्लाई बीच-बीच में न रुके ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) अप्रैल से जून 1980 तक के पिछले तीन महीनों के दौरान महाराष्ट्र में ताप विद्युत संयंत्रों की कोयले की आवश्यकता

(आवंटन), वास्तविक प्राप्ति तथा इसके उपभोग को दिखाने वाला विवरण उपाबंध में दिया गया है।

(ग) आवंटन की तुलना में कोयले की सप्लाई में कमी का मुख्य कानण रेल तथा सड़क द्वारा कोयले की पर्याप्त ढुलाई न होना है।

(घ) महाराष्ट्र सहित देश में विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों की कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें निम्नांलिखित उपाय शामिल हैं :

(ग) कोययला कम्पनियों और रेलवे से कहा गया है कि विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में वृद्धि करें।

(2) कोयला विभाग, रेलवे और विद्युत विभाग के बीच के घनिष्ठ सम्पर्क रखा जा रहा है और विद्युत संयंत्रों की कोयले की सप्लाई को समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय अन्त: मंत्रालयीय बैठकें भी समय-समय पर पर की जाती हैं।

(3) ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई की मानीटरिंग, मंत्रिमण्डलीय औद्योगिक अवसंरचना समिति द्वारा भी साप्ताहिक आधार पर की जा रही है।

(4) विद्युत केन्द्रों की दैनिक आधार पर कोयले की सप्लाई की मानीटरिंग करने के लिए रेलवे बोर्ड में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है।

विवरण

अप्रैल, 1980 से जून, 1980 तक की अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य में ताप विद्युत केन्द्रों के संबंध में स्थायी कोयला लिंकेज समिति के कोयले के आबटन, वास्तविक प्राप्ति तथा उपभोग को दिखाने वाला विवरण।

(आंकड़े हजार टन में)

क्र० सं०	ताप विद्युत केन्द्र का नाम		4/80	5/80	6/80	जोड़	अभ्युक्ति
1.	मुसावल	आ०	80	80	80	240	
		प्रा०	42	61	55	158	
		उ०	45	59	56	160	
2.	खापरखेड़ा	आ०	30	30	30	90	
		प्रा०	35	33	28	96	
		उ०	27	28	28	83	
3.	कोराडो	आ०	220	220	220	660	
		प्रा०	221	211	209	641	

		उ०	203	184	187	574
4.	नासिक	आ०	160	160	160	480
		प्रा०	110	138	120	368
		उ०	115	132	112	359
5.	पारस	आ०	40	40	40	120
		प्रा०	29	35	39	103
		उ०	30	39	40	109
6.	पारली	आ०	35	35	35	105
		प्रा०	22	30	24	76
		उ०	24	27	30	81
7.	बल्लारशाह	आ०	10	10	10	30
		प्रा०	7	7	8	22
		उ०	8	7	8	23
8.	ट्राम्बे	आ०	शून्य	शून्य	शून्य	— तेल/गैस पर
		प्रा०	2	—	—	2 प्रचलित
		उ०	—	—	—	—
9.	चोला	आ०	25	25	25	75 केन्द्रीय
		प्रा०	19	20	17	56 रेलवे का
		उ०	18	19	21	58 बिजली घर

कुल जोड़ आ० 1800
प्रा० 1522
उ० 1447

'आ०'—आवंटन
'प्रा०' —प्राप्ति
'उ०'— उपभोग

डा० राजेन्द्र प्रसाद पर फिल्म

6861. श्री राम विलास पासवान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत प्रथम राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद के जीवन का चित्रण करने वाली किसी फीचर फिल्म का निर्माण सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस क्षेत्र में, कब और कितनी लागत पर किया गया है और प्रदर्शन के लिए यह फिल्म कब रिलीज होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) और (ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि डा० राजेन्द्र प्रसाद के जीवन को चित्रित करने वाली कोई फीचर फिल्म निजी क्षेत्र में बनाई गई है। तथापि, फिल्म प्रभाग ने स्वतन्त्र निर्माताओं से "देश रत्न राजेन्द्र प्रसाद" नामक एक डाकुमेंट्री फिल्म (811 मीटर) खरीदी है। निर्माताओं को फिल्म के सभी अधिकारों के लिए 1,74,557.57 रुपए का भुगतान किया गया था। फिल्म प्रभाग ने सिनेमा घरों में रिलीज करने के प्रयोजन से फिल्म का 494 मीटर लम्बा लघु रूपान्तर तैयार किया है। फिल्म को 15 अगस्त, 1980 को रिलीज करने का कार्यक्रम है।

हाल ही में सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई कोयला खानों की संख्या

6862. **श्री राम विलास पासवान** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये नवीनतम निर्णय के अनुसार हाल ही में सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई कोयला खानों की संख्या कितनी है;

(ख) इन कोयला खानों पर कितने दिनों तक लोगों का कब्जा रहा था;

(ग) इस अवधि के दौरान कितने मूल्य का कोयला निकाला गया था और बेचा गया था; और

(घ) उनसे धनराशि वसूल करने के लिये क्या प्रबंध किये गये हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) हाल में ही न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के फलस्वरूप गैर-कानूनी ढंग से किए जा रहे कोयले के खनन कार्य रोक दिए गए थे अभी हाल में सरकार ने किसी कोयला खान का अधिग्रहण नहीं किया।

(ख) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पोंग बांध का निर्माण

6863. **श्री निहाल सिंह** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोंग बांध के निर्माण के लिए अधिकारियों द्वारा केवल 1410 फुट के स्तर तक में पड़ने वाले क्षेत्र में भूमि और भवन अपने अधिकार में ले लिये गये हैं और विस्थापितों को प्रतिपूर्ति राशि अदा कर दी गई है;

(ख) क्या कुछ ऐसे विस्थापित व्यक्ति भी हैं जिनके भवन अंशत: बांध के अन्तर्गत आते हैं और विस्थापितों के पास जो भाग बाकी है वह पानी रिसने के कारण इतना क्षतिग्रस्त हो गया है कि उसकी मरम्मत नहीं हो सकती और उसे खतरनाक तथा रहने के अयोग्य घोषित किया गया है;

(ग) क्या बांध के आस-पास की अन्य इमारतों को भी बुरी तरह क्षति पहुंची है यद्यपि वे इस परियोजना के अधीन नहीं आती और उनकी नींव इतनी कमजोर हो गई है कि वे खतरनाक और रहने के आयोग्य हो गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या ऊपर भाग (ख) और (ग) में वर्णित प्रभावित व्यक्तियों को कोई प्रतिपूर्ति राशि को देने का विचार है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) : जी, हां ।

(ख) ऐसा कोई मामला परियोजना प्रशासन की जानकारी में नहीं है ।

(ग) और (घ) : क्षमेता ग्राम में चार ऐसे मामले हैं, जिनकी क्षति पहुंचने के सम्बन्ध में अवलोकन परियोजना प्रशासन द्वारा किया जा रहा है । यह क्षति प्राकृतिक कारणों से हो सकती है या ब्यास जलाशय में पानी के स्तर में वृद्धि के कारण हो सकती है । जलाशय में पानी की वृद्धि के कारण क्षति पहुंचने का यदि कोई मामला पाया जाएगा तो उसे अधिगृहीत कर लिया जाएगा और भुगतान किया जाएगा ।

उड़ीसा में मध्यम दर्जे की और बड़ी सिंचाई परियोजनाएं

6864. श्री गिरिधर गोमाँगो : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली योजना के समय से उड़ीसा में किन-किन मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर काम चल रहा है;

(ख) इन परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए उक्त राज्य द्वारा योजनावार कौन-कौन सी मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं;

(घ) उनमें से किननी समय पर पूरी हो गई हैं; और उक्त परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) उस राज्य द्वारा जो छठी योजना तैयार की जा रही है उसमें मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए उस राज्य द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) (क) महानदी डेल्टा परियोजना ही एक ऐसी वृद्ध सिंचाई परियोजना है जो पहली योजना से अभी तक निर्माणाधीन है । परन्तु, 1981-82 तक सभी पहलुओं से इसके पूरा होने की संभावना है ।

(ख) से (घ) पूरी हो चुकी और निर्माणाधीन वृद्ध और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का योजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) परियोजनाओं के लिए पर्याप्त राशि का आंवटन न किया जाना ।

(2) राज्यों द्वारा निर्माण के लिए बहुत-सी परियोजनाएं हाथ में ले लेना जिससे वित्तीय,

प्रबंधकीय तथा तकनीकी साधन बंट जाते हैं।

(3) निर्माण सामग्री, मजदूरी, उपकरणों, भूमि आदि की लागतों में समूचे तौर पर वृद्धि हो के जाने कारण लागतों में अत्यधिक वृद्धि।

(4) परियोजनाओं को हाथ में लेने से पहले भली-भांति अन्वेषण न किया जाना।

(5) अपर्याप्त आयोजन के कारण क्रियान्वयन के दौरान परियोजनाओं के स्कोप में परिवर्तन।

(6) निर्माण आयोजन तथा मानीटरिंग संगठनों की कमी।

(7) वितरण प्रणालियों और उसकी संरचनाओं की विस्तृत योजनाओं और प्राक्कलनों का अभाव।

(8) भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयां।

(9) निर्माण-कार्य के दौरान अप्रत्याशित समस्याएं।

(10) दुलर्भ सामग्रियों की अनुलब्धता।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) को तैयार करते हुए 650 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है ताकि 1951 से जून, 1980 तक सृजित एक मिलियन हेक्टेयर की क्षमता कीं तुलना में योजना-अवधि में 0.3 मिलियन हेक्टेयर का अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की जा सके।

विवरण

उड़ीसा राज्य में योजना वार पूरी हो चुकी और निर्माणाधीन बृहद और मध्यम योजनाएं

क्रम संख्या	पूरी हो चुकी परियोजनाएं	निर्माणाधीन परियोजनाएं
पहली योजना	1. हीराकुड चरण I तथा (बृहद)	महानदी डेल्टा (बृहद)
दूसरी योजना		
1. धनायें		
2. देरजंग		
3. गोडोहाडा		
4. सालिया		
5. साल्की		
तीसरी योजना		
1. पितामहल		

2. बहूडा
3. उतैय
4. बृद्ध-बुद्धयानी
5. हीराधरबती

वार्षिक योजना (1966-69)

1.	बधुआ देहूरवा

चौथी योजना

1.	आनन्द पुर बांध (बृहद)
2.	ओंग
3.	सुंदेर
4.	सत्थपाला
5.	कालो
6.	दादराधाटी

पांचवीं योजना

1.	रेंगाली
2.	अपरकोलाब (बृहद)
3.	अपरइन्द्रावती (बृहद)
4.	महानदी बिरुपाबांध (बृहद)
5.	खड्ड काय
6.	दारुर
7.	रासा
8.	पिलासालकी
9.	दमरबासी
10.	बोमाये
11.	बुनोये
12.	धमासंडी बरण
13.	पुहली
14.	गोहीरा
15.	रमयाला
16.	कुनरिना
17.	सटाफोरह
18.	झाराबंध
19.	कलासारा

छठी योजना	
1.	हीराभंगी
2.	कम्भारी
3.	हरिहरखोरी
4.	अपरसकतल
5.	अधुआराज्य
6.	बांदीपिपली

डंगरपु श्रौर बाँसवाड़ा के जनलातीय जिलों में ग्रामीण विद्युतीयकरण योजनाएं

6865 श्री भीखाभाई : क्या उर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान विद्युत बोर्ड के ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में डुंगग्पुर और बाँसवाड़ा के जनजातीय जिलों को किसी प्रकार की प्राथमिकता नहीं दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में उक्त वोर्ड को कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए गए हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या इस वोर्ड के अधिकारियों को अनुसूचित क्षेत्रों और उप-योजना जनजातीय क्षेत्रों तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रों के बीच विद्यमान की जानकारी है ; और

(च) यदि हा, तो ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों में अनुसूचित जनजानतीय क्षेत्रों की विद्युतीकरण योजनाओं को सम्मिलित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) और (ख) डूंगरपुर और बांसवाड़ा के दो जिलों में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को बढ़ावा देने के मामले को राजस्थान राज्य विजली बोर्ड ने निश्चय ही प्राथमिकता दी है ।

(ग) और (घ) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें को जिनमें जन जातीय क्षेत्र भी शामिल हैं, हाथ में लेने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम ने आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं, जिनमें अन्य वातों के साथ-साथ स्कीमों के व्यवहार्यता सम्बन्धी मानदण्ड तथा शर्तें दी गई हैं । वास्तविकता यह है कि निगम, जनजातीय क्षेत्रों की स्कीमों के लिए उदार शर्तों पर ऋण देता रहा है ।

(ङ) राजस्थान राज्य में सभी अनुसूचित क्षेत्रों को जनजातीय उप-योजना में शामिल कर लिया गया है । घोषित किए गए अनुसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त, उप-योजना के क्षेत्रों में ऐसे गैर अनुसूचित क्षेत्र भी शामिल हैं जिनमें जनजातीय आबादी घनी है । डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले, कुछ कस्बों और गांवों को छोड़कर, अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल हैं ।

(च) अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों/जनजातीय उपयजोना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली कई स्कीमें राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने ग्राम विद्युतीकरण निगम को भेजी हैं। इनमें से, 13 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जनजातीय जिलों के लिए हैं। ये दोनों जिले अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत भी आते हैं। निगम ने बांसवाड़ा जिले में 9 स्कीमें स्वीकृत की हैं जिसके अंतर्गत 519 नए गांव शामिल हैं तथा डुंगरपुर जिले में 3 स्कीमें स्वीकृत की हैं जिसके अंतर्गत 231 नए गांव शामिल हैं।

सिन्धी समाचार बुलेटिनों के समय में परिवर्तन के लिए अनुरोध

6866. भगवान देव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आकाशवाणी से सिन्धी भाषा में प्रसारित किये जाने वाले समाचार बुलेटिनों के समय में इस आधार पर परिवर्तन किये जाने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि समाचार बुलेटिन ऐसे समय प्रसारित किये जाते हैं जब लोग अकसर उन्हें नहीं सुन पाते; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन समाचार बुलेटिनों को प्रातः और सायं 8 और 9 बजे के बीच प्रसारित करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) सिंधी बुलेटिनो, जो इस समय प्रातः 8.40 बजे से 8.50 बजे तक और सायं 6.15 बजे से 6.25 बजे तक प्रसारित किये जाते हैं, के समय में परिवर्तन करने के लिए कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

तकनीकी अधिकारियों के अधीन काम कर रहे रेडियो स्टेशन

6867. भगवान देव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला रेडियो स्टेशन एक तकनीकी अधिकारी के अधीन काम कर रहा है ;

(ख) देश में तकनीकी अधिकारियों के अधीन काम कर रहे रेडियो स्टेशनों की संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या सरकार प्रसारण की दृष्टि से यह आवश्यक समझती है कि रेडियो स्टेशन का संचालन कार्यक्रमों के प्रसारणों से संबधित किसी अधिकारी के अधीन होना चाहिए ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां। आकाशवाणी के शिमला केन्द्र के कार्यालय प्रमुख प्रभारी इंजीनियर हैं।

(ख) तीस।

(ग) किसी अकाशवाणी केन्द्र में कार्यालय प्रमुख की घोषणा करने के लिए प्रत्पेक मामले पर निर्णय उस कार्यालय की कार्यात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा किया जाता है।

शिमला स्थित रेडियो स्टेशन की क्षमता

6898. **भगवान देव : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिमाचल प्रदेश में शिमला रेडियो स्टेशन की क्षमता बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो शिमला रेडियो स्टेशन की क्षमता कब तक बढ़ाये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) (क) और (ख) आकाशवाणी का शिमला केन्द्र पहले से ही 100 कि० वा० मीडियम वेव के उच्च शक्ति वाले एक ट्रांसमीटर से सुसज्जित है । इस ट्राँसमीटर की शक्ति को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । शिमला में 2.5 कि० वा० शार्टवेव का एक ट्रांसमीटर भी कार्य कर रहा है । इस ट्रांसमीटर की शक्ति को बढ़ाकर 50 कि० वा० करने के प्रस्ताव को पंचवर्षीय योजना 1980-85 में शामिल करने के बारे में विचार किया जा रहा है । इस स्कीम का कार्यान्वयन "योजना" की स्वीकृति, संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा ।

सिंदरी कारखानें को कोयला ले जाने में परिवहन शुल्क

6870. **श्री ए० के० राय : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि कुछ एक ही परिवहन ठेकेदार तसरा और अन्य कोयला खानों से भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी कारखाने को कोयला ले जाने की उल्लिखित निम्नतम दरों की तुलना में अधिक दरों पर कोयला ले जाने का काम कर रहे हैं, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि ठेकेदारों की सुविधा के लिए भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी कारखाने के प्रबंधक दूरस्थ कोयला खानों से कोयला ले रहे हैं और इस प्रकार तसरा स्थिति निकट के कोयलाखान, जिसे विशेषकर कोयला लिये जाने के लिए चुना है, से कोयला न लेकर इसके परिवहन पर अधिक व्यय कर रहे हैं, और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) वर्ष 1980 के लिए फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया ने कोयले के परिवहन हेतु उन चार पार्टियों को ठेके दिये हैं जो विभिन्न दूरी स्तरों में निम्नतम टेंडर दरों पर कार्य करने को सहमत थीं ।

(ख) और (ग) सिंदरी अपने कोयले की सप्लाई, भारत कुकिंग कोल लि० (बी. सी. सी. एल.) की कोलरीज से प्राप्त करता है । सिंदरी आधुनिकीकरण संयंत्र को कोयले की सप्लाई के लिए तसरा खान एक जुड़ा हुआ कोलरी है । चूंकि इस कोलरी में एक श्रमिक आन्दोलन चल रहा था, एफ. सी. आई. के सिन्दरी यूनिट कोयला, बी. सी. सी. एल. द्वारा प्रस्तावित अन्य श्रोतों से उठाना पड़ता था ।

पटना में गैस की कमी

6871. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक संसद सदस्य ने बिहार की राजधानी पटना शहर में गैस की कमी के संबंध में उन्हें एक पत्र लिखा है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 12.6.1980 के पत्र का संबंध पटना में गैस की कमी और वितरकों, विशेषकर एस० के० ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा भ्रष्टाचार से है।

(ग) बरौनी शोधनशाला के बन्द होने से तरल पेट्रोलियम गैस की अनुपलब्धता के कारण पटना शहर में सप्लाई आर्डर बकाया पड़े हुए हैं। संभव सीमा तक हल्दिया शोधनशाला से उत्पाद उठाने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। वितरकों के विरुद्ध शिकायतों की जाँच की जा रही हैं।

सिथेटिक फाइवर मैन्युफैक्चर्स एसोसियेशन से ज्ञापन

6872. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिथेटिक फाइवर मैन्युफैक्चर्स एसोसियेशन ने सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिससे उनकी वर्तमान पालिस्टर फिलामेंट यार्न की क्षमता का विस्तार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इस समय पालिस्टर फिलामेंट यार्न निर्मात्री फर्म की वर्तमान क्षमता को पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(घ) क्या इस उद्योग को कुछ ही लोग चला रहे हैं और यह अत्यधिक लाभ अर्जित करने वाला उद्योग है ; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र में पालिस्टर फिलामेंट यार्न का निर्माण करने के लिए यदि कोई प्रयास किया गया है तो वह क्या है ?

पेट्रोलियम और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न के तीन निर्माताओं से एक संयुक्त ज्ञापन इस संबंध में प्राप्त हुआ है।

(ख) इस ज्ञापन में निवेदन किया गया है कि वर्तमान पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न निर्माताओं को आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य पैमाने तक विस्तार करने की स्वीकृत दी जानी चाहिए।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) इस समय नौ कम्पनियों को पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न के निर्माण के लिए लाइसेंस दिये गये हैं । गत समय में इस उद्योग की लाभप्रदता अधिक रही है । परन्तु ओ. जी. एल. के अन्तर्गत इस यार्न के आयात एवं प्रतियोगिता के कारण वर्तमान मूल्य इस उत्पाद के उचित विक्रय मूल्य से कोई खास अधिक नहीं है ।

(ङ) भारत सरकार तथा यार्न उपभोक्ताओं की सरकारी समितियों के संयुक्त उद्यम, पेट्रोफिल्स को-आपरेटिव लि० ने बड़ौदा में पहले ही 3500 मी. टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न प्लांट की स्थापना की है । यह क्षमता 7000 मी. टन प्रति वर्ष बढ़ाई जा रही है ।

राजस्थान में दाऊदी बोहरा कालोनी का निर्माण

6873. श्री भीखा भाई : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माही और कडाणा परियोजनाओं के निर्माण के कारण डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से विस्थापित हुए लोगों को अपनी नई कालोनी बनाने के लिए सीमेंट और इस्पात की पर्याप्त और समय पर सप्लाई नहीं मिल रही है ;

(ख) क्या उपरोक्त सिंचाई परियोजनाओं के मुख्य अभियंता ने राजस्थान सरकार से गलियाकोट बोहरा कोलोनी के स्थान पर नई बोहरा कालोनी के निर्माण के लिए सीमेंट और इस्पात के विशेष कोटे आबंटन के लिए सिफारिश की थी ;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या दाऊदी बोहरा कालोनी के निर्माण की गति बहुत धीमी है ; और

(ङ) क्या पगालियाकोट के निवासियों को बेदखली के नोटिस दिए जा रहे हैं जबकि नई कालोनी अभी बन कर पूरी होनी है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) से (ङ) : कडाना और माही बजाजसागर बांधों की डूब से विस्थापित हुए व्यक्तियों के लिए राजस्थान सरकार और राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड ने सगवाड़ा और बांसवाड़ा में कालोनियों का निर्माण किया है जहां आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं । परन्तु कडाना जलाशय की डूब के अन्तर्गत आने वाले गलियाकोट शहर के दाऊदी बोहरा समुदाय के 300 परिवारों ने राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नई कालोनियों में बसने से इन्कार कर दिया था । इन परिवारों के अनुरोध पर उन्हें दरगाह के निकट जुई तलाई कालोनी में आवासीय भू-खण्ड आवंटित किए गए थे । विस्थापित परिवारों द्वारा इस कालोनी में मकान बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है । उन्होंने अक्तूबर, 1978 में राज्य सरकार से सीमेंट का विशेष कोटा देने का अनुरोध किया था । राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस्पात के आबंटन के लिए इन परिवारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया था । जिला प्रशासन द्वारा

सिविल कोटे में से उन्हें सप्लाई किए गए सीमेंट के अलावा राज्य सरकार द्वारा सितम्बर, 1979 में उन्हें 300 मीट्रिक टन सीमेंट आवंटित किया गया है।

सूचित किया गया है कि इन मकानों के निर्माण की प्रगति इस कारण धीमी है कि राज्य सरकार की इस सलाह को मानकर कि घरों का निर्माण चूने के मसाले से किया जाए, वे बड़े-बड़े मकान बना रहे हैं जिनके लिए सीमेंट की काफी अधिक मात्रा की आवश्यकता है और सीमेंट की सप्लाई कम है।

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गलियाकोट के 850 विस्थापितों को गलियाकोट शहर खाली करने के नोटिस दिए गए हैं क्योंकि उनकी सम्पत्तियां पहले ही अधिगृहीत की जा चुकी हैं ओर उन्हें उनका मुआवाजा और रहने के वैकल्पिक स्थान दे दिए गए हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय के 300 परिवारों के पास दरगाह में और उनके समुदाय की सम्पत्ति में भी, जो ऊंचे स्थान पर स्थित है, रहने का वैकल्पिक प्रबन्ध है। चूंकि कडाना जलाशय में जल-संचय के कारण गलियाघाट शहर के इस वर्ष जलमग्न होने की सम्भावना है इसलिए प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से स्थान खाली करने के लिए कहा गया है।

अनिर्णीत पड़े मामलों के लिए एडवोकेट

6874. श्री मूल चन्द डागा . क्या विधि, न्याय और कम्पनी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे सिविल मामलों तथा अन्य आयकर अधिनियम, उत्पादन शुल्क अधिनियम तथा लवण अधिनियम के मामलों की संख्या कितनी है जिन पर विभाग द्वारा इस समय कार्यवाही की जा रही है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये सर्वोच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय के पास कब से अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) सरकारी एडवोकेटों के अलावा सरकार द्वारा इन मामलों के सम्बन्ध में नियुक्त किये गए एडवोकेटों के नाम क्या हैं, और उन्हें क। नियुक्त किया गया था तथा उन्हें अब तक पारिश्रमिक की कितनी राशि दी गई है और इस सम्बन्ध में कितनी राशि बकाया है; और

(ग) अन्य अतिरिक्त एडवोकेटों को नियुक्त किये जाने का औचित्य क्या है जब सरकारी एडवोकेट तथा अन्य अधिकारी नियुक्त किये गए हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) :

(1) उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामलों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(2) राजस्थान उच्च न्यायालय में जो मामले होते हैं उनकी देखभाल सीधे ही सम्बन्धित विभागों द्वारा की जाती है। इसलिए इस विभाग के पास उसका कोई अभिलेख नहीं है।

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तथा जौनपुर में उर्वरक कारखाने की स्थापना

6875. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **पेट्रोलियम** तथा **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश के लिए पहले ही स्वीकृत चार उर्वरक कारखानों में से एक कारखाना गाजीपुर अथवा जौनपुर में स्थापित करने का विचार कर रही है ।

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित उर्वरक कारखानों के बारे में वास्तविक स्थानों के बारे में चयन किया जाना है ।

गुजरात में सिंचाई बांधों को पुन: तैयार करने (रिमार्डलिंग के लिये केन्द्रीय सहायता)

6876. श्री अमर सिंह वी० राठवा : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि :**

(क) क्या गुजरात राज्य ने हाल की भारी वर्षा और बाढ़ को दृष्टि में रखते हुए सिंचाई बांधों और सड़कों को पुन: तैयार करने हेतु राज्य की सहायता करने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है, क्योंकि इन बांधों का निर्माण गत 100 वर्षों से हो रही कम औसत वर्षा के अनुकूल किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) केन्द्र को गुजरात सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तेल का उत्पादन

6877. **श्री सत्य नारायण जाटिया :** क्या **पेट्रोलियम** तथा **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल की खाड़ी में तेल के कुछ नये भण्डार मिले हैं और यदि हाँ, तो इनसे कितना तेल मिलने की सम्भावना है ;

(ख) बम्बई हाई से कितना तेल मिल रहा है और गत पांच वर्षों के दौरान, वर्षवार वहां से कितना तेल प्राप्त हुआ है; और

(ग) ऐसे देशों के नाम क्या है जहां से मांग और देशीय उत्पादन के बीच अन्तर को आयात करके पूरा किया जायेगा ।

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां । इस खोज के सम्बन्ध में एक विवरण-पत्र सभा पटल पर 26-6-1980 को प्रस्तुत किया गया है । जैसाकि विवरण-पत्र में उल्लेख किया गया था, इस क्षेत्र की सक्षमताओं तथा इसकी व्यापारिक उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिए कुछ और कुओं की खुदाई की जायेगी । दूसरे कुएं की खुदाई का काम

11 जुलाई, 1980 को शुरू किया गया है। इस क्षेत्र का पूरी तरह मूल्यांकन किये जाने के पश्चात् ही पता चलेगा।

(ख) मई, 1976 से बम्बई हाई से व्यापारिक उत्पादन के आरम्भ होने से इस क्षेत्र से उत्पादित तेल की वर्षवार मात्रा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादित खनिज/तेल (मि. मी. टनों में)
1976-77	0.41
1977-78	2.07
1978-79	3.31
1979-80	4.42

(ग) वर्तमान में, निम्नलिखित देशों से कच्चे तेल का आयात किया जा रहा है :—

1. ईराक, 2. ईरान, 3. सऊदी अरब, 4. संयुक्त अरब अमीरात, 5. नाइजीरिया, 6. यु० एस० एस० आर०।

गुजरात राज्य में घरेलू गैस कनेक्शन

6878. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में, जिलावार, घरेलू गैस कनेक्शनों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या गुजरात राज्य में गैस कनेक्शनों के लिए कोई आवेदन-पत्र विचाराधीन है ;

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और गुजरात राज्य में गैस कनेक्शन मंजूर करने के लिए अपनाये गए मानदंड क्या हैं ; और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कोई तरजीह दी गई है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

पेट्रोलियम रासायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) ; (क) गुजरात राज्य में घरेलू गैस कनेक्शनों की जिला-वार स्थिति निम्न प्रकार हैं :

जिले का नाम	30-6-80 को इंडियन आयल कार्पोरेशन	31-5-80 को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	30-6-80 को भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
1. सूरत	15,586	25,170	8,890
2. खेड़ा	—	11,292	—
3. वालसाड (वलसार)	—	13,740	9,90
4. अहमदाबाद	89,224	—	19,22

5. अमरेली	1,471	—	—
6. बड़ौदा (वडोदरा)	25,432	7,065	7,349
7. भरूच	4,978	—	1.758
8. भावनगर	11,875	—	—
9. गांधीनगर	4,099	—	—
10. जामनगर	10,328	—	—
11. जूनागढ़	11,086	—	—
12. कैरा	8,151	—	6,577
13. कच्छ	5,186	—	—
14. पंचमहल	6,145	—	—
15. राजकोट	25,199	—	—
16. सुरेन्द्र नगर	4.407	—	—
17. मेहसाना	—	—	3,107
18. बनासकांठा	—	—	471
	2,23,167	57,267	57,281

(ख) और (ग) गुजरात राज्य में प्रतीक्षा-सूची पर दर्ज व्यक्तियों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :—

इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड	44,590	30-6-80 को
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	94,473	30-6-80 को
हिन्दुस्तान पेट्रोट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	91,600	31-12-79 को
	2,30,663	

समय-समय पर इस उत्पादन की उपलब्धता के आधार पर वितरकों के पास प्रतीक्षा-सूची में दर्ज आवेदकों को उनकी बारी आने पर ही आमतौर पर नये गैस कनैक्शन दिये जाते हैं।

(घ) जी, नहीं।

चलचित्र निर्माण के लिये राष्ट्रीय फिल्म वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण

6879. श्री राम विलास पासवान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म वित्त निगम चलचित्र निर्माण के लिए साढ़े तीन लाख रु० से साढ़े चार लाख रु० तक का ऋण देता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय के पास ऋण की राशि में वृद्धि करने का कोइ प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को पता है कि चलचित्र निर्माण में काम आने वाली नेगेटिव और पाजीटिव फिल्मों तथा अन्य सामग्री के मूल्यों में वृद्धि के कारण चलचित्र निर्माताओं के लिए ऋणों की वर्तमान धनराशि से उद्देश्यपूर्ण चलचित्रों का निर्माण करना कठिन हो गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जिसके साथ फिल्म वित्त निगम और भारतीय चलचित्र निर्यात निगम का 14-4-80 को समामेलन किया गया था, फिल्में बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए तथा 5 लाख रुपए के बीच ऋण प्रदान करता है जो फिल्म की गेज और रंग पर निर्भर करता है ।

(ख) और (ग) : इस प्रयोजन के लिए ऋण की राशि बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में सरकार को सलाह दी गई है । मामले पर राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा विचार किया जाएगा ।

भारतीय जड़ी बूटियों से जीवन रक्षक औषधियों का निर्माण किया जाना

6880. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित मुख्यालयों वाली उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या हैं ? जिनको भारतीय जड़ी बूटियों से जीवन रक्षक औषधियों का निर्माण करने की अनुमति दी गई है ।

(ख) क्या पूर्ण रूप से भारतीय व्यक्तियों वाली कम्पनियों अथवा फर्मों को भी भारत में इन औषधियों के निर्माण करने की अनुमति है ।

(ग) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ।

(घ) क्या सरकार का विचार उन भारतीय कम्पनियों को प्रोत्साहन देने के लिए, जिनको बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ असमान प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है, देश से जड़ी बूटियों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का है ।

(ङ) यदि हां, तो यह कदम कब तक उठाया जाएगा, और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) भारतीय जड़ी-बूटियों से जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन में लगी हुई 40 प्रतिशत से अधिक सीधी विदेशी साम्य पूंजी वाली विदेशी कम्पनियों के नाम संलग्न है ।

(ख) और (ग) मेसर्स दि केमिकल, इण्डस्ट्रियल एण्ड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज; बम्बई ही एक ऐसी कम्पनी है जिसमें सभी कर्मचारी भारतीय हैं और जो जड़ी बूटियों से औषधियों के निर्माण में लगी हुई ।

(घ) से (च) देश भर के बाहर जड़ी बूटियों के निर्यात को लागू निर्यात नीति द्वारा नियमित किया जाता है। जड़ी बूटियों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

1. मेसर्स मीबा गांगी आफ इण्डिया लि० बम्बई।
2. मेसर्स वरोज वेल्कम एण्ड कम्पनी (इण्डिया) प्राइवेट लि० बम्बई।
3. मेसर्स ग्लैक्सो लैबोरेअरीज (इण्डिया) लि०, बम्बई।
4. मेसर्स आगेनन (इण्ड़िया) लि० कलकत्ता।
5. मेसर्स रमेश प्रोइक्श लि०; बम्बई।
6. मेसर्स सैन्डोज (इण्डिया) लि०, बम्बई।
7. मेसर्स वैयथ लेबोरेटरीज लि०, बम्बई।
8. मेसर्स हीफन्स लि०, बम्बई।

आदिवासी उप-योजाना क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश

6881 श्री गिरिधर गोमांगों : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) उनके मंत्रालय ने पांचमी योजना में और छटी योजना की वार्षिक योजना में आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में सिंचाई सुविधायें बढाने के बारे में राज्यों तथा संघ क्षेत्रों को क्या नीति निदेश जारी किये हैं :

(ख) किन राज्यों ने सिंचाई विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किये हैं और उन राज्यों की कौनसी मध्यम दर्जे की ओर बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को उप-योजना क्षेत्रों में शामिल किया है :

(ग) पांचमी योजना में और छटी योजना की वार्षिक योजना में प्रत्येक राज्य में कार्यान्वयन के लिए और परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए किन-किन सिंचाई परियोनाओं को लिया जा रहा है ; और

(घ) वर्ष 1979-80 और 1980-81 में आदिवासी उप-योजना की सिंचाई परियोजना के लिए रज्यों ने कितना धन दिया है और उनके मंत्रालय ने कितनी धनराशि दी है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) सचिव, सिंचाई मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, 1977 और अगस्त, 1978 में राज्य सरकरों के सिंचाई सचिवों एवं आदिवासी आयुक्तों के साथ आयोजित की गई वैठकों में निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए थे ;

(1) मध्यम और लघु परियोजनाओं को जिन्हें पूरा किया जा सकता था, तत्काल हाथ में लिया जाना चाहिए।

(2) मध्यम और लघु सिंचाई कार्यों के रख-रखाव में तेजी लायी जानी चाहिए।

(3) आदिवासी क्षेत्रों के लिए अधिकतम संभव जल संसाधनों को निर्धारित किया जाना चाहिए।

(4) आदिवासी क्षेत्रों में वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को 15 वर्षों में और लघु सिंचाई परियोजनाओं को 5 वर्षों के अन्दर पूरा किया जाने की योजना बनाई जानी चाहिए।

(5) मास्टर योजनाओं को उच्च प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए ताकि उपयुक्त समय के अन्दर आदिवासी क्षेत्रों में सिचाई के स्तर को अन्य क्षेत्रों के स्तर तक ले जाया जा सके। रजयों से यह भी अनुरोध किया गया था कि मास्टर योजनाओं को तैयार करने और अन्वेषण करने के लिए यदि उनको कोई विशेष केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी आवश्यकताएं हों तो वे बताएं।

सिंचाई मंत्रालय द्वारा मई, 1980 में राज्य सरकारों से पुन: अनुरोध किया गया कि वे छठी योजना (1980-85) को तैयार करते समय आदिवासी क्षेत्रों की अवश्यकताओं पर विचार करें और इन आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया जाए और आदिवासी क्षेत्रों के सम्बन्ध में उप-योजनाए अलग से तैयार की जाएं ताकि योजना को अन्तिम रूप देते समय इन क्षेत्रों की प्राथमिकताओं को भली प्रकार दर्शाया जा सके।

(ख) अभी तक आन्ध्र प्रदेश, विहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और केरल राज्यों ने मास्टर योजना तैयार की है और उसे प्रस्तुत कर दिया है। आदिवासी क्षेत्रों के हित के लिए तैयार की गई उन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम, जिनसे इन आदिवासी क्षेत्रों का हित आंशिक रूप से अथवा पूरी तरह से होना है, विवरण संख्या-एक में दिए गए हैं।

(ग) सूचना विवरण संख्या-दो में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1225/80]

(घ) राज्यों द्वारा दी गई धनराशि को सूचना विवरण संख्या-तीन में दी गई है। सिंचाई मंत्रालय द्वारा कोई धनराशि नहीं दी गई थी।

बल्क औषधियों के बारे में खर्च की गयी विदेशी मुद्रा

6882. **श्री के. प्रधानी :** क्या पेट्रोलियम तथा **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बल्क औषधियों के आयात के बारे में सरकार द्वारा खर्च की गई विदेशी मुद्रा का ब्योरा क्या है,

पेट्रोलियम रसायन और उर्वक मंत्री (श्री विरेन्द्र पाटील) : आयात नीति के अनुबन्ध 9 में निर्दिष्ट सारणीवृद्धि वल्क औषधों का आयात स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इन्डिया लि०(सी.पी.सी) के माध्यम से किया जाता है जबकि वल्क औषधों का आयात जो

अन्यथा अयात नीति के अन्तर्गत प्राधिकृति है, वास्त विक उपभोक्ताओं द्वारा सीधे या निर्यात हाउसिंग के माध्यम से किया जाता है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए सी०पी०सी० के मध्यम से आयात किए जाने वाले वल्क औषधों पर 23 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा लगने का अनुमान है। अप्रैल,-जून, 1980 की अवधि के लिए वल्क औषध के अयात पर लगी वास्तविक विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

कर्नाटक में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आबंटित राशि

6883. श्री एच० एन० नन्जे गोड
श्री के० लकप्पा : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(ख) कर्नाटक में जिन गांवों में विद्युतीकरण के लिए यह राशि खर्च की जानी है उनका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कर्नाटक राज्य में, समग्र विद्युत सेक्टर योजना के अन्तर्गत ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए 1980-81 के लिए 9.75 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। इसमें ये शामिल हैं :—

	करोड़ रुपए में
1. ग्राम विद्युतीकरण निगम सामान्य कार्यक्रम	3 0
2. संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (आर. एम. एन. पी.)	0.50
3. राज्य का सामान्य विकास कार्यक्रम	6.07
जोड़	9.57

इसके अतिरिक्त, विशेष परियोजना (कृषि) कही जाने वाली पम्प सेटों को ऊर्जित करने की विशेष स्कीमों के वित्त-पोषण हेतु राज्य ग्राभ विद्युतीकरण निगम से भी निधियां प्राप्त कर सकता है।

(ख) 1980-81 के दौरान योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य के 650 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की आशा है। तथापि, इन गांवों के नाम उपलब्ध नहीं हैं जब कभी भी ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें तैयार की जाती हैं, तब इनका निर्धारण राज्य बिजली बोर्ड द्वारा किया किया जाता है।

सूरतगढ़ में आकाशवाणी केन्द्र

6884. **श्री मनफूल सिंह चौधरी :** क्या सूचना प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरतगढ़ (राजस्थान) में आकाशवाणी केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और उस पर कितना व्यय किया गया है ; और

(ख) इसके क्या कारण है कि इस केन्द्र से प्रसारण किया जाना अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) सूरतगढ़ में 10 कि० वा० मीडियम वेव के चलते फिरते ट्रांसमीटर वाले आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना का कार्य लगभग 48.51 लाख रुपए की लागत से पूरा हो चुका है।

(ख) केन्द्र से प्रसारण शुरू करना अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है क्योंकि केन्द्र को चलाने के लिए अपेक्षित अधिकांश कर्मचारी अभी तक नहीं लगे हैं। कर्मचारियों को तैनात करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं और केन्द्र के शीघ्र ही चालू होने की उम्मीद है।

भारत में 26 प्रतिशत से अधिक अंश पूंजी रखने वाली विदेशी औषध कम्पनियां

6885. **श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 26 प्रतिशत से अधिक अंश पूंजी रखने वाली जितनी औषध विदेशी कम्पनियां हमारे देश में काम कर रही है, उनके नाम क्या हैं तथा अंश पूंजी का ब्यौरा क्या है ;

(ख) 1973 की सी. ओ. वी. अधिसूचना के जारी किये जाने के बाद औषध उद्योग की कितनी विदेशी कम्पनियां अभी भी लघु क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य कर रही हैं ; और

(ग) उनके नाम क्या हैं और उनकी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं कि उनको लघु क्षेत्र के अन्तर्गत काम करते रहने की अनुमति की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सिर्फ वे कंपनियां जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक सीधी विदेशी साम्य पूजी कगी है, औषध नीति और विदेशी मुद्रा विनिमन अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी कम्पनियां मानी जाती हैं ऐसी विदेशी कम्पनियों के ब्यौरे इसके साथ विवरण में संलग्न है।

(ख) 40% से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली कोई औषध कम्पनी लघु उद्योग क्षेत्र में काम नहीं कर रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	सीधी विदेशी साम्य पूंजी
1.	मैसर्स सी. ई. फुलफोर्ड (इंडिया) प्रा. लि. बम्बई	100
2.	,, अवोट सेवारेटरीज (इंडिया) लि. वम्बई	100
3.	,, स्मिथ क्लाइन एण्ड फ्रेन्च (इंडिया) लि. बंगलौर	100
4.	,, ज्योफ्रे मैनर्स एण्ड कं. लि. बम्बई	45.00
5.	,, रिवाईसन हिन्दुस्तान लि. वम्बई	55.97
6.	,, हिफेन (इंडिया) लि. बम्बई	50.00
7.	,, वसौ वेलकम एण्ड कं. (इंडिया) लि.	00
8.	,, मै एण्ड वेकर लि. बम्बई	100
९.	,, रोचे प्रोडक्शन लि. बम्बई	89
10.	,, पार्क डैविस (इंडिया) लि. बम्बई	83.33
11.	,, ग्लैक्सो लैव (इंडिया) लि. वम्बई	75
12.	,, जानसन एण्ड जानसन आफ इंडिया लि. बम्बई	75
13.	,, फाइजर लि. वम्बई	75
14.	,, सीवा सीवा गायगी आफ इंडिया लि. बम्बई	65
15.	,, ई. मर्क (इंडिया) प्रा. लि. बम्बई	60
16.	,, मर्क शार्प एण्ड धोमे आफ इंडिया लि. वम्बई	60
17.	,, सैन्डीज (इंडिया) लि. बम्बई	60
18.	,, हैपसट फार्मास्यूटिकल्स लि. बम्बई	50
19.	,, वूलस कम्पनी (इंडिया) वम्बई	58
20.	,, वार्नर हिन्दुस्तान लि. हैदरावाद	50
21.	,, आर्गेनान इंडिया लि. कलकत्ता	46
22.	,, यूनी सैंकीयो लि. हैदराबाद	49
23.	,, बायथ लेवोरटरीज लि. वम्बई	47
24.	,, वेयर (इंडिया) लि. बम्बई	51.57
25.	,, सीनामाइड इंडिया लि. बम्बई	55
26.	,, आल्कती एण्ड कैमिकल्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. कलकत्ता	51.38

विदेशी औषध कम्पनियों को औद्योगिक लाइसेंस

6886. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली विदेशी कम्पनियों को औद्योगिक

लाइसेंस देने के लिए कितने आवेदन पत्र अन्तिम निर्णय के लिए अभी तक विचारीधीन है ;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान उन्होंने किन-किन वल्क औषधि में फार्मूलेशनों के लिए आवेदन पत्र दिया है और इनमें से प्रत्येक कम्पनी का उत्पादन क्या है;

(ग) क्या उन्होंने अनुमोदित मूल्यों के अनुसार मूल्य बताए रखें हैं ; और

(घ) यदि नहीं तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलिय रसायन औ उर्वरक मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 और विदेशी मुद्रा विनिसमन अधिनियम 1973 और औषध नीति के अन्तर्गत 40 प्रतिशत से अधिक सीधी विदेशी साम्य पूंजी वाली कम्पनियां ही विदेशी कम्पनियां मानी जाती हैं। 30-6-80 को ऐसी कम्पनियों से प्राप्त 60 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पत्र निर्णय के लिए रुके पड़े हैं।

(ख) कम्पनियों के नाम और मदों का जिनकी क्षमता के लिए आवेदन पत्र किया है, विवरण-पत्र संलग्न है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान इन कम्पनियों द्वारा उत्पादित इन मदों से सम्वन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ग) इन कम्पनियों द्वारा मूल्य में अप्राधिकृत वृद्धि की कोई शिकायत सरकार की नजर में नहीं आई है। तथापि कुछ उत्पादकों को मूल्य छूट की श्रेणी में लिए जाने का दावा किया गया है। विशेषज्ञ परामर्श के पश्चाश्त ऐसे मामलों में निर्णय लिए जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	उत्पादन की मद	क्षमता
1	2	3	4
1980			
1.	मैसर्स रोश प्रोडक्ट्स लि.	लैरोडोपा गोलियां	4 मिलियन गोलियां
2.	,, रसल कार्मा (ई) लि.	सिनोस्टेट गोलियां	48 लाख
		सिनोस्टेट सस्पेंशन	1.8 लाख बोतलें
3.	,, मे एण्ड बैंकर (ई) लि.	बेंजाइल मेट्रोनिडाजोल	10 मि. टन
		फुलेगाइल सस्गेंशन	150 कि. लि.
4.	,, रोश प्रोडक्ट्स लि.	वेटेनोन	60 टन

5.	मैसर्स मे एन्ड वेकर (ई) लि	1. थियो पेंटोन सोडियम आई. पी. स्टैराइल	5,00 कि. लि.
		2. इन्टरावल सोडियम ब्रांड-जेक्शन बायल्स/एम्पुल्स थियो-पेटेन सोडियम युक्त टीके के लिए जल युक्त या जल रहित	8,000 मिलियन
6.	,, रोश प्रोडक्ट्स लि.	वैलियम सिरप (सस्पेंशन)	16 कि. लि.
7.	,, मे एण्ड बैंकर (ई) लि.	2-मिथाइल 4-नाइट्रोइमिडाजोल	50 मिलियन टन
		2-मिथाइलइमिडाजोल	40
8.	,, मर्कशार्प एण्ड डोम आफ इण्डिया लि.	मोइरेटिक टिकियां	220 लाख टिकियां
9.	,, रोश प्रोडक्ट्स लि.	**बल्क औषधि :**	
		1. सल्फाडाक्सिन	
		फार्मूलेशन :	
		1. फैन्सिडर टिकियां	6.5 मिलियम
		फार्मलेशन :	
		2. फैन्सिडर एम्पुल्स	700 लिटर
10.	,, वरोज वेलकम एण्ड कं. प्रा. लि.	पोलिमिक्सिन पी. सल्फेट वी. पी.	2,000 विलियन यूनिट (बी. यू.)
11.	,, मर्क शार्प एण्ड डोम आफ-इण्डिया लि.	विटामिड बी 12	300 कि. ग्रा. विस्तार के बाद
12.	,, मे एण्ड वेकर (ई) लिमि.	सल्फाट्राइड टिकियाँ	110 मिलियन टिकियां
13.	,, फाइजर लिमि.	**बल्क औषधि :**	
		1. रिफाम्पिसिब	30 मि. टन
		2. सिफ्लेक्सिन	38 मि. टन
		3. सिफेलोरिडीन	2 मि. टन
		फार्मूलेशन :	
		1. रिफाम्पिसिन : पेय	घरेलू खपत के लिए उपलब्ध अपने बल्क औषध के समतुल्य
		2. रिफाम्पिसिन का इथाम्बुटाल आइयोनियाजाइड आदि के साथ योग	

		3. सिफेलेक्सिन पेय	
		4. सिफैलेरिडिन : टीका	
14.	मेसर्स रोश प्रोडक्ट्स लि.	लिम्बीट्रोल गोलियां	30 मिलियन
15.	,, रोश प्रोडक्ट्स लि.	1. आरनिडाजोल	15 टन
		2. टिब्रल गोलियां	16 मिलियन
16.	,, ई. मर्क (ई) प्रा. लिमिटेड	1. एलरजन सार	मातृ सार का 600 लि.
		पोलेन्स, फन्गी, किड़े इपिथेलिया, डस्ट और खाद्य) निदान और उपचार के लिए	10 प्रतिशत
		2. कान्टेक्ट एलरजन सार निदान के लिए	
17.	,, ग्लेक्सो लैवोरेटरीज (ई) लिमि.	बल्क औषध :	
		1. सोटालोल हाइड्रोक्लोराइड	2.325 कि. ग्रा.
		2. लैवा मिसोल	1.380 ,, ,,
		3. नोरेथिस्टेरोन	270 ,, ,,
		4. पेन्टाजोसिन एच. सी एल./ लेक्टेट	1.375 ,, ,,
		5. फ्युराजोलिडान	6.585 ,, ,,
		6. डाइफिनाक्सीलेट एच.सी.एल.	570 ,, ,,
		7. क्लोरफेनिरागित मैलिएट	1.935 ,, ,,
		8. आइवुप्रेफेन	17.400 ,,
		9. डेक्वालिनियम क्लोराइड	100 ,, ,,
18.	,, ग्लैक्सो लेवोरेटरीज (ई) लिमि.	फार्मूलेशन :	
		1. सीटालोल एच. सी. एल.	1162.5 कि. ग्रा.
		2. लीवर माईजोल	690 ,, ,,
		3. नेरेथिस्टेरान	135 ,, ,,
		4. क्लोसेफेनिरामाइन मेलिएट	967.5 ,, ,,
		5. पेन्टाओसिन एच. सी. एल./	687.5 ,, ,,
		6, फ्युराजोलीडान	3292.5 ,,
		7. डेक्वालिनियम क्लोराइड	50 ,,
		8. डाइफ्निक्सिलेट एच. सी. एल.	285 ,,
		9. आइबुपोपेन	8700 ,,

19. मैसर्स	बरोज वेलकम एण्ड कं० (ई) लिमि.	सेप्ट्रान फोर्ट डबल स्ट्रेन्थ गोलियां	40 मिलियन गोलियां
20. ,,	रोश प्रोडक्ट्स लि.	बैक्ट्रीम डी. एस. गोलियां	25 मिलियन गोलियां
21. ,,	यूनि-सैक्यो लि.	साइस्टिन हाइड्रोक्लोराइड और लवण	50 टन
22. ,,	मे एण्ड वेकर (ई) लि.	1. मेट्रोनिडाजोल आई. पी. 2. फ्लैगाइल ब्रांड मेट्रोनिडाजोल गोलियां आई. पी.	50 मिलियन टन मेट्रोनिडाजोल के 50 मिलियन टन
23. ,,	रोश प्रोडक्ट्स लि.	1-फिनाइल 2-3-डाइमिथाइल 4-आइसो प्रोपाइलेन्टिपाइरिन (आइसोप्रोपाइलेन्टिपाइरिन)	100 टन
24. ,,	मे एण्ड वेकर (ई) लि.	"फ्लैगाइल"-5-पैराजोलोन का ब्रांड टीका	100 टन

1989

1. मैसर्स	सीवा गाइगी	डेक्सामेथासोन ट्राइमिथाइल	50 कि. ग्रा.
2. ,,	हेक्ट फार्मासियूटिकल्स लिमि.	हेमाकोल	4.5 लाख लि.
3. ,,	हेक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स	प्रिनिलामाइड लेक्टेट	4 टन
4. ,,	हेक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स	फेनवेन्डाजोल और इस पर आधारित फार्मूलेश	10,000 कि. ग्रा.
5. ,,	हेक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमि.	बरालगान कीटोन (एस. ई.)	4,000 कि. ग्रा.
6. ,,	अलकली एण्ड केमिकल्स कार्पोरेशन लिमि.	एन्टीसुरा औषधि (वेट) : 1. क्वीनल पैरामाइन मिथाइल सल्फेट 2. क्वीनल पैरामाइल मिथाइल क्लोराइड 3. उपरोक्त 1 और 2 पर आधारित फार्मूलेशन	 3 टन 2 टन
7. ,,	रोश प्रोडक्ट्स लि.	5-फ्लूरोरासिल	75 कि. ग्रा.

8.	मैसर्स फाइजय लि.	1. मोरेन्टेल टारटेरेट	15 टन
		2. पैरेटेल पामोएट	50 टन
		3. उपरोक्त 1 और 2 पर आधारित फार्मूलेशन	
9.	,, सीवा-गैगी	हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड	10 टन
10.	,, ई. मर्क (ई) प्रा. लिमि.	विटामिन डी और इसके सार	34 टन
11.	,, साइनामाइड इण्डिया लिमि.	1. डी-2-एमीनो-बुटानील	100 टन
		2. इथाम्बुटाल	50 टन
		2. ठथाम्बुटाल पर आधारित फार्मूलेशन	
12.	,, सीवा-गैगी	1. एसेलटोल	12 टन
		2. उपरोक्त 1 पर आधारित फार्मूलेशन	
13.	,, रोश प्रोडक्ट्स लि.	सल्फामेथाक्साजील	70 टन
14.	,, अल्कली एण्ड केमिकल्स कार्पोरेशन लि.	1. प्राइमाक्वीन फास्पेट	2.5 टन
		2. क्लोरोक्वीन फास्पेट	25 टन
1978			
1.	मैसर्स वरोज वेलकम एण्ड कं. (ई) लिमि.	एलोपुरीनोल	3 टन
2.	,, ग्लैक्सो लेबोरेटरीज (ई) लिमि.	बीटामिथासोन	650 कि. ग्रा.
3.	,, सैन्डोज (ई) लि.	क्लोक्लीन फास्फेट	30 टन
4.	,, वरोज वेलकम एण्ड कं. (ई) लिमि.	डैपसोन	28 टन
5.	,, वाइथ इन्टरनेशनल	1. प्रेड्नी सोलीन हाइड्रोकोर्टासोन और ईस्टर	1.2 टन

	2. डेक्सामेथासोनइ सके लवण और ईस्टर	100 कि. ग्रा.
	3. नारगेस्ट्रेल आईसोमर	140 ,,
	4. नोरेथिस्टेरोन एसीटेट	100 ,,
	5. मेफेन्टेरमीन सल्फेट	900 ,,
	6. आक्सोथाजेन	2,5 टन
	7. आक्सोजेपाम	500 कि. ग्रा.
	8. लोराजेपाम	200 कि. ग्रा.
6. मैसर्स हेक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमि.	कैनाइन और डिसटैम्पर और यूरीन हेपीटिटिस टीका	5,00,000 डोज
1977		
1. मैसर्स साइवामाइड (ई) लि.	डायोफेनाल और डिसोफेनाल पेरेन्टेरल्स	,00-120 कि. ग्रा.
2. मेसर्स स्मिथ क्लीन एण्ड फ्रेंच	पॉल्ट्री वैक्सीन	12 लाख डोज
	एनीमल वैक्सीन	11 लाख ढोज
3. ,, ई. मर्क (ई) प्रा. लि.	विटामिन के. और इसके सार	6 टन .
4. ,, हेक्स्ट पफार्मास्यूटिकल्स लिमि.	निदाग के लिए रीएजेन्ट	150,000 यूनिट
5. ,, ऑफरे मैनर्स	जैन्थोटाक्सिन	500 कि. ग्रा.
6. सीमा-गैगी	ट्राइमेथोप्रीम	10 टन
7. मैसर्स रोश प्रोडक्ट्स लि.	विटामिन ए.	100 एम. एम.
8. ,, बेयर (ई) लि.	कैन्सेस्टेन क्रीम (क्लोट्रिमाजोल	2.5 टन
1976		
1. मेसर्स स्मिथ क्लीन एण्ड फ्रेंच	सिफाडिन	500 कि. ग्रा.
2. ,, बरोज वेलकम	ट्राइमेथीप्रीम	30 टन
3. ,, रिवार्डसन हिन्दुस्तान	थाइमोल	50 टन

4,	,,	फाइजर लिमि.	जिंक वेसिट्रासन (वेट)	1500 वी. यू.
			वे सिट्रासिन और जिंक	
			वे सिट्रासिन (फार्म.)	70 वी. यू.
			पोलीमिक्सन	1000 वी. यू.
			ओलीन्डोमाइसिन	6000 वी. यू.
5.	,,	स्मिथ क्लीन एण्ड फ्रेंच	1. हेनोथियाजाइन	
			क. क्लोरपोमाइसिन	
			ख. प्रोक्लीरपेराजाइन मैलिएट	7,000 कि.
			ग. ट्राइफ्यूओत्रोभाजाइन	
			हाड्रोक्लाराइड	
			2. डाइफिनाइल पैरालीन	
			हाइड्रोक्लोराइड	500 कि.
			3. फिनाइल प्रोपानोलामाइन	
			हाइड्रोक्लोराइड	1,000 कि.
			4. ट्रायोमेट्रिन	3,000 कि.
			5. हाइड्रोक्लोरी थियाजाइड	5,000 कि.
			6. क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट	1,000 कि.
			7. आक्सीवेन्डाजोल (वेट)	3,000 कि.
			8. जीयालीन (वेट)	5,000 कि.
6		मेसर्स हेक्स्ट फ्रार्मास्यूटकल्स लिमि.	पेन्टाक्सीफाइलीन	8 टन
7.	,,	ई. मर्क (ई) प्रा. लि.	डोलो-न्यूरोवियान गोलियां	110 मिभियन गोलियां

1975

1.	मेसर्स हेक्टेस्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमि.	इथेक्रीडिव लेक्टेट	30 टन

26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली औषध फर्मो द्वारा वल्क औषधियों और फार्मूलेशनों का उत्पादन

6887. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली फर्मों द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान उत्पादित वल्क औषधियों और फार्मूलेशनों के आंकडे क्या है ;

(ख) भारतीय कम्पनियों को भी दिए गये लाइसेंसों वाली कितनी मदों का विदेशी फर्मों द्वारा इस अवधि के दौरान अधिक उत्पादन किया गया और उन्हें ऐसा करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में कोई कार्यवाही करने का है ;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) से (ग) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और शीघ्र ही लोक सभा के पटल पर रखी जायेगी।

फोटो डिवीजन की गतिविधियाँ

6889. **श्री मूलचंद डागा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 जनवरी, 1980 से अद्यतन फोटो डिवीजन की महत्वपूर्ण गतिविधियां क्या हैं और इसने 14 जनवरी, 1980 से अद्यतन कितनी बार फोटोग्राफ लिए थे और उस पर प्रशासनिक तथा अन्य व्यय कितना हुआ ;

(ख) 14 जनवरी, 1980 के बाद फोटो डिवीजन द्वारा भारत की किन-किन महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया गया था और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) 14 जनवरी, 1980 से अद्यतन इस डिवीजन में कुल कितना व्यय हुआ ; और

(घ) महत्वपूर्ण घटनाओं के रूप में घटनायें बनाने के मानदंड क्या हैं और फोटो डिवीजन द्वारा उन पर कितना व्यय किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) (क) : 14 जनवरी, 1980 के बाद की फोटो प्रभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियों में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की यात्राओं, करारों/प्रोतोकालों, इत्यादि पर हस्ताक्षर किए जाने के अवसरों के फोटो लेना तथा देश में हो रही सार्वजनिक महत्व की सामाजिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक घटनाओं के भी फोटो लेना शामिल है। 14-1-1980 के बाद इस प्रकार के अवसरों के लिए गए फोटो की कुल संख्या 1642 है। जनवरी से जून, 1980 तक का कुल व्यय 15,83,0093/- रुपए हैं।

(ख) 14 जनवरी, 1980 के बाद जिन महत्वपूर्ण भारतीय घटनाओं के फोटो लिए गए, उनका विवरण परिशिष्ट—1 में दिया गया है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1226/80)

(ग) जनवरी से जून, 1980 तक हुआ कुल व्यय 15,83,000/- रुपए हैं।

(घ) केवल उन घटनाओं के ही फोटो प्रभाग द्वारा फोटो लिए जाते हैं जो लोक महत्व के दृष्टिकोण से समाचारिक महत्व की होती हैं। तथापि, फोटो प्रभाग द्वारा फोटो लेने के लिए किसी घटना के महत्व का निर्णय लेने में सरकार द्वारा अपने विवेक का उपयोग किया जाता है।

आन्ध्र प्रदेश में समाचार पत्रों की अखबारी कागज की सप्लाई

6890· **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के छोटे समाचार पत्रों ने शिकायत की है कि उन्हें बम्बई से अखबारी कागज प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह शिकायत दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या उस राज्य से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों को अखबारी कागज दिए जाने के लिए हैदराबाद में इसका स्टाक करने का विचार है ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है कि आबंटित अखबारी कागज आन्ध्र प्रदेश के उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकें ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य व्यापार निगम आंन्ध्र प्रदेश में अतिरिक्त गोदाम खोलने की संभावना पर विचार कर रहा है। इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है।

(घ) जहां तक आंन्ध्र प्रदेश में उपभोक्ताओं द्वारा अखबारी कागज की सप्लाई को उठाने के लिए अपनायी जारही प्रक्रिया का सम्बन्ध हैं, यह वही है जो अन्य राज्यों में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों द्वारा अपनाई जाती है। आंध्र प्रदेश से प्रकाशित होने वाले नियतकालिक पत्रों/ समाचार पत्रों को अखबारी कागज राज्य व्यापार निगम के बम्बई कार्यालय से या इसके मद्रास कार्यालय से लेने की छूट है।

राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम की आकाशवाणी के हैदराबाद केन्द्र में रिकार्डिंग

6891. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979-80 जून की अवधि के दौरान आकाशवाणी के हैदराबाद स्टूडियो में राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम रिकार्ड किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी बार और इससे सम्बद्ध संगीतकार कौन थे ; और

(ग) इनमें से कितने कार्यक्रम आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष रिकार्ड किये गये थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। श्री नेदुनुरी कृष्णमूर्ति और नूकला चिन्ना सत्यनारायण के कर्नाटकी गायनों को अखिलभारतीय कार्मक्रम में प्रसारण के लिए आकाशवाणी, हैदराबाद के स्टूडियो में रिकार्ड किया गया था।

(ग) दोनों में से किसी भी कार्यक्रम को आमंत्रित श्रोताओं के सम्मुख रिकार्ड नहीं किया गया था।

गर्मियों में अधिक ऊर्जा को आवश्यकता के समय जनरेटरों का सेवा अनुरक्षण

6892 श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनरेटरों का सेवा लनुरक्षण सदैव गर्मियों में किया जाता है जब सभी क्षेत्रों के लिए अधिक उर्जा को आवश्यकता होती है ;

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जनरेटरों के केवल वर्षा ऋतु में, जब गर्मी के मौसम कीी तुलना में सभी क्षेत्रों में विजली की खपत वहुत कम होती है, सेवा अनुरक्षण किये जाने में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) उत्पादन यूनिट कार्यक्रमों को अनुरक्षण अनुसूची को अन्तिम रूप सम्बन्धित क्षेत्रीय बिजली बोर्डों द्वारा विभिन्न संघटकों, राज्य विद्युत प्रणाली प्राधिकारियों से विचार-विमर्श के बाद दिया जाता है। कार्यक्रम तैयार करते समय विभिन्न मौसमों के दौरान भार मांग तथा जल विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाता है तथा कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाता है कि समग्र रूप से इष्टतम उपलब्धता प्राप्त हो। सामान्यतः ताप विद्युत उत्पादन सेटों का अनुरक्षण वर्षा ऋतु में किया जाता है जब अधिक जल-विद्युत ऊर्जा उपलब्ध होती है।

दीर्घकालिक ऊर्जा नीति के लिए उच्चस्तरीय समिति

6893. **डा० वसंत कुमार पंडित :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि योजना आयोग की एक उच्चतरीय समिति देश में जलतापीय परमाणु और सौर ऊर्जा का संतुलन करते हुए दीर्घकालीन ऊर्जा नीति पर विचार कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) 1976 में विस्तृत राष्ट्रीय ऊजा नीति तैयार हो जाने के पश्चात् देश में तथा विदेशों में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा करने, ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए एक परिप्रेक्ष्य का विकास करने तथा उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों का अधिकतम समुपयोजन हेतु उपयुक्त नीति सम्बन्धी उपाय सुझाने के लिए योजना आयोग ने विद्युत विभाग के तत्कालीन सचिव की अध्यक्षता में ऊर्जा नीति सम्बन्धी कार्यकारी दल का गठन किया था। कार्यकारी दल ने नवम्बर, 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ऊर्जा की मांग को इष्टतम स्तर के अनुरुप ले जाने के अनेक उपाय तथा ऊर्जा की प्रत्याशित मांग को पूरा करने लिए पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु देश में ऊर्जा के साधनों के विकास के लिए नीति सम्बन्धी निर्देश इस रिपोर्ट में दिये हैं। कार्यकारी दल की सिफारिशों से उठ खड़े होने वाले विभिन्न मुद्दों पर विचार करने हेतु एक मंत्रिमण्डलीय, समिति गठित की गई है। इस समिति की सहायता के लिए सचिवों की समिति है।

समयद्धब कार्यक्रम और विदेशी सहुयोग वाली विद्यु त पयिोजना

6893. **श्री एस० एस० कृष्ण** : क्या **ऊर्जा और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ौर-सरकारी क्षेत्र में किन्हीं लोगों से कोयला पटट्री क्षेत्रों में समयबद्ध कार्यक्रम और विदेशी सहयोग वाली विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण और सरकार को मिला है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रस्तावित परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) विद्युत का उत्पादन बढ़ाने के समयबद्ध कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए गैर सरकारी क्षेत्र के ऐसे लोगों को मरकार का विचार क्या प्रोत्साहन देने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)) (क जी, नहीं। कोयला पट्टी क्षेत्रों में समयबद्ध कार्यक्रम और विदेशी सहयोग वाली विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र से कोई प्रस्ताव न तो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की और न ही मरकार को प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मानसून की अच्छी वर्षा के कारण अधिक विद्यु त क्षमता की संभावनाएं

6895. **श्री एन० डेनिस** : **ऊर्जा और कोयला** मंत्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसून की अच्छी वर्षा के कारण अधिक विद्युत, सप्लाई की सम्भावनाओं में सुधार हुआ हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो कर्नाटक राज्य में विद्युत की सप्लाई के संबंध में क्या सुधार किया गया है ;

(ग) क्या कर्नाटक में उन उद्योगों को जो विद्युत की कमी के कारण बंद कर दिए गए थे, को विद्युत सप्लाई बढ़ाई गई है ; और

(घ) सभी अद्यौयोगिक एककों को विद्युत सप्लाई कब तक बहाल कर दी जाएगी ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) जी हाँ।

(ख) से (घ) : कर्नाटक के पाप केवल जल विद्युत उत्पादन क्षमता तदनुसार चालू वर्ष के दौरान मानसून से अच्छी वर्षा होने से इसके जल-विद्युत जलाशयों में अन्तर्वाह अच्छा हो रहा है और विद्युत सप्लाई की स्थिति में भी सुधार हुआ है। जून, 1980 के प्रारम्भ में विद्युत उत्पादन का स्तर 7.5 मिलियन यूनिट प्रतिदिन था। यह स्तर बढ़कर इस समय लगभग 18 मिलियन यूनिट प्रतिदिन हो गया है। कर्नाटक में उच्च वोल्टता उद्योगों पर लगी सभी विद्युत कटौतियां भी जुलाई, 1980 के प्रथम सप्ताह से हटा ली गई हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड को सोवियत विशेषज्ञों का परामर्श

6896. **श्री बी० बी० देसाई :**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले गर्त वाली एक बड़ी (लार्ज ओपनकास्ट माइन) खान का काम आरम्भ करने और साथ ही साथ झेर क्षेत्र में कोयला धोने की सुविधा भी उपलब्ध करने के बारे में सोवियत रूस के विशेषज्ञों ने कोल इंडिया लि० को परामर्श देना है ?

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह भी कहा है कि वे असम के भाकुम कोयला क्षेत्रों में मोटी परत-खनन के लिए व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करेंगे ;

(ग) कोल इंडिया लि० ने सोवियत रूस के साथ कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं ; और

(घ) उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिक्रम महाजन) : (क) जी हाँ । कोल इडिया लि० और एक सोवियत संगठन में एक समझौता हुआ है जो झरिया कोयला क्षेत्र में 6-10 मि० टन वार्षिक क्षमता की एक ओपेनकास्ट खान तथा उसके साथ ही उतनी ही क्षमता की एक वाशरी के लिए साध्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु आँकड़े एकत्र करने के बारे में है ।

(ख) सोवियत संगठन के साथ किये गए ऐसे समझौते पर भी कोल इंडिया लि० ने हस्ताक्षर किए हैं जिसमें माकुम कोयला क्षेत्र में मोटी और खड़ी ढाल की सीम से कोयला निकालने के लिए सलाह ली जानी है ।

(ग) और (घ) : वर्ष 1975 के बाद कोल इंडिया लि० ने सोवियत संगठनों के साथ किए गए 18 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं । यह समझौते भूमिगत खनन प्रौद्योगिकी, बड़ी ओपेनकास्ट खानों तथा वाशरियों की डिजाइन तैयार करने, कोयला वाशरियों का आधुनिकीकरण करने तथा खान का निर्माण आदि करने के लिए किए गए हैं ।

आन्ध्र प्रदेश को बम्बई हाई गैस की सप्लाई करना

6897. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई से विभिन्न राज्यों को गैस की पाइपलाइन बिछाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के किसी भी महत्वपूर्ण केन्द्र में गैस की पाइपलाइन बिछाने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हां।

(ग) सतीश चन्द्रन कार्यकारी दल के विचार में आन्ध्र प्रदेश में उर्वरक संयंत्र की स्थापना बम्बई हाई/ दक्षिण बेसिन गैस का उत्तम प्रयोग नहीं है। इस कारण इन क्षेत्रों से दूसरी पाइप लाइन की सिफारिश नहीं थी। रकार ने सिफारिश स्‍ कार कर ली है।

विदेशों में उर्वरक परियोजनओं के लिए पूंजी दिवेश करना

6898. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में उर्वरक परियोजओं के लिये पूंजी निवेश कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो किन किन देशों में पूंजी निवेश किया गया है।

पेट्रोलियम और रसयान मंत्री (श्री वीरेन्द्र पटिल) : (क) और (ख) भारत सरकार ने विदेश में उर्वरक प्रायोजनाओं पर कोई धन नहीं लगाया है तथापि भारतीय उर्वरक कम्पनियों का संघ से ने गाल के फास्फटिक उर्वरक प्रायोजना में 20 फिलियन तक की साम्यपूंजी लगाने के लिए सहमत हो गया है बशर्ते क़ि 66000 टन फास्फेटिक एसिड (पी 2 ओ 5 के रूप में) सेने गाल भारतीय कम्पनियों को प्रतिवर्ष सप्लाई करेगा।

निनपुर और महानदी में तेल की खोज

6899 **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निनपुर और महानदी में तेल की खोज की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटेल) : (क) महानदी बेसिन म अन्वेषण कार्य किया जा रहा है। लेकिन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड के पास निनपुर नाम के किसी स्थान की सूचना नहीं है।

(ख) बंगाल की खाड़ी के महानदी बेसिन के अपतटीय क्षेत्र में आयल इंडिया लिमिटेड ने वायु-चुम्बकीय तथा भू-कम्पीय। भू-भातिकीय सर्वेक्षण पूरे कर लिये हैं। 3 कुओं का एक अपतटीय अन्वेषण कार्यक्रम आयोजित किया गया है तथा इसके 1980-81 में पूरा हो जाने की सम्भावना है। प्रथम कुआं 2740 मीटर की गहराई तक खोदा गया था पर उनमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त नहीं थे दूसरे कुएं की खुदाई की जा रही है।

आयल इंडिया लिमिटेड ने 6,800 स्केयर किलोमीटर तटीय क्षेत्र के वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण पूरे कर लिये है तथा यह विचार हैं तथा यह विचार है कि 1980-81 तथा 1981-82 में भूकम्पीय। भू-भौतिकीय सर्वेक्षण किये जायें !

सूरत में रेडियो स्टेशन की स्थापना

6900. **श्री सी० डी० पटेल** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के सूरत नगर में रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त नगर में रेडियो स्टेशन कब तक स्थापित किये जाने की संभावना हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) सूरत में रेडियो स्टेशन स्थापित करने के प्रस्ताव को पंचवर्षीय योजना 1980-85 में शामिल करने के बारे में विचार किया जा रहा है तथापि, इसका कार्यान्वयन "योजना" की स्वीकृति, संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

सिंचाई योजनाओं के लिये मध्य प्रदेश को विशेष सहायता

6901. **श्री प्रभुनारायण टंडन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार अग्रिम ऋण सहायता योजना के अंतर्गत सिंचाई की दृष्टि से पिछड़े हुए मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को सिंचाई योजनाओं के लिये कुछ विशेष सहायता देने का है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : मध्य प्रदेश राज्य की सिंचाई स्कीमों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में विशेष अग्रिम केन्द्रीय सहायता देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

कमाण्ड एरिया विकास कार्य क्रम के अन्तर्गत सिंचाई योजनाओं की प्रगति

6903 **श्री चित्त बसु** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन पूर्वी राज्यों बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में कमाण्ड एरिया विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई योजनाओं की प्रगति लक्ष्यों से पीछे है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में कृषि-योग्य कमान क्षेत्र परियोजनाओं के कार्य में कोई खास प्रगति इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि इस कार्य के लिए कोई संगठन नहीं था। 1979-80 में बिहार राज्य में इस कार्य की गति में तेजी आई, क्योंकि फील्ड यूनिटों को काफी सुदृढ़ बना दिया गया था।

उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों की सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे कृषि योग्य कमान क्षेत्र कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए फील्ड यूनिटों को सुदृढ़ बनाएं।

सर्वोत्तम ताप बिजली घरों के नाम श्रौर उनका बिजली उत्पादन

6904. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या उर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे तीन सर्वोत्तम ताप-बिजली घर कौन से हैं, जिन्होंने अपनी लाईसेंसी-कृत क्षमता का अधिकतम बिजली उत्पादन किया है ;

(ख) बिजली-उत्पादन के मामले में दिल्ली विद्यु त प्रदाय संस्थान की क्या स्थिति है और वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 में इसकी उत्पादन-प्रतिशतता कितनी-कितनी रही है ; और

(ग)क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करेगी कि सरकारी बिजली घर बिजली की अधिकतम प्रतिशतता और उत्पाद दें ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश में तीन सर्वोत्तम युटिलिटी ताप विद्यु त केन्द्रों द्वारा क्षमता समुपयोजन वर्ष 1979-80 के दौरान निम्नानुसार है :—

पारली 60 मेगावाट 85%
अमरकंठक 60 मेगावाट 76%
कोरबा 120 मेगावाट 76%

(ख) वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के इन्द्र-प्रस्थ विद्युत केन्द्र का क्षमता समुपयोजन क्रमशः 66% और 68% रहा है।

(ख) ताप विद्यु त केन्द्रों के क्षमता समुपयोजन में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. नए चालू किए गए ताप विद्यु त उत्पादन यूनिटों को शीघ्र सुस्थिर करने के लिए संगठित प्रयास करना ;

2. डिजाइन, उपकार आदि में कमियों का पता लगाना तथा कई ताप विद्यु त केन्द्रों में परियोजना नवीकरण कार्यक्रम को शीघ्र पूरा करना ;

भारत में विदेशी प्रसारण सेवाओं की शाखायें

9905. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विदेशी प्रसारण सेवाओं की शाखायें भारत में हैं ;

(ख) यदि हां' तो क्या सरकार उनकी समाचार एजेंसियों पर निगरानी रखती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

सूचना श्रौर प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रेस आयोग का गठन

6906. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस आयोग को गठित करने के लिए क्या मापदण्ड अपनाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने इसके गठन के विषय में कुछ आपत्तियां उठाई हैं ; और

(ग) यदि हां' तो उनका ब्यौरा क्या है और उनपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सुचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मती राम दुलारी सिन्हा) : (क) पुनर्गठित प्रेस आयोग के अध्यक्ष उच्चत्तम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति के० के० मैथ्यू हैं और इसके 10 अन्य सदस्य हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए गए है । से विशेषज्ञता /व्यवसाय के अपने-अपने क्षेत्रों में प्रख्यात व्यक्ति हैं । छोटे और सझौले समाचार पत्रों, भाषायी पत्रों कानूनी व्यवसाय, एकाधिकार के क्षेत्र में विशेषज्ञता, आदि सहित पत्रकारिता के क्षेत्र से सम्बन्धित व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की सावधानी बरती गई है । आयोग के ठोसपन और विश्वास उत्पन्न करने में सदस्यों की योग्यता, आयोग के काम में सहृदय ध्यान देना, विचार विमर्श में बहुमूल्य योगदान देना और रिपोर्ट के तैयार करने में अध्यक्ष की सहायता करना इन वातों को आयोग का पुनर्गठन करते समय ध्यान में रखा गया था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उटता ।

पटना बाढ़ नियंत्रण योजना

6907. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने पटना बाढ़ नियंत्रण योजना तैयार की है और उसका अनुमोदन भी कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार का उसको कब तक क्रियान्वित करने का विचार है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) योजना आयोग ने 27.13 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली पटना बाढ़ सुरक्षा स्कीम को स्वीकृति दे दी है । अनुमानो में, गंगा के दक्षिणी तट पर मनेर से पुनपुन तटबंध के अन्तिम छोर तक एक तटबंध एवं चिनाई दीवार के निर्माण, सोन के दाएं तट पर तटबंध के निर्माण और नगर और ग्रामीण जल-निकास स्कीमों के अलावा मनेर और दानापुर वितरणियों के बाएं तट को ऊंचा उठाना एवं मजबूत करना, कमजोर स्थलों पर तट सुरक्षा कार्यों, पटना नहर की मरम्मत और दोधा पर लाक-गेट को बन्द करने की व्यवस्था है ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना का काफी बड़ा भाग पहले ही क्रियान्वित किया जा चुका है और राज्य सरकार द्वारा सभी कार्यों को 1982-83 में पूरा किए जाने की संभावना है।

विभिन्न भाषाओं में कार्यक्रमों के लिए दिया गया समय

6908. श्री आर के० महालगी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1-4-1980 से 30-6-1880 की अवधि के दौरान आकाशवाणी बम्बई और बम्बई दूरदर्शन केन्द्र से विभिन्न भाषाओं के प्रसारणों (संगीत और समाचार के प्रसारण को छोड़ कर) के कार्यक्रमों के लिए कुल कितना समय दिया गया ;

(ख) क्या इस तरह से समय के वितरण के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है ;

(ग) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ठीक तरह से पालन किया गया है ; और

(घ) यदि, नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुर्नवास मंत्री श्री (बसन्त साठे) : (क) आकाशवाणी, बम्बई में विभिन्न भाषाओं के कार्यक्रमों को दिया गया कुल समय इस प्रकार है :

भाषा	मूलरूप से प्रसारित किएगए कार्यक्रम		रिले किए गए कार्यक्रम		कुल	
	घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	घंटे	मिनट
मराठी	290	44	74	54	355	38
हिन्दी	55	00	33	36	88	36
गुजराती	91	51	—	—	91	51
अंग्रेजी	110	15	107	13	21	28
कोंकणी	60	45	—	—	60	45
कन्नड़	5	00	—	—	5	00
संस्कृत	7	29	—	—	6	29
उर्दू	45	07	—	—	45	07
सिंधी	12	59	—	—	12	59

• जहां तक दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई का सम्बन्ध है, औसत दैनिक प्रेषण का समय प्रतिदिन 4 घंटे या प्रति सप्ताह 32 घंटे है। एक से 30 जून तक के दौरान विभिन्न भाषाओं के कार्यक्रमों को दिया गया समय इस प्रकार है :—

भाषा	प्रेषण समय की प्रतिशतता (इसमें समाचार भी शामिल हैं)
मराठी	37.28
हिन्दी	26.67
अंग्रेजी	20.45
गुजराती	7.20
उर्दू	1.30
शास्त्रीय संगीत	2.17
अन्य भाषाएं	4.93

(ख) जी, नहीं। सेबा क्षेत्र में लोगों की भाषायी संरचना विभिन्न माषाओं के कार्यक्रमों को प्रेषण समय का मोटे तौर से वितरण निश्चित करेगी।

(ग) और (घ) प्रश्न गही उठते।

मंगलौर में एक तापीय संयंत्र की स्थापना

6909. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मंगलौर में एक तापीय संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) मंगलोर में 1987 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 2×110 मेगावाट का एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड ने मई, 1976 में एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यह परियोजना रिपोर्ट बंगाल/बिहार के कोयला क्षेत्रों से कोयले की ढुलाई समुद्र के रास्ते हल्दिया बन्दरगाह के माध्यम से किए जाने पर आधारित थी। समुद्र के रास्ते कोयले की ढुलाई की अधिक लागत को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड को सलाह दी गई थी कि वह विद्युत केन्द्र को किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाए,। तदनुसार, कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड ने अपना प्रस्ताव संशोधित कर दिया था तथा 210-210 मेगावाट के दो यूनिटों वाला एक विद्युत केन्द्र रायचूर में एक स्थान पर स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह स्कीम स्वीकृत की जा चुकी है।

राजगीर मे दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

6910. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.:

(क) क्या सरकार का विचार विहार में राजगीर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) काक-तार माइक्रोवेवलिका की सहायता से देश में दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार की योजना तैयार की जा रही है। राजगीर के इस स्कीम के अन्तर्गत दूरदर्शन सेवा क्षेत्र के अन्दर आने की उम्मीद है। तथापि, स्कीम का कार्यान्वियन संसाधनों की उपलब्धता और साक्षेप प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

विहार को कुकिंग गैस की सप्लाई

6911. **श्री विजयकुमार यादव** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विहार राज्य में प्रयोक्ताओं को कुकिंग गैस की सप्लाई नियमित तथा पर्याप्त नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार विहार राज्य में अधिक खपत वाले जिलों में गैस एजेंसियों की संख्या तथां गैस की सप्लाई वढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1981 से बम्बई हाई सम्बद्ध गैस से तरल पेट्रोलियम गैस निकालने की सुविधा आरम्भ होने पर मथुरा और कोयाली शोधनशालाओं से अतिरिक्त उत्पाद उपलब्ध होने पर बिहार राज्य सहित देश के विभिन्न भागों में गैस एजेंसियों की संख्या तथा गेस सप्लाई को काफी मात्रा में बढ़ाने की योजना है। पटना, धनवाद, जमशेदपुर तथा दीनापुर में 1980-81 में नई एल. पी. जी. एजेंसियां स्थापित करने पर तेल उद्योग विचार कर रहा है।

चुनाव के दौरान दिल्ली में तैनात किए गए अधिकारियों को भत्ते की अदायगी

6912. **श्री निहाल सिंह** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1980 में लोक सभा चुनावों के दौरान दिल्ली में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात किए गए सरकारी अधिकारियों को अब तक उस भत्ते की अदायगी नहीं की गई है जिसे पाने के वे सभी हकदार है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और अदायगी तत्काल किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) जैसा कि कुछ राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में होता है, यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के एक मुश्त भुगतान के लिए तारीख 1-8-1980 को आदेश जारी कर दिए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि प्राप्त वेतन, तय की गई मील दूरौर ड्यूटी से निर्वहन में लगे समय के आधार पर यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का भुगतान करने की पूर्वतर पपिपाटी के कारण लेखाओं के परि निर्धारण में विलम्ब होता था।

परिवार नियोजन के कार्यक्रमों का प्रसारण

6913 .**श्री निहाल सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविजन व सिनेमा के माध्यम से परिवार नियोजन, लघु उद्योगों और कृषि उत्पादन के नये तरीकों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना तैयार की है;

(ख) ऐसे राज्यों के नाम क्या है जहां ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रमों के प्रसारण के प्रबंध हैं; और

(ग) ऐसे कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए इस वर्ष राज्यवार; कितने ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने का विचार है और इस बारे में ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुर्नवास मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) सभी दूरदर्शन केन्द्र अपनी सामान्य कार्यक्रम गतिविधि के अंग के रूप में परिवार कल्याण, कृषि परिपाटियों और टेक्नोलोजी के विकास, उद्योगों के विकास और विस्तार और अन्य उपयोगी विषयों पर कार्यक्रम टेलीकास्ट करते हैं। फिल्म प्रभाग की 1980-83 के दौरान परिवार कल्याण पर फिल्मों के निर्माण के लिए एक स्कीम है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लघु उद्योगों और स्वत: रोजगार को बढ़ाने के विषय भी फिल्म प्रभाग के निर्माण कार्यक्रमों में शामिल है;

(ख) ग्रामीण दर्शकों के लिए दूरदर्शन कार्यक्रम विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से टेलीकास्ट किए जाते हैं। विभिन्न ट्रांसमीटरों के सेवा क्षेत्र में हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, जम्मू व काश्मीर, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक के राज्य तथा दिल्ली और चंडीगढ़ के संघशासित क्षेत्र आते हैं।

(ग) इस वर्ष के दौरान कोई ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव नहीं है।

क्षेत्रीय भाषाओं में विदेशी बुलेटिन

6914. **श्री पी० राजगोपल नायडू** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्रीयह बताने की :

(क) क्या क्षेत्रीय भाषाओं विदेशी सेवा बुलेटिन हैं; और

(ख) यदि हां; तो ऐसी क्षेत्रीय भाषा कौन सी हैं जिनमें विदेशी सेवा बुलेटिन हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) विदेश सेवा बुलेटिन निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारित किये जाते हैं :

1. बंगला	4. सिंधी
2. गुजराती	5. तमिल
3. पंजाबी	6. उर्दू

इसके अलावा नेपाली भाषा में भी प्रसारण किये जाते हैं।

कोसी नदी पर दूसरे बांध बनाने के लिए प्रस्ताव

5915. **श्री डुमर लाल बैंठा :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोसी नदी पर डगमारा में दूसरा बराज अथवा बांध बनाने को कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बिहार में पेट्रोल और डीजल पम्पों का लगाया जाना

6916. **श्री तारिक अनवर :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में (तेल कम्पनियों सहित) कुल कितने डीजल और पेट्रोल पम्प हैं;

(ख) जिन अतिरिक्त पेट्रोल पम्पों के लिए सर्वेक्षण किया गया है उनकी प्रस्तावित संख्या कितनी है; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पेट्रोल पम्पों पर डीजल पम्प लगाने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं और इस संबंध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) बिहार राज्य में 1·4·1980 को फुटकर पेट्रोल पम्पों (पेट्रोल डीजल पम्पों) की कुल संख्या 678 थी।

(ख) 1980-81 के दौरान तेल कंपनियों द्वारा बिहार में 19 और फुटकर पेट्रोल पम्प स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) डीजल पम्प जो केवल मात्र पेट्रोल वाले पम्प स्थलों पर ही प्रतिस्थापित ,किये जाने हैं, संबंधित कंपनियों द्वारा उसी स्थल पर के उसी पम्प के ही डीलर को दिए जाते हैं और उनके द्वारा इस उद्देश्य के लिए आवेदन पत्रों के आमंत्रण हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किए जाते हैं।

उर्वरकों की मांग और उत्पादन

6917. श्री तारिक अनवर : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आगामी दस वर्षों के लिए उर्वरकों की मांग का आकलन किया है,

(ख) देश में इसके उत्पादन से यह मांग किस सीमा तक पूरी की जायेगी तथा किस सीमा तक इसका आयात करना पड़ेगा, और

(ग) देश के किन-किन स्थानों में इस प्रयोजन के लिए नये उद्योग स्थापित करने का विचार है, और

(घ) क्या सरकार ने कोई दीर्घावधि उर्वरक नीति बनाई है और यदि हां तो, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन श्रार उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) (ख) (ग) और (घ) मांग का मूल्यांकन, स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए अपेक्षित कदम और मांग तथा स्वदेशी उत्पादन के बीच अन्तराल को पूरा करने के लिए आयात की व्यवस्था आदि देश में उर्वरक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सरकार के अनवरत प्रयास के अंग हैं।

देश में उर्वरकों की तेजी से बढ़ती माँग और मांग तथा उत्पादन के बीच अन्तराल को कम करने के लिए सरकार ने देश में उर्वरक उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंग के रूप में 5 गैस पर आधारित उर्वरक प्लांट, बम्बई पाई/बसीन गैस पर आधारित 2 प्रत्येक थोल, महाराष्ट्र में और हजीरा, गुजरात में और ओ० एन० जी० सी और आयल इंडिया के टेल क्षेत्रों से उपलब्ध गैस पर आधारित एक उर्वरक प्लाँट नामरूप, असम में लगाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। इसके अलावा नागाअर्जुन फर्टिलाइजर्स लि० काकीनाडा क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश में ईधंन तेल पर आधारित उर्वरक प्लांट लगा रहा है।

फास्फटिक उर्वरकों की मांग और स्वदेशी उत्पादन के बीच अन्तराल को कम करने की दृष्टि से छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ फास्फेठिक उर्वरक प्रायोजनाओं के लगाये जाने के भी प्रस्ताव है।

भविष्य में गैस पर आधारित उर्वरक प्लांटो के संभाव्य स्थलों पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा गठित कार्यकारी दल इस निष्कर्श पर पहुंचा है कि थात और हजीरा प्लांटों के आलावा 6 और गैस पर आधारित उर्वरक प्लांट एक-एक मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा चार उर्वरक प्लांट यू० पी० पंजाब क्षेत्र में बड़ी कमी को पूरा करने के लिए लगाये जा सकते हैं।

मंत्रालय के अधीन निगम के बोर्डों में अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व

6918. **श्री तारिक अनवर** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मन्त्रालय के अधीन ऐसे कौन-कौन से निगम हैं जिनके प्रबन्ध बोर्डों का केवल अधिकारी ही प्रतिनिधित्व करते हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : सम्भवतः माननीय सदस्य उन निगमों, जिसमें केवल पूर्ण-कालिक कार्यात्मक निदेशक/सदस्य और अंश-कालिक सरकारी निदेशक/सदस्य हैं, की सूचना चाहते हों। पेट्रोलियम विभाग के सम्बन्ध में सूचना निम्न प्रकार है :

(1) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

(2) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

(3) बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड

(4) इन्डियन पेट्रो-कैमिल कार्पोरेशन लिमिटेड

(5) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड

(6) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग

रसायन और उर्वरक विभाग सम्बन्धी सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

गुजरात को "साल्ट एण्ड फिशरीज कन्ज्यूमर्स आउटलेट्स" के लिए एल० पी० गैस की सप्लाई

6919. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "साल्ट एन्ड सिफरीज कन्ज्यूमर्स आउटलेट्स" के लिए अधिक एल० पी० गैस आवंटित करने हेतु हाल में गुजरात सरकार की ओर से अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान आवंटन कितना है और वास्तविक मांग कितनी है तथा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) गुजरात सरकार से खाना पकाने की गैस का अतिरिक्त आवंटन करने के लिए कोई अनुरोध नहीं प्राप्त हुआ। गुजरात सरकार से 30 जुलाई; 1980 को मछली उद्योग तथा नमक उद्योग की डीजल तथा तेल की आवश्यकता पूरी करने के लिए उपभोक्ता पम्प स्थापित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ हैं।

(ख) इंडियन आयल कारपोरेशन से गुजरात राज्य के अनुरोध पर उचित कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।

बिहार के विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की आवश्यकता

6920. **श्री तारिक अनवर** : क्या ऊर्जा कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की मासिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा में कोयला सप्लाई किया गया;

(ग) बिजली घरों/संयंत्रों को कम मात्रा में कोयला सप्लाई किए जाने के क्या कारण हैं और

(घ) राज्य में विद्युत की कमी दूर करने की दृष्टि से बिजली घरों को अवश्यकता के अनुसार उनको कोयला सप्लाई करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा दो केन्द्र, नामशः पतरातु और बरौनी ताप विद्युत केन्द्र प्रचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रचालित दो केन्द्र नामशः बोकारो तथा चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र भी बिहार राज्य में स्थित हैं। अप्रैल से जून, 1980 तक के पिछले तीन महीनों के दौरान बिहार राज्य में सभी चारों ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आवश्यकता (आबंटन), वास्तविक प्राप्ति और उपभोग दिखाने वाला विवरण उपाबंध में दिया गया है।

(ग) आबंटन की तुलना में कोयले की सप्लाई में कमी का मुख्य कारण कोयले की पर्याप्त ढुलाई न होना है।

(घ) बिहार सहित देश में विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई बढ़ाने के के लिए कई उपाय किए गये हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) कोयला कम्पनियों और रेलवे से कहा गया है कि विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में वृद्धि करें।

(2) कोयला विभाग, रेलवे और विद्युत विभाग के बीच घनिष्ट सम्पर्क रखा जा रहा है और विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय अन्तः मंत्रालयीय बैठकें भी समय-समय पर की जाती हैं।

(3) ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की मानीटरिंग, मन्त्रिमण्डलीय औद्योगिक अवसंरचना समिति द्वारा भी साप्ताहिक आधार पर की जा रही है।

(4) विद्युत केन्द्रों को दैनिक आधार पर कोयले की सप्लाई को मानीटरिंग करने के लिए रेलवे बोर्ड में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है।

विवरण

अप्रैल से जून, 1980 तक की अवधि के दौरान, बिहार राज्य में ताप विद्युत केद्रों के सम्बन्ध में स्थायी कोयला लिंकेज समिति द्वारा कोयले का आबंटन वास्तविक प्राप्ति तथा उपभोग को दिखाने वाला विवरण।

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

क्र०/सं० ताप विद्युत केन्द्र का नाम		4/80	5/80	6/80	जोड़
1. बरौनी	आ०	30	30	30	90
(बिहार राज्य	प्रा०	16	19	15	50
बिजली बोर्ड)	उ०	14	15	19	48
2. पतरातु	आ०	145	145	145	435
(बि० रा० वि० बो०)	प्रा०	135	133	136	404
	उ०	122	102	89	313
3. बोकारो	आ०	65	65	65	195
(दा० धा० नि०)	प्रा०	90	103	81	274
	उ०	49	57	48	154
4. चन्द्रपुर	आ०	155	155	155	465
(दा० धा० नि०)	प्रा०	92	115	117	324
	उ०	117	115	126	358
जोड़ (बिहार)				आ०	1185
				प्रा०	1052
				उ०	873

आ०—आबटन
प्रा०—प्राप्ति
उ०—उपभोग

केन्द्रीय राज्य, निजी और रक्षित क्षेत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए लगाई गई पूंजी

6921. श्री ए० के० राय : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय, राज्य, निजी तथा रक्षित क्षेत्र द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए लगाई गई धनराशि और उनके विद्युत उपयोग की क्षमता के तथ्यों का ब्योरा क्या है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में विद्युत उत्पादन हेतु किन-किन स्रोतों का उपयोग किया गया ?

ऊर्जा मंत्रालय में ाज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है। और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दामोदर घाटी निगम पनबिजली तथा ताप बिजली क्षमता का बिस्तार

6922. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : क्या उर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम की पनबिजली तथा ताप बिजली क्षमता का और आगे विस्तार करने का कोई कार्यक्रम है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन : (क) जी, हां।

(ख) दामोदर घाटी निगम की दो नई परियोजनाओं क्रमशः 40 मेगावाट के पंचेत हिल जल विद्युत पम्प स्टोरेज यूनिट तथा बोकारो 'ख' विस्तार, 200 मेगावाट के प्रथम यूनिट के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति दी गई है। 200—200 मेगावाट के दो यूनिटों वाला बोकारो 'ख' विस्तार तथा सम्बन्द्ध पारेषण लाइनों केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अतिरिक्त, दा०धा०नि० ने निम्नलिखित स्कीमें प्रस्तावित की हैं जिनकी जांच की जा रही है :—

1. चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र का विस्तार-120 मेगावाट का एक यूनिट।
2. दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र का विस्तार—120 मेगावाट का एक यूनिट। अर्थात् यूनिट सं० पांच।
3. बोकारो 'ख' केन्द्र चरण- II का विस्तार—200-200 मेगावाट के दो यूनिट।
4. बरमों में पम्प टर्बाइन यूनिटों की प्रतिष्टापना (3×40 मेगावाट)।
5. चरण में 3×200 मेगावाट के यूनिटों वाला एक नया विद्युत केन्द्र।

भावी आवश्यकता के लिए 500 मे० वा० ऊर्जा उत्पादन और 400 कि० वा० ऊर्जा वितरक कार्यक्रम

6923. श्री सत्येंद्र नरायण सिंह : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी भावी आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा कार्यक्रम में 500 मे० वा० उत्पादन और 400 कि० वा० वितरण को मानक के रूप में स्वीकार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत हैवी इंजीनियरिंग लि० की इतनी क्षमता है कि वे भविष्य में जब तब जरूत पड़ने पर उपकरण सप्लाई कर सकें ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या भविष्य में ऐसे उपकरण की सप्लाई के लिए विदेशी सप्लायर ही मुख्य ठेकेदार होंगे ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) विद्युत उत्पादन की वर्तमान आयोजना मुख्यतः 210 मेगावट के यूनिट के मानकीकरण पर आधाररित है। तथापि, सातवीं योजना और उसके बाद, कुछ अधिक बड़े विद्युत केन्द्रों में इसके अगली अधिक क्षमता वाले 500 मेगावट के यूनिट छठी योजना में भी चालू किया जाएगा। जहां तक 400 के० वी० परिषण का का सम्बन्ध है, यह वोल्टेज राज्य तथा क्षेत्रीय प्रणालियों को जोड़ने के लिए अपनाया गया है।

(ख) और (ग) 50 मेगावट के विद्युत उत्पादन यूनिटों तथा 400 के० वी० पारेषण उपस्कर की भावी आवश्यकताओं को; कुल मिलाकर, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सहित स्वदेशी निर्माता उद्योग पूरा करने में सक्षम होंगे। जहां भी स्वदेशी क्षमता अपर्याप्त रहती है वहां विदेशी तकनीक या हार्ड वेयर के आयात से इन्कार नहीं किया जा सकता।

पवन चक्कियों का विकास और उनकी विद्युत शक्ति का उपयोग करना

6924. **श्री राजेश पाइलट** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पवन चक्कियों के विकास और उनको विद्युत शक्ति का उपयोग करने के लिए किन्हीं परियोजनाओं का समर्थन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो सम्बद्ध खर्चे व्यक्तियों की संख्या, उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव डिजाइनों का प्रकार और सम्बद्ध खर्चे, उपयोग और वास्तविक प्रयोग में इन प्रयासों को लोकप्रियता के संदर्भ में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) तकनीकी और वित्तीय सहायता देने के लिये सम्बद्ध एजेंसियां और संस्थायें कोन-कौन सी हैं।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के विशेषकर गैर-परम्परागत स्रोतों के विकास को दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को सरकार प्रोत्साहन दे रही है। वायु ऊर्जा समुपयोजन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास परियोजनाएं प्रायोजित को गई हैं। एक आड़ी धुरी वाली पवन चक्की का विकास और क्षेत्र परीक्षण कर लिए जाने के बाद इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं कि भारतीय परिस्थितियों में पम्पिंग प्रयोग के लिए उपयुक्त तथा मूल्य की कारगर दृष्टि से कारगर अधिकल्प तैयार किया जाए। नाव के पाल के प्रकार की पवन चक्की के 10 प्रोटो-टाइपों के विकास और क्षेत्रीय परीक्षण को एक अनुसंधान और विकास परियोजना पर राष्ट्रीय एरोनाटिकल प्रयोगशाला, बंगलौर द्वारा कार्य किया जा रहा है। इन पवन चक्कियों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय तौर पर किया जा सकेगा तथा छोटे फर्मों में सिंचाई के लिए इन्हें प्रयोग में लाया जा सकेगा। राष्ट्रीय एरोनाटिकल प्रयोगशाला ने एक आड़ी धुरी वाली पवन चक्की का अधिकल्प तैयार किया है। यह मुख्यतः उथले खुले कुओं से छोटे फार्मों में सिंचाई के लिए है। सामग्री तथा पुर्जों को लागत लगभग 7000/रु० है। मशीनिंग कार्य के तथा गढ़ाई के प्रभार इसमें शामिल नहीं हैं। दूर दारज क्षेत्रों में स्थित गांवों, छोटे समुदाय/घरेलू उपयोग तथा दूर संचार कार्यों के लिए। के० डब्लयू० ई० को एक खड़ी धुरी वाले

वाले जनरेटर के विकास को एक परियोजना भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास द्वारा संयुक्त रूप में हाथ में लेने का प्रस्ताव है। कम उत्पादन करने वाली बहुब्लेड प्रकार की एक पवन चक्की का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई में किया जा रहा है। यह चक्की माइक्रो सिंचाई आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त होगी। सीधे ही विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए उपयुक्त एक ट्विन टर्बाइन वरटेक्स प्रकार की पवन चक्की के विकास के लिए एक अन्य अनुसंधान और विकास परियोजना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर में आरम्भ की गई है। कृषि सिंचाई कार्यों में भूजल पम्पिंग के लिए एक वैकल्पिक साधन के रूप में वायु को प्रयोग में लाने के उद्देश्य से नीदरलैंड की सरकार के सहयोग से, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में पवन चक्कीयों के विकास के लिए एक समेकित ग्रमीण परियोजना हाथ में ली गई है। बड़े आकार वाली चक्कियां 10 इस परियोजना के अन्तर्गत प्रतिष्ठापित की जा चुकी हैं। इनका ब्यौरा निम्नप्रकार से है:—

स्थान	प्रतिष्ठापन की तारीख
1—कुसुमीह कलां।	जनवरी, 1978
2—गाजीपुर (आर. टी. आई.)	फरवरी, 1978
3—कुसुमीह कलां-II	मार्च, 1978
4—राजादी I	सितम्बर, 1978
5—राजादी-II	दिसम्बर, 1978
6—मोहम्मदाबाद-I	अप्रैल, 1979
7—मोहम्मदवाद II	अप्रैल, 1979
8—गाजीपुर घाट	मई, 1979
9—मुगलानी चक	जून, 1979
10—दिहलिया स्कूल	जून, 1979

इस स्कीम के अन्तर्गत 11 वीं पवन चक्की भी 1979 को दूसरी छमाही के दौरान प्रतिष्ठापित की गई थी। पवन चक्कियों के निर्माण के लिए वर्कशाप भी स्थापित कर दी गई है। इन्डो-डच मूल्यांकन दल की सिफाररिसों के अनुसार यह परियोजना जारी रखी जा रही है। अभिकल्पों को विश्वसनीय, सुरक्षित और मूल्य की दृष्टि से कारगर बनाने तथा सामाजिक आर्थिक पहलुओं का विस्तृत तौर पर अध्यन करने के लिए इस दल में इस परियोजना का मूल्यांकन 1979 में किया था। लागत का और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं का और मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है। पवन चक्की के एक सैट की पूंजी लागत लगभग 6800/-रु० आंकी गई है, बशर्ते कि खुला कुंआ पहले से ही बना हो। यदि खुला कुंआ नहीं है, तो लगभग 2000/-रु० अतिरिक्त व्यय भी आवश्यक होगा। यंत्रिक इंजीनियरो, प्रयोगात्मक मैकेनिक्स, विमानिकी इंजीनियरो तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में उच्च शिक्षा और अनुभव प्राप्त वैज्ञानिकों/इंजीनिरयों के दल इन प्रायोजित परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। पवन चक्की परियोजनाओं के विकास कार्य में बहु विधा वाले संगठन लगे हुए हैं।

कर्नाटक में उर्वरक संयंत्र की स्थापना

6925. **श्री वी. वी. देसाई : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त राज्य में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की मांग पर विचार किया जाये,

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना अवधि के दौरान भारत में कितने उर्वरक संयंत्र स्थापित किये जाने की संभावना है,

(ग) क्या केन्द्रिय सरकार ने राज्य सरकार की मांग स्वीकार कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो ये उर्वरक संयंत्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जाते हैं और उन पर कुल कितनी लागत आयेगी;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) कर्नाटक सरकार ने बम्बई हाई/बसीन गैस पर आधारित उर्वरक प्लाँट लगाने का प्रस्ताव किया है। बम्बई हाई बसीन क्षेत्र से उपलब्धत होने वाले अतिरिक्त गैस पर आधारित भविष्य में उर्वरक प्लाँट लगाये जाने के संभाव्य स्थल पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा गठित कार्यकारी दल इस निष्कर्ष परपहुंचा है कि 6 और गैस पर आधारित उर्वरक प्लाँट, एक-एक मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा चार उर्वरक प्लांट यू० पी० पंजाब क्षेत्र में बड़ी कमियों को पूरा करने के लिए लगाये जा सकते हैं। दल ने कर्नाटक में बम्बई हाई/बसीन गैस से उर्वरक प्लाँट की स्थापना को इष्टतम लाभ का नहीं बताया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न के भाग (घ) के बारे में प्रश्न नहीं उठता।

(ख) सरकार ने पहले ही 5 गैस पर आधारित उर्वरक प्लाँट, बम्बई हाई/बसीन गैस पर आधारित 2 प्रयेक थाल, महाराष्ट्र में और हजीरा, गुजरात में और ओ. एन. जी. और आयल लि. के तेल क्षेत्र में उपलब्ध गैस पर आधारित एक उर्वरक प्लाँट नामरूप असम में लगाने का निर्णय किया है। इसके अलावा नागार्जुन फर्टिलाइजर्स लि० काकीनाड़ा, आँध्र प्रदेश में ईधन तेल पर आधारित उर्वरक प्लाँट लगा रहा है। छठी पचवर्षीय योजना के दौरान कुछ और उर्वरक प्लाँटों के कार्यान्वयन किये जाने की संभावना है।

दादरा नागर हवेली में सिंचाई परियोजनाएं

6926. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दादरा, नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में कितनी सिंचाई परियोजनाओं पर काम हो रहा है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान (वर्षवार) कितनी धनराशि खर्च की गई है और कितने एकड़ भूमि को सिंचाई स्कीम के अधीन लाया गया; और

(ग) वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) बृहद और मध्यम सिंचाई सेक्ट के अन्तर्गत केवल एक परियोजना नामशः दमनगंगा परियोजना को 1973-74 से क्रियान्वित किया जा रहा है। यह परियोजना गुजरात, गोवा, दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली का एक संयुक्त उप-क्रम है, लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत खुले कुंओं/नलकूपों से संबंधित स्कीमों को हाथ में लिया गया है।

(ख) और (ग) मार्च, 1979 तक दमनगंगा परियोजना पर हुए व्यय का दादरा और नागर हवेली को प्रभारित होने वाला हिस्सा 466·28 लाख रुपये था। वर्ष 1989-80 के लिए प्रत्याशित व्यय 200 लाख रुपये हैं। दमनगंगा परियोजना के पूरा हो जाने पर दादरा और नागर हवेली में 8280 हेक्टेयर कृषि कमान क्षेत्र लाभान्वित होगा।

पांचवी योजनावधि (1974-78) के दौरान लघु सिंचाई कार्यों पर 28·48 लाख रुपया हुआ था जिससे 862 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचा था। वर्ष 1978-80 के दौरान प्रत्याशित व्यय 1955 लाख रुपये हैं और लाभान्वित होने वाला क्षेत्र 1 658 हेक्टेयर है। कार्यकारी द॰ ने लघु सिंचाई कार्यों के लिए वर्ष 1980-81 के लिए 11.05 लाख रुपये के परिव्यय की सिफारिश की है जिससे 1025 हेक्टेयर को लाभ पहुंचेगा।

वर्ष 1981-82 के परिव्यय के बारे में फैसला योजना आयोग में वार्षिक योजना के बारे में होने वाले विचार-विमर्श के समय किया जाएगा।

क्लाइव स्ट्रीट नोमिनी प्राइवेटज लिमिटेड, कलकत्ता

6927. **मैं० यू० आजमी** : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्लाइव स्ट्रीट नोमिनीज प्राइवेट लिमिटेड कलकता के निदेशक मंडल में कौन कौन से व्यक्ति हैं और प्रत्येक निदेशक के पास कितने शेयर हैं; और इक्विटी पूंजी शेयरों सहित कुल अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी कितनी है;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में इस कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों का उल्लंघन करके की गई अनिमितताओं के कई मामले आये हैं; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में कम्पनी के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा इसका व्यापार क्या है, गत तीन वर्षो में इसका व्यापार कुल कितनी राशि का हुआ और इसने कितना लाभांश या हानि घोषित की है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 22 अप्रैल, 1980 तक बनाई गई वार्षिक विवरणी के अनुसार, मैसर्स क्लाइव स्ट्रीट नोमिनीज प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के निदेशक मंडल की संरचना निम्न प्रकार है :—

1. श्री राजेन्द्रपाल गोयल
2. श्री साइप्रिन डी सूजा

कम्पनी की कुल अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी 10 रु० प्रत्येक के समय 100 साम्य शेयरों को सम्मिलित करते हुए 1000 रुपए है।

निर्देशकों द्वारा कोई शेयर पूंजी धारित नहीं है।

(ख) नहीं श्रीमान् जी।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

31-12-1977, 1978 और 1979 को समाप्त हुए वर्ष तक के लाभ तथा हानि लेखा के अनुसार, कम्पनी ने कोई व्यापार सम्पन्न नहीं किया है। इन लाभ या हानि लेखाओं से, इन वर्षों में कोई व्यापार या कोई लाभ या हानि या कोई लाभांश दिखलाई नहीं देता है।

महात्मा गांधी के बारे में एक फिल्म क निर्माण

6928. **श्री जार्ज फर्नांडीज सूचना और प्रसारण मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के एक फिल्म निर्माता द्वारा महात्मा गांधी के जीवन पर एक फिल्म बनाई जानी है;

(ख) क्या सरकार ने इस फिल्म के निर्माण के लिए धन दे रही है,

(ग) क्या सरकार इस फिल्म के कथानक का अनुमोदन कर दिया है, और

(घ) क्या सरकार ने उन शर्तों को अन्तिम रूप से स्वीकृति दे दी है जिन शर्तों के अधीन इस फिल्म का निर्माण और प्रदर्शन किया जाना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) सरकार को प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निर्माता सर रिचर्ड एटनबरो से महात्मा गांधी पर एक फिल्म बनाने में सहायता करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सरकार की प्रतिक्रिया सर रिचर्ड छटनबरो के प्रस्ताव के अनुकूल है।

(ग) सरकार ने प्रस्तावित फिल्म की स्क्रिप्ट को देखा है। इसको भारत के जाने माने और ख्याति प्राप्त गांधीवादी विद्वानों ने भी देखा है और उनके द्वारा सुझाए गए संशोधन को सर एटनबरो द्वारा फिल्म में समाविष्ट कर लिया गया है। उन्होंने और सुझावों/संशोधनों पर विचार करने के लिए भी अपनी इच्छा जाहिर की है।

(घ) निवेश आवश्यकताओं, बिक्री की राशि और लाभों के वितरण, इत्यादि सहित समूची परियोजना का विस्तार से मूल्यांकन किया जा रहा है।

18 जुलाई, 1975 को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के क्षेत्र VIII के खान में एक हरिजन श्रमिक की मृत्यु

6929. **श्री ए० के० राय :** क्या **ऊर्जा और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें 18 जुलाई, 1975 को क्षेत्र संख्या VIII की खान में एक हरिजन श्रमिक की आकस्मिक मृत्यु होने के संबंध में मुआवजा वसूल करने के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की सम्पत्ति कुर्क करने हेतु उप आयुक्त, धनवाद को जारी आर्डर आफ सर्टीफिकेट के बारे में पता है,

(ख) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के इस निर्दयी व्यवहार से श्रमिकों में अक्रोस फैल गया है, और

(ग) यदि हां, यो इसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उपायुक्त, धनबाद द्वारा जारी किया गया ऐसा कोई आदेश भारत कोकिंग कोल लि० को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) भारत कोकिग कोल लि० को कामगरों के आश्रितों/कामगारों के प्रतिनिधियों, ट्रेड यूनियन नेताओं अथवा जिला प्रशासन से कोई ऐसा अभिवेदन नहीं मिला है जिसमें मुआवजे के भुगतान में देर किए जाने की शिकायत हो।

(ग) स्वर्गीय किशोर हरिजन तथा दो अन्य लीडर दिनांक 18.7.175 को कुनुस्टोर कोलियरी में घातक दुर्घटना के शिकार हुए थे। मृतकों के परिवारों को मुआवजे के भुगतान में देर असावधानी से चूक हो जाने के कारण हुई। सभी मृतक कामगारों के परिवारों को मुआवजे का भुगतान मुआवजा आयुक्त के माध्यम से तत्काल किया जा रहा है मृतकों के परिवार को समय से भुगतान न किए जाने और देर के कारणों का पता लगाने के लिए एक जाँच समिति गठित की गई है। इसके अलावा। कामगार मुआवजा अधिनियम के अधीन मुआवजे के भुगतान की प्रणाली को भी अधिक युक्ति पूर्ण बनाया जा रहा है ताकि इस प्रकार की चोटों/दुर्घटनाजनित मौतों के मामलों में तत्काल भुगतान सुनिश्चित हो सके।

जिओबेनोला बिन्नी लिमिटेड, कोचीन

6930. श्री एस० एक० कृष्ण : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिओवेनोला बिन्नी लिमिटेड, कोचीन, केरल के निदेशक मंडल की संख्या क्या है, निदेशकों/मुख्य अधिकारियों तथा विभिन्न बैंकों सहित सरकारी वित्तीय संस्थाओं के पास कितने-कितने मूल्य शेयर हैं,

(ख) क्या उक्त कम्पनी अन्यों के लिए एकनियंत्रक कम्पनी है और/अथवा किसी अन्य कम्पनी की अनुषंगी कम्पनी है अथवा दोनों रूप में हैं,

(ग) 1000 इक्विटी शेयर या उससे अधिक शेयर रखने वाले मुख्य शेयरधारी कौन-कौन हैं,

(घ) क्या यह भी सच है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन इस कम्पनी ने अनियमितताएं की हैं, और

(ङ) यदि हां, तों उसका ब्यौरा क्या है और सभी सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्य-वाही किए जाने पर विचार किया जा रहा है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) मैसर्स जिओवेनोला

बिन्नी लिमिटेड, कोचीन, केरल के निदेशक मंडल की संरचना निम्न प्रकार है :

1. श्री लक्ष्मी निवास डालमिया
2. श्री मर्क जयक्यूस जोसफ लिओवेनोला
3. श्री कार्ल गुबाई वरचीफ
4. श्री मोहन लाल मित्तल
5. श्री विकास चन्द्र सर्वाधिकारी

निदेशकों द्वारा धारित शेयरों का मूल्य केवल 90 रु० है बेंकों को सम्मिलित करते हुए लोक संस्थानों का इस कंपनी में कोई शेयर धारित नहीं है।

(ख) कंपनी, मैसर्स लक्ष्मी निवास एण्ड कंपनी (एक्सपोर्ट) प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी है।

(ग) 28-10-1978 तक बनाई वार्षिक विवरण के अनुसार कंपनी के मुख्य शेयरधारियों जो 1,000 साथ शेयरों या अधिक को धारित करते हैं, निम्नांकित है :

(1) मेसर्स जिओवेनोला फ्रेरर्स, एस. ए. स्विटजरलैंड अपने नामों सहित	10 रु० प्रत्येक के 1,39,994 शेयर
(2) मैसर्स लक्ष्मी निवास एण्ड कंपनी (एक्सपोर्ट) प्राइवेट लिमिटेड	10 रु० प्रत्येक के 2,09,993 शेयर

(घ) तथा (ङ) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 1979 की वार्षिक विवरणियां और तुलन-पत्र प्रस्तुत न करके, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159 और धारा 220 के प्रावधानों का उल्लघंन किया है इसमें आगे कार्यवाही विचाराधीन है

कर्नाटक में बड़े एककों के समक्ष ऊर्जा की कमी की समस्या

6931. श्री० एम० के० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में कर्नाटक में 1200 बड़े एककों के समक्ष बिजली की कमी की समस्या होने से कर्नाटक राज्य को भारी नुकसान हुआ ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों में बिजली की कमी के कारण काम बन्द करने वाले बड़े एककों के नाम क्या थे ;

(ग) क्या इन बड़े एककों में बिजली की कमी होने से कर्नाटक राज्य को अर्थ-व्यवस्था बहुत बिगड़ गई है ;

(घ) क्या बिजली कमी के कारण उनमें से कुछ एकक अभी बन्द पड़े हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ङ) इन एककों को बिजली कब दी जा रही है ;

(च) क्या कर्नाटक राज्य की बिजली की सप्लाई को स्थिति सुधर गई है ;

(छ) यदि हां, तो कितनी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) विद्युत की कमी होने तथा राज्य में विद्युत कटौतियां लगाए जाने के कारण चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जून के महीनों के दौरान काफी उद्योग प्रभावित हुए हैं।

(ख) प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, कर्नाटक में विद्युत की कमी के कारण कुछ अवधि के लिए जिन मुख्य यूनिटों ने काम करना बन्द कर दिया था उनमें से कुछ निम्नलिखित शामिल है :—

1. मंगलौर केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०
2. सुन्दर मेंगनीज एण्ड आयरन ओर्ज
3. अलेम्बिक ग्लास लि०
4. भोलुआ स्टोल लि०
5. आन्ध्र स्टोल लि०
6. टाप स्टोल लि०
7. प्रिड वेल नार्टक
8. प्रन्थान सीमेंट
9. बिभोगा स्टोन
10, कनारे
11. इन्दल एल्यूमिनियम पने लि० (तालाचन्द)

धारी विद्यूत टोलियां लगाए जाने के कारण सतत् प्रक्रिया वाले बहुत से उद्योग ऊर्जा से अपने संयंत्रों को चलाने में असमर्थ थे। तथापि इन उद्योगों को यह अनुनति दे दे गई थी कि वे जो महीनों के ऊर्जा कोटे का उपयोग 1 अक्तूवर, 1979 से 30 जून, 1980 तक नौ महीनों के प्रारम्भिक अवधि के दौरान करेगे ताकि उपकरों, त्रूटियों आदि को जिस प्रकार के अनुमति वे अपने संयंत्रों को चला सकें। बहुत से उद्योगों ने इस प्रस्ताव/सुविधा का उपयोग किया तथा नौ महीनों के ऊर्जा कोटे का उपयोग काफी पहले अवधि के दौरान अपने कारखाने बन्द कर दिए।

(ग) विद्युत की कमी से राज्य में औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है।

(घ) और (ङ) यह बताया जाता है कि विद्युत की कमी के कारण जो औद्योगिक केन्द्र बन्द थे, उन यूनिटों ने राज्य में विद्युत कटौतियां हटा लिए जाने पर 1-7 1980 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

(च) और (छ) कर्नाटक विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार पहले ही हो चका है और उद्योगों पर लगाई गई जो कटौतियां हटा ली गई है। इस स्थिति में और सुधार का प्रश्न जल वर्ष 1980-81, अर्थात् जुलाई, 1980 से जून, 1980 तक के अवधि के दौरान जल विद्युत जलाशयों में होने वाले अन्तर्वाहियी जुड़ा हुआ है।

सी० सी० एल० में हरिजन तथा आदिवासी महिला मजदूरों को हटा कर पुरूष मजदूरों को लगाना

6932. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी आदेशों के अनुसार, सी० सी० एल०, हजारीबाग में कोल इंडिया लि० के अधीन काम कर रही हरिजन तथा आदिवासी महिला मजदूरों को हटाकर, उनके स्थान पर उन्हीं के पुरूष संबंधियों को लगाया जा रहा है ;

(ख) क्या वहां काम कर रही महिला मजदूरों को प्रोत्साहन देकर अधिकारीगण गैर-हरिजन आदिवासी पुरूषों को काम पर लगा रहे हैं और इस तरह से उनका अनुचित लाभ उठा रहे हैं ; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो कितनी महिलाओं को नौकरी से हटाया गया है, और उनकी जगह नियुक्त किए गए व्यक्तियों के नाम क्या है तथा गैर-हरिजन-आदिवासियों की नियुक्ति किए जाने के क्या कारण हैं ; और इस बारे में क्या उपचारात्मक उपए किए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) जी नहीं । तथापि, से० को० लि० में स्वेच्छा से रिटायर होने की योजनाएं पुरूष और महिला दोनों वर्गो के कामगारों के लिए लागू की गई हैं जिनमें सेवा निवृत्त महिला कामगारों के पुरूष आश्रितों को रोजगार देने का प्रावधान है । ऐसी स्कीमें सभी महिला कामगारों पर लागू होती हैं । जिनमें आदिवासी और हरिजन भी शामिल हैं ।

(ख) ऐसा कोई मामला प्रबंन्ध मण्डल की नोटिस में नहीं आया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठना ।

बिहार को अधवाड़ा बाढ़ परियोजना को बाढ़ निरोधक-तथा सिंचाई योजना में परिवर्तित करना

6933. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सीतामढ़ी, मधूबनी और दरभंगा जिले में अधवाड़ा बाढ़ निरोधक परियोजना को बाढ़ निरोधक-तथा-सिंचाई योजना में परिवर्तित करने का विचार है; यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त द्विउद्देश्यीय परियोजना के आंशिक निर्माण के रूप में धौस बागमती, खिओई तथा अधवाड़ा ग्रुप को अन्य नदियों पर तटबन्ध तथा थोड़े अन्तर से जल-कपाट बनाये जाएगे;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो वास्तविक स्थिति क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) से (घ) बिहार सरकार से बाढ़-नियंत्रण परियोजना को बाढ़ को एवं सिंचाई परियोजना में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बिहार सरकार ने बागमती-अधवाड़ा बेसिन में बाढ़-नियन्त्रण और जल-निकास सम्बन्धी अपने कार्यक्रम (5-7 वर्ष) में निम्नलिखित स्कीमों को शामिल किया है :—

1. अधवाड़ा समूह- बाढ़ नियंत्रण स्कीम।

2. दरभंगा-बागमती पर साउली घाट से नब्वी तक और बचराजा-कमला पर करसयूम से पेसियूटन तक तटबन्ध।

3. लख नदीही नदी का सरणीकरण (चेनलाइजेशन)

4. अधवाड़ा तटबन्ध के 44 मील लम्बे भाग को ऊंचा उठाना, चौड़ा करना और वहां कटाव-रोधी कार्यों की व्यवस्था करना तथा तटबन्ध के ऊप्रर पक्की सर्विस करना।

5. खिरोही तटबन्धी पर 59 मील लम्बे भाग को ऊंचा उठाना और सुरक्षा कार्यों की व्यवस्था करना।

छठी योजना (1980-85) के प्रारूप में जो जून, 1980 में प्रस्तुत किया गया था, राज्य सरकार ने इन स्कीमों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं दिखाई है।

डीजल चालित 'डियूजा' विद्युत उत्पादक यंत्र

6934. श्री विजय कुमार यादव : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने डीजल-चालित डियूजा' विद्युत उत्पादन यन्त्र उनके पुर्जो सहित खरीद कर बेरासिउल हाइडल प्रोजेक्ट के बांध स्थल पर लाये गए हैं और उनका कुल क्रय मूल्य कितना है;

(ख) क्या यह सच है कि एक 'डियूजा सेट का पिस्टन 19 जुलाई, 1978 को गलत प्रयविक्षण के कारण टूट गया था और यदि हाँ, तो इससे अनुमानतः कितनी हानि हुई थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि 'डियूजा' सेटों के पुर्जो का कोई भी रिकार्ड नहीं रखा जाता है और कुछ पुर्जोंको कबाड़ में फेंक दिया जाता है जिससे लाखों रुपयों की हानि होती है;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) और (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) मैसर्ज मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से पुराने और प्रयोग किए हुए दो 'डियूजा' डीजल उत्पादन सैट, (फालतू पुर्जों की 226 मदों तथा औजारों को 23 मदों सहित) 1,56030 रुपयों की कुल लागत पर खरीदे गए थे,

(ख) जी, नहीं, लगभग दो वर्ष तक कार्य करने के पश्चात इन सेटों में से एक सेट,

उसके पिस्टन रिंग तथा सिलेंडर लाइनर्न में सामान्य-टूट-फूट के कारण खराब हो गया तथा यह खराबी गलत पर्यवेक्षण के कारण नहीं हुई थी। अतः हानि होने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। सेटों के साथ खरीदे गए फालतू पुर्जे संहिता सम्बन्धी प्रावधानों के अनुसार लेखे में से लिए गए हैं। कोई भी फालतू पुर्जे कबाड़ में नहीं फेंके गए हैं और इसलिए हानि का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उडता।

ओलम्पिक खेलों का टेलीविजन पर साथ-साथ प्रसारण

6935. श्री भीकुराम जैन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओलम्पिक खेलों का साथ-साथ नहीं हो सकता है और खेलों की केवल संक्षिप्त घटनाएं दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता से दिखाई जायेगी;

(ख) यदि हाँ, तो खेलों का साथ-साथ प्रसारण करने में होने वाली कठिनाइयां किस तरह की हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार अभी भी ओलिंपिक खेलों की सभी घटनाओं का ब्यौरा साथ-साथ प्रसारण करने की व्यवस्था करने की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिंहा) : (क) ओलम्पिक खेलों की प्रतिदिन की मुख्य घटनाओं के 20 मिनट की अवधि के मुख्य अंशों और उन सभी हाकी मैचों, जिनमें भारत खेला है, विडीयों रिकार्डिगें सभी दूरदर्शन केन्द्रों से टेलीकास्ट की जा रही हैं।

(ख) ओलम्पिक खेलों की सभी घटनाओं को साथ साथ टेलीकास्ट करना निम्नलिखित कारणों से सम्भव नहीं है;

(1) साथ साथ टेलीकास्ट करनी की व्यवस्था करने का खर्चा बहुत अधिक होगा और और उसमें काफी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा निहित होगी।

(2) क्योंकि दूरदर्शन के पास केवल एक ही चेनल है, अतः सभी ओलम्पिक घटनाओं को सीधे टेलीकास्ट करने से दूरदर्शन के सामान्य प्रेषणों में काफी कटौती होगी विशेषकर इसलिए कि ओलम्पिक घटनाएं विभिन्न स्थानों पर सुबह से रात तक चलती हैं।

(3) वर्तमान सुविधाओं के साथ ओलम्पिक खेलों को सीधे टेलीकाट करना केवल बम्बई दिल्ली और मद्रास दूरदर्शन केन्द्रों से ही संभव है।

(ग) इसलिए केवल हाकी फाइनल को ही साथ-साथ टेलीकास्ट करने का निर्णय किया गया था, किन्तु यह भी अन्तिम समय में अप्रत्याशित कठिनाइयों के कारण साथ-साथ टेलीकास्ट नहीं हो सका।

बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की संख्या

6936. श्री मूलचन्द डागा : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आजकल चल रही बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की की कुल संख्या और सरकार द्वारा उन पर खर्च की गई कुल धनराशि तथा सिंचाई और अन्य शीर्षों के अधीन अर्जित किए जा रहे राजस्व की धनराशि के आँकड़े दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा ; और

(ख) इस वर्ष कितने और अधिक क्षेत्र पर सिंचाई होने की आशा है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

सिंचाई से होने वाला राजजस्व राज्य सरकारों द्वारा एकत्र किया जाता है और इसका लेखा भी राज्य सरकारों द्वारा रखा जाता है।

बृहद निर्माणाधीन परियोजनाओं पर हुए व्यय को दिखाने वाला विवरण।

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	राज्य का नाम/परियोजना	अद्यतन अनुमानित लागत	मार्च, 1980 तक हुआ व्यय
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	गोदावरी बराज	66.0	47.3
2.	नागार्जुन सागर दायां तट, बाँया तट	533.0	360.0
3.	पोचमपाद	350.0	195.9
4.	सोमासिला चरण-एक	59.9	23.4
5.	तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर चहण-दो	40.6	29.4
6.	वंसधारा चरण-एक और दो	106.0	18.9
7.	निजाम सागर का सुधार	14.8	11.1
8.	सिंगापुर परियोजना	32.0	4.1
	असम		
9.	धनसिरी	22.5	9.8
	बिहार		
10.	गंडक	415.9	230.9
11.	वटेश्वर स्थान	27.8	2.2
12.	दुर्गावती जलाशय	50.0	10.2
13.	डकरानाला	16.9	1.4

1	2	3	4
14.	कोसी बराज और पूर्वी नहर	191.7	91.8
15.	राजपुर नहर	25.2	1 .4
16.	पश्चिमी कोसी नहर	161.8	21.2
17.	सोन उच्च स्तरीय नहर	47.6	31.0
18.	कोनार व्यपवर्तन उत्तर	29.8	5.7
19.	उत्तर कोइल जलाशय	113.8	38.7
20.	बागमती	75.5	10.3
21.	सुर्वणरेखा	235.4	15.4
22.	अजय बराज	30.0	8.1
23.	बरनार	16.0	3.8
24	अपर कियुल	30।4	4.0
25.	बाणसागर बांध	22.8	3.5
26.	औरंगा	80.0	2.3
	गुजरात		
27.	दमनगंगा	96.8	40.1
28.	हेरन	49.2	4.7
29.	कर्जन	84.8	13.0
30.	कडाना (माही चरण दो)	61.3	87.6
31.	पानम	41.4	25.1
32.	साबरमती	64.6	54.4
33.	सुखी	32.5	10.6
34.	सिपु	22.6	1.1
35.	वतरक	24.1	8.8
36.	नर्मदा (सरदार सरोवर)	2755.0	53.5
	हरियाणा		
37.	व्यास यूनिट एक और इसका विस्तार	8.5	7.6
38.	व्यास यूनिट दो और इसका विस्तार	36.2	33.5
39.	गुड़गांव नहर	14.0	11.7
40.	जे० एल० एन० लिफ्ट सिंचाई	94.3	66.9
41.	लोहारु लिफ्ट सिंचाई	30.0	23.2
42.	सवानी लिफ्ट सिंचाई	23.5	22.5
43.	सतलूज यमुना लिंक	130.0	29.0

1 2	3	4
44. ताजेवाला बराज का निर्माण	26.0	3.1
45. नए ओखला बराज का निर्माण	8-0	—
जम्मू और कश्मीर		
46. रावी नहर	46.0	23.3
कर्नाटक		
47 भाद्रा	58.0	46.6
48. घटप्रभा (चरण-तीन)	162.0	104.3
49. मालाप्रभा	162.0	104.4
50. तुगंभद्रा उच्च स्तरीय चरण-दो	10.8	10-1
51- अपर कृष्णा	400-0	100.8
52- करजा	25-0	9-0
53- बेनीठोर	16-0	3-1
54- हिपारगी वराज	43-3	2-6
कावेरी देसिन की योजना-भिन्न स्कीमें		
55- काविनी	79-0	53-3
56- हरंगी	58-0	29-5
57- हेमावती	240-0	66-6
केरल		
58- चित्रपुझा	12-0	8-6
59- कल्लाड़ा	176-0	34-3
60- कनहीरपुझा	81-4	16-3
62- कुटटियाडी	38-6	32-9
62- पम्बा	35-0	27-9
63. पेरियार घाटी	39.7	25.6
64. पंझासी	42.0	23.5
65. मुवतपुझा	37.0	4.8
66. चीमोनी	14.4	2.8
मध्य प्रदेश		
67. बेरियारपुर बाई तट नहर	18.4	1.0
68. बारणसागर बांध	102.6	10.7
69. बारगी	289.0	45.2

1.	2.	3.	4.
70.	हसदेव बगो (सिंचाई)	245.2	39.6
71.	हलाली	12.8	8.8
72.	कोदर	6.6	2.2
73.	एम० आर-चरण-एक	45.0	36.6
74.	महानदी चरण-दो	124.6	14.9
75.	राजघाट बांधा	75.8	9.5
76.	सुक्ता	10.7	8.8
77.	तवा	93.0	82.2
78.	अपर वेनगंगा	50.7	26.9
79.	उर्मिल दाई तट नहर	6.4	0 3
80.	सिंध चरण एक	13.7	10.9
81.	पेरी	13.0	12.2
82.	जोंक	8.3	5.9
83.	थानवार	11.6	2.3
84.	नर्मदा सागर	170.0	3.4
	महाराष्ट्र		
85.	भीमा	127.7	96.2
86.	चसकमान	35.4	1.3
87.	जयकवाडी चरण एक	156.4	1.113
88.	जयकवाडी चरण दो	123.4	35.5
89.	खडगवासला	91.7	41.7
90.	कृष्णा	115.0	44.9
91.	कुकाडो	140.4	52.1
92.	मंजरा	32.8	19.2
93.	मुल्ला	27.5	24.0
94.	पेंच सिचाई	81.5	30.9
95.	सूर्य	41.9	11.3
96.	अपर गोदावरी	36.1	24.6
97.	अपर पेनगंगा	170.3	8.6
98.	अपर तापी चरण एक	61.0	35.0
99.	अपर वर्धा	107.2	29.1
100.	वर्णा	128.6	30.2
101.	तिल्लारी	9.6	0.5
102.	दुधगंगा	97.5	10.2

1	2	3	4
	मणिपुर		
103.	लोकतक लिफ्ट सिंचाई	15.3	10.7
	उड़ीसा		
104.	आन्दपुर	9.7	5.2
105.	महानदी डेल्टा	70.6	66.9
106.	रेंगाली बांध	20.4	9.9
107	अपर कोलाब	96.7	10.5
108.	अपर इन्द्रावती (बाँध)	46.4	2.0
	पंजाब		
109.	ब्यास यूनिट एक और इसका विस्तार	12.7	11.6
110.	ब्यास यूनिट दो और इसका विस्तार	56.0	5.0
111.	शाहनहर फीडर नहर	33.9	19.6
112,	शाहनहर नहर का सुधार और विस्तार	22.0	3.6
113.	थींनिल बांध	263.0	22.9
114.	अपर बारी दोआब नहर ट्रेक्ट के लिए गैर बारहमासी सिंचाई का विस्तार	5.9	5.3
115.	रावी ब्यास के अतिरिक्त जल का समूम्योजना	9.9	5.9
116.	ब्यास यूनिट एक और उसका विस्तार	3.7	3.4
117.	ब्यास यूनिट दो और उसका विस्तार	131.5	118.9
118.	चम्बल चरण एक	78.9	21.9
119.	गुडगांव नहर	9.5	4.7
120.	जाखम	31.8	11.9
121.	माही बजाजसागर	58.9	11.2
122.	राजस्थान नहर चरण एक	206.0	194.8
123.	राजस्यान नहर शरण दो	215.5	64.8

1	2	3	4
	तमिलनाडु		
124.	पेरियर प्राणली का सुधार	69.0	16.5
	उत्तर प्रदेश		
125.	देवकाली पम्प नहर	14.3	10.9
126.	पूर्वी वेगुल जलाशय	6.3	5.3
127.	गंडक	91-5	64.3
128.	नारायणपुर पम्प नहर की क्षमता में वृद्धि	15.0	10.9
129.	जमरानी बांध	61.3	6.2
130.	लखवार ब्यासी	91.4	3.0
131.	मध्य गंगानहर	106.0	27.3
132.	समानान्तर लोअर गंगा नहर	49.4	32.8
133.	सोन पम्प नहर	314.9	303.5
134.	शारदा सहायक	13-0	9-5
135.	सहजाद बांध	8-0	5-6
136.	टिहरी बांध	346-0	29-8
137.	कन्हार सिंचाई	55-8	13-0
138.	मौधा बांध	26-8	5-5
139.	राजघाट बांध	61-6	15-4
140.	ओखला बराज	25-5	11-1
141.	मेजा बांध की ऊंचा उठाना	8-0	4-9
142.	बांई तट घाघरा नहर	299-2	30-9
143.	उर्मिला बांध	8-6	1-6
144.	सुलेली सिंचाई	6-4	3-7
145.	जामनिया पम्प नहर की क्षमता में वृद्धि	10-5	1-9
146.	बाणसागर बांध	22-8	5-0
147.	पूर्वी गंगा नहर	48.5	1.2
	पश्चिमी बंगाल		
148.	दामोदर घाटी निगम सिंचाई	30.0	24.5
149.	कंसवी	72.0	67.0
150.	तीता चरण एक उप चरण-एक पेज- 1(बी)	120.0	45.9

विवरण

वृहद और मध्यम परियोजना (योजना पूर्व सहित) से
प्रत्याशित क्षमता और समुपयोजना

(हजार हेक्टेयर)

क्रम सं०	राज्य	1979		1980-81	
		क्षमता (प्रत्याशित)	समुपयोजन (प्रत्याशित)	क्षमता (लक्ष्य)	समुपयोजना (प्रत्याशित)
1.	आन्ध्र प्रदेश	2932	2846	2987	2946
2.	असम	103	54	118	69
3.	गुजरात	1047	581	1080	609
4.	बिहार	2452	1720	2539	1804
5.	हरियाणा	1769	1630	1783	1658
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	3	2
7.	जम्मू और कश्मीर	105	98	118	102
8.	कर्नाटक	1100	1075	1159	1133
9.	केरल	479	458	515	494
10.	मध्य प्रदेश	1403	1098	1508	1266
11.	महाराष्ट्र	1283	728	1373	799
12.	मणिपुर	8	7	15	10
13.	मेघालय	—	—	—	—
14.	नागालैंड	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	1429	1429	1459	1459
16.	पंजाब	2307	2301	236	2320
17.	राजस्थान	1547	1332	1604	1365
18.	सिक्कम	—	—	—	—
19.	तमिल नाडु	1188	1171	1191	1151
20.	त्रिपुरा	—	—	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	6013	4948	6295	5242
22.	पश्चिम बंगाल	1573	1427	1603	1498
	सारे राज्य	26738	22903	27644	23967
	संघ राज्य क्षेत्र	10	10	10	10
	अखिल भारत	26738	22913	27654	23977

पूर्ण हुई बृहद सिंचाई परियोजनाओं और उनकी अनुमानित लागत/उनपर हुए व्यय को दिखाने वाला विवरण ।

(करोड़ रुपयों/हजार हेक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य/परियोजनाओं का नाम	अनुमानित लागत/3/80 तक हुआ व्यय
1.	2.	3.
	आन्ध्र-प्रदेश	
1.	के० सी० नहर	7.95
2.	तुंगभद्रा निम्न स्तरीय नहर	13.51
3.	कदम	8.36
4.	तुंभद्रा उच्च स्तरीय नहर, चरण-एक	20.20
	बिहार	
5.	बधवा	6.28
6.	सोना बराज और पुनरुर्पण कार्य तथा लिंक नहर	1605
7.	चंदन जलाशय	14.06
	गुजरात	
8.	बनस (दंतीवाडा)	12.74
9.	हथमाटी	5.62
10.	शेत्रुंजी	6.96
11.	उकई	124.97
12.	कक्रापुर	20.55
	हरियाणा	
	भाखड़ा नंगल (पंजाब और राजस्थान के साथ पंजाब में दिखाया गया अन्तर्राज्यिक)	
13.	पश्चिम यमुना नहर (पुनरूपण)	9.47
	जम्मू और कश्मीर	
14.	तवी लिफ्ट सिंचाई	7.11
	कर्नाटक	
15.	घटाप्रभा चरण-एक	7.24

1	2	3
16.	घटाप्रभा चरण-दो	65.30
	तुंगभद्रा बांयी तट नहर	56.12
	तुंगभद्रा दांयी तट नहर	4.07
	केरल	
17.	मालमपुझा	5.80
	मध्य प्रदेश	
	भादर नहर (उत्तर प्रदेश में माताटिला बांध का भाग)	उत्तर प्रदेश में माताटिला बांध में शामिल
18.	हरदेव बराज	10.15
19.	हरदेव दांयी तट नहर	13.91
20.	वर्ना	15.27
	महाराष्ट्र	
21.	घोड़	5.56
22.	वीर सिंचाई	5.35
23.	गिर्णा	14.99
24.	पूर्णा	19.61
25.	पुरा	5.04
26.	कल	8.11
27.	तुलसी	6.66
28.	बांध	14.65
29.	इत्यादीह	9.69
	उड़ीसा	
30.	हीराकुड	82.77
31.	खालंदी	16.13
32.	भाखड़ा नंगल (हरियाणा और राजस्थान के साथ अन्तर्राज्यिक)	175.14
33.	हरिके	9.13
34.	सिरहिन्द फीडर	6.71
	राजस्थान	
35.	भाखड़ा	22.6

1	2	3
	तमिलनाडू	
36.	लोअर भवानो	10.34
37.	मनीमूथर	5.05
38.	चित्तरपटनमकल	7.47
39,	वाईगई चैनल का आधुनिकणकीरण	8.22
	उत्तर प्रदेश	
40.	माताटिला	12.52
41.	सरदार सागर चरण-दो	7.37
42.	हरिपुरा जलाशव	[6.46
43.	कीसी सिंचाई	11.60

विवरण दो

भाग ख

जनजातीय क्षेत्रों को लाभ देने वाली छठी वार्षिक योजना के दौरान क्रियान्वयन और अन्वेषण के लिए हाथ में ली गई राज्यवार सिंचाई परियोजनाएं।

मणिपुर

1. खोनपाम
2. थाउवल
3. केलजर
4. अलाबन्दी
5. सूर्य
6. भटसा
7. वण्दरी
8. नागजारी
9. लोनी
10. डूंगरगांव (नानदेद)
11. वगदही
12. अन्तरगांव
13. अमलनाला
14. दीनानदी
15. चरगांव
16. रंगवती
17. अनेर
18. चन्नान.ी
19. चंदई नाला
20. अमरतापी चरण-दो

उड़ीसा

1. खडकई
2. नेला
3. सुनई
4. कालो
5. सराफगढ़
6. तलसारा
7. अपर कोलाल
8. रेमन
9. पीलासल्की
10. बन्दपिपिली
11. कनझारी
12. अपर इन्द्रावती
13. पोट्टेरु
14. बालदिला
15. हरभंगी

1	2	1	2

राजस्थान

1. माहीवजाजसागर
2. सोम कमलांबा
3. जाखम
4. वार्गों व्यपवर्तन
5. दाइया परियोजना

केरल

अट्टापाडी

आन्ध्र प्रदेश

1. वोट्टोगेडा
2. माल्लऊ वोगु
3. मुक्कमामिडी
4. वोट्टीवागु
5. पेड्डावागु
6. तलोपूरू
7. गुडलवागु
8. सतनाला
9. जाल्लेरू
10. मड्डीगोडा

असम

1. कलियावार
2. कलदिया
3. डैंकाडोंग
4. वोरडीकेरई
5. एकीकृत सिंचाई कल्लोंग
6. रूपाही
7. पोहूमरा
8. काल्लोंगा
9. डिक्कारी
10. धनसारी

बिहार

1. स्वर्ण रेखा
2. अजय वराज
3. बंसलोई
4. चिन्दा
5. सुन्दर
6. गुमानी
7. तोरई
8. सुगथान
9. पारस
10. मसरिया
11. चिरगांव
12. जयपुर
13. कांस
14. बुचोपा का नवीकरण
15. नकटी (जलाशय)
16. पालना
17. लक्ष्मगारा
18. झरखरा
19. मुराहोर
20. सकरीगला
21. चिरका
22. पुनासी
23. बुरहई
24. उत्तरी कोइल
25. बुटनदुग्रा
26. मोरिया दनरो
27. मालेय
28. वाम बंकी

गुजरात

1. उकई
2. वेर-दो (रूमली)

3. पिगुट
4. बल्देव
5. दमनगंगा
6. माही चरण-दो (कडाना)
7. मछन नाला
8. वनकलेश्वर भेज
9. हरनव-दो
10. वैद्य
11. रामो
12. सुखी
13. कबूतरी
14. झनखिरी
15. सिदुम्बर
16. इदलमादा
17. चापदयार
18. काकादियाम्बर
19. मेम
20. तुझ
21. अनी
22. हाथीमान
23. लखोगाम
24. संकारा
25. केलिया
26. धोली
27. उमरिया
28. ओरसांग

मध्य प्रदेश

1. हसदेव बांग
2. चार बुराड़ी
3. गुलाबपुरा
4. मोदसागर
5. बर्मनदल
6. सकात्दा
7. सोनखादा
8. थानवर
9. मोनियारी
10. माघगांव
11. घूंघटा
12. बंकी
13. झुमका
14. जोहिला
15. पैरी
16. बिजन
17. बंजर
18. मांडव्यपवर्तन
19. खम्पपकोट
20. वरूनदी
21. धोलामद

महाराष्ट्र

1. वगहद (अपर गोदावरी का भाग)
2. हरनवारी
3. केलजर
4. अलान्दी
5. सूर्य
6. भटसा
7. वन्दरी
8. नागजारी
9. लोनी
10, डंगरगांव (नानदेद)
11, वगहदी
12, अन्तरगांव
13, अमलनाला
14, दोना नदी
15, चरगांव
16, रंगवती
17, अनेर
18, चन्नानदी
19, चंमेंई नाला
20, अपर ताप चरण दो
21, पकड़ीगुज्म

22. वारगांव
23. करवप्पा नाला
24. डोंगरगांव
25. देहाली
26. देहराजी

मणिपुर

1. खोनपाम
2. थाऊब्रल
3. गुगा

उड़ीसा

1. खडकई
2. नेसा
3. सुनई
4. कालो
5. सराफगढ़
6. तलसारा
7. अपर कोलाब
8. रेमल
9. पीलासाल्की
10. बन्दपिपिली
11. कनझारी
12. बड़ानाला
13. बंकाबल
14. अपर इन्द्रवती
15. कंसनहल
16. बरसुआ
17. बालदिला
18. हरभंगी

राजस्थान

1. भाही बजाज
2. सोम कमलाम्वा
3. जाखम
4. सोम कगडोव
5. वैगन व्यपवर्तन

त्रिपुरा

1. खोवई

केरल

अट्टापाडी

विवरण-तीन

जनजातीय क्षेत्रों को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से लाभ देने वाली परियोजनाओं का 1979-80 तथा 1980-81 के के लिए राज्यवार परिव्यय

क्रम सं०	राज्य का नाम	1979-80 के दौरान व्यय (लाखों में)	शिफारिस किया गया परिव्यय लाखों में 1980-91
1.	आन्ध्र प्रदेश	508.00	475.00
2.	असम	840.00	756.00
3.	बिहार	2430.00	3247.00

4.	गुजरात	2923.00	2947.00
5.	मध्य प्रदेश	1631.53	1575.50
6.	महाराष्ट्र	1142.20	1127.80
7.	मणिपुर	130.00	253.00
8.	उड़ीसा	1350.00	2361.00
9.	त्रिपुरा	—	5.00
10.	राजस्थान	1430.00	1500.00
11.	केरल	110.00	65.00

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के अधिकारियों को चार्जसीट किया जाना

6937. **श्री मनीराम बागड़ी** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के 160 अधिकारियों को उनके विरुद्ध विभिन्न आरोपों पर चार्जशीट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि उनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजान) : (क) से (ग) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में जनवरी, 1980 तक 39 अधिकारियों को विभिन्न आरोपों के लिए आरोप-पत्र दिए गए।

इन 39 मामलों में से अभी तक जिन 11 मामलों का निपटारा किया जा चुका है, उनका विवरण इस प्रकार है:—

सावधान किया गया	—	
चेतावनी दी गई	—	5
एक वेतनवृद्धि रोकी गई	—	1
दोष-युक्त दिए गए	—	

अन्य मामलों की जांच की जा रही है। जांच के परिणाम सामने आने के बाद कम्पनी इस बात का निर्णय करेगी कि किस प्रकार की कार्रवाई की जाए।

विद्युत वितरण खण्ड, कन्नौज: उत्तर प्रदेश के विद्युत कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

6938. **श्री दया राम शाक्य** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत वितरण खण्ड, कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के विद्युत कर्मचारी अभी तक भी हड़ताल पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रमुख मांगें क्या हैं ;

(ग) हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी थी और हड़ताल कितनी अवधि तक चलती रही ;

(घ) सरकार ने सूखे की स्थिति को देखते हुए हड़ताल को समाप्त कराने के लिए क्या उपाय किए हैं ; और

(ङ) हड़ताल के कारण कुल कितनी क्षति होने का अनुमान है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) बिजली कर्मचारी अब किसी प्रकार की हड़ताल आन्दोलन पर नहीं हैं । कर्मचारी 14-5-1980 से 12-6-1980 (पूर्वाहन) तक क्रमिक भूख हड़ताल पर थे ।

(ख) उनकी मुख्य मांगें पदोन्नति, स्थानान्तरण, यात्रा भत्ते के भुगतान आदि से संबंधित थीं ।

(ग) क्रमिक भूख-हड़ताल 14-5-1980 से शुरू होकर 12-6-1980, पूर्वाह्न तक चलती रही तथा प्रतिदिन चार कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया ।

(घ) स्थानीय अधिकारियों ने जिला प्रशासन कन्नौज की सहायता से समस्याओं का समाधान निकला और आन्दोलन 12-6-1980 (पूर्वाह्न) से वापिस ले लिया गया था ।

(ङ) हड़ताल के परिणामस्वरूप कोई हानि नहीं हुई ।

"सेव कोल इंडिया" नामक पुस्तक में लगाये गये आरोपों की जांच

6939. श्री एन० ई० होरो : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "सेव कोल इण्डिया" नामक पुस्तक में लगाये गये कतिपय आरोपों की कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा जांच की जानी थीं ;

(ख) यदि हां, तो जांच के परिणामों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभी पटल पर रख दी जाएगी ।

हिन्दू धर्म ग्रन्थों पर आकाशवाणी कार्यक्रम

6940. श्री नवीन रवाणी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी अपने कार्यक्रमों, विशेषकर प्रातःकालीन कार्यक्रमों में हिन्दू धर्मग्रन्थों और कहानियों को समर्पित अनेक प्रकरण पेश करता है ;

(ख) यदि हां, तो यह हमारे प्रशासन के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप से किस तरह मेल खाता है;

(ग) क्या अन्य धार्मिक वर्गों से इस बारे में प्रत्यक्ष रूप से कोई आपत्ति की जाती हैं,

(घ) आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसी धार्मिक प्रवचन से दूर रहने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं । प्रातःकालीन भक्ति सगीत के लिए अधिकतर साम्प्रदायिक रचनाओं, जो सभी धार्मिक वर्गों को स्वीकार्य हों, को तरजीह दी जाती है । तथापि, भक्ति के साथ भारतीय संगीत का मेल यह धारणा देता है कि कार्यक्रमों में हिन्दू ग्रन्थों का बाहुल्य होता है ।

(ख) भारतीय समाज धर्मनिरपेक्ष है किन्तु अधार्मिक नहीं है । अतः माध्यम श्रोताओं/दर्शकों की धर्म में रुचि से वेलाग नहीं हो सकते और भक्ति संगीत में निहित धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक सवेदनशीलताओं को नहीं छोड़ सकते जो हमारी धर्मनिरपेक्ष नीतियों के असंगत नहीं है ।

(ग) कार्यक्रमों के हिन्दू स्वरूप के बाहुल्य के बारे में भूतकाल में कुछ शिकायतें थीं । कुछ शिकायतें तर्क बुद्धिवादियों के वर्गों द्वारा भी उनके धार्मिक स्वरूप के बारे में सामान्य रूप से की गई थी ।

(घ) आकाशवाणी और दूरदर्शन किसी भी धर्म या विश्वास के पक्ष को आगे बढ़ाने में नहीं लगता । कार्यक्रमों की योजना बनाने में भी सावधानी बरती जाती है ताकि किसी धर्म के साथ भेदभाव न हो ।

उच्चतम न्यायालय में श्रमिक विवादों से सम्बन्धित लम्बित मामले

6941. प्रो० मधु दण्डवते : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रमिक विवादों से सम्बन्धित बहुत से मामले उच्चतम न्यायालय में लम्बित हैं ;

(ख) यदि, तो ऐसे ऐसे लम्बित मामलों की कुल संख्या क्या है , और

(ग) क्या इन लम्बित मामलों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों को केवल श्रमिक विवादों वाले मामलों से सम्बन्धित कार्य सौंपने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तारीख 1 जुलाई, 1980 को लम्बित ऐसी अपीलों की संख्या 498 थी जो श्रम विवादों के संबंध में हैं ।

(ग) उच्चतम न्यायालय ने सूचित किया है कि जब कभी आवश्यकता अनुभव की जाती है, औद्योगिक विवादों से संबधित अपीलों की सुनवाई के लिए बैंच गठित की जाती है ।

प्रेस में बलात्कार की झूठी घटानएं छापा जाना

6942. श्री एडुआर्डो फलीरो : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल ही में समाचार पत्रों में बलात्कार तथा अन्य अपराधों की झूठी घटनाएं बड़ा-चढ़ाकर छापी गई हैं जिनसे लोगों के एक बड़े वर्ग में आतंक फैल गया है और उसमें असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) : कथित बलात्कार तथा महिलाओं पर अन्य अत्याचारों के बारे में समाचार प्रकाशित करने की हालत ही में समाचारपत्रों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति ध्वान में आई है। एक मामले में झूठा समाचार भी सरकार के ध्यान में आया है।

(ख) सरकार प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए बचनबद्ध है और वह समाचारपत्रों द्वारा समाचारों और विचारों के प्रस्तुनीकरण में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखती। स्वतंत्र प्रेस वाले लोकतान्त्रिक ढांचे में स्व-अनुशासन और आत्म संयम स्वयं प्रेस से ही उद्भुत होना है। आचार संहित का विकास और इसका कार्यान्वियन स्वेच्छापूर्वक ही होना चाहिए।

तथापि, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत स्थापित भारतीय प्रेस परिषद् को यह अधिकार है कि जब कोई समाचारपत्र या समाचार एजेंसी पत्रकारिता संहिता या लोक रुचि के मानकों का उल्लंघन करे या कोई सम्पादक या श्रमजीवी पत्रकार कोई व्यावसायिक दुराचरण करे तो वह उसकी शिकायत प्राप्त होने पर या अन्यथा आवश्यक कार्रवाई करे। इनके अलावा, पुर्नगठित प्रेस आयोग द्वारा समाचारों के प्रकाशन और समाचारिक मूल्यों के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाना है।

कलकत्ता की फर्म द्वारा राष्ट्रीय तापीय संयत्र निगम को धोवा दिया जाना

6943 श्री भवेन रवाणी : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊर्जा के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की सफलता के लिए व्यापारें खर्च द्वारा आ० लाख रूपए का धोखा दिया गया हैं,

(ख) यदि हां, तो विशेष इस्पात स्पूर्ति करने के ठेके का ब्योरा क्या है और 8 लाख रूपए अग्रिम राशि दिए जाने के क्या कारण है ; और

(ग) नापता ठेकेदार तथा उत्तर दात्य एवं कर्मचारियों के विरूद्ध की त्रिरूटिया की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने अपने धोवा परियोजना के लिए 20 ब्यौरों इनस्टील की सप्लाई के लिए कलकत्ता फर्म

के लिए 21-4-1980 को आर्डर दिया था। बाद में, फर्म ने परियोजना प्राधिकारीयों को सूचित किया कि सारे तपग्रे जिले बरे के लिए तैयार है और कलकत्ता में डिमान्ड ड्राफ्ट के जरिए उसनें भुगतान चाहा। चूंकि सामग्री के तत्काल विवस्तार था; अत:एक वरिष्ठ इंजीनियर की निरपेक्षण करने और 7,31,691 रुपए का डिमान्ड ड्राफ्ट देकर प्रेषण संबंधों भुगतान ले जाने के लिए भेजा गया। तथापि निरक्षण और परिक्षण के पश्चात्, उक्त फर्म प्रेषण संबंधी कागजात सोंपे बिना हमें मिथ्या धन के जरिए 15-5-1980 क उक्त अधिकार से डिमान्ड ड्राफ्ट लेने में सफल हो गई। उसके बाद फर्म लगभग 1.66 लाख रुपए के मूल्य के 42.02 मीटरी टन की सप्लाई ली। तथापि रोप सामग्रे की सप्लाई को लम्बित है।

(ग) फर्म तथा उसने एटर्नी आदि के विरूद्ध जून, 1980 के अन्तिम सप्ताह में कलकत्ता के चीफ मैट्रोपोलियन मजिष्ट्रेट के अदालत में अपराध संबंधी एक सिकायत दर्ज करवाई थी। अदालत ने कलकत्ता को गुप्तचर पुलिस की मामले को जांच करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के जिस अवधिकारों ने प्रेषण संबंधी कागजात प्राप्त किए बिना हो, फर्म को बैंक ड्रफ्ट दे दिया था उसे निलम्बित कर दिया गया है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है और सलाह के लिए मामल केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पांस भेजा जा रहा है।

केरल को विद्युत यूनिटों के आयात के लिए अनुमति

6944. श्री गुलाम रसूल कोचक
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री पी० एम० सईद
: क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने 130 मे० वा० के तीन यूनिटों के आयात के लिए केन्द्र से अनुमति देने का अनुरोध किया था,

(ख) यदि हां; तो क्या भारी उद्योग विभाग, भारत हैवी इंजीनियरिंग लि० इस बात पर वल देते रहे हैं कि वे इन सेटों का निर्माण करने में पूरो तरह समर्थ हैं और वे आयात का विरोध कर रहे हैं; और

(ग) क्या इस मामले में कोई निर्णय लिया जा चुका है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि उपकर को कनाडा से आयात करना लाभदायक होगा क्योंकि यह परियोजना के चरण-1 में प्रतिष्ठापित की गई मशीनों के पूर्णतः अनुकूल होगा। ये मशीनें भी कनाडा द्वारा सप्लाई की गई थीं।

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुर्ननियुक्ति

6945. श्री मूल चन्द डागा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह उचित समझती है कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों की किसी भी काम पर पुर्ननियुक्ति नहीं की जानी चाहिए और यदि हां; तो उसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो उसका क्या औचित्य है,

(ख) क्या यह सच है कि इसी बात के कारण न्यायाधीश प्रशासकीय न्याय की अपनी ड्यूटी का, निष्पक्ष और निडर होकर पालन करने में समर्थ नहीं हैं, क्योंकि उन्हें नेताओं, मुख्य मंत्रियों और अन्य मंत्रियों के प्रभाव में रहना पड़ता है, और

(ग) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए इस पद्धति का पुनरीक्षण करने का विचार हैं कि सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की सेवा का उपयोग नहीं किया जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) संविधान की रचना के समय इस प्रश्न पर विचार किया गया था कि क्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सरकार के अधीन नियोजन स्वीकार करने से विवर्णित किया जाए और काफी विचार विमर्श के पश्चात् यह तय किया गया था कि ऐसा निर्बन्धन न लगाया जाए।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रायः तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाते हैं और उनकी नियुक्ति उन पदों पर होती है जिसके कृत्य न्यायिक या न्यायिक कल्प प्रकृति के होते हैं। यह सदैव संभव नहीं होता है कि ऐसे पश्चात्-कथित पदों को धारण करने के लिए सेवारत न्यायाधीशों की सेवाएं प्राप्त की जाएं। सरकार इस बात को वांछनीय समझती है कि ऐसे पदों के लिए न्यायाधीशों की सेवाएं उनकी सेवानिवृत्त के पश्चात् भी बेरोकटोक प्राप्त की जाएं।

(ख) यह आशंका ठीक नहीं है कि न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने के पश्चात् उनके नियोजन का प्रभाव उनके स्वतंत्र रूप से कार्य करने पर पड़ेगा। भारत में न्यायपलिका के स्वतंत्र रूप से कार्य करने के संबंध में जनता को बहुत विश्वास है और अनुभव यह बताता है कि सेवा-निवृत्त के पश्चात् नियोजन की संभावना का न्यायपालिका के सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ग) जी नहीं।

घाघरा और गंडक नदियों के बीच पड़ी जमीन के लिए विशेष योजना

6946. श्री अशफाक हुसैन : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाघरा, गंडक, राप्ती नदियों और इनकी सहायक नदियों में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ को देखते हुए सरकार को घाघरा और गंडक नदियों के बीच पड़ी जमीन पर नहर बनाने की कोई विशेश योजना है,

(ख) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय इस संबंध में यह मामला योजना आयोग के समक्ष उठायेगा, और

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) से (ग) गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने घाघरा बेसिन में बाढ़-नियंत्रण के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है, इस बेसिन में घाघरा और गंडक नदियों के बीच का क्षेत्र शामिल है। दीर्घकालीन उपाय के रूप में, इस योजना में नेपाल के क्षेत्र में जलाशयों के निर्माण और जल क्षेत्र प्रबन्ध (वाटरशेड मेनजमेंट) संबंधी उपायों की परिकल्पना की गई है। अधिक तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इस मास्टर योजना में नये बाढ़-सुरक्षा तटबंधों के निमाण, मौजूदा तटबंधों को ऊंचा उठाने और उन्हें सुदृढ़ बनाने, राप्ती पर एक व्यपवर्तन चेनल के निर्माण तथा महत्वपूर्ण शहरों के लिए सुरक्षात्मक वर्क्स की परिकल्पना की गई है। यह योजना राज्य सरकार के पास भेज दी गई है। चूंकि बाढ़-नियंत्रण राज्य विषय है, इसलिए इस मास्टर योजना के अनुसार विस्तृत स्कीमें राज्य सरकार द्वारा तैयार और क्रियान्वित की जाना हैं।

दिनाँक 8-7-80 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3380 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में. राजस्थान और सिक्किम को दिये गये गैस कनैक्शनों की संख्या क्रमशः 44,119 और 51,299 दी गई थी।

बाद में जांच करने पर यह देखा गया है कि उपर्युक्त आंकड़े सही नहीं थे और सही आंकड़े निम्न प्रकार होने चाहिए;-

रास्थान - 51,299 गैस कनैक्शन दिये गये हैं।
सिक्किम - 1,204 गैस कनैक्शन दिये गये हैं।

पहले की गई त्रुटि के लिए खेद है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत गंभीर समस्या— **(व्यवधान...)****

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका नहीं है। मिस्टर खाँ, मैं एलाऊ नहीं कर रहा हूं।... **(व्यवधान...)****

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार अनुमति नही दूंगा...मैंने तो आपको और न ही दूसरी ओर के सदस्यों को अनुमति दूंगा......मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी गई .

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1976.77, 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा तथा विलम्ब सम्बन्धी विवरण

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : श्रीमती राम दुलारी सिन्हा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेख।
(दो) संस्थान के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण) की एक प्रति।
[ग्रंथालय में रखी गयीं देखिए संख्या एल० टी० 1206/80]

(2) (एक) भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सस्थान के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
[ग्रंथालय में रखी गयीं देखिये संख्या एल० टी० 1207/80]

(3) (एक) भारतीय जन संचार, संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरिक्षित लेखे।
(दो) संस्थान के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी) तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(4) उपर्युक्त (1), (2) और (3) में उल्लिखित पत्रों की सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 1208/80]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हल्दी और अदरक पर से निर्यात शुल्क हटाने और जायफल, लौंग तथा कोको के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता

श्री आर्ज जोसफ मुंडाकल (मुवत्तुपुजा) : अध्यक्ष महोदय, गत तीन वर्षों में हल्दी, अदरक जायफल, लौंग और कोको के मूल्य 30 प्रतिशत कम हुए हैं। अल्लप्पी फिंगर (केरल में हल्दी की एक किस्म) की खेती केवल निर्यात के लिए ही की जाती है। हल्दी की उस किस्म का मूल्य रुपये

6रु० प्रति किलोग्राम से घट कर 2 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। तब भी उस पर निर्यात शुल्क 100 प्रतिशत से अधिक है। हल्दी और अदरक की काश्त करने वाले सीमान्त कृषकों को बचाने का एक मात्र तरीका यह है कि वाणिज्य मंत्री हल्दी और अदरक पर से सारा निर्यात शुल्क हटाएं और उन गरीब किसानों को शीघ्रातिशीघ्र प्रोत्साहन दें।

क्योंकि तीन वर्ष की अवधि के भीतर ही जायफल, लौंग और कोको के मूल्य घट कर एक-तिहाई हो गये हैं इस लिए में वाणिज्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह जायफल, लौंग और कोको के आयात पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाये और दीर्घकालीन नकद फसल के किसानों के हितों की रक्षा करें।

(दो) के० के० एक्सप्रेस और अन्य तीव्र गति रेलगाडियों का देरी से चलना

श्री वी०एस० विजयराघवन (पालघार) : **अध्यक्ष महोदय, आजकल गाड़ियां प्रायः देरी से चलती हैं। इस कारण शरारती लोगों द्वारा गड़बड़ किया जाना हो या रेल अधिकारियों की उदासीनता परन्तु इससे यात्रियों को बहुत असुविधा होती है के० के० एक्सप्रेस जैसी फास्ट गाड़ी नियमित रूप से 5-6 घण्टे की देरी से चल रही हैं। रेल अधिकारी गाड़ियों के देरी से चलने और उससे यात्रियों को होने वाली परेशानी के प्रति उदासीन रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि वे कहां तक उदासीन हो गये हैं। 30 जुलाई को मैं दिल्ली जाने वाली के. के. एक्सप्रेस गाड़ी में यात्रा कर रहा था। जब गाड़ी आंध्र प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन कारवाड़ी पहुंची तो वहां पर लगभग 100 लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने गाड़ी पर पत्थर फेंकने आरम्भ कर दिए। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। एक व्यक्ति घायल हो गया। उन्होंने कहा कि गाड़ी को तब तक नहीं जाने दिया जाएगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। जब उनसे यह पूछा गया कि आपकी मांगें क्या हैं तो कोई संतोषजनक उत्तर न दे सके। बहरहाल उन्होंने गाड़ी को रोके रखामैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं संसद् सदस्य होने के नाते आपकी मांगें माननीय मंत्री के पास पहुचा दूंगा किन्तु उन्होंने मेरी कोई दलील न मानी क्योंकि वे असंगठित और नेताविहीन थे। मराज्य सभा की एक माननीय सदस्या भी मेरे साथ यात्रा कर रही थीं। इसमें सबसे विचित्र बात तो यह थी। कि स्टेशन अधिकारियों ने इस मामले से निपटने के लिए बिल्कुल परवाह न की उन्होंने बीच बचाव करना और इस मामले को सुलझाना आवश्यक नहीं समझा। इसका परिणाम यह हुआ कि गाड़ी दो घण्टे बाद वहां से रवाना हुई और दिल्ली पांच घण्टे देरी से पहुंची। यदि स्टेशन अधिकारी समय पर हस्तक्षेप करते तो यात्रियों को दो घण्टे तक इतनी दुखदायी हालत में प्रतीक्षा न करनी पड़ती। यह ऐसे अनेक उदाहरणों में से एक है। रेलवे में कानून और व्यवस्था की हालत बहुत खराब है।

अतः मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि वह प्रशासन में सुधार लाएं और तुरन्त उपाय ऐसे करें कि के० के० एक्सप्रेस गाड़ी का देरी से चलना बन्द हो और रेलवे में कानून और व्यवस्था में सुधार हो।

**मलयालम में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

(तीन) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 5 अगस्त, 1980 को दो प्लाटों की प्रस्तावित नीलामी

श्री रामजेठ मलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : दिल्ली विकास प्राधिकरण 5 अगस्त, 1980 को दो प्लाटों की नीलामी कर रहा है। सम्पत्ति के कुछ सट्टे बाजों ने उन्हें पाने की एक योजना बनाई है। उन्होंने सार्वजनिक ज्ञापन निकाला है और यह ज्ञापन कई दिनों से समाचार पत्रों में छप रहा है। वे इन प्लाटों पर व्यापारिक भवन बनाने का प्रस्ताव है। अन्ततोगत्वा वास्तविक खरीददारों के पास पहुंचने से पहले उन्हें कई ग्राहकों को बेचा जाएगा जिससे उनके मूल्य काफी बढ़ जाएंगे और मध्यवर्ती लोगों को काफी लाभ पहुंचेगा।

ज्ञापन में यह आश्वासन दिया गया है कि मूल्य अवश्य बढ़ेंगे। उसके साथ एक नमूना भी संलग्न है।

यह एक सट्टे वाली योजना है। यह एक चिन्ताजनक बात है कि विज्ञापन देने वालों ने यह कैसे मान लिया कि वे प्रस्तावित नीलामी में प्लाट अवश्य ले लेंगे। यदि यह योजना सफल हो जाती है तों इससे मूल्यों में असीम वृद्धि होगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह निर्माण कार्य स्वयं करना चाहिए था। इसे ये भवन वास्तविक उपभोक्ताओं को उचित दामों पर बेचने चाहिए थे। इसके बजाय वह मुनाफाखोरों और सट्टे बाजों के जाल में खुद ही फस गया है।

प्रस्तावित नीलामी अवश्य बन्द की जानी चाहिए तथा इस सारे मामले को सार्वजनिक आलोचना और राष्ट्रीय भलाई को ध्यान में रखते हुए फिर से विचार किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

(चार) गोरखपुर जिले को अनेक गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए कार्यवाही

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं:—

गोरखपुर जनपद में गंडक, राप्ती, रोहिणी, गोर्रा; कुआने तथा घाघरा नदियों के प्रचण्ड बाढ़ से सैकड़ों गांव के लोग अत्यधिक पीड़ित हैं, विशेषकर राप्ती, गोर्रा, कुआनो तथा घाघरा नदियों की बाढ़ से बांसगांव निर्वाचन क्षेत्र के काफी गांव बरबाद हो गये हैं। इस बाढ़ के कारण फसल, जानवर, जानमाल और जमीन का काफी नुकसान हुआ है। नदियों के किनारे सैकड़ों मकान गिर गये हैं और हजारों लोग बेघरबार हो गये हैं। इस भयंकर नुकसान को देखते हुए सरकार को चाहिए कि उन लोगों को विशेष सुविधा दे। एक केन्द्रीय दल को बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए। ताकि वह नुकसान का अनुमान लगा सके और अग्रिम सुरक्षा सहायता तुरन्त मन्जूर कर सके। सरकार को इस क्षेत्र में बराबर आने वाली बाढ़ों को रोकने के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए। उक्त नदियों के दोनों ओर जो तटबन्ध हैं उनको शीघ्र से शीघ्र ऊंचा करना चाहिए विशेषकर राप्ती नदी के किनारे सिहोड़वा, सरार तथा गजपुर गांव के पास पक्का ठोकर शीघ्र बनवाना चाहिए वरना यदि वहां पक्के तटबन्ध नहीं बनाये गये तो सैकड़ों

गांव बाढ़ से बह जाएंगे । सरकार को चाहिए कि बाढ़ के बाद जो महामारी फैलेगी उसकी रोक-थाम के लिए भी अभी से पर्याप्त कदम उठाये । अतः केन्द्रीय सरकार से निवेदन ज कि गोरखपुर जनपद को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए विशेष सहायता करे ।

(पांच) स्थानीय राजस्व अधिकारियों द्वारा असम में मिकिर पहाड़ियों से बंगालियों को हटाये जाने का समाचार

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं । आसाम में मिकिर पहाड़ियों से स्थानीय राजस्व अधिकारियों द्वारा हजारों बंगालियों को उनकी उस भूमि से हटाया जा रहा है जो गत 12 से 15 वर्षों से उनके पास है तथा उन्हें बल पूर्वक आसाम से निकाला जा रहा है । इसलिए आसाम से बड़ी संख्या में लोग पश्चिम बंगाल आ रहे हैं । ऐसे हजारों निष्कांत व्यक्ति अलीपुर द्वार स्टेशन पर डेरा लगाये हुए हैं । इसके अलावा हजारों शरणार्थी पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गए हैं ।

पश्चिम बंगाल सरकार ने आसाम के राज्यपाल के सलाहकार से अनुरोध किया है कि बंगालियों का इस प्रकार जबरदस्ती आसाम से निकाला जाना और पश्चिम बंगाल में निष्क्रमण रोका जाए किन्तु आसाम सरकार के अधिकारियों ने इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की है।

अतः मेरा प्रधान मंत्री से अनुरोध है कि वह इस बारे में तुरन्त कार्यवाही करें और आसाम से बंगालियों का निकाला जाना रोकने के लिए आवलम्ब कार्यवाही करें ।

स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण सूचना इत्यादि के बारे

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा 376 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी इस तरह से सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं, जिस तरह से आप चला रहे हैं ।...(**व्यवधान**) हिन्दुस्तान में जो घटनाएं घटती हैं, उनको आप लोक सभा में नहीं आने देना चाहते, यह नामुमकिन बात है ।

अध्यक्ष महोदय . बैठिये, अब तो काफी हो गया है मेरे ख्याल से ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, क्यों बैठ जाऊं । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : आप की बात का जवाब दे रहा हूं । मैं खड़ा हुआ हूं, इसलिए आप बैठिए।

एक माननीय सदस्य : पहले क्यों नहीं खड़े हुए । ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसलिए नहीं खड़ा हुआ कि अब तक हवा पूरी नहीं निकलती ।

श्री मनीराम बागड़ी : यह हवा की बात नहीं है । यह मजाक नहीं है, यह लोक सभा है । ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह गलत बात है । हाऊस तरीके से चलेगा । आप बात करते जाएं, दोनों लगातार बोलते जाएं, तो हाऊस कैसे चलेगा, जरा आप मुझे बता दें ।

श्री मनीराम बागडी : हाऊस चलेगा। आप हमारी बात सुनिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाए। गलत बात मत करिये। आप बैठते क्यों नहीं हैं। आपस में बात मत करिये। आप बैठते क्यों नहीं हैं। एक आचार-संहिता आपने बना रखी है। (व्यवधान) यह बात बिल्कुल गलत है। जिस तरह का व्यवहार हो रहा है यह बिल्कुल अभद्र लगता है। मैं सब की बातसुनने को तैयार हूं। मैंने इस हाऊस में 100 दफा कहा है कि मैं सब की बात सुनने को तैयार हूं लेकिन इसका भी एक तरीका होता है। इस तरीके से आप करते हैं। थोड़ी-बहुत सोचने-विचारने की क्षमता रखते हैं। भगवान ने बुद्धि दी हैं, संयम दिया है और जिम्मेदारी दी है। क्या इस तरह की बात आप करेंगे। यह बहुत बुरा लगता है। मैं सब की बात सुनने को तैयार हूं। लेकिन इस तरह से नहीं चलेगा। अगर किसी को कोई बात कहनी है, तो एक आदमी उठकर अपनी बात कहे लेकिन इस तरह से व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

आप बैठिए, मैं खड़ा हुआ हूं। यहां पर सारे लीडर बैठे हुए हैं। बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, जिन्होंने सारा कुछ देखा है, सारा कुछ चलाया है। मैं उनसे पूछता हूं कि इस किताब के सिवाय और कोई रास्ता है, जिसके अनुसार इस हाऊस को चलाया जाए। अगर कोई है तो उसकी जानकारी मुझे दें। यहां जो मनमानी कर रखी है, उससे तो इस हाऊस का काम नहीं होने वाला है। इसलिए इस हाऊस में इस तरह की हालत क्यों पैदा करें। अगर करनी ही है, तो बाहर करें। अगर हाऊस को चलाना है, तो तरीके से काम होना चाहिए। एक-एक आदमी उठे और किसी को अगर व्यवस्था का प्रश्न उठाना है, तो फिर मैं उस पर अपनी रूलिंग दूं और फिर वह अपनी बात कहें। एक बात में आप को बतलाना चाहता हूं। मैं आपको जो बतला सकता हूं वह यह है।

मैं इस हाऊस को डिसपैसैनेलटी चलाना चाहता हूं लेकिन जिस तरीके से मेरे दिमाग में बात आती है, जितनी मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार चलाता हूं। और किसी की बुद्धि तो इस में डाल नहीं सकता। अपनी बुद्धि को में इस्तेमाल करूं और इसकी आपने मुझे छूट्टी दे रखी है, भगवान ने छूट्टी दे रखी है। मैं अपनी बुद्धि से काम करता हूं और मेरी बुद्धि 0540 आदमियों की बुद्धि तो नहीं बन सकती। जब आप ने मुझे इस आसन पर बैठाया है, तो मुझे अपनी बुद्धि से काम करना है और उस से फैसला करना पड़ेगा। अब आप समझते हैं कि मेरी बुद्धि काम नहीं करती है और उससे जिस दिन आप यह समझें, तो मुझे मेरे घर भेज दीजिए उस में मुझें कोई एतराज नहीं है। आई डोन्ट माइंड इट। आप जो कहते उस को सुन लेता हूं। कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाता है, तो उस को सुन लेता हूं और फिर उस पर अपना फैसला देता हूं। आप को कोई बात कहनी है, तो उसके लिए इजाजत मांगिए।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं अपनी बात कहना चाहता हूं

अध्यक्ष महोदय : आप किस प्वाइन्ट पर बोलना चाहते हैं। आप पहले इसके लिए इजाजत मांगिए।

श्री मनीराम बागड़ी : आप ने आचार-संहिता की बात कही है।

अध्यक्ष महोदय : आप किस बात पर बोलना चाहते हैं उसके लिए आप मेरी अनुमति मांगे। किस बात पर आप बोलना चाहते हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : जिस बात पर आप बोले हैं, उसी पर मैं बोलना चाहता हूं। सदन की मर्यादा के बारे में आप बोले हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किस रूल के मातहत।

श्री मनी राम बागड़ी : चाहे लोक सभा का अध्यक्ष हो या लोक सभा का सदस्य हो, यह बात सब पर लागू होती है।

अध्यक्ष महोदय : आप कौन से रूल के अन्तर्गत बोल रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : जो यह कहता है कि यह सदन अपमानजनक काम करता है, मैं कहता हूं कि वह गलत बोलता है। यह सदन देश की मर्यादा के मुताबिक चलता है। देश में हंगामा होगा, तो सदन में भी हंगामा होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें भाषण करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। किस धारा के अन्तर्गत बोल रहे हैं।

श्री मनी राम बागड़ी : आप ने बोलने के लिए मौका नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : किस प्वाइन्ट पर बोल रहे हो और किस धारा के अन्तर्गत ?

श्री मनी राम बागड़ी : मैंने कल भी और आज भी धारा 376 के अन्तर्गत काम रोको प्रस्ताव के बारे में दिया था कि देश में बलात्कार की समस्याएं बढती जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मत बोलिए। प्लीज डाट। आपने मुझ को दिया है मैंने उसको अलाऊ नहीं किया है।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, भूख हड़ताल……

अध्यक्ष महोदय : उसको मैंने एडमिट नहीं किया है।

मनीराम बागड़ी : आपने पहले भी एक दफा कहा है कि आप सदन को मछली मार्केट नहीं बनने देंगे, तो सदस्य इसको मुगल दरबार भी नहीं बनने देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं बनाना कब चाहता हूं।

श्री मनीराम बागड़ी : मछली मार्केट तो कभी सुधर सकता है, जनता दरबार बन सकता है लेकिन मुगल दरबार…(व्यावधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे उन्हें सुनने दीजिए।

श्री मनीराम बागड़ी : हमारी बात को सुनें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है, बताइये और क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मनीराम बागड़ी : अगर यही बात आप पहले सुन लेते……

अध्यक्ष महोदय : मैं सुनता हूं। मैं दस आदमियों को कैसे सुन सकता हूं। आप उसका कोई रास्ता बताइये। मेरे दस या बीस कान नहीं हैं। मेरे दो कान हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : अगर गरीबों पर जुल्म होता है तो उसका भी मौका दीजिए।

अध्य महोदय : सबको देता हूं और बिल्कुल देता हूं। खुल्लमखुल्ला देता हूं। डिस्कस करके देता हूं, किसी को छोड़ता नहीं।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, जेसे कि होम मिनिस्ट्री का स कुलर है जो कि अखबारों में निकला है···देश के सवाल को नहीं हुआ है।

अध्यक्ष यहोदय : मगर अखबारों में निकल जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : यह तो डेमोक्रेसी नहीं है; यह तानाशाही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है। मैंने इस बात को बताया है कि जो चीज मेरे पास आती है उसकी पूरी खोज करता हूं, तलाश करता हूं। देखता हूं कि उसमें तथ्य है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं कैसे एडमिट कर सकता हूं। (व्यवधान) मैं पता कर लूगा, मेरी तसल्ली हो जाएगी तो मैं कर दूंगा। (व्यवधान) आप बोलिये, आप क्या कहते हैं?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैंने तीन इशू न पर एडजर्नमेंट मोशन दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पूरे देखे हैं। आप करवाना चाहते हैं। इसके लिए रूल आज्ञा नहीं देते हैं। अगर कोई बात मैं पाऊंगा तो मैं उसको देखूंगा।

श्री राम विलास पासपान : आपकी तरफ से हमको खबर भिजवायी गई कि दो रिजेक्ट कर दिये हैं। अखबार में जो सेंसरशिप के बारे में निकला है, गृह मंत्रालय का जो सरकुलर है, उस पर आप विचार कर रहे हैं या नहीं? यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। वह होम मिनिस्ट्री का सरकुलर है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी कालिंग अटेंशन की बात कर रहा हूं। इस बात पर मुझे पता कर लेने दीजिए।

श्री राम विलास पासवान : आप कहिए तो आप क्या कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैंने कहा है। यही मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : सर, महिलाओं और हरिजनों पर जो घोर अत्याचार हो रहे हैं और राजनारायण जी अनशन कर रहे हैं, क्या भारत सरकार के किसी भी मंत्री का यह फर्ज नहीं है कि वह वहां जाकर उनसे बात करे?

अध्यक्ष महोदय : यह उनका फर्ज है या नहीं यह वे समझें। (व्यवधान) आप लोग क्या कर रहे हैं? प्लीज सिट डाउन।

जो अनपार्लियामेंटरी है उसको मैं अलाऊ नहीं करूंगा। जो भी अनपार्लियामेंट्री किसी ने यूज किया है वह एक्सपंजड है। (व्यवधान) आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या इस तरीके से अच्छा

लगता है। आप लोग एसा करते हैं क्या आपको यह शोभा देता है? कुछ तो आप जरा सोचिये। (**व्यवधान**) मेरे से बात कर रहे हैं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? (**व्यवधान**) यह अच्छा नहीं लगता है। मैं सबको बराबर कह रहा हूं। आप बैठिये।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : मैंने तथा बहुत से मेरे सहयोगियों ने गोलाबारी, हत्याओं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों तथा कानून और व्यवस्था के बारे में ध्यान आकर्षण सूचनाएं दी है···

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही 377 की अनुमति दे चुका हूं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर) : नियम 389 के अन्तर्गत आपका ध्यान में इस ओर खींचना चाहता हूं कि इस माननीय सदन की यह परिपाटी है कि अगर आदिवासियों पर, हरिजनों पर कोई अत्याचार के मामले प्रकाश में आएं तो सदन को उसकी सूचना दी जाए और सदन उस पर अपने विचार व्यक्त करे; सरकार उसका नोटिस ले—

अध्यक्ष महोदय : हम कर रहे हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आज सुबह एक बस मेरठ से बागपत······

अध्यक्ष महोदय : इसका आपने नोटिस दिया है?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : बता रहा हूं······

अध्यक्ष महोदय : नोटिस दिया है तो किस मामले पर दिया है, कौन-सी धारा के अधीन दिया है?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। आप मेरी बात तो सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : मैं एलाऊ नहीं कर रहा हूं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मुझे अपनी सबमिशन तो पूरी कर लेने दें। मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी मर्जी से हाउस नहीं चला सकते हैं। मैंने राजेश जी को 577 में एलाउ कर दिया है। मैंने उन्हें कल अनुमति दे दी थी।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : गृह मंत्री जी को कहें कि उस पर वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : आप नहीं कह सकते हैं। यह उनका कर्त्तव्य है। कहने की आवश्यकता है।

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : कल मैंने आपको लिखकर भी दिया है। अभी भाई आरिफ ने मेरठ के हरिजनों का मसला उठाया है—

अध्यक्ष महोदय : आपका उनसे क्या वास्ता है।

श्री मंगल राम प्रेमी : लेकिन मुरादाबादी के बाल्मीकियों का भी क्या इनको मालूम है······

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : पहली बात तो यह है कि यदि में नोटिस न दूं तो मैं कभी भी नहीं बोलता। 28 जुलाई को जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के त्यागपत्र के

प्रश्न पर ध्यान आकर्षण सूचना का उत्तर दिया जा रहा था तो मैंने अध्यक्ष के निदेश संख्या 117 के अधीन आपको लिखित सूचना दी थी। जस्टिस श्रीवास्तव पहले ही एक पत्र भेज चुके हैं जिसमें आरोपों का खण्डन किया गया है। वह मैं आपको भेज चुका हूं ताकि आप उसको देखने के बाद सभा पटल पर रख सकें।

अयध्क्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते : मेरे पास उनकी प्रति है। मैं आपका निर्णय जानना चाहता हूं।

अयध्क्ष महोदय : मैंने आपको पत्र लिख दिया था। मैं पहले ही कार्यवाही कर चुका हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने नियम 377 के अधीन सूचना है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी यहां पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं चाहती हूं कि मंत्री महोदय आज हस्तक्षेप करें।

......(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख सकती हैं। इसकी मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। नियमानुसार यह नहीं किया जा सकता।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : आपने ठीक कहा है कि लोगों को शोर नहीं करना चाहिए। लेकिन पिछले एक महीने से मैं मुसलसल लिखकर देता आ रहा हूं, कालिंग एटेशन भी मैंने दिए हैं लेकिन चूंकि मैं शोर नहीं करता इसलिए कोई मेरा कालिंग एटेंशन मंजूर नहीं होता, आज तक नहीं हुआ है—

अध्यक्ष महोदय : बैलट में नहीं निकला होगा।

श्री रशीद मसूद : बागपत के मामले में मैंने परसनल एक्सप्लेनेशन देने की इजाजत मांगी थी—

अध्यक्ष महोदय : देख लूंगा और एलाऊ कर दूंगा।

श्री रशीद मसूद : दिल्ली में दवाइयां नहीं मिल रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : देख लेंगे।

श्री रशीद मसूद : होम मिनिस्टरी के सक्युलर के मुताल्लिक ?

श्री चन्द्रजीत यादव : उन्होंने वेंयक्तिक स्पष्टीकरण दिया है। आप इसे देखें और वेयक्तिक स्पष्टीकरण की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : समय और स्थिति की आवश्यकता दखते हुए हम इसकी अनुमति दे रहे हैं। हमारे पास सत्तर, अस्सी ध्यान आकर्षण सूचनाएं हैं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : जब शासन के सर्वोपरि कार्य कर्ता द्वारा वक्तव्य दिया गया हो, जो समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित किया गया हो, और जो इस देश की स्थिता पर प्रकाश डालता हो तथा जिस पर मैं ने आपको सूचना दी हो क्या ऐसे मामले के बारे में आपके अनुसार इस सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : किसके बारे में ?

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने कहा था कि सी० आई० ए० द्वारा श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। गृह मंत्री यहां उपस्थित हैं। इस सदन को सही स्थिति की जानकारी क्यों न दी जाए ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं इसका कारण जानना चाहता हूं। क्या यह एक गम्भीर मामला नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं बता दूंगा। (व्यवधान)

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : केरल में शन्तिपूर्ण आन्दोलन के अधिकार को गोली दबाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियम 377 के अधीन आपको अनुमति दी थी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कश्यप जो कुछ बोलेंगे वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री जयपाल सिंह कश्यप* (व्यवधान)

इसके पश्चात श्री जयपाल सिंह कश्यप तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से उठकर चले गये।

डा. फारूक अब्दुल्ला (श्री नगर) : अध्यक्ष महोदय, अब चूंकि वित्त विधेयक पास हो गया है तथा सभा के पास अब काम भी कम है इस लिए यदि आप आज से मध्याह्न भोजन की अनुमति दे दें तो मैं आप का बहुत आभारी हूंगा। इस से मध्याह्न भोजन के पश्चात अधिक सदस्य बैठक में शरीक हो सकेंगे। अन्यथा मध्याह्न भोजन के पश्चात् गणपूर्ति की समस्या उठ खड़ी होगी।

अध्यक्ष महोदय : इसपर विचार करना सभा का कार्य है।

एक माननीय सदस्य : यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : तो सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित होनी है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

लोक सभा 2.05 बजे पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मंत्रियों के भत्ते, (चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम के बारे में सांविधिक संकल्प स्वीकृत

उपाध्यक्ष महोदय : हम श्री मकवाना द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा आरम्भ करेंगे। श्रीमती कृष्णा साही अपना भाषण शुरू करेंगी।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में माननीय मंत्री श्री मकवाना ने जो प्रस्ताव रखा था, मैं उसके समर्थन में बोल रही थी। मैंने कहा था कि संसद-सदस्यगण, सदस्य और सदस्याएं सभी के सामने आर्थिक कठिनाइयां हैं। हम सब देख रहे हैं कि आर्थिक कठिनाइयां बढ़ती चली जा रही है। और कोई भी समाज का ऐसा वर्ग नहीं है जो इससे संत्रस्त और प्रभावित नहीं है। मैं कल कह रही थी कि वैसे जो मजदूर भी ज्यादा काम करते हैं, उनको ओवर-टाइम मिलता है, लेकिन हम लोग जो संसद के सदस्यगण हैं वे तो चौबीसों घंटे पब्लिक के डिस्पोजल पर रहते हैं। कोई टाइम हम लोगों का निर्धारित नहीं रहता है कि इतने बजे से इतने बजे तक काम करेंगे। कोई भी जनता हर समय किसी भी कार्यवश चाहे रात हो अपनी बात कहने आते रहते हैं, ऐसी हालत में उनको जब ओवर टाइम मिलता है तो कम से कम हम लोगों की हालत को देखा जाए कि हम लोगों को क्षेत्रों में कितना काम करना पड़ता है। जो विधान सभा के सदस्यों को सुविधाएं हैं उसको भी देखा जाय जबकि उनको एक क्षेत्र में केवल काम करना पड़ता है और वह प्रान्त की राजधानी में रहते है जहां कि स्टैंडर्ड आफ लिविंग भी उतनी हाई नहीं है जितना कि दिल्ली में है। उनको वहां रहना पडता है और एक क्षेत्र को देखना पड़ता है। हम लोग उस तरह की छः सात कांस्टीच्यूएंसीज से आए है। कहीं-कहीं आठ भी हैं लेकिन एवरेज तो छः से कम नहीं है। हम लोगों की छः है। कहने का मतलब यह है कि उनको जो सुविधा मिलती है उसके मुकाबिले में हमारी सुविधाएं आधी हैं। कम से कम 30 से 35 पत्राचार हमें प्रत्येक दिन करने पड़ते हैं। उसके लिए कोई पोस्टल सुविधा नहीं है। स्टैम्प के खर्च भी बढ़ते है तो वह हमें अपने घर से देना पडता है।

मैं सुझाव देना चाहती थी कि सैलरी जब सरकार उचित समझे बढ़ायेगी। यह भी सही बात है कि उदाहरण जो हम पेश करेंगे आम जनता उसको देखेगी, लेकिन कम से कम इतना तो हमें मिलना ही चाहिए जिसमें कि हम अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सकें, ईमानदारी के साथ। हमारे कर्त्तव्य हैं, हमारे उत्तरदायित्व हैं, उनका निर्वहन करने के लायक तो हमें कम से कम गृह मंत्री महोदय को बनाना चाहिए। यह उनको सोचना चाहिए। मैं बताना चाहती हूं, विधान सभा के सदस्य को दस हजार टेलीफोन काल पर ऐनम फ्री करने को मिलता है और हमें जो उनके बराबर की छः सात कांसटीच्यूएंसीज से चुनकर आते हैं, 15 हजार मिलते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आप की सूचना के लिए मैं बता दूं कि अब उनका भी 15 हजार हो गया है।

श्रीमती कृष्णा साही : जी हां, मुझे मालूम है, मैं उस पार अभी आ रही थी। मैं जो कह रही हूं वह 75-76 की बात है। अभी हाल ही में गत सप्ताह कुछ प्रान्तों की विधान सभाओं में कुछ संशोधन हुए हैं जिसमें उनको काफी सुविधाएं दी गई हैं। मेरा कहना यह है कि जहां छः सात कांस्टीच्यूएंसीज हमारे पास हैं वहां हमें ट्रंक काल भी करने पड़ते हैं। तो कुछ पोस्टल सुविधाएं और कुछ ट्रंक काल की सुविधा देने की ओर ध्यान दिया जाये। (व्यवधान) वह ही तो नहीं मिल रहा है। मैं यही कहना चाहती हूं कि उसके लिए भी कुछ प्राविजन होना चाहिए। यदि इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं दिया जायगा तो हम लोगो को काम करने में काफी कठिनाई होगी।

जहां तक यात्रा का सवाल है, यात्रा के समय हम लोगों को जो सदस्य हैं उनकी पत्नी को या जो सदस्या हैं उनके पति को एक बार जब सेशन होता है तो साथ में आने की सुविधा है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्रियों की संख्या बढ़ाएं।

श्रीमती कृष्णा साही मुझे पता है। कल ही मैंने कहा था कि पहले संसद सदस्य होते हैं तब मंत्री होते हैं। जब संसद सदस्य ही नहीं होंगे तो मंत्री कैसे होंगे? यह मैं ने कल ही कहा था।

मैं यह कह रही थी कि सह-यात्री जो होता है, जब साथ यात्रा करता है, तो कम से कम वह यात्रा सुखद तो हो आनन्ददाक यात्रा हो। सेकेण्ड क्लास में किसी को बिठा दिया और वह चला जा रहा है। बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो बिमार रहते हैं और जिनकी उम्र भी हो गई है। कोई सुपर फास्ट ट्रेन है तो उसको जहां रुकना है वहीं पर रुकेगी और इस बीच में जिनको हार्ट अटैक हो रहा है या दमे का अटैक हो रहा है उनको कोई देखने वाला नहीं है।

दूसरी बात यह है कि जो हमारे सदस्य या सदस्याएं हैं, सहयात्री को उनके साथ ही फर्स्ट क्लास में चलना चाहिए न कि सेकेन्ड क्लास में। उत्तर प्रदेश में तो बहुत दिनों से विशेषकर महिला सदस्यों के लिए यह सुविधा दी गई है। महिला सदस्यों को विशेष रूप से कठिनाई होती है लेकिन मैं तो सभी के लिए कह रही हूं, सभी को यह सुविधा मिलनी चाहिए। जब आपने सह-यात्री का नाम दिया है तो इस शब्द को सार्थक करना चाहिए। सेकेन्ड क्लास का जो प्रावधान है वह उचित नहीं है। बहुत सी महिला सदस्याएं ऐसी हैं जिनके घर में लड़के और लड़कियां हैं जिनको वे अपने साथ ले जाना चाहती हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, चाहते तो सभी हैं, यहां पर विरोध भी करेंगे लेकिन जब मिलेगा तो पाकेट में रख लेंगे। (व्यवधान) मैं सेक्स के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : साही जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप इसका तभी समर्थन करेंगे जब आपके वेतन और भी बढ़ जाएंगे।

श्रीमती कृष्णा साही : चाहते तो सभी हैं, मिलेगा तो रख लेंगे लेकिन दिखाने के लिए यहाँ पर विरोध में बोलेंगे। सवाल यह है कि बिल्ली के गले म घटी कौन बांधे? बिल्ली के गले में घन्टी बांधने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ तो मैं ही सबकी तरफ से तैयार हो गई हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा सारा देश बहुत गरीब है इसलिए ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। यूनाइटेड किंगडम जहाँ बहुत पुराना प्रजातन्त्र है, जहां की डिमोक्रेसी बहुत पुरानी है वहां एक सदस्य को प्रति दिन 378 रुपए मिलते हैं। उस ऊंचाई पर हम नहीं पहुंच सकते, पहुंचना भी नहीं चाहते हैं लेकिन हमारी कार्य क्षमता के लिए, अच्छी तरह से काम करने के लिए 100 रुपये तो प्रति दिन हमें मिलने ही चाहिए। कांस्टीटुएन्सी में अगर जाते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि एक रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा लेकिन आज इस मंहगाई के जमाने में जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो चार जीपों में या चार मोटरों में लदकर बहुत से लोग चले जाते हैं जिनका खर्चा हमें देना पड़ता है। इस तरह से यातायात में जो कठिनाइयां होती हैं और जो आर्थिक कठिनाई है उसको देखते हुए हमारी सैलरी को आप बढ़ा दें तो बहुत अच्छा है और अगर सैलरी नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम पोस्टल की सुविधा, डेली एलाउन्स की सुविधा बढ़ाने की ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। मैं यहां पर सभी की ओर से बोल रही हूं। और मन्त्री जी से इल्तजा करना चाहती हूं कि इन कठिनाइयों को देखते हुए हम लोगों को थोड़ी सी सुविधायें दी जायें ताकि आर्थिक कठिनाई न उठानी पड़े और हम अपने कर्त्तव्यों का पालन सही रूप से कर सकें।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) उपाध्यक्ष जी, जैसाकि अभी बहन जी ने कहा है कि पहले एम० पीज० का आना चाहिए था तब मनिस्टर्स का आना ठीक था। मैं समझता हूं उनकी भावनाएं ठीक हैं और सभी के भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है।

जहां तक इस रिजोल्यशन को प्रस्तुत करने की बात है, मैं समझता हूं कि इस गरीब देश में मंत्रियों को जो सुविधायें मिलती हैं, वे कम नहीं हैं। वैसे भी यह रिजोल्यशन असामयिक है। इस समय समूचा उत्तर भारत बाढ़ से पीड़ित है और जब वहां की जनता अखबारों में पढ़ेगी कि हमारे लिए नहीं बल्कि मंत्रियों ने अपने लिए व्यवस्था कर ली है, तो उन पर क्या गुजरेगी, हमें यह महसूस करना चाहिए।

आज भी चारों तरफ हरिजनों पर अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं घट रही हैं. उनकी बहू-बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। जब वे इस खबर को पढ़ेंगे तो उनको तखलीफ होगी मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जनता के बीच में मन्त्रियों की तस्वीर साफ नहीं है। गुरुदेव कमीशन के अनुसार भारत के गृह मंत्री जैलसिंह जी के खिलाफ पचासों मुकदमें पाए गए हैं, जब भारत का गृह मंत्री ही मुजरिम हो और जनता के बीच में तस्वीर साफ न हो, तब ऐसे समय में मन्त्रियों के टी० ए० बढ़ाने से और ज्यादा सुविधाएं बढ़ाने से अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे। देश गरीब है और इसकी परिस्थितियां प्रतिकूल है, इन सारी चीजों को देखते हुए यह कदम उठाना चाहता हूं। इस बिल की आवश्यकता को मैं समझता हूं, लेकिन यह समय नहीं है कि इसको किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस समय इसको पेश न करें और इसे जब पेश करें तब मन्त्रियों की तस्वीर जनता के बीच में साफ हो जाए और उनकी समस्याओं का निदान हो जाए। इससे इस देश की जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : केन्द्र अथवा राज्यों में जब कभी कोई नियम बनाया जाता है तो प्रशासन के अन्य पदधारी दिल्ली अथवा राज्य की राजधानी को ध्यान में रखते हैं। वे दूरस्थ स्थानों के बारे में जहां जीवन दुष्कर होता है, कभी नहीं सोचते।

मैं इस बात पर सहमत हूं कि आज प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए भी जीवन दुष्कर हो रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं यह जानता हूं कि जम्मू कश्मीर में लद्दाख में रहने वाले लोगों को, वहां के जीवन ज्ञापन की कठिन परिस्थितियों, ऊंचाई पर बसे होने और वहां का जीवन निर्वाह ऊंचा होने के कारण, मूल वेतन या मूल दैनिक भत्ता 50 100 प्रतिशत अतिरिक्त मिलता है। अतः मैं महसूस करता हूं कि नियम समूचे देश के लिए समान नहीं होने चाहिए। ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि यदि मंत्री महोदय को लद्दाख अथवा वैसे किसी अन्य स्थान पर जाना पड़े तो उन्हें उस राशि से अधिक राशि मिलनी चाहिए जितनी के लिए यहां सुझाव दिया गया है। यह राशि मंत्रियों के लिए ही नहीं अन्य अधिकारियों के लिए भी बहुत ही कम है। मेरा निवेदन यह है कि यद्यपि वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए मंत्री महोदय ने मंत्रियों का दैनिक भत्ता कम कर दिया है जैसा कि वह पहले सभा को बता चुके हैं तथापि मैं महसूस करता हूं कि उन्हें इस पहलू पर विचार करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : उपाध्यक्ष जी, मकवाना साहब जो रेजोल्यूशन लाये हैं, मैं उन के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे मित्र श्री राकेश ने बगैर इसको समझे कुछ बातें कह दी हैं। मैं समझता हूं उन्होंने इसको पढ़ा नहीं है, अगर पढ़ा है तो वे इसको पढ़ने के बाद भी सफल नहीं सके हैं। इसके जरिए आप मिनिस्टर्ट को कुछ ज्यादा नहीं दे रहे हैं। मिनिस्टर्स जब पहले बाहर जाते थे तो उनको ट्रेन में जाते वक्त कुछ इंसीडेन्टल दिया जाता था, जो फर्स्ट-क्लास आफिसरों के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन थर्ड-पे कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक उसको एबालिश कर दिया गया, इस लिए उस एनामली को रिमूव करने के लिए इस रेजोल्यूशन को लाया गया है।

आप को यह मालूम होना चाहिए, जैसा कल मंत्री जी ने भी कहा था कि जो इन्सीडेन्टल उसके मुताबिक उनको पहले मिलता था, यह उससे भी कम है। जो डेली-एलाउन्स 31 रुपए देने जा रहे हैं, यह उससे कम हैं जो पहले दण्डवते साहब मिनिस्टर थे, उस वक्त लेते थे। उस वक्त ज्यादा ले रहे थे, लेकिन अब उसको कम कर दिया गया है। हम को चाहिए कि हम ईमानदारी से बात करें-क्या 31 रुपया ज्यादा है।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने अभी उल्लेख किया था, कृपया आप देखें कि क्या मैंने कभी किसी सरकार की महमाननवाजी स्वीकार की थी।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मेरा मतलब आप से नहीं था, उस वक्त जो मिनिस्टर्स थे, उनसे था। आप तो मेरे बहुत मान्य हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : 30 रुपया है।

श्री सत्यनारायण राव : यह तो 31 रुपया भी नहीं है. तीस ही रुपया है । यह ज्यादा नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा दिया जाना चाहिए । लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं. वे 30 रुपए से ज्यादा लें, लेकिन ज्यादा काम करें । अगर ईमानदारी से काम नहीं करते. हार्ड-वर्क नहीं करते, मेहनत से काम नही करते तो ऐसे लोगों को निकालने की कोशिश करें यहां पर इसको क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं है, यह ज्यादा नहीं है, इस तरह की पोलिटीकल-गिमिम नहीं होनी चाहिए । अग्रवाल साहब भी प्रेक्टिकल आदमी हैं, वह मंत्री रहे हैं, उनको भी इसके बारे में मालूम है । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जो मेम्बर्स यहां पर हैं या जो आफिशियल कमेटीज में हैं, या जो दूसरी कमेटीज में हैं, उनकी पोजीशन मिनिस्टर्स के मुकाबले ज्यादा बैटर है । इस लिए इस रेजोल्यूशन के जरिए मिनिस्टर साहब जो मांग रहे हैं, वह ज्यादा नहीं हैं, बल्कि कम मांग रहे हैं ।

इसी संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूं—हमारी मित्र श्रीमती कृष्णा साही जी ने जो कल और कहा है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं । राकेश साहब ने जो कहा है, उसका कोई मतलब नहीं है । मुझे मालूम है, 1975-76 में जब मेम्बर्स के लिए हमने पास किया था, उसके पहले हमको 500 रुपए मिलते थे । जब दूसरी फैसिलिटीज दी गई तो उस वक्त भी अपोजीशन वालों ने काफी गड़बड़ की थी, लेकिन जब वह बिल पास हो तो सब लोग उस को ले रहे हैं । बाहर सब लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं । मुझे मालूम है—अखबार वाले भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं । यहां डाइनिंग हाल में जो फैसिलिटीज दी गई हैं उनके लिए अखबारों में कितने एम० पीज पर इतना खर्च होता है, लेकिन डाइनिंग हाल में कितने एम०पीज पर इतना खर्च होता है. लेकिहै डाइनिंग हाल में कितने एम०पीज आते हैं ? 10 फीसदी एम०पीज भी वहां नहीं आते, 90 फीसदी लोग प्रेसवाले, आफिसर्ज या दूसरे लोग जाते हैं, लेकिन वह खर्चा हमारे नाम पर पड़ रहा है और प्रेसवाले हमारे खिलाफ लिखते हैं कि मेम्बर्स पर इतना खर्च हो रहा है—यह गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए अगर सही काम करना है तो एम०पीज को, मिनिस्टर्स को सफिशियेन्टली पे करना चाहिए । आप को मालूम है, आप दूसरे देशों में गए होगें कि वहां पर इनको काफी मिलता है । मैं भी 5, 6 देशों में देखकर आया हूं और मैं एसा समझता हूं कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कम पे वसा हो । यहां तक कि हम से भी जो गरीब देश हैं, जितने भी देश हैं, मे हम से ज्यादा इनको पे करते हैं ।

मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं । एक डिफ्रेन्स है जो हम में और मिनिस्टर साहब में है और उस को मैं यहां बतलाना चाहता हूं । आप यह देखेगें कि मेम्बर आफ पालियामेंट को जो एलाऊन्स मिलता हैं, वह उस को तब से मिलता है जबकि वह दिल्ली में हो । दिल्ली में आने के बाद ही उसको वह पैसा मिलता है और हम जैसे एम०पीज, जो बहुत दूर से आते हैं, उनको दरम्यान का पैसा नहीं मिलता है, ट्रेन में जो सफर करते हैं और धूमधाम कर यहां पहुंचते हैं, तो उस बीच 51 रुपए का भत्ता हम को नहीं मिलता है जबकि एक मिनिस्टर को अगर वह ट्रेन में सफ़र करता है, तो उसका उतना ही पैसा उस को मिलता है ।

अन्त में इतना कह कर समाप्त करता हूं कि इनको सैलरीज ज्यादा मिले और दूसरी सहूलियतें मिलें, इससे में सहमत हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : (जादवपुर) उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कल कहा था कि मसौदा नियम में जो परिवर्तन किए जा रहें उससे अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं बढ़ेगा और उनका प्रयोजन भुगतान की कतिपय पद्धतियों को नियमित करना या आकस्मिक खर्चों से दैनिक भत्तों के रूप में परिवर्तन करना है इसलिए। इस बारे में मुझे अधिक नहीं कहना है। चूंकि अनेक माननीय सदस्यों ने अपने हितों अथवा हमारे हितों के बारे में बोले हैं, इस लिए मैं भी कुछ बातें रखना चाहता हूं।

मेरे माननीय मित्र श्री सत्यनारायण राव ने कहा कि उन्हें और धन लेने दें परन्तु उन्हें काम भी करने दें। मैं कहता हूं कि उन्हें कम शरारत भी करने दें।सकारात्मक कार्य के बजाए वे नकारात्मक कार्य अधिक करते हैं। मंत्रियों को जो धन दिया जा रहा है क्या उसका प्रयोजन राज्यों को राजधानियों में जाकर राज्य सरकारोंको गिराने के अभिदान के लिए दिया जा रहा है। संचार मंत्री का हाल ही में जैसे कि समाचार पत्रों की रिपोंट देखी हैं, वे अपनी पार्टी के कार्य से वहां जाते हैं। वे वहां अवश्यक सरकारी खर्चे पर गए होंगे। मुझे इसमैं कतई संदेह नहीं है। व वहां गए थे.........(व्यवधान) मेरा मुख्यमंत्री आपको राज्य सरकारों को गिराने नहीं जाते हैं। उन्हें धैय नहीं है। उन्हें धैर्यय रखना चाहिए।

हम पाते हैं कि एक कैबिनेट मंत्री वहां जाता है, राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है, एक आन्दोलन शुरू कर देता हैं जिससे कांग्रेस (आई) के एक गुट शुरू करता है क्योंकि दूसरा गुट इसका विरोध करता है वह भेदभाव की नीति बरतना है और सरकारी धन का का दुरुपयोग अपनी पार्टी के लिए करता है। मुझे मालूम है कि उनमें से कई एक किसी प्रकार के कार्य करने में असमर्थ हैं, कुल को काम करने की आदत नहीं है, कुछ इमानदारी से कार्य कर रहें पर वे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैं किसी को किसी वर्ग में नहीं रख रहे हैं। लोग उन्हें इस लिए मैं इस अवसर का सदुपयोग माननीय मंत्री को यह कहने में कर रहा हूं कि आप माननीय सदस्य हैं आपको महत्वपूर्व काम करने हैं। आपको जितना पैसा चाहिए ले लें परन्तु अन्ततः आपको जनता के प्रति उत्तरदायी होना होगा। यदि जनता कहती है कि आप इसके योग्य नहीं हैं तो जनता उन्हें उचित समय पर उत्तर देगी।

में ईवउ मसले को तूल नहीं दे रहा हूं। परन्तु इस देश के लोगों के मन में ऐसी भावना घर न करने पाए कि इस-देश में जोअर्द्ध संघात्मक पद्धति है वह बहुत ही अपूर्ण है—विधायी शक्तियां वित्तीय शक्तिां;राजनैतिक शाक्तियां—अधिक केन्द्र के पास केन्द्रित है इस देश में संघवाद के नाम पर एकात्मक सरकार की स्थापना की गई है यह हमारी ,संवैधानिक पद्धति है यही हमारी संदैनिक पद्धति है और अधिक से अधिक शक्तियों की मांगे की जा रही हैं—और भावस्य में भी मांगी जाएगी—मुझे इसमें कतई संदेह नहीं है—केन्द्र के लिए अधिक शक्तियां केन्द्र से लोक प्रिय निर्वाचित सरकारों को गिराने की कोशिश होती है। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में संचार मंत्री ने कहा है कि इन सरकारों से पिंड छुड़ाने की कोशिश करें : हम एक आन्दोलन छोंड़े। क्या आपकी आत्मा की आवाज इस बात को स्वीकार करती है कि सरकारी धन का इसके लिए खर्च

किया जाय ? यही मेरा मुद्दा है ।

उपाध्यक्ष महोदय ; इस लिए यह छूट भी स्टीफन को नहीं देना चाहिए ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री स्टीफन एक माननीय मंत्री हैं और हमारे पुराने मित्र हैं । हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं परन्तु मैं सोचता हूं कि वे भावना में बह गए हैं । मैं जानता हूं कि मार्क्सवाद के विरोधी हैं जन विरोधी हैं और प्रगति शीलता विरोधी हैं । वे अपने आप को परन्तु बदल नहीं सकते क्योंकि वे मंत्री हैं उन्हें समर्थन और वफादारी के लिए पुरस्कृति किया गया है । यद्यपि, पहले वे आनाकानी कर रहे थे, अन्तत: 1977 के बाद वे भी उनमें शामिल हो गए और इसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया मैं जो कुछ कह रहा हूं वह व्यक्तिगत परावर्तन नहीं है ।

जहाँ तक ऊर्जा मंत्री का सम्बन्ध है, मुझे नहीं मालूम कि उनके पास कभी ऊर्जा है न तो पन बिजली न ही तापीय ।

एक माननीय सदस्य : वे ऊर्जा हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे ऊर्जा हैं ? मुझे मालूम नही है । वे हमें फेंकना चाहते हैं (व्यवधान) वे पनबिजली पर रुक गए ; मैं कुछ और उल्लेख नहीं कर रहा हूं । वे हमें बंगाल की खाड़ी में फेंकना चाहते थे । वे अपने चुनाव क्षेत्र से सप्ताह में एक बार दौरा करते हैं । मुझे नहीं मालूम कि वे वहां अपने मंत्रालय अथवा ऊजा संबंधी कौन सा काम करते हैं । वे अपने जिले में जाने के रास्ते में कलकत्ता ठहरते हैं और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस (आई) के एक गुट को इस बारे में समर्थन देते हैं कि सी० पी० एम० को पश्चिम बगाल छोड़देना चाहिए । हम कहां जांए ? क्या हम बिहार चले जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपकी सरकार के जड़े गहरी है तो आपको भय क्यों हो रहा है सरकार को कोई गिरा नहीं सकता ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इनका पर्दाफाश करना चाहता हूं । ऐसे लोग जिन्हें लोक प्रिय समर्थन प्राप्त नहीं है, केन्द्रीय मंत्रियों के माध्यम से सरकारी पैसा प्राप्त कर रहे हैं और एक अभियान छेड़ने के लिए अपने जनप्रचार साधनों से उन्हें प्रचार मिल रहा है ।

मुझे मालूम है कि उन्हें सफलता नहीं मिलेगी । परन्तु स्थिति यह है । केन्द्रीय मंत्रीगण सरकार धन और भत्ते जो यहां अनुमोदित किए गए है । के बल पर बिभिन्न राज्यों की राजधानियों में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि राज्य सरकारों को चला जाना चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय मंत्रियों की ऐसी गति विधियों का समर्थन करती है ।

हम कहां चले जाये ? क्या हम बिहार चले जांए ? क्या हम उत्तर प्रदेश चले जाए ? वं क्या कहेंगे ? वे कहें वापस जाओ । इसलिए, इस जेहाद और मंत्री का समर्थन का क्या प्रयोजन है ?

इसलिए; यदि आपके पास अधिक पैसे होंगे तो आप और अधिक पैसे का दुरुपयोग करेंगे मुझे इसमें कतई संदेह नहीं है। मैं श्री सत्यनारायण राव, जो एक माननीय सदस्य हैं मृदु स्वाभव के हैं से पूर्ण सहमत हूं। उन्होंने कहा है कि उन्हें काम करने दें। मैं सभी उसमें कुछ जोड़ रहा हूं। वह शब्द है सकारात्मक और मैं कह रहा हूं कि उन्हें कोई शारारत न करने दिया जाए, नकारात्मक।

श्री वापूसाहेब पारुलेकर (रत्नागिरी) मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। श्री सत्य-नारायण राव ने कहा है कि इस संकल्प में जितना होना चाहिए उससे बहुत कम कहा गया है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूंगा कल अपने भाषण में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री रंगा ने बताया कि संसद सदस्यों कों प्रतिदिन पचास रुपये मिलते हैं जबकि मंत्रियों को यह नहीं मिलता और इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। परन्तु मैं माननीय गृह राज्य मंत्री से कहना चाहूंगा कि वे वेतन, भत्ते तथा इनकी तुलना को इस समय छोड़ दें। आप इस सभा को यह बतायें कि किराया; बिजली, यात्रा पानी और वायुयान सेवा जैसी अन्य सुविधाओं के रूप में एक मंत्रिमण्डलीय मंत्री और राज्य मंत्री पर कितना धन खर्च होता है। समाचार-पत्रों में छपा है कि एक मत्रिमंडलीय मंत्री पर प्रतिमाह तीस हजार रुपये सरकार के खर्च होते हैं क्या यह सही है ? (व्यवधान)··· कृपया इस गलती को फिर न दोहराएं। देश के लोग हमारी ओर देख रहे हैं। आपको बहुमत से सिर्फ एक नारे पर चुना गया। वह नारा क्या था आपकी सरकार एक काम करने वाली सरकार होगी। पर क्या यह काम है जो आपने किया है।······

एक माननीय सदस्य : बहुमत में नहीं, वरन बहुसंख्या में।

श्री बापूसाहेब पारुलेकर : माननीय महिला सदस्या ने यह सुझाव दिया है कि वेतन तथा अन्य रियायतें बढ़ाई जाएं। उन्होंने यह भी कहा है कि निर्वाचन क्षेत्र के लोग सदस्य के पास आते हैं और उसे उनके ऊपर बहुत सा पैसा खर्चना पड़ता है। मैं बड़ी गम्भीरता से उन्हें कहना चाहता हूं और मैं इस वात को स्वीकार करता हूं कि जो वेतन हमें मिलता है वह पर्याप्त नहीं है। परन्तु एक बात जिस पर हमें ध्यान देना है वह यह है कि क्या इसके लिए हमारे पास पर्याप्त धन है ? देश की जनता हमारी ओर देख रही है। हम यहां लोगों की भलाई के लिए आये है। देश के 60 प्रतिशत लोग निर्धरता के स्तर से नीचे रहते हैं और उनकी प्रति व्यक्ति आय 1 रुपया है हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या हम इस प्रकार अपनी वेतन वृद्धि कर सकते हैं।

हम गांधी जी का नाम बार-बार लेते हैं। क्या मैं सरकार से एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? सरकार के बनने और स्वतन्त्रा मिलने से पहले गांधी जी ने क्या किया था। उन्होंने मंत्रियों के रहने तथा उनके व्यवहार आदि के बारे में क्या कहा था ? हम वह सब भूल गये हैं। जब गांधी जी का कथन आपके लिए लाभकारी होता है तब आप उनके नाम का उल्लेख करते हैं। और जब ऐसा नहीं होता तो आप उन्हें भूल जाते हैं। क्या मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछ सकता हूं निर्धनता के स्तर से नीचे रहने वाले बहुसंख्यक लोगों के सच्चे प्रतिनिधि होने के नाते गांधी जी गोलमेज परिषद में एक लंगोटी पहन कर गये थे। क्या यह मात्र दिखावा था। आप ऐसा क्यों

नहीं कर सकते ? मैं यह नहीं कहता कि आप मात्र धोती बाँधकर घूमें, परन्तु कम से कम आप और अधिक पैसे की मांग न करें। (व्यवधान)

श्री मूलचन्द्र डागा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सब इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में आता है।

श्री बापू साहेब पारुलेकर : माननीय महिला सदस्या ने एक विधान सभा सदस्य और एक संसद सदस्य को मिलने वाले लाभों की तुलनी की है। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं कि कोई सरकारी कर्मचारी अथवा विधान सदस्य ऐसा है जो एक पखवाड़े में केवल एक बार संसद में आने पर पूरे के पूरे 15 दिनों का 51 रुपए प्रतिदिन का भत्ता प्राप्त करे ? क्या यही काम हम करते हैं ? यदि आप एक दिन उपस्थित रहते हैं और शेष 14 दिन अनुपस्थित तब भी आपको 15 दिनों तक मिलने वाले सभी लाभ मिलते हैं। देश की जनता हमारी ओर देख रही है। इसलिए इस विधेयक पर विचार करने से पहले हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या वास्तव में लोगों की भलाई कर रहे हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है। हमें चाहिए कि हम इस पर गम्भीरता से विचार करें।

इसके अलावा मैं एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगा। देश के लोग हमारी ओर देख रहे हैं कि हम क्या करते हैं। वे अनुभव करेंगे कि मंत्रियों ने अपने मंहगाई भत्ता और यात्रा भत्ता बढ़ा लिया है वे अखबारों में पढ़ेंगे कि श्रीमती साही ने यह अपील की है कि संसद सदस्यों को अपने साथ प्रथम श्रेणी में एक परिचारक ले जाने की सुविधा होनी चाहिए। संसद सदस्य परिचारक को लेकर द्वितीय श्रेणी में क्यों नहीं जाते ? वे प्रथम श्रेणी से जाना क्यों चाहते हैं ? आप ऐसे सुझाव दें लोगों को अच्छे लगें और हमारी आलोचना न हो······

श्री नीरेन घोष : कम से कम हमें एक स्टेनो टाइपिस्ट मिलना चाहिए।

श्री बापूसाहेब पारुलेकर : आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि राज्यों की कांग्रेस सरकारें एम्बेसेडर कारें दे रही हैं, जिससे कि उनके संसद सदस्य राजधानी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकें। क्या यह वह सरकार है जो काम करने आई है ?

मैं श्री मकवाना से इस संकल्प को वापस लेने का अनुरोध करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वे यह उपबंध करने वाला एक विधेयक पेश करें कि मंत्री किराया, बिजली प्रभार और पानी प्रभार का भुगतान करें।

एक बात और जो मैं कहना चाहता हूं-यह यद्यपि इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं आती-वह यह है कि एक राजनीतिज्ञ को सन्देह से परे होना चाहिए। मैं अनुभव करता हूं कि भारत सरकार के मंत्रियों को सन्देह से परे होना चाहिए। ऐसा सुना गया है—मैं नहीं जानता कि यह कहाँ तक सही है परन्तु मैं पूछता हूं कि क्या यह सच है कि एक मंत्रिमंडलीय मंत्री के पुत्र भारत सरकार में एक अन्य राज्य मन्त्री के सचिव के रूप में काम कर रहा है क्या उसी मंत्रिमंडलीय मंत्री की पुत्री सूचना मंत्री के सचिव के रूप में काम नहीं कर रही है क्या यह सत्य नहीं है कि एक मंत्री का दामाद रेलवे मंत्री के निजी सहायक अथवा निजी सचिव के रूप में काम कर रहा है। जब स्थिति यह है

तो बात यह उठती है कि आप एक विशेष वेतन में वृद्धि चाहते हैं। मैं नाम नहीं बतलाऊंगा। श्री मकवाना जी उन्हें जानते होंगे। यह सब हो रहा है और समाचार पत्रों में छप रहा है। इस सब पृष्टिभूमि के रहते हुए हम सब मंहगाई भत्ते में वृद्धि करने की बात करते हैं। हम इस प्रकार के लाभों के बढ़ाये जाने की बात कहते हैं। क्या यही गंभीर बात नहीं हैं? और जैसाकि आपने कहा क्या यह सब दिखावा मात्र नहीं है?

अत: मैं पूरी गंभीरता से इस का विरोध करता हूं और मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे सभा के सम्मुख लाए गए इस संकल्प को वापस ले लें। मंत्री महोदय कृपया हमें यह बतायें कि मंत्रियों पर वास्तव में कितना पैसा खर्च होता है और उस बात के बारे में भी बतायें जो मैंने अन्त में कही।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं माननीय सदस्यों विशेषकर श्री राकेश, जो चले गए हैं और अन्तिम वक्ता श्री पारूलेकर का भाषण सुनकर आश्चर्य चकित रह गया। मैं पूछना चाहता हूं कि वे विधेयक का समर्थन करते हैं अथवा नहीं.........

श्री आर० के महालगी : यह विधेयक नहीं है वरन् एक संकल्प है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं माफी चाहता हूं। यह एक संकल्प ही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सभा पटल पर रखे गए नियमों को देखा है। ...(व्यवधान)...

क्योंकि वे सभा पटल पर रखे गए थे इसलिए मैं यह मानता हूं कि माननीय सदस्यों ने उनको देखा होगा। परन्तु दुर्भाग्य है कि नियमों को पढ़े बिना अथवा संकल्प को देखे बिना और मेरे भाषण को जो मैंने प्रारम्भ में दिया था सुने बिना वे अपना भाषण देने चले गए। मैंने कहा था कि इस संकल्प के द्वारा मंत्रियों को अधिक नहीं मिलेगा वरन् कम ही मिलेगा। मैंने यह भी कहा था कि इसमें अधिक धन खर्च करने की बात नहीं है, क्योंकि इस संकल्प के द्वारा मन्त्रियों को मिलने वाली राशि में कमी होगी।

श्री पारूलेकर और श्री राकेश तथा अन्य विद्वान मित्रों ने गांधी जी का उल्लेख किया। उन्हें स्मरण कराना चाहता हूं कि जनता पार्टी के सत्ता में आने पर श्री राजनारायण और श्री फर्नान्डीज ने क्या किया था। वे बड़े मकान के लिए लड़ रहे थे। बड़े ही शर्म की बात यह सब समाचार पत्रों में छपा था। लोग बाग मंत्रियों पर हंस रहे थे, संसद सदस्यों पर हंस रहे थे और कह रहे थे कि यह हैं सदस्य और मंत्री जो बड़े मकान के लिए झगड़ रहे हैं। अब वही लोग यह कह रहे हैं कि हम वेतन और भत्ते बढ़ा रहे हैं, जबकि मैं भत्तों को कम कर रहा हूं। इस पर मुझे संस्कृत की कहावत 'परोपदेशे पांडित्यम्' का स्मरण होता है। वे हमको सलाह दे रहे हैं। गुजराती में एक कहावत है "दृढ़ कुंडु" कथोरोट न हंसे। 'कुंडु' का अर्थ है एक बड़ा बर्तन। एक बड़ा बर्तन है और एक छोटा बर्तन है। छोटा बर्तन बड़े बर्तन की हंसी उड़ाता है। वही बात माननीय सदस्य यहां दोहरा रहे हैं। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया है। श्री पारूलेकर ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि एक मंत्री का पुत्र अन्य मंत्री के साथ अथवा उसकी पुत्री किसी दूसरे के साथ काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं नाम नहीं बताना चाहता। क्या किसी

का एक मंत्री के रूप में पैदा होना गुनाह है। यदि वह किसी मंत्री का पुत्र या पुत्री होता है तो यह गलती भगवान की है जिसने उन्होंने पैदा किया। यह मंत्री की गलती नहीं है। ... (व्यवधान)

यह उस व्यक्ति की गलती नहीं है जिसे नौकरी मिली। हम उनसे और क्या अपेक्षा करते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह उनके मंत्री होने से पहले उनके यहां पैदा हुआ था।

श्री योगेन्द्र मकवाना : तो मेरा कहना है कि वह एक मंत्री के पुत्र और पुत्री से क्या अपेक्षा करते हैं ? क्या उन्हें अपनी जीविका का अर्जन नहीं करना चाहिए ? और यदि वह ऐसा ईमानदारी और निष्ठा से करते है तो आलोचना के लिए कहां स्थान है ? उनकी नुक्ताचीनी क्यों इसके बजाय आपको इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए थी कि एक मंत्री का बेटा कोई अवैध कार्य नहीं कर रहा है, वरन् यह वैध तरीके से अपनी जीविका का अर्जन कर रहा है।

श्री पारुलेकर और श्री राकेश ने जो कुछ कहा था उसके संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता था। उन्होंने संकल्प के बारे में कुछ नहीं कहा। और न ही उन्होंने मेरा भाषण सुना। ऐसा लगा कि वह अचानक उठे और सर्वथा असंबद्ध बातें कहने लगे। इसका सभा में रखे गए नियमों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री शमन्ना ने भी गांधी जी का उल्लेख करते हुए कुछ संशोधन रखे हैं। गांधी जी के नाम का उपयोग बिना सोचे समझे किया जाने लगा है परन्तु कोई भी उनका अनुसरण नहीं करता। क्या मैं माननीय सदस्यों से पूछ सकता हूं कि उन्होंने कभी गांधी जी का सही अर्थों में अनुसरण किया है। मैं नहीं समझता कि उनमें से किसी ने भी कभी गांधी जी का अनुसरण किया है। उन्होंने उनकी हत्या की। गांधी जी की समाधि पर जा कर झूठे वायदे किए। देश के लोगों को धोखा दिया और ढाई साल के दौरान वे कुत्तों की तरह लड़े और हट गए। अब वहीं लोग मुझे और मेरी सरकार को सलाह देते हैं और वह भी बिना अध्ययन किए और बिना सोचे समझे। मैं समझता था कि ढाई साल में उन्होंने कुछ सबक सीखा होगा परन्तु उन्होंने कुछ नहीं सीखा। अब भी बिना पढ़े और बिना जाने वे हर बात पर बोल रहे हैं।

इसका सभा की दीर्घाओं में बैठे लोगों पर विशेष रूप से बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है। वह देख रहे हैं कि ये वे सदस्य हैं जिन्हें हमने अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है और जो बिना जाने बोलना शुरू कर देते हैं। ... (व्यवधान)

श्री बापुसाहेब पारुलेकर : श्रीमन, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय दीर्घाओं का उल्लेख नहीं कर सकते।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने ऐसा न कहा होता, परन्तु वे अचानक उठे और दीर्घाओं की ओर देखकर, जो दर्शकों से भरी थी, कहा कि मंत्री अधिक ले रहे हैं। श्रीमान कल मैंने एक उदाहरण दिया था जिसे मैं फिर से दोहराना चाहता हूं दिल्ली और मद्रास के बीच यात्रा में एक मंत्री को 2192 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। इसमें दो दिन और 40 मिनट लगते हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार उसे 35 पैसा की दर से आकस्मिक प्रभार मिलेगा, जिसमें उसे

76·65 रुपए मिलेंगे। परन्तु इस संकल्प के पारित होने पर एक मंत्री को उतनी ही दूरी की यात्रा करने पर केवल 60 रुपए मिलेंगे। इस प्रकार उसे 16·65 रुपए कम मिलेंगे। इसमें अधिक दिए जाने की बात कही है ? दिल्ली से बम्बई की दूरी 1388 किलोमीटर है, इसमें 24 घंटे लगते हैं। 35 पैसे की दर से यह 48.65 रुपए आएगा, परन्तु नए नियम के अनुसार यह केवल 30 रुपए होगा। ऐसा ही है दिल्ली से कलकत्ता की यात्रा के साथ है। हर मामले में मंत्री को कम पैसा ही मिलेगा। फिर अधिक मिलने की बात ही कहां आती है ?

मैं माननीय सदस्यों को स्मरण करा दूं कि मंत्रियों को प्रतिदिन 30 रुपये मिलते हैं जबकि माननीय सदस्य 51 रुपये ले रहे हैं। श्री एम० सत्यनारायण राव ने कहा कि मंत्री को अनुषंगिक प्रभार मिलता है जबकि सदस्यों को वह नहीं मिलता। वे यह बात भूल गये कि जब कोई सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली आता है तो उसे एक प्रथम श्रेणी के साथ द्वितीय श्रेणी का किराया भी मिलता है जो मंत्रियों को मिलने वाले आनुषंगिक प्रभार से अधिक होता है (व्यवधान) उसमें क्या अन्तर है, मुझे बतलाइये। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मंत्रियों को अधिक नहीं मिल रहा है, उन्हें कम मिल रहा है।

श्री नीरेन घोष : तो फिर आपस में पदों की अदला-बदली की जाये।

श्री योगेन्द्र मकवाना : इस प्रकार पदों की अदला-बदली के लिए आपको कई वर्ष लगेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते ने पूछा है कि क्या यह भूतलक्षी काल से लागू होगा। वे क्योंकि मंत्री थे तो उन्होंने सोचा कि शायद उनसे कुछ वसूली की जाये। ऐसी कोई बात नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा विचार है कि मजाक का पुट देना असंसदीय नहीं है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं भी हंसी में उत्तर दे रहा हूं। नियम 11 (2) में यह उपबंध है कि जब तक संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति न हो जाये और उसे जारी न कर दिया जाये यह लागू नहीं होगा। अतः अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से ही यह प्रभावी होगा। अतः यह उसी दिन से लागू होगा, भूतलक्षी प्रभाव से नहीं।

श्री शमन्ना ने अपने पहले संशोधन में यह इच्छा प्रकट की है कि नियम 2 का संशोधन किया जाये जो प्रस्तावित नियम 9 में समाहित किया गया है। उनका सुझाव है कि "दो निजी सेवकों" के स्थान पर एक निजी सेवक प्रतिस्थापित किया जाये। श्री पारूलेकर के समान उन्होंने ने भी गांधी जी का अनुकरण करने की बात कही। हम ऐसा करने को तैयार हैं। परन्तु ये दो सेवक कौन हैं ? ये नियम भूतपूर्व गवंनर जनरल कौंसिल के पूरक नियमों के आधार पर बनाये गए हैं। ये भूतपूर्व गवंनर जनरल की कौंसिल पर लागू होते थे। स्वतन्त्रता के बाद इन्हें मंत्रियों पर लागू किया जाने लगा। उन नियमों के अनुसार मंत्री को 10 सेवकों की अनुमति थी जिन्हें घटा कर दो कर दिया गया। पर अब ये दो सेवक हैं कौन ? उनमें से एक सामान्यतः श्रेणी चार का कर्मचारी होता है जो मंत्री की डाक, फाइल आदि ले जाता है। उसे भी अधिकतर मंत्री नहीं रखते हैं, मुझे स्मरण नहीं मैंने उसे अपने साथ रखा है मैं अनेकों बार अनेकों स्थानों पर मुझे सौंपे गए विशेष कार्य के सम्बन्ध में गया हूं। मैं कहीं भी अपने साथ एक भी सेवक नहीं ले गया, दो की बात ही क्या है ? न ही मैंने कभी महंगाई भत्ता ही लिया है अधिकतर मंत्री महंगाई भत्ता नहीं

लेते हैं। वे सामान्यत: सर्किट हाउस में जो देते हैं वह लेते हैं और वह अवसर 30 रुपये से कम होता है। अब इन नियमों की असमानता दूर करने के लिए संशोधित किया जा रहा है, क्योंकि जैसा मैंने कल कहा था तृतीय वेतन आयोग ने इसे प्रथम श्रेणी अधिकारियों से सम्बद्ध कर यह असामानता पैदा कर दी थी। तृतीय वेतन आयोग ने प्रथम श्रेणी कर्मचारियों को आकस्मिक प्रभार देना बन्द कर दिया था। इसलिए हमें नियमों में परिवर्तन करना पड़ा। यह एक औपचारिक सा संकल्प है और बहुत ही साधारण है। माननीय सदस्य ने इस पर संशोधन पेश किया है। मेरा कहना है कि यह संशोधन आवश्यक है। अपने नियम 5 सम्बन्धी संशोधन है वे कहते हैं :

"नियम 5 में, प्रस्तावित नियम 17 में, वर्तमान परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि यदि मंत्री की यात्रा और उसका रुकना केवल शासकीय प्रयोजन के लिए हो तो दैनिक भत्ता मांगा और लिया जा सकता है।"

मेरा विचार है माननीय सदस्य ने विधेयक को तथा इससे सम्बन्धित नियमों को नहीं देखा है। अन्यथा वे यह सशोधन पेश न करते। इस सम्बन्ध में नियम 17 बहुत स्पष्ट है। नियम 17 मंत्रिगण (मदों, चिकित्सा और विशेषाधिकार) विधेयक, 1957 की धारा 3 का अनुसरण करता है जिसमें स्पष्ट रूप से "कर्त्तव्य पालन-यात्रा" शीर्षक दिया गया है। फिर यह संशोधन माननीय सदस्य ने क्यों कर दिया है समझ में नहीं आता। वे मात्र संशोधन देने के लिए उसे पेश कर रहे हैं, इससे अधिक कुछ नहीं।

उनका तीसरा संशोधन इस प्रकार है :—

"प्रस्तावित नियम 24 में "केन्द्रीय सरकार में प्रथम श्रेणी कर्मचारियों" के स्थान पर "मंत्री" प्रतिस्थापित किया जाए।"

इस नियम का सम्बन्ध केन्द्र सरकार के उप-मंत्रियों से है। वह प्रथम श्रेणी अधिकारी के बराबर हो पाता है। वेतन आयोग ने इन नियमों में परिवर्तन कर दिया। नियम 1(2) के अन्तर्गत यह स्पष्ट कहा गया है कि "आकस्मिक प्रभार" प्रथम श्रेणी अधिकारियों के समान होंगे। इस प्रकार यह सम्बद्ध किया गया। मैं इस संशोधन को स्वीकार कर लेता परन्तु इससे अनेकों कठिनाइयों पैदा हो जाएंगी क्योंकि इसका सम्बद्ध केवल आकस्मिक प्रभारों से ही ही नहीं है। यदि दैनिक दैनिक भत्तों के सम्बन्ध में मंत्री और उप मंत्री के बीच समानता को स्वीकार कर लिया जाए तो यही बात यात्रा सम्बन्धी अन्य सुविधाओं आदि के सम्बन्ध में भी माननी होगी। अत: यह संशोधन अनावश्यक है।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आप बुरा न माने तो मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। निश्चय ही इसमें अधिक धन खर्च नहीं होगा। परन्तु क्योंकि आपने सैलून का उल्लेख किया है मैं यह कहना चाहता हूं। रेलवे बोर्ड के यह स्पष्ट निदेश हैं कि सैलून का उपयोग केवल उसी टाइम में किया जा सकता है जब कोई ऐसे रेल मार्ग का निरीक्षण करने जाएं जहां आवास और भोजन की सुविधाओं का अभाव है। इन सैलूनों का उपयोग मंत्री बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं स्वयं भी रेल मंत्री रह

चुका हूं और मैंने कभी भी सैलून में पैर नहीं रखा। अतः सैलून को इसमें न रखें। इसका उपयो मंत्री नहीं कर सकता।

श्री योगेन्द्र मकवाना : नियमों में होने के कारण मैंने इसका उल्लेख किया। परन्तु कि ने भी अभी तक इसका उपयोग नहीं किया है और न ही कोई उपयोग करेगा। यह बहुत ही सामा और साधारण संकल्प है तथा मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसे पास कर देंगे और पे किए गए संशोधन वापिस ले लेंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प स्वीका किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शमन्ना क्या आप अपना संशोधन वापिस ले रहे हैं?

श्री टी० आर० शमन्ना : मैं एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, अब आप नहीं बोल सकते।

श्री टी० आर० शमन्ना : उन्होंने कुछ व्यक्तिगत आक्षेप किए है जिनका स्पष्टीकरण आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं अब आप नहीं बोल सकते।

श्री टी० आर० शमन्ना : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। उन्होंने मुझ पर कुछ आक्षेप कि और इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण देना मेरे लिए आवश्यक है। यह केवल व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है···।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यक्तिगत स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है। आप पेश किया गया अपना संशोधन वापिस ले रहे हैं अथवा नहीं।

श्री टी० आर० शमन्ना : मंत्री महोदय जो चाहे कहे और मैं उसे मान लें। कृपया मेरी बात सुनें मैं दो मिनट से अधिक नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, म आपको भाषण की अनुमति नहीं दे सकता। तो, आप इन्हें वापिस नहीं ले रहे। ठीक है, मैं श्री शमन्ना के संशोधन संख्या को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मकवाना द्वारा पेश कि गए मूल संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

"यह सभा मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत बनाये गये ओर 18 जून, 1980 क सभा पटल पर रखे गए मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेपाधिकार) संशोधन नियम, 1980 के प्रारूप का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मोटर यान (रक्षात्मक हेडगियर) नियम 1980 में रूप भेदों के बारे में प्रस्ताव

***श्री आर० के० महालगी (थाना)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :

"यह सभा संकल्प करती है कि मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (4) के अनुसरण में मोटरयान (रक्षात्मक हेड गियर) नियम, 1980 में, जो राजपत्र में दिनांक 14 मई 1980 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 261 (ङ) में प्रकाशित हुए थे, और 19 जून 1980 को सभा पटल पर रखे गये थे, निम्नलिखित रूप भेद किए जायें अर्थात् :—

(एक) नियम 1, उपनियम (2) में, "1 नवम्बर, 1980" के स्थान पर "1 जनवरी, 1982" प्रतिस्थापित किया जाये।

(दो) नियम, 3 में,—

(क) वर्तमान सीमांत शीर्षक के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये— "महिलाओं को छोड़कर"

(ख) "जो सिख हैं" का लोप किया जाये।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।"
मैं मराठी में बोलना चाहता हूं। मैंने आपको आवश्यक सूचना दे दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने 25 मिनट मांगे थे। मैं आपको 20 मिनट दे रहा हूं। अब आप बोल सकते हैं।

***श्री आर० के० महालगी** : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव पर बोलने से पहले मैं चर्चा की सुविधा के लिए इसकी पृष्ठभूमि बतलाना चाहूंगा। मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 में समय समय पर संशोधन किये गये हैं। सबसे अन्तिम संशोधन धारा 85 में किया गया। धारा 85 की संशोधित धारा 85क में कहा गया है कि जो व्यक्ति स्कुटर चलाता है (मैं स्कुटर शब्द का प्रयोग उस में नहीं कर रहा जिस अर्थ में इसका उपयोग दिल्ली में होता है,

क्योंकि यहां इसका अर्थ है रिक्शा, तीन पहिये की सवारी आदि। यहां मेरा मतलब पहिये वाली गाड़ी से है) अथवा उसके पीछे की सीट पर बैठता है उसे हैल मेट पहनना आवश्यक है। धारा 85क में यह कानुनी व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं यदि कोई व्यक्ति उसे नहीं पहनता तो उस पर पहली बार ऐसा करने पर सौ रुपये जुर्माना किया जा सकता है तथा दोबारा फिर से नियम का उल्लंघन करने पर दो सौ रुपये और तीन सौ रुपये का जुर्माना हो सकता है। धारा 112 का उपबंध धारा 85क के साथ लागु होता है। संशोधन में आगे कहा गया है कि हैलमेट

* मराठी में दिये गये भाषण का हिन्दी रुपान्तर

एक विशेष प्रकार का बनाया जाना चाहिये तथा उसका नाप भी उसी के अनुरुप होना चाहिये। उसमें कुछ व्यक्तियों को हेलमेट पहनने से छूट दिये जाने की बात भी कही गयी है।

[श्री शिवराज वी० पाटिल पीठासीन हुये]

धारा 85क के संशोधन से 19 जून, 1980 को सभा पटल पर रखे गये नियमों का बनाया जाना आवश्यक हो गया। मेरे संकल्प में इन नियमों में संशोधन करने की व्यवस्था है। सभा पटल पर रखे गए नियम तीन प्रकार के हैं: (1) धारा 85क सभी उपबंध 1 नवम्बर, 1980 से गुला होंगे। (2) स्कुटर चलाने वाला या उस पर बैठने वाला भारतीय मानक सस्थान नमुना संख्या आई०एस०4151-1976 (3) के अनुसार बने हैलमेट को पहनेगा। (3) धारा 85 के उपबंध सिख महिला पर लागु नहीं होंगे।

मैं इन नियमों में दो प्रकार के संशोधन करना चाहता हूं: (1) यह नियम 11-1-1980 के बजाय 1-1-1982 से लागु हों। (2) केवल सिख महिलाओं को हैलमेटे पहनने से छूट देना उचित नहीं है और इस उपबंध को समाप्त कर दिया जाये।

समय सीमा के 1-1-1982 तक बढ़ाये जाने के दो कारण है। मैंने वहन और परिवहन मंत्रालय के सचिव को जानकारी प्राप्त करने के लिये लिखा। 28 जुलाई, 1980 के अपने पत्र में मैंने निम्नलिखित मुदद्दो के बारे में जानकारी मांगी थी

(एक) हैलमेट बनाने वाली कम्पनियों के नाम और स्थान;

(दो) उनकी वास्तविक क्षमता;

(तीन) इस समय बाजार में उपलब्ध हैलमेटों की संख्या।

(चार) 15 अक्तूवर, 1980 तक और कितने हेलमेट विक्री के लिए उपलब्ध होंगे।

(पांच) भारत में कुल मोटर साईककिलों और स्कूटरों की संख्या।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के सचिव ने मुझे यह जानकारी 30 जुलाई; 1980 को दी। मैं उसी जानकारी के आधार पर अपने तर्क पेश करूंगा।

किसी भी योजना को कारगार ग्रग से लागू करने के लिए उस पर पूर्व तैयारी काफी मात्रा में की जानी चाहिए। परन्तु वर्तमान सरकार पहले योजना की घोषणा करती है और ब द में उसको लागू करने के तरीके सोचती है। मैंने समय सीमा 1982 तक बढ़ाई जने का प्रस्ताव इसीलिए किया है जिससे इन नियमों को कारग र ढंग से लागू करने के लिए व्यवस्था करने हेतु समय मिल जाये। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि क्या समय-सीमा का बढ़ाया जाना उचित है प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इस समय देश में 1600288 रजिस्टर शुद्धा मोटर साइकिलें और स्कूटर हैं इस जानकारी में तीन राज्यों की गाड़ियों को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि नौवहन और परिवहन मन्त्रालय उनसे सम्बन्धित जानकारी दे सका। यह संख्या 31-3-1978 तक रजिस्टर हुए स्कूटरों और मोटर साइकिलों की है। पिछले दो वर्षों में निश्चय है इसमें वृद्धि हुई होगी। मैंने दिल्ली के परिवहन निदेशक को यह जाने के लिए फोन किया कि दिल्ली में कितनी गाड़ियां बढ़ीं हैं। मुझे बताया गया कि दो साल पहले गाड़ियों की संख्या 2,82 338 थी परन्तु 30 जून 2980 को रजिस्टर शुद्धा मोटर साइकिलों और स्कूटरों की की संख्या बढ़कर

3,071861 हो गई। 18 महीनों में इस प्रकार की गाडियों में 26 हजार की वृद्धि हुई। हाल ही में पुणे और थाणे गया था। मैंने वहां आर० टी० ओ० से इन गाड़ियों की संख्य में हुई वृद्धि के बारे में पूछा तो मुझे बताया गया कि इस एक साल में इस प्रकार की गाड़ियों में 9 हजार की वृद्धि हुई है वृद्धि की इस दर को देखते हुए देश में मैं समझता हूं इस प्रकार की 25,00,000 गाड़ियाँ होंगी। इम नि म में यह उपबन्ध किया गया है कि चालक और पीछे बैठने वाला दोनों को हेलमेट पहनना आवश्यक है। 1 नबम्बर, 1980 तक निर्धारित नमूने के 50 लाख हेलमेट बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है और फिर भी 1-1-1980 से इसे लागू करना चाहती है तो ऐसी दशा में एक पुलिस वाला एक स्कूटर ड्राइवर को अथवा पीछे बैठने वाले को हेलमेट न पहनने पर मुकदमा चलाएगी। स्कूटर के ड्राइवर के यह कहने पर भी कि मुझे निर्धारित नमूने-का हैलमेट नहीं मिला उसका विश्वास नहीं किया जाएगा। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि पहले आवश्यक व्यवस्था कर ली जाए। केवल इसी कारण मैंने इस समय-सीमा को 1 जनवरी, 1982 तक बढ़ाया जाने की मांग की है।

भारत में हेलमेट बनाने वाली 56 फैक्टरीयाँ देश के निम्नलिखित भागों में स्थित हैं: वम्बई 10, दिल्ली 19, मद्रास 9, कलकत्ता 8, बंगलौर 10, इनमें से अधिकतर फैक्टरीयां लघु उद्योगों की हैं। इनमें से कुछ धग्ण है और हेलमेट नहीं बनाती। मैंने मंत्रालय से यह जानकारो मांगी की कितनी हेलमेट बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, क्योंकि सरकारी जानकारी के आधार पर ही कुछ कहना मैंने बेहतर समझा। मुझे जो उत्तर मिला वह इस प्रकार है:

> "विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय में इम तरह की कोई जानकारी नहीं हैं कि इन फैक्टरियों की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है। तथा उनके यहां यह जानकारी इकट्ठा करने का कोई तरीका भी नहीं है कि इस समय बालार में अथवा इन फैक्टरियों के पास कितना माख उपलब्ध है। इस प्रकार उस कार्यालय ने आपके पत्र में क, ख, ग और घ के संबंध में कोई जानकारी देने में अपनी असमर्थता प्रकट की है।'

क्योंकि सरकार को यह पता नहीं है कि इस समय बाजार में विक्री के लिए कितनी हेंलमेट उपलब्ध हैं, इन नितमों को इतनी शीघ्र लागू करके परेशानी पैदा करसा उचित नहीं होगा।

पुलिस और जनता के बीच सम्लन्ध अच्छे नहीं हैं। बहुत से लोग पुलिस के दुर्व्यवहार के वारे में शिकायतें करते हैं। इस नियम से पुलिस को और शक्तियां मिल जाएंगी और स्थिति अधिक जटिल हो जाएंगी। इससे भ्रष्टाचार को भी बड़ावा मिलेगा। इसी कारण मैंने समय सीमा वढ़ाने को कहा है। जो हेलमेट पहना जाना है वह भारतीय मानक संस्थान के विनिर्देश के अनुसार होगा और मैं जानना चाहता हूं कि क्या 15 अक्तूबर, 1980 तक एक विशेष विनिर्देश के काफी हेलनेट उपलब्ध हो जाएंगे ?

मुझे इसमें कतई संदेह नहीं है कि सिर की सुरक्षा के लिए हेलशेट उपयोगी होता है। परन्तु मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार को इस नियम को लागू करने से उत्पन्न कठिनाइयों को भी महसूस करना चाहिए और हेलमेट की मूल सफलता के बारे में सोचना चाहिए।

चिकित्सा की दृष्टि से भी हेलमेट पहनना उपयुक्त नहीं है। पश्चिम जर्मनी के एक जाने माने शल्य चिकित्सक श्री डा० रिर्चलिग ने कहा है :

"क्रैस हेलमेट पहनने से खूली खोपड़ी के टूटने की घटना कम होती है परन्तु दूसरी तरफ खोपड़ी सतह और "वर्टीजरी', प्रथा "ब्रेन ओडमो" को नुकसान पहुंचता है"।

"मेडिकल प्रेक्टिस" (मुनिख) में यह लिखा गया है कि :

"क्रैस हेलमेट के साथ दुर्घटना के मामले में दबाव का बल लीड के सतह से स्थानान्तरित होकर इसके भीतरी गहरे हिस्सों में पहुंच जाता है जहां नियमानुसार गहरा "पैथोलोजिकल डिरेंगमेंट उत्पन्न करता है।"

इन विचारों को देखते हुए, हमें इस पर सोचना चाहिए कि क्या हेलमेट पहने जरुरी करना चाहिए अथवा नहीं। इस प्रयोजन के लिए मिजोरम द्वारा जारी किया गया आदेश पर्याप्त है मैं उद्धरित करता हूं :

"मिजोरम में मोटर वाहनों के चलने की संख्या में तेजी से विस्तार होने के कारण मोटर साईकिल/स्कूटर चालकों के हितों में एतत् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि सभी मोटर साईकिल स्कूटर चालकों को तात्कालिक प्रभाव से निदेश दिया जाता है कि वे दुर्घटना में घायल होने सें बचने के लिए हेलमेट पहना करें (जब वाहन गत में हो।) इस आदेश का पालन सभी मोटर चालकों तथा सभी स्कूटर चालकों द्वारा सख्ती किया जा जाना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनेगा तो उसे जुर्माना नहीं किया जायगा धुम्रपान खतरनाक है फिर भी सरकार द्वारा इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। अतः इसी प्रकार की स्थिति के मामले में भी होनी नहीं चाहिए। धुम्रपान के मामले में यह मुद्रित करना कि "धुम्रपान वर्जित है" आवश्यक कर दिया गया है। सरकार ने सुरक्षात्मक उपाय के रूप में हेलमेट पहनने के बारे में लोगों का समाधान नहीं किया गया है। इसे आवश्यक नहीं बनाना चाहिए।

जब मेरा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, मेरे पास महाराष्ट्र के लोगों से पत्र मिले थे जिनमें उन्होंने हेलमेट पहनने से होने वाली कठिनाइयों के बारे में जिक्र किया था। उन्होने शिकायत की थी कि उन्हें सरदर्द रहने लगा है और सुनाई कम देती है। कुछ तो मिठाइयों के दुर्गन्ध को भी बर्दास्त नहीं कर सकते थे।

चार राज्यों ने इस नियम को आवश्यक कर दिया है। परन्तु उनमें से कईयों ने इसकी निरस्ता के कारण इस नियम को वापस ले लिया है हेलमेट ढोना और मुश्किल है क्योंकि इसमें एक हाथ बिल्कुल व्यस्त रहता है। यदि दो हेलमेट ढोने पडे तो अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। यदि किसी के पास हेलमेट नहीं होगा तो कोई लिफ्ट नहीं देगा। यदि दो हेलमेट ढोने पड़े तो उन्हें रखने के लिए स्कूटर के साथ एक बक्स जोड़ना पड़ेगा। यदि इस नियम को आवश्यक बनाया गया तो अनेक व्यावहारिक समस्याएं और असुविधाएं उठ खड़ी हो जाएंगी।

मेरा विचार है कि दुर्घटना की हालत में सभी लोगों का बचाव करना चाहिए। सिख महिलाओं को इस नियम से छूट प्राप्त है। वस्तुतः धारा 85'क में निम्नलिखित उपबन्ध है :

"परन्तु इस धारा का उपबन्ध उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो सिख है यदि उसकी पत्नी वाहन चला रही है और वह पगड़ी पहने हुए बैठा हो।"

परन्तु सिख महिलाएं पगड़ी नहीं पहनती हैं इस मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह भारतीय संविधान के उपबन्धों के अनुसार भी नहीं है। मैं अनुच्छेद 14 और 15 को ऊद्धरित करता हूं :

अनुच्छेद 14 : भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायगा।"

अनुच्छेद 15 : राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा।

अनुच्छेद 14 और 15 के उपबन्ध इन नियमों के कार्यान्वयन के आड़े आएंगे और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालयों में इन नियमों से चुनौती दी जा सकती है। इसलिए सीमा की अवधि 1-1-1982 तक बढ़ा दी जाए। इस बीच हम कठिनाईयों तथा उनका समाधान के बारे में चर्चा है और इस प्रस्ताव को संशोधित रूप में इस सदन के समक्ष लाएं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव सदन के समक्ष रखता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं इस मशीन के प्रस्तावक महोदय को धन्यवाद देता हूं और उनकी तारीफ करता हूं, कि वह रूल 235 के अन्तर्गत इस मोशन की चर्चा के लिए लाए है। मेरे ख्याल से बहुत कम माननीय सदस्य इस रूल का उपयोग करते हैं। रूल 235 इस प्रकार है :

"अध्यक्ष, सदन-नेता के परामर्श से, ऐसे विनिमय, नियम, उपनियम, उपाविधि आदि के किसी संशोधन पर, जिसकी किसी सदस्य द्वारा सूचना दी जाए, विचार करने और उसे पारित करने के लिए एक या अधिक दिन या दिन का कोई भाग जैसा कि वह ठीक समझे, निश्चित करेगा।" इतने रूल्ज और रेगुलेशन्ज बनते हैं, नोटिफिकेशन्ज निकलते हैं, जो इस हाउस के टैवल पर रखे जाते हैं, लेकिन एक्सीक्यूटिव के द्वारा जो सर्बोडिनेट लेजिस्लेशन होता है, हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है। इस लिए मैं माननीय सदस्य की बहुत तारीफ करता हूं और उनका एहसान मानता हूं। उन्होंने एक छोटे से पायंट पर इतनी रिसर्च की है कि मेरे ख्याल में उन्हें महाराष्ट्र की अन्य समस्याओं पर भी अपना ध्यान देना चाहिए। इससे पता चलता है कि रिसर्च करने वाला व्यक्ति इतनी छोटी सी बात को भी कितनी खूबसूरती के साथ रख सकता है।

मोटर व्हीकल्ज एक्ट के सेक्शन 133 (सी) में कहा गया है :—

"इस अधिनियम द्वारा नियम बनाने के लिए दी गई प्रत्येक शक्ति, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाई गई नियमों की शर्तें वे अध्यधीन हैं।"

इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि गजट में जितने रूल्ज प्रकाशित हों, मैं मेम्बर्स के पास पहुंचने चाहिए। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी एक्ट के मातहत गजेट में जो रूल्ज

पब्लिश होते हैं, सदस्यों को उनकी जानकारी नहीं मिलती है। मैं यह नहीं कहता हूं कि पूरे गजेट की कापी सप्लाई की जाये, लेकिन जो रूल्ज रेगुलेशन्ज, नोटिफिकेशन्ज, बाई-लाज वगैरह सर्वाडिनेट लेजिस्लेशन के अन्तर्गत जारी किए जाते हैं, वे सदस्यो को उपलब्ध किए जाने चाहिए। आज-कल यह होता है कि एक्सीक्यूटिव एजेन्सीज कई बार सवार्डिनेट लेजिस्लेशन के द्वारा हमारे एक्ट की मंशा के खिलाफ हमारे राइट्स पर एनक्रोच करती हैं।

ये जो रूल्ज जारी किए गए हैं, उनका परपज यह है कि दुर्घटनाओं में बचाव के लिए हैलमेट और हैडगीयर पहना जाये। अब आप क्या चाहते हैं कि वह अवेलेबल ही नहीं है इसलिए इसको आप '82 से लागू कीजिए।' 82 से लागू करने के बजाय, मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप 6 महीने या 7 महीने ज्यादा समय ले लेते क्योंकि पहले ही गवर्नमेंट ने इतना समय दे दे दिया था, उसी दिन उसको लागू नहीं किया था, एक साल के बाद तो उन्होंने लागू नहीं किया है 1 जून 1980 के बाद से, लेकिन आपने तो बहुत लम्बा समय ले लिया। आजकल आप देखते हैं कि दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, तो इतना समय नहीं होना चाहिए।

दूसरी बात आपने कही एक्सेप्ट 'वूमन हू इज ए सिख, तो यह सवाल तो ऐसा है, आज भी हिन्दुस्तान के अन्दर आप किसी सिख को देख लीजिए वह टोपी नहीं पहनता है। हिन्दुस्तान में इस का एक इतिहास है, उस इतिहास को याद न करें, वह अच्छी बात है, लेकिन यह बात तो आप देखेंगे कि आज भी हिन्दुस्तान का सिख टोपी नहीं पहनता है। कोई भी सिख हों वह इसको अच्छा नहीं समझते हैं क्योंकि उनकी परम्पराएं, उनके कन्वेशंस ऐसे हैं। कई जगह मस्जिद और गुरुद्वारे में हम जाते हैं और नंगे सिर रहते हैं तो हमें सिर पर कपड़ा बांध कर जाना पड़ता है। और आप देखें इंगलैंड में क्या है? वहां भी बहुत से सिख रहते हैं, वहां पर भी उनके लिए यह नहीं है। उनको एग्जम्पशन मिला हुआ है। कैनाडा में भी नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस के पीछे और कोई भावना नहीं थी। आप की भावना भी ठीक हो सकती है। लेकिन अलग-अलग अमेंडमेंट्स कर दिए। उत्तर प्रदेश ने एक अमेंडमेंट किया, दूसरी स्टेट ने दूसरा किया। जितनी स्टेटस हैं उन में अलग-अलग अमेंडमेंट हो गए। मैं एक बात यह कह कहता हूं, आप इस को हटाने की कृपा न करें क्योंकि जो उनके विश्वास हैं, कन्वेन्शंस हैं, परम्पराएं हैं उनको ध्यान में रख कर हमें मिलकर चलना चाहिए।

श्री बापू साहेब पारूलेकर (रत्नगिरी) : सभापति महोदय, श्री महालगी ने जो कुछ कहा है उसमें और कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने प्रत्येक विषय पर विस्तृत ब्यौरे दिए हैं। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। परन्तु श्री महालगी ने जो कुछ कहा है उसमें मैं सिर्फ दो या तीन बातें और जोड़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि लगभग 50 लाख हेलमेट की आवश्यकता होगी और उस तारीख तक इतनी बड़ी संख्या में हेलमेट उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा। उनके पास जो सूचना है उसके अनुसार पूरे देश में 49 छोटे कारखानों हेलमेंट तैयार करते हैं और उन 49 कारखानों में, जैसा कि मेरे आदरणीय मित्र श्री महालगी ने कहा है अनेक कारखाने बीमार पड़े हैं। इन परिस्थितियों में उन व्यक्तियों की क्या स्थिति होगी जो इस प्रकार के वाहन चलाते हैं। इस पर गैर करना आवश्यक है।

मैं सरकार से सिर्फ यही अनुरोध करूंगा कि कुछ समय बढ़ाना होगा क्योंकि मुझे लगता है कि पहली नम्बर तक 50 लाख हेलमेट का उत्पादन करना असंभव है। मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश, मिजोराम, कर्नाटक, महाराष्ट्र और एक और राज्य ने पहले ही इस आशय का प्रस्ताव पास कर दिया है और इस प्रकार हेलमेटों की आवश्यकता की कुल योग 8 लाख होता है। परन्तु इस विशेष प्रस्ताव में यह उपबंध है कि वाहन चालक और पीछे बैठने वाले दोनों दो हेलमेट पहनना आवश्यक है। यदि आप इसका योग करते हैं तो यह 48 लाख बैठता है। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोस करूंगा कि वे इस बात पर गौर करें बशर्ते कि सरकार ने इस विशेष हेलमेट के विनिर्माण का पहले ही आदेश न दिया हो। जहां तक इस भाग का संबंध है, मुझे यही कहना है और मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं।

जैसा कि श्री शागा ने कहा है, मैं इस पर जोर नहीं दे रहा हूं कि वर्ष 1982 हो। अथवा 1983, परन्तु सरकार को इस बात पर गौर करना चाहिए कि पर्याप्त समय दिया जाए। अन्यथा, निर्दोष व्यक्तियों को न्यायालयों में घसीटा जाएगा, उन्हें जुर्माना किया जाएगा और सजा दी जाएगी और जैसा कि मेरे विद्वान मित्र ने ठीक कहा है कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा क्योंकि पुलिस को रिश्वत देने पर मुकदमा नही चलाया जाएगा।

जहां तक छूट का प्रश्न है, यदि हम विभिन्न सरकारों जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें तो पाते हैं कि कोई व्यक्ति तब तक मोहर साईकिल, स्कूटर या कोपेड नहीं चला सकता है और उस पर किसी व्यक्ति को नहीं ले जा सकता है जब तक कि चालक और साथ ले जाए जाने वाला व्यक्ति हेलमेट न पहने हों, बशर्ते कि यह आदेश उस सिख समुदाय पर न लागू होगा लम्बे बाल रखते हों और पगड़ी मोहन हों। श्री डाका ने जो कुछ कहा है वहां धार्मिक भावना का प्रश्न अन्तर्निहित नहीं है। एकमात्र प्रश्न सुरक्षा का है। दिल्ली मे भी काफी सिख भाई और बहन हैं। दिल्ली सरकार के आदेश हैं। आदेश सिख पुरुषों पर लागू नहीं होता परन्तु सिख महिलाओं पर लागू होता है। विचारार्थ विषय है बालों के कारण सुरक्षा।

सविधान के अनुच्छेद के अन्तर्गत भेदभाव के बारे एक और छोटा प्रश्न है। माननीय मंत्री उप धारा 3 और अनुच्छेद 14 का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध बनाने में बाधा न होगी। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 14 का अतिक्रमक नहीं होता है। परन्तु यदि अन्य सिख समुदाय की स्त्रियों और अन्य समुदायों की स्त्रियों में भेदभाव करना चाहते हैं तो वह भेदभाव माना जाएगा और यदि इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती की जा सकती है आपको प्रयोजन पूरा नहीं होगा। यदि अनुच्छेद 14 (3) का अतिक्रमक होगा और यह स्त्रियों और स्त्रियों के बीच भेद भाव समझा जाएगा, इसलिए कानून छूट नहीं दी जा सकती है। अतः मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि कि वे इन दोनों मुद्दों पर विचार करें अभि या तो प्रस्ताव को वापस ले लें या संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री शिव कुमार ठाकुर (खण्डवा) : सभापति महोदय, महालगी साहब ने बहुत ही सुन्दर रूप से अपना भोशन रखा है। उनके शब्दों की और उन्होंने जो रिसर्च की और उन्होंने जो रिसर्च की है उसके लिए मैं उनकी तारीफ करता हूं लेकिन शासन की ओर से जो मोशन लाया गया है वह वास्तव में सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया है। आप हमारे देश म लाख स्कूटर चालक

हैं और स्कूटर्स की जो मांग है वह इतनी अधिक है कि है कि उसके अनुपात में सप्लाई कम पड़ रही है। आज स्कूटर या मोटर साइकिल कोई लग्जरी की वस्तु नहीं रह गई है बल्कि एक आवश्यकता है। मीडियम क्लास, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, आज जब बसों में इतनी भीड़ होती है और ट्रैफ़िक इतना बढ़ गया है, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सस्ता और सुलभ साधन स्कूटर या मोटर-साइकिल ही है। एक हार्सपावर या डेढ़ हार्सपावर का स्कूटर या मोटर-साइकिल, जिसमें पेट्रोल की कम खपत होती है, का प्रोडक्शन मांग के अनुपात में बढ़ाना आवश्यक है। एक ओर सरकार का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करती हैं और जब देश में स्कूटर बढ़ रहे हैं तब सुरक्षा का प्रश्न आता है। जैसा कि अभी महालगी साहब ने कहा कि 25 लाख मोटर साइकिल या स्कूटर इस देश में हैं और 50 लाख लोगों के लिए हेलमेट का प्रवन्ध करना आसान बात नहीं है मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। 50 लाख हेलमेट तैयार करने की बात को महालगी साहब ने इस प्रकार से प्रस्तुत किया जैसे किसी जग की तैयारी करना चाहते हों। इसके लिए वे दो साल का समय चाहते हैं, जनवरी, 1982 तक समय वे इसके लिए चाहते हैं जैसे कि युद्ध-स्तर पर तैयारी करनी हो। मैं समझता हूं इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

मैं इस सदन का ध्यान कुछ पिछली दुर्घनाओं की ओर ले जाना चाहता हूं। इस सदन के मानीनय सदस्य श्री परमानन्द जी गोविन्दजी वाचा का देहान्त स्कूटर एक्सीडेन्ट में हुआ था। चन्द्रशेखर व्यास, मध्य प्रदेश के विधायक की अभी परसों स्कूटर एक्सीडेन्ट में डेथ हो गयी **(व्यवधान)** अभी हाल में जो कानुन बनाए गए हैं वह अगर पहले से लाए गए होते तो जो दुर्घटनायें आए दिन आंखों के सामने हो रही है वह नहीं होतीं।

सभापति महोदय, स्कूटर और मोटर साइकिल से जितनी दुर्घटनायें होती है, उनमें 90 प्रतिशत हैड-इनजरी की वजह से दुर्घटनायें होती हैं और इसी लिए बहुत आवश्यक हो गया है कि इस प्रकार का कानून बनाया जाए। श्री महालगी जी ने जो मोशन प्रस्तुत किया है, उस पर ध्यान न दिया जाए तथा मैं उसका विरोध करता हूं।

सभापति महोदय, आज हम लोग देखते हैं कि ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। स्कूटर पर आम आदमी और विशेषकर हमारे नौजवान स्कूटर को तेज चलाना अपनी शान समझते हैं। यातायात की तरफ हम देखते हैं, विशेषकर दिल्ली में डी०टी०सी० बसें, कारें और दूसरे गाड़ियों की तादाद इस तरह से बढ़ गई है कि इस तरह से बढ़ गई है कि कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं रह गई है कि इस कानून को लागू किया जाए। दिल्ली में हम देखते हैं कि जब लाल बत्ती जली रहती है, तब तो रोड क्रास करना बहुत ही सेफ रहता है ! और जहां हरी...

सभापति महोदय : अभी सिर्फ 15 मिनट बाकी है और मिनिस्टर साहब को भी जवाब देना है।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : जब हरी बत्ती जलती है, तब तो आदमी को रुकना पड़ता है और बड़ी सावधानी से जाना पड़ता है। पता नहीं इधर से उधर कोई रोड क्रास कर जाए।

1972 में श्री टी०टी० कृष्णम्माचारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उसने बहुत

सी रिकमेंशन्स दी थीं उनमें से एक यह भी रिकमेंडेशन थी कि हैलमेट का प्रयोग किया जाए। श्री महालगी साहब ने अपनी ब्रेन की टक्कर बड़े जोरदार शब्दों में की है।

*उन्होंने एक प्रश्न उठाया है कि ऐसी व्यवस्था कैसे की जाकती है। मैं उनसे कहना चाहता हू कि यह बड़ी समस्या नहीं हैं; और हमारी सरकार इसे कुशलता से निपटा सकती है।

मैं आपको धन्यवाद देता हू।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मान्यवर, श्री महालगी साहब का जो प्रस्ताव है, मैं इसके संबंध में एक-दो बातें ही कहना चाहता हूं। स्कूटर चलाने वाले के लिए हैलमेट लगाना बहुत कम्पलसरी है, यह बात तो समझ आती है, लेकिन पीछे बैठने वाले के लिए कम्पलसरी करने की बात से तो ऐसा लगता है कि जितने भी नागरिक हैं, उन सबको, चाहे वह किसी भी शहर में रहते हैं, एक हैलमेट खरीद कर रखना पड़ेगा। दिल्ली के अन्दर तीन लाख स्कूटर चलते हैं। जब कोई स्कूटर चलाता है, तो वह पीछे किसी न किसी को बैठाकर ले जाता है।

सभापति महोदय : उसका सिर भी फूट सकता है।

श्री हरिकेश बहादुर : श्रीमन्, यह बात तो ठीक है। हम माननीय सदस्य जब किसी स्कूटर के पीछे बैठकर जाते हैं, तो हमें भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसका मतलब यह है कि जब कानून बन जाएगा तो सभी लोगों को एक हेलमेट अपने पास रखना होगा। तो तीन लाख स्कूटर चलते हैं और तीन लाख ही सवारियों व पीछे बैठाकर ले जाते हैं। तीन लाख नहीं तो दो लाख तो हैं ही, इस तरह से कुल मिलाकर पांच लाख सवारियों को ढोने का काम स्कूटर के माध्यम से किया जाता है। अगर यह हैलमेट वाली समस्या पैदा की जाएगी, तो जो दो लाख आदमी ऐक्सट्रा स्कूटर के माध्यम से ढोए जाते हैं, वे स्कूटर से जाना बन्द कर देंगे और इसका नतीजा यह होगा कि उसका असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा तथा उससे फ्युअल की कन्जम्पशन बढ़ेगी। मान लीजिए, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जा रहा है, तो वह थ्री-व्हीलर स्कूट करेगा या टैक्सी करके जाएगा। इस तरह से भी फ्युअल का कन्जम्पशन बढ़ेगा। यदि वह स्कूटर से जाता है तो उसको अपने साथ एक हैलमेट लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए पीछे बैठने वाले के लिए तो हैलमेट का प्रबन्ध होना ही नहीं चाहिए। अभी हमारे बाच-एंडवार्ड के······

एक माननीय सदस्य : सदस्यों के लिए भी व्यवस्था कराइए, नहीं तो पब्लिक ईंटें मारेगी।

श्री हरकेश बहादुर : जो व्यवस्था आप बना रहे हैं, पब्लिक ईंटें हम लोगों के ऊपर मारेगी और अपने को बचाने के लिए एक हैलमेट रखना पड़ेगा।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हैवी वेंहीकल्स का जो चलने का तरीका है, उसके मूवमेंट को रैगुलराइज़ करने की जरूरत है, न कि पीछे बैठने वाले के लिग हैलमेट जरूरी करने की जरूरत है। अभी भी हैलमेट लगाकर भी बहुत से लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं और वे मर जाते हैं। हमारे माननीय सदस्य, श्री परमानन्द जी गोविन्द जी वाला के साथ भी यही स्थिति हुई थी। कार वालों के लिए भी जरूरी है कि एक सेफ्टी बेल्ट होती है, उसको लगाकरके कार चलाय,

*मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

लेकिन उनके लिए कोई कानुन नहीं आता है। यह कानून क्यों आया है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि एक नवम्बर 1980 से स्कुटर के पीछे बैठने वालों के लिए आप कानून बनाने जा रहे हैं। इतने कम समय में और इतनी अधिक संख्या में कहा से हैलमेट प्रोवाइड हो जायेंगे। इसलिये किसी खास कम्पनी को लाभ पहुंचाना चाहते है, तो दूसरी बात है। इसके लाने का उद्देश्य क्या है—यह मेरी समझ में नहीं आता है ? क्या सरकार ने स्टडी किया है कि दिल्ली में हैलमेट कम्पलसरी करने के बाद मरने वालों की संख्या में कमी आई हैं ?

एक माननीय सदस्य : कौन-सी कम्पनी है।

श्री हरकेश बहादुर : इसमें सिख चालकों के लिए छूट दी है, सिख औरतों के लिए भी छूट दी है, सिख औरतों के लिए भी छूट दी है। सिख औरतों के लिए छूट क्यों दी है, क्या औरतों में कोई फर्क होता है, यह छूट सभी औरतों के लिए होनी चाहिए थी। इसलिए इस पर ध्यान देकर कुछ करने की आवस्यकता है।

मैंने कुछ गम्भीर बातें आपके सामने रखी हैं; यदि मंत्री जी चाहें तो जवाब दे सकते हैं।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : सभापति जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य महालगी जी को इस बात के लिए धन्यवाय देता हूं कि किसी अच्छे काम को करने के लिए भी रुकावट पेदा की जा सकती है.......

श्री आर० के महालगी : यह ठीक नहीं है, शर्मा जी।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : इसके लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। आमतौर से अच्छे काम में रुकावट डालने के लिए ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें इन्होंने कितना परिश्रम किया है, उसकी चर्चा हमारे भाई डागा जी ने की है, इसलिए मैं उसके सम्बन्ध में कुछ ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं।

अब बात यह है कि अमेण्डमेन्ट जो हम 1 नवम्बर से लागू करने जा रहे हैं, जिसका हमने फैसला किया है; इसकी चर्चा करते हुए महालगी जी ने कहा कि इतने स्कूटर्स के लिए इतने हैलमेट नहीं मिलेंगे और इससे भ्रष्टाचार बढ़ाने का रास्ता खुलेगा। उन्होंने इसमें कौन-कौन सी चीजों को देखा है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हर अच्छे काम को करने में अगर कोई बुराई ही देखना चाहे, तो वह देख सकता है। लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि जिस कानून को लागू करने की बात हो रही है उनको हम आज लागू नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस के इतिहास में जावें तो आप देखेंगे कि आज आप जिधर बैठे हैं, वही मित्र जब इधर बैठे थे ती उन्होंने ही इस सम्बन्ध में बहुत से कदम उठाए थे। इसमें एक स्टडी ग्रुप एप्वाइन्ट हुआ था और उस स्टडी ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी—1972 में। स्टेट गवर्णमेंट्स की ट्रांसोर्ट डेवलपमेन्ट कान्सिल ने भी इस की सिफारिश की थी। जितनी वेस्टर्न कन्ट्रीज हैं या जापान जैसे देश में भी यह तरीका लागू है, हमारे देश के अन्दर भी बढ़ते हुए एक्सीडेन्ट्स को देखते हुए यह जरूरी शमझा गया कि इस तरह के कानून को लागू किया जाय। जब इसका नोटिफिकेशन हुआ तो बहुत से ऐतराज आए, अलग-अलग जगहों से ऐतराज आए, सिलवारिलीनस लीडर्स ने ऐतराज किया, सभी ऐतराज पर उस समय गौर किया गया। काश, महालगी साहब उस वक्त भी ऐतराज करते तो उस पर भी उस समय गौर किया जाता, लेकिन उस वक्त उन्होंने

ऐतराज नहीं किया । आज जब इस को लागू करने की बात आई है तो उन्होंने रुकावट पैदा करनी शुरू कर दी है । मैं उनसे कहना चाहता हूं—इस कानून को सिर्फ स्कूटर चलानेवालों की सुरक्षा के ख्याल से लागू किया जा रहा है, इस के पीछे और कोई बात नहीं है ।

अब जहाँ तक इस समस्या का प्रश्न है कि हमारे पास इतने हैलमेट हैं या नहीं हैं, मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने 1982 की बात की है, तो क्या 1882 तक पूरे हैलमेट मिल जाएंगे ? नहीं होंगे, क्योंकि 1982 तक स्कूटर्स की सख्या जो इस समय है, वह और ज्यादा बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, आप इसको 1984 कर दीजिए, तब भी वही स्थिति रहेगी, इसकी कोई लिमिट नहीं हो सकती है । मैं आप को विश्वास दिलाना चाहता हू कि इस कानून को लागू करने की हम लोग जो बात कर रहे हैं, वह उन लोगों के लिए हैं जो स्कूटर ड्राइव करते हैं और उनके पीछे जो बैठते हैं ; जिसको पिलयन राइडर कहते हैं, उनकी सुरक्षा का ख्याल करके इस कानून को हम लागू करना चाहते हैं ।

हमारे एक मित्र ने कहा कि किसी खास उद्योग को फायदा पहुंचाने के लिए यह किया जा रहा हैं । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर किसी खास उद्योग की बीत उनके मन में है, तो उसे उन्हें बतलाना चाहिए । जिस मित्र ने यह मोशन मूव किया है और जिन्होंने इतनी रिसर्च की उसके ऊपर कि जर्मनी तक चले गए और यह भी कहा कि इसके पहनने से एक तरह की बीमारी हो सकती है, यह सारी डिसकवरी उन्होंने की है और यहां तक कहा कि किसी खास उद्योग के लिए यह किया जा रहा है, तो मैं आप की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि ये ज्यादातर स्माल सेक्टर में, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के सेक्टर में बनने वाले हैं । मैं तो यह कहना चाहूंगा कि ये हर चीज में एक दूसरी चीज देखने की कोशिश करते हैं, यह बिल्कुल ठीक नहीं है । इसलिए मैं आखीर में यह कहना चाहूंगा कि जितने भी इस में आब्जेक्शन्स आए हैं नोटीफिकेशन के बाद, उन पर गौर किया गया और उसके फलस्वरूप हम इस कानून को लाए हैं । हमारे मित्र जो उधर बैठे हुए हैं, उन्होंने यह भी कहा कि इसमें जो एगजेम्पशन दिया गया है, वह सिर्फ सिक्ख औरतों के लिए हम नहीं कर रहे हैं और यह तो एक डिस्क्रीमिनेशन की बात होगी। उनकी जानकारी के लिए मैं यह बतलाना चाहता हूं कि सरकार ने फैसला किया है कि सिक्ख मन एण्ड नाट ओनली सिक्ख वीमैन बल्कि देश की सारी औरतों का हम इससे एगजेम्प्ट करना चाहते हैं । इसके अलावा 12 वर्ष के नीचे के बच्चों के लिए हम एगजेम्प्ट कर रहे हैं ।... (व्यवधान)...यह तो जो कर रहे हैं, वह मैं बता रहा हूं । जो सलाह और दी जाएगी, उसको भी हम सुनेंगे लेकिन अभी जो हम एगजेम्पशन करने जा रहे हैं वह सिक्ख मैन के लिए और देश की तमाम औरतों और 12 वर्ष के नीचे के बच्चों के लिए कर रहे हैं ।

मैं आशा करता हूं कि मेरे इस कहने के बाद हमारे मित्र श्री महालगी, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेगें कि अगर इनके मोशन को मान लिया जाए, तो मैं कहूंगा कि, 1982 में भी यह लागू नहीं होगा । इसलिए 1 नवम्बर, 1980 से ही इस को लागू करने दें और अपने मोशन को वापस ले लें । मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लोगों की सुरक्षा के सिवाय इस के पीछे और कोई भी तथ्य नहीं हैं ।

सभापति महोदय : श्री आर० के० महालगी। श्री महालगी क्या स्थिति हैं? क्या आप इसे वापस ले रहे है?

* **श्री आर० के० महालगी** (थाने) सभापति महोदय, मैं उन सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया और मेरे प्रति कतिपय अच्छे शब्द रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी शर्मा जी का भी आभारी हुं जिन्होन अपने भाषण के दौरान स्त्रियों और 12 से कम आयु वाले बच्चों को छूट देने की की घोषण की है मैं उनकी घोषणा का स्वागत करता हूं। परन्तु उन्होंने अपने भाषण में कुछ बातों की ओर संकेत किया है, उससे मुझे सख्त ठेस लगी है। अहने भाषण के दौरान मैंने कांग्रेसियों कीं भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाई थी। मैंने उस पत्र के आधार पर बोला था जो मुझे मिला था। मुझे नागपुर के एक युवा काग्रेस कार्यकर्ता से० एम पत्र मिला है। यदि मैं वह पत्र पढ़ दु तो बात स्पष्ट हो जाएगी।

*मराठी में दिये गये भाषण के अग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर। यह संकेत दिया गया था कि कांग्रेस (आई) ने कतिपय कंपनियों को टेन्डर देने में पक्षपात किया था। माननीय मंत्री ने यह भी कहा है कि मैं नियमों के कार्यान्वयन में सरकार की इच्छा में बाधा डालना चाहता हूं। महोदय मुझे यह कहते हुए दु:ख है कि ऐसी टिप्पणी वाद-विवाद की भावना के अनुरूप नहीं है।

मैं कोई भी कार्य विरोध के लिए करने में विश्वास नहीं करता। परन्तु मैं यह महसून करता हूं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो साधन उपयोंग किए जाते हैं वे स्वस्थ और रचनात्मक हों।

महोदय, आपको मालूंम है कि 1.11.1980 तक 50 लाख हेलमेट का उत्पादन करना असंभव है। पुलिस को शक्ति मिल जाएगी और वह इसका दुरुपयोग कर सकती है। कानून पसन्द लोग भी कठिनाई में पड़ जाएंगे। सरकार सभी निर्णय उत्तरदायित्व और सावधानी की भावना से करे और दूरगामी परिणाम सोचकर निर्णय ले। एकमात्र ऐसा निर्णय ही सुविचारित निर्णय होगा।

माननीय मंत्री ने मेरे दूसरों संशोधन स्वीकार कर लिया है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मुझे सिखों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि सिख पुरुषों और महिलाओं को भी दुर्घटना से सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस लिए मैंने यह प्रश्न उठाया था। परन्तु श्री डांगा ने इसमें राजनैतिक उद्देश्य देखा। प्रत्येक व्यक्ति को राजनैतिक दृष्टिकोण से देखने की एक प्रकृति है। मैं महसूस करता हूं इससे बचना चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय ने मेरा पहला संशोधन स्वीकार नहीं किया। परन्तु मैं उनसे अपील करता हूं कि वे इस पर पुर्नविचार करें और कुछ हद तक समय-सीमा बढ़ा दें क्योंकि यह सरकार के लिए सुविधाजनक होगी।

इसलिए, मैं अपवे दूसरे संशोधन को वापस लेता हूं। परन्तु मैं अपने पहले संशोधन पर जोर देता हूं।

सभापति महोदय : इसमें थोड़ी कठिनाई है। यह प्रस्ताव का अंश है। मैं एक आधे को सभा के मतदान के लिए और दूसरे आधे को छोड़ नहीं सकता।

श्री आर० के० महालगी : तब मैं आग्रह करूंगा कि इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाए।

सभापति महोदय : ठीक है। प्रश्न यह है :

"यह सभा संकल्प करती है कि मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (4) के अनुसरण में मोटरयान (रक्षात्मक हैड़ गियर) नियम, 1980 में, जो राजपत्र में दिनांक 14 मई 1980 की अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 271 (ङ) में प्रकाशित हुए थे, और 19 जून, 1980 सभा पटल पर रखे गए थे, अर्थात् :—

(1) नियम 1, उपनियम, (2) में, "1 नम्बर 1980" के स्थान पर "1 जनवरी, 1982" प्रतिस्थापित किया जाए।

(2) नियम, 3 में,—

(क) वर्तमान सीमांत शीर्षक के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाए—"महिलाओं को छोड़ कर"

(ख) "जो सिख हैं" का लोप किया जाए।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड विधेयक

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ और तट अपरदान के नियंत्रण के उपायों की योजना बनाने और उनके एकीकृत क्रियान्वियत के लिए बोर्ड की स्थापना और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

इस सम्बन्ध में, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे बड़ी नदी है और उसमें गंगा से अधिक पानी है। किन्तु इसमें उस क्षेत्र में भारी बाढ़ें आती हैं। इन बाढ़ों का असर वहां प्रति वर्ष 8.8 लाख हेक्टेयर भूमि पर पड़ता है और उनसे प्रति वर्ष 15.1 लाख लोग प्रभावित होते हैं। हर वर्ष 9.3 करोड़ रुपए का का नुकसान होता है। इसलिए, सदस्य इस स्थिति से अवगात होंगे कि इस बड़ी नदी से बहुत नुकसान होता है।

मैंने इस विधेयक को सभा में 1 जुलाई, 1980 को पुरस्कृत किया था। इसमें एक बोर्ड के गठन की व्यवस्था है जो बाढ़ नियंत्रण के उपायों के सम्बन्ध में एक बृहत योजना तैयार करेगा और यह बाढ़ नियंत्रण इस क्षेत्र म जल संसाधनों के उपयोग के लिए विकसित बहु-प्रयोजनीय

योजना का एक समेकित भाग होगा। इसमें सिंचाई, पन बिजली और नौवहन भी शामिल होगा। इसलिए तह विधेयक अति महत्वपूर्ण हैं। इससे पूर्व असम सरकार इन बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए वित्त की व्यवस्था कर रही थी और 1974-75 तक इस हेतु खुद आबंटित किया जा रहा था। उसके बाद केन्द्रीय सरकार ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग को, जिसे राज्य सरकार द्वारा 1970 में बनाया जाना था, इन कामों के लिए सहायता देते आ रही हैं। इस कार्य के लिए अभिकरण ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग है और इसका मार्गदर्शन ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जा रहा है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय सिंचाई मंत्री थे। ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग राज्य संगठन है किन्तु यह कार्य तदर्थ आधार पर किया गया था और मुख्य नदी तथा कुछ सहायक नदियों के दोनों और तटबन्धों का निर्माण किया था और कुछ नगर बचाव कार्य किया गया था। किन्तु यह तदर्थ आधार पर था और इस क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी के जल संसाधनों के चतुर्मुखी विकास के लिए कोई व्यापक योजना नहीं थी। इस नदी का बाढ़ संभाव्य क्षेत्र 31 लाख हेक्टेयर है। इस कार्य से केवल 35 प्रतिशत का बचाव हुआ है और इन तटबन्धों में भी यहां वहां कई दरारें हैं। अतः इस सिलसिले में एक व्यापक योजना बनाना आवश्यक हैं और इसलिए यह विधेयक प्रस्तुत है।

जैसा आप जानते हैं, इस विधेयक में एक व्यापक योजना का उपबन्ध है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटर) : इस पर कितना धन व्यय होगा ?

श्री केदार पांडे) : इस पर प्रति वर्ष 13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। किन्तु बाढ़ अभी भी आती है। अब तक असम सरकार तथा आयोग 114 करोड़ रुपए व्यय कर चुके हैं और कोई व्यापक योजना नहीं है।

इस विधेयक के 30 खण्ड हैं और उसमें बोर्ड के गठन तथा अन्य विषयों का उपबन्ध है। इसमें उपबन्ध है कि बोर्ड के अध्यक्ष को केन्द्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा, आदि।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को सभा के सुपुर्द करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ और तट अपरदन के नियत्रण के उपायों की योजना बनाने और उनके एकीकृत क्रियान्वयन के लिए बोर्ड की स्थापना और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, उस पर 30 सितम्बर, 1980 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।"

हम में से हर एक को मालूम है कि ब्रह्मपुत्र हमारे देश में सबसे बड़ी नदी है किन्तु आर्थिक दृष्टि से उसका लाभ सबसे कम उठाया गया है। मैं चाहता हूं कि जिन राज्यों को इस बोर्ड से लाभ होता है उनसे विचार-विमर्श किया जाए। इसके लिए मैं कुछ कारण पेश करूंगा।

ये बोर्ड किस तरह काम करते हैं, यह हमें मालूम है। उदाहरणार्थ, बिजली बोर्ड की सब सदस्य आलोचना कर रहे हैं। कर्नाटक में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैं। हर आदमी उनमें से प्रायः सभी की यह कहकर निन्दा करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। पहले हमारे यहां बंगलौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट था, एक बार मैंने उनसे कहा था कि इस ट्रस्ट ने न तो लोगों का विश्वास प्राप्त किया है और न ही उचित ढंग से शहर का विकास किया है।

मैं महसूस करता हूं कि बोर्ड सरकार का एक सुविधाजनक गठन है। यदि उसके कार्य की सराहना होती है तो उसके लिए श्रेय सरकार लेती है और यदि उसके काम में कोई गड़बड़ी होती है तो उसके लिए वह बोर्ड की निन्दा करेगी और स्वयं आलोचना से बच निकलेगी। जब कभी बोर्ड अपने दायित्व को सन्तोषजनक रूप से नहीं निभा पाता है तो बहाने बनाना उसके लिए बहुत आसान होता है इस क्षेत्र का विकास बहुत जरूरी है और उसे यथा संभव शीघ्र करना आवश्यक है।

श्री एन० जी रंगा : इसीलिए इसे परिचालन के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए।

श्री टी० आर० शमन्ना : एक महीने का समय कोई लम्बी अवधि नहीं है और इससे कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र घाटी-क्षेत्र बहुत पिछड़ा इलाका है और इस क्षेत्र में हाल में हुई गड़बड़ को ध्यान में रखते हुए; मुझे यकीन है कि यदि हम इस क्षेत्र का विकास शीघ्र नहीं करते और फायदे नहीं पहुंचाते, तो वहां के लोग फिर आन्दोलन करेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम इस क्षेत्र के लिए उचित कार्यक्रम तैयार करें और पूरी गंभीरता से कार्य निष्पादित करें।

विधेयक का अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि अधिकतर उपबंध बाढ़ नियंत्रण कार्य के बारे में हैं। अलबत्ता, सरकार ने उसके लिए वित्त आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ली। इस पर मुझे प्रसन्नता है। इस क्षेत्र के विकास के सम्बध में कुछ धाराएं हैं। विकास कार्य शुरू किया जाएगा बशर्ते सम्बन्धित राज्य सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक अंशदान दें। जहां तक प्रकृतिदत्त लाभों का संबंध है, यह क्षेत्र बहुत सम्पन्न हैं किन्तु जहां तक विकास का संबंध है वह सबसे गरीब है। उन लोगों को जो कुछ धन मिलता है वह उनके घर के खर्चे आदि के लिए भी पूरा नहीं होता है। इसलिए वे अंशदान नहीं कर पायेंगे और इस कारण हम इस क्षेत्र का विकास नहीं कर सकेंगे। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र का समुचित विकास किया जाए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए कमाने के साधन सुलभ किए जायें और तब वे पैसा देंगे। मेरी निश्चित राय यह है कि विकास को उसके भाग्य पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस क्षेत्र के विकास के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए और सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां लोगों का शत प्रतिशत लाभ पहुंचे और तब वे सरकार को उन सभी लोगों के लिए आपको जरूर भुगतान करेंगे।

जब मैं कहता हूं कि विधेयक को उस पर 30 सितम्बर तक राय जानने से लिए परिचालित किया जाना चाहिए तो मुझे पक्का यकीन है कि तब तक उस क्षेत्र में शान्ति स्थापित हो जाएगी और इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर शान्तिपूर्वक निर्णय ले सकते हैं यह सुनिश्चित कर सकते

हैं कि लोगों को वस्तुतः ये सभी लाभ मिलें और केवल कागजी कार्यवाही ही न हो। सम्बन्धित सभी लोगों के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् हमें पूरी गंभीरता व नेक दिल से इस नेक काम की शुरुआत कर देनी चाहिए। यदि हम उनके साथ विचार-विमर्श किए बिना इस विधेयक को पारित कर देंगे तो वे लोग आलोचना करते रहेंगे कि ऐसा नही किया गया है वैसा नहीं किता गया है। इसलिए, बाद में संशोधन लाने के बजाए अच्छा यह होगा कि उनके साथ इस वक्त सलाह-मशवरा किया जाए जिससे कुछ भला करना हमारे लिए काफी संभव हो जाएगा। इसलिए, सभा से जोर देकर मैं इस बात का अनुरोध करूंगा कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करें ताकि विधेयक परिचालित किया जाए। 30 सितम्वर तक विभिन्न रायें प्राप्त करने के पश्चात् हम विधेयक पारित कर सकते हैं जिससे उस क्षेत्र के लोगों को पूरी तरह लाभ हो।

धन्यवाद।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करना चाहूंगा किन्तु मुझे खेद है मैं नहीं कर सकता क्योंकि, मेरा विश्वास हैं, कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को धोखा देने का यह दूसरा प्रयत्न है।

इसके उद्देश्य सुनने में बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रशंसनीय हैं और माननीय मंत्री जी ने विधेयक पुरःस्थापित करते समय उनका उल्लेख किया है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में सभी चीजें बताई गई हैं। लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि जिस तरह इस विधेयक को पुनःस्थापित किया गया है उसमें कुछ आडम्बर हैं क्योंकि उद्देश्यों और कारणों का कथन जो, मैं समझता हूं समस्या के आकार से सम्बन्धित हैं जिसके बारे में माननीय मंत्री जी बोले हैं, ब्रह्मपुत्र गंगा की तुलना में भी सबसे अधिक प्रचण्ड तथा सबसे ज्यादा कठिन कैसे हैं, किन्तु विधेयक को तथा उस बोर्ड को देखने पर जिसे स्थापित किये जाने का उसमें उपबंध हैं और उसके कार्य को जिसके किए जाने की उससे अपेक्षा की गई है तथा उन संसाधनों को जो इस हेतु उपलब्ध किए गए है, देखने पर पता लगता है कि इस सारे विधेयक में पूरी तरह आडम्बर है।

माननीय मंत्री जी बताने वाले थे और उद्देश्यों और कारणों के कथन में भी इसका उल्लेख किया गया है कि योजना, निष्पादन और बाढ़ नियन्त्रण तथा अपरदन-विरोधी उपायों के रख-रखाव के लिए 1970 में एक उच्चस्तरीय संगठन स्थापित किया गया था जिसका नाम ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड, ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग और तकनीकी परामर्शदाता बोर्ड था। 1970 में स्थापित किए गए ये तीन संगठन अथवा संस्थाएं, पिछले 10 वर्षों के दौरान, मैं समझता हूं, काम करती रही हैं। हमें यह मालूम नही है कि उन्होंने वस्तुतः क्या काम किया है।

मंत्री महोदय का कहना है कि अब तक जो काम इन तीनों संगठनों द्वारा किया जाता था, अब वह सारा काम यह नया बोर्ड करेगा। परन्तु हमारे समक्ष कोई प्रतिवेदन नहीं है कि अब तक यह तीनों संगठन क्या काम करते रहे हैं तथा हमें ज्ञात नहीं है कि नया बोर्ड क्या काम करेगा।

उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में तथा विधेयक में भी बार बार यह कहा गया है कि बोर्ड कतिपय उपाय करेगा, बोर्ड कतिपय योजनायें बनाएगा, बशर्ते कि राज्य सरकारें कतिपय जिम्मेदारी

वहन करने को तैयार हो। यह भी उल्लेख किया गया है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को कतिपय धनराषि उपलब्ध करायेगा, बशर्ते कि राज्य सरकारें कुछ निश्चित कार्य करने को सहमत हों आदि आदि। दूसरे शब्दों में मंत्री महोदय ने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया है कि नया बोर्ड गठित करने की कोई अविलम्बनीय आवश्यकता है तथा इस बात का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि बोर्ड आगामी एक वर्ष में या आगामी पांच या दस वर्षों में क्या कार्यवाही करेगा।

ब्रह्मपुत्र समस्या का हल हम गत 30 या 33 वर्षों से कर रहे हैं। मंत्री महोदय को यह भी पता नहीं है कि सरकार कितना धन खर्च करेगी। जब उनसे पूछा गया तं उन्होंने कह दिया कि कुछ कंाड़ रुपये खर्च किये जायेंगे तथा यह जानकरी विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने दी कि 13 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे, जिन में से 10 लाख रुपये प्रशासन के लिए होंगे और 12 करोड़ तथा कुछ लाख रुपये विभिन्न योजनाओं के लिए होंग।

यदि आप वित्तीय ज्ञापन के पैरा 3, पृष्ठ 15 को देखें, तो उसमें मंत्री महोदय ने या ऐसा कहिए सरकार ने उल्लेख किया है।—

"इस समय ठीक ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है कि इस पर कितना व्यय होगा, क्यों कि यह उन बाढ़ नियंत्रण के उपायों की प्रकृति एवं विस्तार पर निर्भर है, जो बोर्ड भविष्य में करेगा या जिन के करने की सलाह राज्यों को देगा।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमने गत 33 वर्षों में इस बात का अनुमान नहीं लगाया है कि यह समस्या किस प्रकार की है तथा कितनी बड़ी और उस क्षेत्र की आवश्यकता क्या है तथा बाढ़ें कितनी बार आती हैं और कितनी विनाशकारी होती है। यदि ऐसा है, तो अभी तक भारत सरकार क्या करती रही। जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का सम्बन्ध है, वहां छात्र आन्दोलन कर रहे हैं। तथा उन्होंने बाढ़ समस्या को भी अपने आन्दोलन का एक कारण बताया है। वित्तीय ज्ञापन से यह स्पष्ट है कि इह मामले में कितनी लापरवाही बरती गई है, क्यों कि भारत सरकार के 33 वर्ष से कार्य करते रहने के बाद तथा बोर्डों, बाढ़ नियंत्रण आयोगों और ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के 10 वर्ष तक काम करने के बाद भी, सरकार कह रही है कि इस समय ठीक ठीक अनुमान लगान सम्भव नहीं है कि इस पर कितना व्यय होगा क्यों कि यह उन बाढ़ नियंत्रण के उपायों की प्रकृति एव विस्तार पर निर्भर है जो बोर्ड भविष्य में करेगा या जिनके करने की सलाह राज्यों को देगा। इस लिए मैं कहता हूं कि यह मामला गम्भीरता से नहीं लिया गया है। मैं इस विधेयक का समर्थन करना चाहता था, परन्तु यह विधेयक तो केवल दिखावे के लिए लाया गया है। विधेयक के दो अतिमहत्वपूर्ण खण्डों, जो कि खण्ड 12 (1) और 12 (2) है, को देखिये—

"इस अधिनियम और नियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए बोर्ड ब्रह्मपुत्र घाटी में सर्वेक्षण और अन्वेषण करेगा तथा ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ और तट अपरदन के नियंत्रण तथा जल निकास के सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार करेगा।"

क्या हम मान ले कि अब तक कोइ मास्टर प्लान नही बनाई गई है और इंजीनियरों तथा उच्चाधिकारियों का एक और दल भगवान जाने कितने वों तक नई योजना पर विचार करता रहेगा और अन्त में इसके लिए एक और विधेयक लाना पडेगा। शायद आप सभा को नहीं अपितु उस क्षेत्र के लोगों को बताने के लिए यह सब कर रहे हो। 2 करोंड़ लोगों की वहुत अधिक समय तक अवहेलना की गई है। गत 33 वर्षों में उस क्षेत्र और वहां के लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : आपने ढ़ाई वर्षों में क्या किया ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे खुशी है कि उन्हें ढाउ वर्ष की अवधि याद है। मुझे विश्वास है कि वह साधारण गणित से परिचित होंगे और इस बात को जानते होंगे कि ढ़ाई वर्ष और तेंतीस वर्ष में बहुत बड़ा अण्तर है। मैं तेंतीस वर्ष के बारे में बात कर रहा हूं। सरकार यदि इस समय अस्पष्ट तौर पर यह कह रही है कि एक मास्टर प्लान बनाई जायेगी, तो यह आश्चर्य की बात ही है। यह तो हर कोई जानता हैं यह तो हर कोई जानता है कि यदि ब्रह्मपुत्र के जल का ठीक तरह से आयोग किया जाये 50000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है परन्तु अभी तक यही कहा जा रहा है कि मास्टर प्लान तैयार की जायेगी। मुझे इसी बात की चिन्ता है कि इस मामले को गम्भीरता से नहीं लिया गया है और इसीलिए मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता।

मुझे याद है कि जब असम बजट पेश किया गया था, तो वित्त मंत्री ने बड़ी-बड़ो बातें की थी और बजट के महान उद्देश्यों का बखान किया गया था। परन्तु जब बजट हमारे सामने आया तो हमने देखा कि उद्योगों के लिए 25 लाख रुपये का नियम किया गया था और पुलिस के लिए 24 करोंड़ रुपये का ब्रह्मपुत्र नदी के जल का उपयोग करने तथा बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिए केवल 13 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, मैंने जो संशोधन दिए हैं, उनमें एक संशोधन यह भी है कि इस बोर्ड का नाम, ब्रह्मपुत्र बोर्ड की बजाय ब्रह्मपुत्र घाटी विकास बोर्ड रखा जाए तथा क्षेत्र के समग्र विकास की ओर ध्यान दिया जाए तथा इस समस्या को गम्भीरता से लिया जाए। परन्तु सरकार ऐसा नहीं कर रही है। वह इस मामले को गम्भीरता से नहीं ले रही हैं। सरकार को न केवल ब्रह्मपुत्र नदी के जल का सिंचाई के लिए और अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए उपयोग करने हेतु कार्यवाही करनी चाहिए, अपितु विद्युत उत्पादन के लिए भी उसका उपयोग किया जाना चाहिए। इससे न केवल उस क्षेत्र के लिए अपितु समूचे देश केलिए विद्युत उपलब्ध करायी जा सकती है। ब्रह्मपुत्र नदी से40000 से 50000 मैगावाट बिजली पैदा हो सकती है जबकि देश में इस समय मुश्किल से 18000 मैगाबाट बिजली पैदा की जाती है। आपको ज्ञात है कि कितने विपुल संसाधन उपलब्ध हैं और वे कितने वर्षों से वेकार जा रहे हैं। शिलांग से प्रकाशित समाचार पत्रों में समाचार छपा है कि पूर्वोत्तर परिषद् में प्रस्ताव पास किया है कि अगले पांच वर्षों में विकास पर 410 करोड़ रुपये खर्च किये जायें, परन्तु मुझे ज्ञात है कि उस परिषद् के अन्य सराहनीय प्रस्तावों की भांति इस प्रस्ताव को भी क्रियान्वित नहीं किया जायेगा।

मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि सरकार विकास कार्यों की किस प्रकार अवहेलना कर रही हैं। कुछ दिन पहले वित्त मंत्री को भारतीय स्टेट बेंक के अधिकारियों की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। इस ज्ञापन में उन अधिकारियों ने अपनी कुछ कठिनाइयों का उल्लेख किया है और साथ-साथ यह भी मांग की है कि वहां एक क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि उनकी यह मांग उचित है और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार कर लेंगे। मैं बेंक अधिकारियों की शिकायतों पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। परन्तु मैंने यह उदाहरण इस लिए दिया है, क्योंकि उस ज्ञापन में जो बैंक अधिकारियों ने वित्त मंत्री को दिया है उसमें समूचे देश की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र के जमा-उधार अनुपात के आंकड़े दिये गये हैं। ये आंकड़े उत्साहवर्द्धक नहीं हैं।

मेघालय हमारे सबसे गरीब राज्यों में से एक राज्य है। मैं ज्ञात है कि उस क्षेत्र में जमा-उधार अनुपात बहुत खराब है। अन्य अवसरों पर भी मैंने इस बात का उल्लेख सभा में किया है। परन्तु इस दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि मेघालय में जमा-उधार अनुपात 6·5 प्रतिशत है। दूसरे शब्दों में उस क्षेत्र में, जो कि हमारे देश का सबसे गरीब क्षेत्र है, बैंकों में जो राशि जमा की जाती है, उसका केवल 6·5 प्रतिशत ही विकास कार्यों में लगाया जाता है और शेष राशि दिल्ली; बम्बई बंगलौर जैसे महानगरों में आ रही है।

मिजोरम में क्या स्थिति है ? वहां यह राशि केवल 6.4 प्रतिशत है। अरुणालय, जो कि देश का उत्तरी छोर है और बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, वहां भी यह स्थिति है। वहां यह राशि 4·2 प्रतिशत है। इसलिए यदि वहां 100 रुपये जमा किये जाते हैं, तो आप उस क्षेत्र के लोगों को, जिन्होंने वह राशि जमा की है विकास के लिए केवल 4·2 रुपये देते हैं और राशि महानगरोय क्षेत्रों को दी जाती है। इसलिए उस क्षेत्र की वित्तीय स्थिति पर चर्चा न कीजिए। मुझे ज्ञात हुआ है कि असम में भी जमा-उधार अनुपात केवल 23·5 प्रतिशत है।

प्रो० एन० जी० रंगा : आपका कहना है कि वहां के लोगों के पास जमा करने के लिए इतना अधिक धन है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : प्रोफेसर साहब, यह जमा कराने के लिए इतना अधिक धन होने का प्रश्न नहीं है। असम में बैंकों में कुल जितनी राशि जमा की जाती है, उसमें से केवल 23 प्रतिशत राशि आप वहां के लोगों के लिए देते हैं अर्थात प्रत्येक 100 रुपये में से केवल 23 रुपये वहां के लोगो को दिए जाते हैं। और समूचे उत्तर पूर्व क्षेत्र में यह उधार-जमा अनुपात 19 प्रतिशत है। मुझेज्ञात है कि हम इस समय वित्त मंत्रालय की समस्याओं पर विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं, परन्तु मैं यह मामला इसलिए उठा रहा हूं, ताकि मंत्री महोदय हमसे यह न कहें कि यह संसाधनों का मामला है। मैं यह बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा संसाधन जुटाने का तो प्रश्न ही नहीं है अपितु उस क्षेत्र के लोगों के संसाधनों का, उस क्षेत्र के लोगों द्वारा बैंकों में जमा की गई राशि का भी उस क्षेत्र के विकास के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है। उन संसाधनों को भी महानगरों में लाया जा रहा है।

इसलिए मेरा निवेदन यह है कि यदि यह सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए वास्तव में चिन्तित है, तो उसे इस प्रकार का अनमना विधेयक नहीं लाना चाहिए कि हम एक नया बोर्ड स्थापित कर रहे हैं। यह केवल प्रचार के लिए किया जा रहा है, ताकि आप आकाशवाणी के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को बता सकें कि उनके क्षेत्र के लिए एक नया बोर्ड स्थापित किया जा रहा है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : आप इसमें चिन्तित है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं चिन्तित नहीं हूं। परन्तु बात यह है कि आप किसी समस्या को हल नहीं करेंगे। आप कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, आप उन्हें एक या दो दिन के लिए गुमराह कर सकते हैं, परन्तु वे शिक्षित व्यक्ति है, समझदार हैं, युवापीढ़ी के हैं, जब वे इस विधेयक को पढ़ेंगे तो समझ जायेंगे कि उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप 10 करोड़ रुपये की राशि से बाढ़ समस्या को हल नहीं कर सकते, बल्कि और अधिक समस्यायें पैदा हो जायेंगी। आप उस क्षेत्र के विकास के बारे में चिन्तित नहीं हैं। आप बिजली पैदा करना नहीं चाहते। आप तो केवल इतना करना चाहते हैं कि यह विधेयक ले आए हैं और कह रहे हैं कि तीन अभिकरणों के स्थान पर अब एक बोर्ड होगा आपको यह भी ज्ञात नहीं है कि उन तीन अभिकरणों ने क्या किया है और यह बोर्ड क्या करेगा। आपको यह भी ज्ञात नहीं है कि आपकी वित्तीय आवश्यकतायें कितनी होंगी वास्तव में हम और मास्टर प्लान तैयार करेंगे, जो कि पहले कई वर्षों से तैयार करते रहे हैं। वैसे तो पहले भी मास्टर प्लान तैयार की जा रही थी, लेकिन अब यह बोर्ड स्थापित किया जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि माननीय महोदय इस मामले को अपने सम्मान का प्रश्न न बनाये। वह इस मामले पर गम्भीरता से विचार करें और उन तीन अभिकरणों को काम करने दें आप इस समूचे प्रश्न पर फिर से मंत्रिमंडल में विचार करें और एक व्यापक विधेयक लायें जिसका उद्देश्य ब्रह्मपुत्र घाटी का समग्र विकास हो विधेयक ऐसा हो जिससे बाढ़ों को रोका जा सके, ब्रह्मपुत्र नदी जल पर नियंत्रण किया जा सके और उसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सके तथा बिजली पैदा किया जा सके, जिसका लाभ न केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र अपितु समूचे देश को मिले।

सभापति महोदय : श्री रामगोपाल रेड्डी। वह नहीं हैं। श्री गिरिधारी लाल।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, ब्रह्मपुत्र बोर्ड के सम्बन्ध में जो बिल यहां पर प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी जो माननीय सदस्य इसके सम्बन्ध में बहुत सारी बातों का जिक्र कर रहे थे, मैं उनसे जानना चाहता हूं, जब वह शासन में बैठे हुए थे, मेरा तात्पर्य है जनता पार्टी के शासन में, क्या उस वक्त उन्होंने ब्रह्मपुत्र के पानी के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करने की कोशिश की थी ? उस वक्त उनको इस बात का ख्याल भी नहीं आया, आपस में लड़ने के सिवा, कि इस पानी को किस तरह से कन्ट्रोल किया जाय, किस तरह से उस रिजन को डेवलप किया जाय। लेकिन आज जब हम उसके लिये कुछ व्यवस्था करने जा रहे हैं तो वे इस तरह के डाउट्स पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों के दिमागों के इस तरह का फितूर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो कुछ करने जा रही है, वह लोगों को गुमराह करने वाली बात है या धोखा देने वाली बात है। इस तरह की बातें करना नितान्त गलत बात है।

भारत सरकार ने जब भी इस प्रकार के बोर्ड बनाये हैं, चाहे चम्बल बोर्ड हो, राजस्थान केनाल बोर्ड हो या नाना प्रकार के दूसरे बोर्डस हैं—उन्होंने निश्चित तौर पर उन क्षेत्रों का विकास करने का . काम लिया है ।आज यह कहना कि ब्रह्मपुत्र के पानी को कन्ट्रोल करने के लिए जो बोर्ड स्थापित करने जा रहे हैं उससे उस वैली का डवेलपमेंट नहीं होगा या उसका विकास रुक जायगा—ऐसी बातें करना बिलकुल गलत है । इसके पीछे इनका यही उद्देश्य है कि लोगों के अन्दर गलत धारणा फैला कर असन्तोष पैदा किया जाय, वे लोग सरकार के खिलाफ जांय, केवल इस तरह की बाधा पैदा करने की कोशिश आप कर रहे हैं ।

मैं आप से यह भी निवेदन करना चाहता हूं—आप ने जो जानकारी सदन के सामने रखी है, वह हम लोग भी जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है । मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि इस बोर्ड के बन जाने से ब्रह्मपुत्र के पानी को ठीक रास्ते पर लाने की कोशिश की जाएगी, जगह जगह बांध बनाकर उसके पानी को संचालित किया जाएगा और जो वहां की जमीन में कटाव पैदा होता है उसको ठीक किया जायगा और इससे विद्युत पैदा करे, इससे अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करे तो नार्थ ईस्टर्न रीजन के लिए एक वरदान साबित होगा । आज जितनी भी तकलीफें हम देख रहे हैं, ब्रह्मपुत्र के पानी से कितना हैवक वहां पर हो रहा है, यह हम सब जानते हैं । जब भी फ्लड्स आते हैं, तो करोड़ों रुपये की फसल का नुकसान हो जाता है, करोड़ों रुपये के मकान बर्बाद हो जाते हैं और कई प्रकार का नुकसान उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों का होता है । इस तरीके की अगर कोई व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है ।

एक बात की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यह निश्चित बात है कि नार्थ ईस्टर्न रीजन में जितने डेवलमेंट्स होने चाहिए, जितने विकास के कार्य होने चाहिए, उस प्रकार का विकास वहां पर नहीं हुआ है और इसी वजह से वहां लोगों में असंतोष है । इसलिए जितने धन का आपने इन बिल में प्रावधान किया है, वह निश्चित रूप से कम है और इस बात पर गौर करेंगे कि इस व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए कितने धन की आवश्यकता है । इसके लिए आप इतने धन का प्रावधान करें जिसके जरिए इस व्यवस्था में जल्दी लाई जा सके और उस क्षेत्र में इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जा सके । क्या इस प्रकार की व्यवस्था आपने की है ? मैं आपको राजस्थान केनाल का उदाहरण देना चाहता हूं । राजस्थान केनाल एक नेशनल प्रोजेक्ट है और राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उसको बनाए लेकिन 15, 20 साल हो गए हैं और उसका अभी एक फेज ही पूरा हुआ है और दूसरा फेज पूरा नहीं हुआ है । जिस प्रकार से धन का प्रावधान किया जाना है भारत सरकार की तरफ से, वह ठीक नहीं है । राजस्थान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं और वह अपने रिसोर्सेस से सारी केनाल पूरी कर सके थोड़े समय के अन्दर । अगर भारत सरकार उसके लिए ज्यादा धन एलोकेट करती, तो निश्चित रूप से वह एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट थी और वह न केवल हिन्दुस्तान की रक्षा के लिए नितान्त आवश्यक है बल्कि हिन्दुस्तान की तरक्की के लिए नितान्त आवश्यक है, हिन्दुस्तान के विकास के लिए नितान्त आवश्यक है और इतना फूड प्रोडक्शन उसके जरिये हो सकता है कि हम अपने देश के लिए ज्यादा उपलब्ध कर सकते हैं और देश के दूसरे लोगों को खिला-पिला

सकते हैं और इस तरह से विकास में तेज गति ला सकते हैं । इस प्रकार से वह नितान्त आवश्यक है । इसलिए मंत्री महोदय का ध्यान में इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि चाहे राजस्थान केनाल हो, चाहे ब्रह्मपुत्र के इस बोर्ड के लिए प्रावधान करने की बात हो और चाहे कोई दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट हो, जिसके जरिये हम अपने देश का विकास करने में लगे हुए है और उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, इस प्रकार की चीजों के लिए वे ज्यादा से ज्यादा धन की व्यवस्था करें ताकि उन प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी हम पूरा कर सकें उससे देश के विकास को तीव्र गति मिलेगी और विकास तेजी के साथ हो सकेगा । इस प्रकार की व्यवस्था करने की आज बहुत आश्यकता है । इस लिए यह जो विल यहां पर आया है, जो बिल यहां पर प्रस्तुत किया गया है, यह नितांत आवश्यक है मगर एक सन्देह जरूर मेरे दिमाग में है और वह यह है कि आपने तीन, चार बोर्ड ब्रह्मपुत्र के अलग-अलग बना रखे हैं ।

श्री केदार पांडे : पहले थे, अब ऐसा नहीं है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इस प्रकार की व्यवस्था हमारे राजस्थान के अन्दर थी कि उस में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों के लिए पानी की व्यवस्था थी, जिससे आपस में झगड़े होते थे । कोई कहता था कि सब से ऊपर जो रहने वाले हैं, उन को ज्यादा पानी मिले, नीचे वालों को कम मिलेगा और राजस्थान के लोगों को और कम पानी मिलेगा । मैं आप का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें भी पाँच स्टेट्स होंगें जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड आदि । क्या जो भी क्षेत्र इस के अन्तर्गत आते हैं, उनके लिए जो पानी की व्यवस्था होगी उसके लिए भी उसी प्रकार का बोर्ड स्थापित होगा, जिससे ये स्टेट्स आपस में लड़ कर पानी की माँग करें और फिर उस की व्यवस्था हो । अगर ऐसा हुआ, तो पानी की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी । इस बात को निश्चित रूप से मंत्री महोदय को अपने ध्यान में पानी मिलने की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, विकास में जो गति मिलनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए, इस बारे में मैं विशेष तौर पर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस प्रकार की व्यवस्था को निश्चित रुप से आप अपने प्रावधानों में शामिल कर लें । इस वक्त यह नहीं हो सकता, तो इस के डेवलपमेंट में किसी प्रकार का गतिरोध पैदा न हों । इस ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा कि 50 हजार मैगावाट बिजली इससे पैदा की जा सकती है, तो ब्रह्मपुत्र का जो बोर्ड स्थापित कर रहे हैं, उसमें अगर इस प्रकार की व्यवस्था भी की जाए तो निश्चत तरीके से वह एक अच्छा कदम होगा । यह अच्छा सुझाव है । अगर सुझाव को हम मान लें तो इस काम को काफी गति मिलेगी । इस प्रकार का प्रोविजन निश्चित तरीके से इस में होना चाहिए ।

दूसरा मेरा निवेदन स्टेट्स के सम्बन्ध में है । आपने इसमें व्यवस्था की है कि अलग-अलग स्टेट्स से उनके हिस्से का पैसा आयेगा और हर स्टेट्स प्रोजेक्ट को तैयार करने में मदद करेंगी

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ छोटी-छोटी स्टेट्स हैं जिनके पास अपने पूरे साधन नहीं है। जो पैसा उन्हें अपने हिस्से का देना होगा, मुझे इसमें सन्देह है कि वे वह पैसा जुटा भी पायेगी या नहीं। इसको भी आपको देखने की आवश्यकता है। अगर कोई स्टेट अपने शेअर का पैसा अदा न कर सके तो क्या भारत सरकार इस सारे प्रोजैक्ट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले कर इसे पूरा करेगी? यह एक गंभीर विषय है, इसके सम्बन्ध में भी माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिए। इस सम्बन्ध में हमको अनुभव है। जो प्रोजेक्ट राजस्थान में चल रहा है उसको चलते चलते काफी समय हो गया और उसका एस्टीमेट दुगने से भी अधिक हो गया है। उस प्रोजेक्ट का पहले सारा एस्टीमेट दो सौ करोड़ रुपये का था। आज वह साढ़े चार सौ करोड़ रुपये का हो गया है। अगर उसमें दो चार साल और लग गये तो दो सौ करोड़ की उसमें और बढ़ोतरी हो जायेगी। इस तरह से इस सारी व्यवस्था में एक बहुत बड़ा व्यवधान आ जाता है। इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चहता हूं कि आप इस सम्बन्ध में गंभीरता से विचार करें। जिन स्टेट्स के पास सारे रिसोर्सिज नहीं हैं, जो अपने हिस्से का पैसा इसमें देने के लिए आप व्यवस्था करने का प्रावधान करें और इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में आप निश्चित रूप से योगदान करें।

इन्ही शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और बढ़ाने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए ताकि उसको पूरा करके ज्यादा से ज्यादा सहायता विकास में मिल सके। (इति)

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई-उत्तर) सभापति महोदय, यह विधेयक जिस पर विचार करने का मन्त्री महोदय से अनुरोध किया है, मुख्यतया उन तीन अभिकरणों विलय करने के लिए है, जो कि बाढ़ नियंत्रण और भूमि अपरदन नियन्त्रण के क्षेत्र में काम कर रही हैं। यह सही दिशा में एक ही कदम है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक लाने में आवश्यकता से अधिक विलम्ब किया गया है। इस विधेयक को बहुत अधिक विलम्ब से लाया गया है। जब तक इस समस्या की व्यापकता का सम्बन्ध है, मन्त्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि यह एक गम्भीर समस्या है और ब्रह्मपुत्र पर समूचे देश का विकास अथवा अन्यथा निर्भर हैं ब्रह्मपुत्र नदी का जन विनाश कारण है तो यह नव जीवन देने के लिए भी सक्षम है और इससे आर्थिक विकास के लिए आवश्यक विद्युत पैदा की जा सकती हैं। अब तक हम यही आशा करते रहे हैं इस नदी के जल का उपयोग न केवल उस क्षेत्र के विकास के लिए किया जायेगा, अपितु समूचे देश की बेहतरी के लिए किया जायेगा।

मैं विवरण में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मन्त्री महोदय उसे पहले ही सभा पटल पर रख चुके होंगे। उन्होंने बेसिन और निकासी क्षेत्र में जनसंख्या, जो लगभग गुजरात राज्य के बराबर घनी है, तथा नदी व्यवस्था की जल विद्युत क्षमता का उल्लेख किया है, जिसका कि मुजफ्फरपुर से निर्वाचित मेरे माननीय मित्र ने भी उल्लेख किया था।

तथ्य यह है कि इस देश में पन बिजली क्षमता का लगभग 25 प्रतिशत इस नदी प्रणाली में है। इन जल संसाधनों के बावजूद सच्चाई यह है कि बेसिन में स्थित क्षेत्र ऐसा है जो देश में

सब से कम सिंचित क्षेत्रों में से एक है। मेरे विद्वान तथा माननीय सदस्य प्रो० रंगा को यह जानकर सायद अचम्भा होगा कि बेसिन में कुल जितने क्षेत्र में फसल उगाई जाती है उसमें केवल 17 प्रतिशत भाग की ही सिचाई होती है जबकि वहां अत्यधिक जल संसाधन हैं। बाढ़ों तथा भू-कटाव के कारण जो नुकसान हुआ है उसका विस्तार पूर्वक उल्लेख मैं तो नहीं करना चाहता। किन्तु यह बताया गया है कि पिछले 25 वर्षों में 240 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और पिछले दशक में प्रतिवर्ष औसतन 12.77 करोड़ रुपये की हानि हुई है और सबसे अधिक नुकसान 1977 में हुआ जो 31.80 करोड़ रुपए का था।

यह बहुत स्पष्ट बात है कि इस प्रकार की नदी प्रणाली की समस्याओं के अन्तर्गत बाढ़ तथा भू-कटाव की समस्याएं आती हैं और नदी के स्वभावगत प्रकृति से तथा नदी के घुमावदार मिट्टी भरे जल जल मार्गों से जो अपना बहाव बदल देते हैं उत्पन्न समस्याएं हैं और बाढ़ के मौसम में भू-कटाव की भारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। सभा के लिए यह जानकारी दिलचस्प होगी कि जब इस नदी में बाढ़ आती है तो वह 30 मीटर चौड़ा पाट खा जाती है और हिसाब लगाने पर वह हर मौसम में 1.6 किलोमीटर चौड़ाई होती है। इसलिए नदी प्रणाली केवल शक्ति स्रोतों का ही भन्डार नहीं अपितु समस्याओं का भन्डार भी है। इसलिए हर एक ने सोचा होगा कि इन समस्याओं से निकलने के लिए एक बहु-कोणीय, बहु-उद्देशीय, व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जायेगा। यह एक तो इस कारण जरुरी है कि इन क्षेत्रों में जो राज्य पड़ते हैं और उनमें जिनको लाभ पहुचता है वे इस काबिल नहीं हैं तो ऐसी भारी परियोजना के लिए आवश्यक वित्त जुटा सकें और दूसरा विनियोअनों, कार्यान्वयन उपयोग तथा लाभों का अन्तः शाशन (इन्टर-लाकिंग) के कारण इसलिए हमने सोचा था कि इस प्रकार के व्यापक विधान लाने के बजाये जिसे अपर्याप्त तथा सायद निश्चय से निरुत्साहपूर्ण जा सकता है, वह एक-एक ऐसा विधान ला सकते थे जिसमें बाढ़ नियन्त्रण, भू-कटाव की रोकथात, सिंचाई बिजली-उत्पादन, नौवहन, वनरोपण, भू-संरक्षण, आर्थिक तथा औद्योगिक, आर्थिक तथा सामन्य विकास के लिए उपबन्ध होता है। टेन्नेस्से नदी घाटी के मामले में, जिसका मेरे माननीय मित्र ने उल्लेख किया, यही हो रहा है। चीन में पीली नदी और दक्षिण पूर्व एशिया में येकोंग नदी के मामले में ऐसी योजनाए तथा परियोजनाएं चल रही है।

हमारी यह आशा निराशा में बदल गई हैं। भारत में पहले कभी दामोदर घाटी में इस तरह का प्रयास किया गया था जिससे आप अच्छी तरह अवगत हैं। उस घाटी के चतुर्मुखी विकास के लिए विधान बनाने का उस समय उद्देश्य था। वह अधिनियम पारित हो गया और उस विधेयक का नाम दामोदर घाटी विकास निगम विधेयक था हमने सोचा था कि इस विधेयक में इसी प्रकार के साक्षेप महत्व की कोई चीज होगी। किन्तु माननीय मन्त्री जी के ईस दावे के बावजूद कि यह योजना पिछली योजनाओ से भिन्न तथा व्यापक योजना है हमें इसमें ऐसी कोई बात नहीं दिखाइ देती। अब मैं इस व्यापक योजना को लेता हूं और माननीय मन्त्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वह मुझे इस बात को स्पष्ट रूप से बताएं कि उन्होंने इस व्यापक योजना को सफलता पूर्वक कहां छिपा रखा हैं। प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ों पर नियन्त्रण सथा तट अपरदन को रोकने के लिए उपायों की योजना बनाने तथा उसकी समाकेतिक क्रियान्विति के लिए एक बोर्ड

की स्थापना करना हैं—यह एक पवित्र उद्देश्य है—"बाढ़ तथा तट अपरदन नियन्त्रण।" मैं चाहता हूं आप और सभा इसकी तुलना दामोदर घाटी निगम अधिनियम में परिभाषित उद्देश्य के साथ करें। उसमें बिहार और पश्चिम बंगाल प्रान्तों म दामोदर घाटी के विकास के लिए निगम की स्थापना तथा विनयमन के लिए उपबन्ध करने की बात की गई है।

मेरे माननीय मित्र ने उन कृत्यों का उल्लेख किया है जिन्हें विधेयक के खन्ड 11 और 13 में परिभाषित किया गया है। यह एक अजीव संयोग की बात है कि वह खण्ड जो दामोदर घाटी निगम के कृत्यों का उल्लेख करता हैं वह भी दामोदर घाटी निगम अधिनियम में खन्ड 12 ही है। मैं आपकी आज्ञा से उन कृत्यों को पढ़ना चाहूंगा जो दामोदर घाटी निगम अधिनियम में अपेक्षित हैं।

(1) "सिचाई, जल-प्रदाव और जल विकास की किस्मों का सम्प्रवर्तन तथा कार्यान्वयन,

(2) जल विद्युत और तापीय दोनों प्रकार की विद्युत-ऊर्जा के उत्पादन, परिश्रण और वितरण के लिए स्कीमों का सम्प्रवर्तन और कार्यान्वयन,

(3) दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ नियंत्रण के लिए स्कीमों का सम्प्रवर्तन और कार्यान्वयन,

(4) दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियों तथा जल-सरणियों में, यदि कोई हों, नौपरिवहन का सम्प्रवर्तन और नियत्रण,

(5) दामोदर घाटी में वनरोपण का सम्प्रवर्तन और मिट्टी के कटाव का नियंत्रण,

(6) दामोदर घाटी और उसके कार्यक्षेत्र में लोक-स्वास्थ्य तथा कृषि औद्योगिक आर्थिक और सामान्य कल्याण कार्यों का सम्प्रवर्तन।"

परिणाम स्वरूप, उस अधिनियम में, खण्ड 13 से 17 में सिंचाई और जल आपूर्ति का उपबन्ध है और खण्ड 18 से 20 मे बिजली की सप्लाई तथा उत्पादन की व्यवस्था है। दामोदर घाटी निगम की अन्य शक्तियां तथा कृत्य जिन्हें धारा 22 में विनिर्दिष्ट किया गया है के अन्तर्गत उसकी शक्ति :

"(1) ऐसे बांधों, बटानों, जलाशयों बिजली-घरों, बिजली-संरचनाओं विद्युत परिक्षण लाइनों और उपकेन्द्रों नौपरिवहन सकर्मों सिंचाई, नौपरिवहन और जल विकास नहरों ओर ऐसे अन्य संकर्मों तथा संस्थाओं का, जो भी आवश्यक हो, निर्माण करना या कराना,

(2) अपने नियंत्रणाधीन जल को दूषित होने से बचाना,

(3) अपने जलाशयों और जलमार्गों में मछली का स्टाक रखना;

(4) बांधों, जलाशयों के लिए भूमि के अर्जन और वाटरशेडों की संरक्षा से विस्थापित हुई आवादी फिर से बसाने की व्यवस्था करना,

(5) निगम द्वारा उपलक्ष्य की गई सुविधाओं के और बेहतर उपयोग के लिए सहकारी सोसाइटियों तथा अन्य संगठनों की स्थापना में मदद देना आदि।"

उस घाटी में जीवन की किस्म को सुधारने के लिए जो कुछ किया जा सकता है उसकी यह वास्तव में एक व्यापक तथा समेकित तस्वीर है ।

इसके विपरीत, इस विधेयक में क्या खण्ड हैं ? ऐसा लगता है मानो हाथी देखने के बाद कोई चिंटी दिखाई दे रही है । मैं अपने माननीय मित्र सिंचाई मंत्री जी से यह स्पष्ट करने का अनुरोध करूंगा कि उन्होंने उस जादू के सूत्र, व्यापक योजना को जिसका उन्होंने अपने प्रारंभिक कथन में उल्लेख किया, सफलतापूर्वक कैसे छिपा लिया है और यह कथन भी उनका इतना संक्षिप्त था जितने विधेयक के खण्ड जिनमें बोर्ड के कृत्य परिभाषित किए गए है । खण्ड 12 (1) में उपबन्ध है कि बोर्ड सर्वेक्षण और अन्वेषण करेगा……।' बहुत पवित्र उद्देश्य हैं और अलवत्ता आवश्यक भी है क्योंकि सर्वेक्षण और अन्वेषण के बिना आप कुछ नहीं कर सकते किन्तु कहीं ऐसा न हो कि आप केवल सर्वेक्षणों में ही फंसे रहें । इस खण्ड में कहा गया है :

"बोर्ड ब्रह्मपुत्र घाटी में सर्वेक्षण और अन्वेषण करेगा तथा ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ और तट अपरदन को नियंत्रण तथा जल निकास के सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार करेगा :"

और उसके बाद कहा गया है :

"मास्टर प्लान तैयार करने में बोर्ड सिंचाई, जल विद्युत, नौपरिवहन, अन्य लाभप्रद प्रयोजनों आदि के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी के जल स्रोतों के विकास और उपयोग को ध्यान में रखेगा ।"

आप तो एक विख्यात वकील हैं । आप जानते हैं कि जब उद्देश्य परिभाषित किए गए "…………सर्वेक्षण तथा अन्वेषण करेगा" और तब यह जोड़ा गया "इसे तैयार करने में बोर्ड ……ध्यान में रखेगा……" जोर किस बात पर है, उद्देश्य क्या है ? प्राथमिक उद्देश्य एक मास्टर प्लान तैयार करना है । इस खण्ड में मुख्यतः केवल एक मास्टर प्लान तैयार करने की बात कही गई है ।

खण्ड 13 में दो बातें कही गई हैं जो बहुत दिलचस्प हैं । इसमें कहा गया है कि वह परियोजनाओं के बारे विस्तृत रिपोर्ट और प्राक्कलन तैयार करेगा । इस बोर्ड के मुख्य दो प्रयोजन हैं— (1) एक मास्टर प्लान तैयार करना और (2) परियोजनाओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना । मुझे अच्छी तरह पता है कि माननीय मंत्री भी कहेंगे कि खण्ड 13(क) के (ख) (ग) और (घ) में बहु-उद्देशीय बांधों तथा संकर्मों का निर्माण करने की बात कही गई है और (घ) बोर्ड प्रस्तावित सभी बांधों और अन्य परियोजनाओं का राज्य सरकारों द्वारा सन्निर्माण किए जाने के लिए सम्बद्ध राज्य सरकारों परामर्श करके योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार करेगा । इसमें खास बात यह है जो बाद में कही गई है कि 13(ग) के अधीन निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा यदि राज्य सरकारें भूमि उपलब्ध करें, और 13(घ) के अधीन निर्माणकार्य आरम्भ किया जाएगा यदि राज्य सरकारें जमीन 'मुफ्त' मुहैया करें और उसका रख-रखाव भी करें । मैं नहीं जानता कि 13 (ग) में से 'मुफ्त' शब्द क्यों निकाल दिया गया । शायद मंत्री जी कुछ प्रकाश डालेंगे । यह जो कुछ भी हो इसके विपरीत दामोदर घाटी अधिनियम के खण्ड 50 में कहा गया है कि निगम

को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन करने का अधिकार प्राप्त होगा । और उसमें यह भी कहा गया है कि भूमि-अर्जन के कारण विस्थापित हुए लोगों को पुनः बसाने की व्यवस्था की जाएगी ।

खण्ड 13(2) में कहा गया है कि इस बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार निर्माण करने का निर्णय ले सकेगी । मैं नहीं जानता कि यह छोटी दया है या बड़ी दया । किन्तु ऐसा होने पर भी, यदि किसी राज्य के पास संसाधन न हुए तो क्या होगा ? इसलिए, विधेयक में मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि एक मास्टर प्लान तैयार करने ओर परियोजनाओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की जाए और यदि भूमि उपलब्ध हुई तो अन्ततोगत्वा कुछ निर्माण कार्य किया जाएगा । विधेयक जो सभा के समक्ष विचाराधीन है में यही कुछ कहा गया है ।

मैं अब उस रिपोर्ट का जिसे बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की गई है, उल्लेख करते हुए अपना भाषण समाप्त करूंगा । विधेयक में जिस रिपोर्ट की वार्षिक गतिविधियों के बारे में बात की गई है वह अस्पष्ट रिपोर्ट है जबकि दामोदर घाटी अधिनियम में निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत रिपोर्ट देने को कहा गया है : सिंचाई, जल प्रदाय, विद्युत ऊर्जा बाढ़ नियंत्रण, नौपरिवहन, वनरोपण, मिट्टी का कटाव, भूमि का उपयोग, विस्थापित आबादी का फिर से बसाया जाना, स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य और आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण आदि ।

यह बहुत स्पष्ट है कि यदि माननीय मंत्री जी का यह दावा है कि यह एक व्यापक योजना है विधेयक के खण्डों से सिद्ध होनी होती तो विधेयक के खण्ड निश्चित रूप से भिन्न होते । इसलिए या तो वह जो उन्होंने विधेयक के खण्डों का वर्णन किया है, अनुपयुक्त, अयथार्थ और अनुचित हैं या फिर वह हमें बतायें यह कैसे व्यापक योजना हैं । इस लिए मैंने अपना भाषण आरम्भ करते हुए कहा था यह सही दिशा में एक सामान्य कदम है, सही दिशा में देर से आरम्भ की गई एक कार्यवाही है किन्तु समस्या को देखते हुए अपर्याप्त कार्यवाही है । इस नदी के संसाधनों का लाभ उठाने के हमारे जो सपने है हम उनकी बात करते हैं । किन्तु उन सपनों का सरकार रूप प्राप्त करने के लिए विधेयक में अपेक्षित योजना नहीं है । इसलिए इस कमी के कारण कहीं ऐसा न हो कि वह सपने ही रह जायें । जहां तक केवल विधेयक के उद्देश्यों का सम्बन्ध है, मैं उसका समर्थन करता हूं किन्तु इसके साथ-साथ इस बात के लिए खेद व्यक्त करना भी मेरा कर्तव्य है कि इस विधेयक में कोई व्यापक योजना समाविष्ट नहीं की गई है ।

धन्यवाद ।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह जो ब्रह्मपुत्र बोर्ड बिल प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । ब्रह्मपुत्र नदी हमारे देश की ही नहीं, बल्कि सारे विश्व की जो बड़ी नदियां हैं उनमें से एक मानी जाती है । यह हमारे देश के लिए एक वरदान साबित हो सकती है, हमारे देश को बहुत कुछ दे सकती है । लेकिन हम देखते है कि पिछले दिनों से यह एक अभिशप्त नदी बन गई है । हर साल बाढ़ आती है और भयानक बाढ़ आती है जिसमें

हमारे गांव और नगर उजड़ जाते हैं। जब बाढ़ आती है उस समय तो हम चिन्तित होते हैं, अधिकारीगण भी, हम लो ग भी और सारा देश चिन्तित होता है, परन्तु बाढ़ के जाने के बाद हम मौन धारण कर लेते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने इस ओर कदम उठाया है और एक समन्वित योजना इसके लिए बनाकर प्रस्तुत की है।

मैं जब इस सदन में आया था तो काल अटेंशन के रूप में मैंने एक प्रश्न उठाया था और उसमें उस समय मैंने कहा था कि इस देश का एक हजार करोड़ रुपया हर साल सोयल ईरोजन के कारण नष्ट हो रहा है। 250 करोड हमारे देश में जो बाढ़ें आती हैं उसके कारण चला जाता है और साढ़े सात सौ करोड़ रुपया जो जंगल कटते हैं, जमीनें कटती हैं और विशेषकर जो एन० पी० के, फर्टिलाइजर का नुकसान होता है, हमारी जमीन के ऊपर की जो सतह बह जाती है जो किसानों को मालूम भी नहीं पड़ता है उसके रूप में हमारे साढ़े सात सौ करोड़ रुपये जाते हैं। जो फर्टिलाइजर हम अपने देश में पैदा करते हैं उससे ज्यादा इन बाढ़ों के कारण या सौयल ईरोजन के कारण हमारे देश से चला जा रहा है उसको कंट्रोल करना नितान्त आवश्यक है। जिस प्रकार से गोविंद सागर के पानी को बांधकर भाखड़ा नंगल योजना बनाई गई, जिसके कारण पंजाब हरयाना और राजस्थान का जो ऊपरी एरिया था वह आज हमें हरा-भरा दिखता है, वहां के किसान सुखी हैं और लोग सुखी हैं, अगर इसी प्रकार की योजना आप बनाएं तो उससे बहुत लाभ हमें मिल सकता है। इसमें तो केवस बाढ़ों का नियंत्रण करने के लिए और तट को बांधने के लिए ही योजना है। परन्तु इसके साथ-साथ जैसा कि और साथियों ने कहा सिचाई की योजना भी बनाई जाय और उसके लिए एक काम्प्रीहेंसिव प्लान बनाया जाय, यह बहुत आवश्यक है जिससे कि हम इस देश की सबसे बड़ी नदी को नियंत्रित करके उसका जो एक अभिशप्त रूप है उसको बदल कर उसे एक वरदायिनी नदी साबित कर दें।

हमारे भूतपूर्व मंत्री श्री राव साहब ने वह अन्दाज लगाया था कि इस पर 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे, के० सी० पन्त ने अन्दाज लगाया था कि 800 करोड़ खर्च होंगे और पिछले वर्ष हमारे देश के इंजीनियरों ने अन्दाज लगाया है कि 1 हजार करोड़ रुपये इस नदी से सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए खर्च होंगे। इसलिए इसमें जो प्रावधान रखा गया है 12 या 13 करोड़ रुपये का यह बहुत कम है। एक ओर हम देखते हैं हर साल एक बहुत बड़ा नुकसान देश का होता है बाढ़ के कारण और ऐसी हालत में यदि हम अपने वित्तीय साधनों की कठिनाई को लेकर यह कहें कि इतना तो हम नहीं कर सकते हैं और इसके लिए कड़े दिल और पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ें तो इससे अनचाहे में हमा बहुत नुकसान होने जा रहा है। मैं तो ऐसा सोचता हूं और अन्य विद्वानों की भी ऐसी राय है कि इस नदी पर मैं यदि सिंचाई की योजना के साथ-साथ बिजली उत्पादित की जाय तो आधे हिन्दुस्तान को अकेले यही नदी बिजली दे सकती है औप न केवल हिन्दुस्तान को वलिक हम लोग बंगला देश को भी बिजली सप्लाई कर सकते हैं। आज कभी-कभी बंगला देश से हमारे सम्बन्ध खराब होते हुए दिखाई देते हैं बंगला देश में बाढ़े आती हैं। यदि हमने इस नदी की बाढ़ को नियंत्रण कर लिया तो बंगला देश से भी हमारे बहुत अच्छे और मधुर सम्बन्ध हैं :

आज हम देखते हैं कि नार्थ ईस्टर्न रीजन में अरुणाचल की जो सात बहनें हैं असाम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा आदि वहां के लोगों का एकोनामिक डेवलपमेंट बहुत धीमा है जैसी कि मुझसे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने राय व्यक्त की। पाकिस्तान के युद्ध के समय में हमने देखा कि जब हमारी फौजें लड़ रही थीं तो हमारी सीमाओं पर के लोग जो खुशहाल थे उन्होंने आगे बढ़-बढ़कर हमारी सेनाओं का मनोबल ऊंचा किया। उन्हें खाद्यान्न सप्लाई करके और उनकी सेवा करके उनकी हौसला-अफजाई की। इसी प्रकार से यदि हम अरुणाचल और नार्थ ईस्टर्न रीजन में बहने वाली इस नदी को अगर नियंत्रित करते, उससे बिजली उत्पादित करते हैं, सिंचाई करते हैं, अपने फारेस्ट बढ़ाते हैं, खेती बढ़ाते हैं, यातायात की सुविधाएं बढ़ाते हैं तो उस क्षेत्र की आर्थिक दशा जो आज सुधर नहीं पा रही है, वह केवल मात्र इस योजना से सुधर सकती है। और हमारे देश की सीमाओं पर जो खतरा है, आज चाइना, बर्मा और दूसरे देशों की ओर से जो खुराफात होती है, हमारे नार्थ ईस्टर्न रीजन के नौजवानों को ल्हाशा में जो ट्रेनिंग दी जाती है और हमारे देश के सम्मान को खतरा पहुंचता है—यह हमारी कोशिशें बन्द हो सकती हैं अगर उस क्षेत्र की आर्थिक दशा को सुधार दिया जाए। सेन्ट्रल वाटर कमीसन आफ इण्डिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश के 10 प्रतिशत पानी का ही हम उपयोग करते हैं और 90 प्रतिशत पानी जिसका कि उपयोग हम कर सकते हैं वह हम नहीं कर पा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने एक बड़े साहस का कदम उठाया है जिसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परन्तु अभी और भी बहुत अधिक साहस की आवश्यकता है। न केवल ब्रह्मपुत्र बल्कि इस देश में और भी बहुत-सी ऐसी नदियां हैं जिनका पानी बेकार बहता चला जा रहा है और उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है।

मैं अपनी कांस्टीटुएन्सी की ताप्ती नदी की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। अपर-ताप्ती की जो योजना है उस पर महाराष्ट्र ने काम शुरू कर दिया है, बांध और कैनाल्स बना लिए हैं लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सम्मिलित योजना है—अपर ताप्ती वैली प्रोजेक्ट—इसको प्रायर्टी देकर पूर्ण करवाया जाए, यह मेरा आपसे नम्र अनुरोध है। आज हमारे देश की खेती मानसून पर अवलंबित है। कहा गया है कि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर करती है। एक विद्वान् ने कहा है अधिकांश लोग गरीब हैं। देश में खुशहाली हो सकती है परन्तु हम देखते हैं कि एक तरफ अथाह साधन हैं, चाहे कृषि में, मिनरल्स में, फारेस्ट में परन्तु उनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है।

मैं इस बिल का समर्थन करते हुए मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मैंने संक्षेप में अपने जो विचार आपके सामने रखे हैं उन पर ध्यान देकर उनको मानने की कृपा करेंगे।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (नजामाबाद) : सभापति जी, माननीय मंत्री जी एनुवली 13 करोड़ रुपए देकर ब्रह्मपुत्र नदी पर जो काम शुरू करने जा रहे हैं वह बहुत अच्छा है और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अभी इस नदी से कोई फायदा होने के बजाए बहुत नुकसान हो रहा है। इससे हजारों लाखों एकड़ जमीन खराब होती है और जो पानी समुन्दर में जा रहा है उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उस पानी को हम बिजली बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंचाई के लिए उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके अलावा जो बाढ़ आती है उसका कारण यह है कि जंगल बेदर्दी से, बेहताश वगैर किसी हिसाब से कटते जा रहे हैं और उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। दूसरी तरफ जंगल कटने से अच्छी जमीन का जो ऊपरी हिस्सा है वह नदी में बह जाता है जिससे नदियों की गहराई घटती जा रही है। इसी वजह से बाढ़ भी आती है। आप कितने भी बांध, बांध दें कोई फायदा नहीं होगा। बेहतरीन तरीका यह है कि जंगलों का काटना बन्द करना चाहिए और सख्ती से इसका इन्तजाम होना चाहिए। जब तक जंगल काटना बन्द नहीं होगा, तब तक आप चाहें जितनी स्कीमें बनायें, सब बेकार हो जाएंगी। बांध बांधने के बाद भी अगर जंगलों की कटाई बराबर जारी रहेगी तो बाढ़ों का आना रुक नहीं सकता। बाढ़ों से मिट्टी आकर नदियों में बैठ जाती है और इसके कारण जितने भी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बनाये गए हैं, वे सब सिल्ट से भर गए हैं। प्राजेक्ट्स हम पिछले 30 सालों से बनाते आ रहे हैं, वे तीन-चार साल में भर जाते हैं। इसका हमको आंध्र प्रदेश में काफी अनुभव हुआ है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि आइन्दा के लिए जितने भी बाढ़ के क्षेत्र हैं उनमें जगलों के न काटे जाने की व्यवस्था करें। जब तक ऐसा इन्तजाम नहीं होगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है।

इस योजना से जो बिजली पैदा होगी, उसको हम नैपाल को भी दे सकते हैं। हमारे एक दोस्त ने अभी बंगला देश का नाम लिया। मैं उनसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि बंगला देश को हमने जितना दिया। है, वह उससे भी सन्तुष्ट नहीं है। इस लिए नैपाल और दूसरे जितने पहाड़ी इलाके हैं, उनको हम बिजली सप्लाई कर सकते हैं। पूरे नार्थ इण्डिया में हम बिजली का जाल बिछा सकते हैं। आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश में बिजली की बहुत कमी है। जिसको दूर करना बहुत जरूरी है। वहां के कारखाने साल में तीन महीने भी नहीं चल रहे हैं और वहाँ कोई भी नयाकारखाना डालने से डरता है। इसी प्रकार की स्थिति वेस्ट-बंगाल में है। इस लिये जब यह स्कीम सैन्टर द्वारा बनाई जा रही है, जिससे देश के बहुत से भागों को लाभ पहुंच सकता है, तो इसमें सेन्टर को ज्यादा पैसा देना चाहिए ताकि यह स्कीम जल्द से जल्द पूरी हो सके। आज हमारी स्टेट गवर्नमेंन्टस इस इस हालत में नहीं हैं कि वे इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्टस् बना सकें। वेस्ट बंगाल भी नहीं बना सकता है। इसकी वजह यह है कि वेस्ट बंगाल में एक राष्ट्र के नहीं, बल्कि दो तीन राष्ट्रों के लोग आ कर बस गये हैं, उससे इतनी बुरी हालत हो गई है कि जितना भी पैसा दिया जाय, वह कम है। हमारे सदार बल्लभ भाई पटेल और पं० जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त कहा था, जब ईस्ट पाकिस्तान था कि जितने भी लोग वहाँ से आते हैं, उनकी जिम्मेदारी एक स्टेट पर नहीं होनी चाहिये, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान पर होनी चाहिए। इसलिए जो आबादी 10 सालों में 20 परसेन्ट बढ़ती है, वह वेस्ट बगाल में 43 परसेन्ट बढ़ जाती है। इसकी वजह यह है कि बाहर से आए हुए ज्यादातर लोग वहाँ बस गये हैं। इस लिए सेन्टर की जिम्मेदारी हो जाती है जितनी बिजली पैदा हो, उस में से ज्यादा से ज्यादा वेस्ट बंगाल को दी जाय। कलकत्ता में बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वे लोग बिजली की कमी की वजह से आज अपनी फैक्ट्रियों को उठा कर ले जा रहे हैं, बन्द कर रहे हैं, लेबर प्राबलम पैदा हो गई है। आप को उतनी गरीबी कहीं नहीं दिखाई देगी, जितनी वेस्ट बंगाल में खास कर कलकत्ते में है। इन चीजों को मुद्दे नजर रख कर मंत्री जी ने जो 13 करोड़

रुपये रखे हैं, यह वहुत कम हैं, सिर्फ हिम्मत की वात है कि उन्होंने इस काम को शुरू कर दिया है और वेस्ट बंगाल में ···

प्रो० एन० जी रंगा : पश्चिम बंगाल की तो बात ही न करो।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मैं पश्चिमी बंगाल के निश्चित हूं इसकी वजह यह है कि वेस्ट बंगाल का एम० पी० सिर्फ वेस्ट के लिग बोले. ऐसी बात नहीं है। मैं वेस्ट बंगाल गया था, वहां मैंने हैण्ड-पुल्ड रिक्शा चलाने वालों को देखा। मैंने उसी वक्त वहां के चीफमिनिस्टर को लिखा कि जितने भी हैण्ड-पुल्ड रिक्शा चला मेवाले हैं, सब को कारखाना बना कर नौकरी दी जाय। इस काम के लिए अगर 100-50 करोड़ रुपये की जरूरत भी पड़े तो वह सेन्टर से लेकर बनायें। भारत सरकार सारे देश को सरकार है, इस वास्ते उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद देने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

ब्रह्मपुत्र के लिये जितने जल्दी हो सके कदम बढ़ायें और दूसरे जो प्रोजेक्ट्स अन्य नदियों पर बना रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी पूरा करें। हम देख रहे हैं, कि श्री शैलम, पोचमपाड़, नागार्जुन सागर डैम्ज को बनाने में 25-25 साल लग रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा जितना इन्टवेस्मेन्ट होता है, वह वहुत समय के लिए डेड-इन्वेस्टमेन्ट होता है। इ.ि लिए आठ दस प्रोजेक्ट्स को एक साथ शुरू करने के बजाय, हमें एक-एक प्राजेक्ट को लेकर शुरू करें तो वह ज्यादा अच्छा होगा। मैं चाहता हूं कि हमारे मिनिस्टर साहब, जो आदर्शवादी हैं, वह एक्शन में विश्वास रखते हैं, वहुत वड़े राज्य के एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, क्योंकि उनका राज्य कई मुल्को से वड़ा है,

वे इस समय नदियों के राष्ट्र में बंटे हुए हैं, बाढ़ों से क्या नुकसान होता है, वह उनको पता है, इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे सब स्टेट गवर्नमेंन्ट्स को साथ लेकर ज्यादा से ज्यादा फण्ड इस काम के लिए मांगें और मैं समझता हूं कि इस काम में पूरा सदन उनका साथ देगा। धन्यवाद।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : श्रीमान् सामान्यत: यह विधेयक स्वागत योग्य है परन्तु इसमें कुछ त्रुटियां हैं जिनपर हम इस सभा में चर्चा करें। मैं श्री रवीद्र वर्मा से इस बात पर सहमत हूं कि यह यद्यति इस विधेयक में बहुत सी त्रुटियां हैं और यह अपर्याप्त है तथापि यह विधेयक स्वागत योग्य है। हमारे देश में विशाल प्राकृतिक संशोधन उपलब्ध हैं परन्तु यह दुख की बात है हमने उनका आम जनता की भलाई के लिए वर्षों तक इस्तेमाल नहीं किया। यह हमारे लिए वहुत शर्म की बात है कि स्वतंत्र प्राप्ति के तीन दशकों के बाद भी हमारे देश की आधी आवादी गरीवी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं। अत: हमारी सबसे पहले यह कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने इन प्राकृतिक साधनो का पूरा-पूरा उपयोग करें और अपनी जन-शक्ति का भी पूरा-पूरा उपयोग करें।

ब्रह्मपुत्र जैसी नदी की यदि उसका समुचित उपयोग किया जाए तों सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने में और विजली का यथेष्ट उत्पादन करने में वहुत क्षमता है। हमारे देश में इस समय बिजली की बहुत कमी है। हमारे देश की राजधानी में भी बिजली की वहुत कमी है। फिर भी

हमने अपने मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं किया है। संविधान में यद्यपि एक प्रकार की संघीय व्यवस्था की गई है, जो यद्यपि अपर्याप्त है, तथापि इसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को, जल संसाधनों का उपयोग करने तथा राज्य में ही उनका नियमित करने के बारे में उपाय करने का दायित्व सौंपा गया है। परन्तु हमारी वित्तीय व्यवस्था ऐसी है कि केन्द्र से वित्तीय सहायता लिए बिना कोई भी राज्य सरकार अपना काम नहीं चला सकती। केन्द्रीय सहायता के साथ पर्याप्त उपाय करने के लिए राज्य सरकारों के पास एक तरीका हो सकता था। केन्द्र सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि राज्यों को पर्याप्त सहायता दिये बिना राज्य सरकारें इन भंयकर समस्याओं से नहीं निपट सकती।

मैंने कहा कि इस विधेयक में कुछ त्रुटियां हैं क्योंकि जब संविधान के अन्तर्गत संसद उद्घोषणा करके यह कानून बना रही है जो निसन्देह सार्वजनिक हित में होगा क्योंकि इसमें बहुत सी बातें शामिल की गई है। हम चाहते थे कि यद्यपि केन्द्र सरकार यह कदम उठा रही है तथापि इस योजना को बनाने में तथा परियोजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को और अधिक भाग लेना चाहिए था। पांच राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र का एक-एक प्रतिनिधि इस बोर्ड में शामिल किया जायेगा। बाकी प्रतिनिधियों के बारे में हमें पता नहीं हैं कि वे सरकारी अधिकारी होंगे या विद्युत इंजीनियर होंगे परन्तु इस बोर्ड पर जिसमें प्रत्येक राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि है, पूर्ण नियंत्रण केन्द्रीय सरकार का होगा। फिर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रतिनिधियों का चयन किस प्रकार होगा। क्या वह आवश्यक रूप से राज्य सरकार का प्रतिनिधि होगा? अथवा क्या उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार की ओर से नाम निर्दिष्ट किया जायेगा? मेरे मित्रों ने जो पहले कहा है मैं उससे सहमत हूं परन्तु यदि यह एक विकास विधेयक होता तो बेहतर होता।

जहां तक ब्रह्मपुत्र नदी में जल की उपलब्धता का प्रश्न है इसका विश्व में पांचवां स्थानहै। इसका विश्व में पांचवां स्थान है। ऊर्जा संसाधनों की क्षमता के मामले में इसका विश्व में दूसरा स्थान है। क्या इस विधेयक में इन संसाधनों का उपयोग करने के बारे में कोईप्रबंध रखा जायेगा? यह संसाधन हमारे देश की सम्पत्ति हैं। मैं मंत्री महोदय को और सरकार को यह बताना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपद्रव मचा हुआ है। हो सकता है उन्होंने अपने आन्दोलन में गलत तरीके अपनाये हों परन्तु उनमें उपेक्षा की भावना है जो सही है। वे लोग महसूस करते हैं कि उन्हें जानबूझकर पिछड़ेपन में रखा गया है और वे सोचते हैं कि केन्द्र में कोई भी सरकार हो वह उनके पिछड़ेपन की ओर ध्यान नहीं देते और उनकी उपेक्षा करती है और उन्हें पिछड़ेपन, गरीबी और शोषण के दलदल से निकालने के लिए कोई कार्यवाही नहीं करती। मेरे मित्र जार्ज फर्नान्डीस ने ठीक ही कहा है कि राज्य में बैंकों में जमाराशि की तुलना में निवेश का अनुपात बहुत कम है। इसलिए इस समय इन मामलों पर सभी लोगों को युद्ध स्तर पर कार्यवाही करनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि इन मामलों पर तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए, परन्तु हमें ऐसी कार्यवाही भी नहीं करनी चाहिए जैसी आपात स्थिति के दौरान की गई थी, क्योंकि गरीबी, शोषण और दमन का चक्र सारे देश में चल रहा है।

दामोदर घाटी निगम का उद्देश्य प्रशंसनीय था परन्तु हमने देखा है कि उसने अपने उस उद्देश्य को पूरा नहीं किया जिसके लिए इसकी स्थापना की की गई थी । इसमें बहुत सी कमियां रही हैं और इसलिए आज दामोदर घाटी निगम कोयला खानों को बिजली सप्लाई करने में असमर्थ है जिसके परिणाम स्वरूप कोयले की सप्लाई पर और बड़ी-बड़ी इंजीनियरिंग कम्पनियों पर इसका प्रभाव पड़ा है यह निगम कलकत्ता विद्युत गिगम को पर्याप्त मात्रा में बिजली सप्लाई करने में असमर्थ है । इस निगम ने कलकत्ता विद्युत निगम से 95 मेगावाट विद्युत सप्लाई करने के लिए समझौता किया था परन्तु यह केवल 25 मेगावाट बिजली सप्लाई कर रहा है । इसका पश्चिमी बंगाल में विद्युत समुदाय पद्धति पर प्रभाव पड़रहा है । इसके कारण हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है । बिहार भी इससे पीड़ित है । उस राज्य से आये माननीय मंत्री इस बात को भलीभांति जानते हैं क्योंकि वे वहां पर मुख्य मंत्री भी थे ।अत: इस विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित है । मुझे यह आलोचना करनी ही होगी । लगता हैआपका उद्देश्य एक मास्टर प्लान तैयार करने का है । यह मास्टर प्लान कब तैयार हो जायेगी ? मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में क्या सोच रहे हैं ?

क्या आप कोई समय सीमा निश्चित नहीं करेंगे ? क्या आप के मंत्रालय ने इस पर विचार किया है ? इस मास्टर प्लान के बाद कार्य पद्धति क्या होगी ? इस पर कौन विचार करेगा ? क्रियान्वयन कब और कैसे आरम्भ किया जायेगा । कब तक कार्य पूरा कर लिया जायेगा । ये कुछ बातें हैं । जिनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है । अत: मैं अपने माननीय मित्र के इस कथन से सहमत हुए बिना नहीं रह सकता कि यह विधेयक एक दिखावा मात्र है । इससे उस क्षेत्र के लोगों को कोई सहायता नहीं मिलेगी तथा उससे बाकी देश के लोगों को भी कोई सहायता नहीं मिलेगीऔर प्रशासन को भी कोई सहायता नहीं मिलेगी । हम इस विधेय के बारे में चाहे जो कहते रहें, चाहे तथा इसके उद्देश्यों के बारे भी चाहे जो कहते रहें, उसका कोई फल नहीं निकलेगा ।

श्री रविन्द्र वमा और श्री जार्ज फर्नाडीज ने एक बहुत मत्वपूर्ण बात कही थी । उन्होंने कहा था कि आपने राज्य सरकार पर बहुत अधिक शर्तें लगा दी हैं । आप कह रहे हैं कि संसाधनों की कमी के कारण राज्य सरकार प्रबन्ध नहीं कर पा रही है और इस लिए केन्द्र को हस्तक्षेप करना चाहिए । अब आप भूमि का अधिकरण करने के लिए राज्य सरकार को बाध्य कर रहे हैं । उन्होंने प्रतिकर देना है । जब इतनी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, तो विस्थापित लोगों को कितना प्रतिकर दिया जाएगा ? आप राज्य सरकार की सहायता करने की बजाय यह सांविधानिक उपबन्ध कर रहे हैं कि भूमि की व्यवस्था करना राज्य सरकार का दायित्व होगा ।

मास्टर प्लाव तैयार कर ली जाती है तथा उसका अनुमोदन कर दिया जाता है । परन्तु इसे क्रियान्वित करना है । राज्य सरकार को कुछ एकड़ भूमि का अधिकरण करने को कहा जाता है । राज्य सरकार कह देती है कि हम भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वित्तीय साधन नहीं हैं । परन्तु विधेयक में उल्लेख है कि राज्य सरकार को अवश्य ऐसा करना होगा । हालांकि योजना आयोग ने मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि मंत्रिमंडल की उप समिति इसका अनुमोदन करेगी । इस लिए यह सारी बात ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि क्योंकि राज्य सरकार भूमि की मुफ्त व्यवस्था नहीं कर पाएगी । यह

विधेवक की एक मूल खाली है । कृपया इस पर विचार किया जाए । यदि मंत्री महोदय इस बारे में कल एक संशोधन लायें, तो हम उस पर विचार करेंगे ।

फिर यदि हम यह समझे कि आजकल हम साधारण लोगों, किसानों, कृषकों और गरीब लोगों को साधारण प्रतिकर दे कर वहाँ से हटा सकते हैं, तो मह संभव नहीं है वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे । जब तक आप उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करते, वे कड़ा विरोध करेंगे । जब पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि का अधिग्रहण किया था, तो उन्होंने वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था की थी । चूंकि साधारण प्रतिकर से उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो सकती इस लिए राज्य सरकार उनके पुनर्वास के लिए भूमि कहां से लाएगी । इस की व्यवस्था नही की गई है । इस बात का भी उपबन्ध नहीं किया गया है कि उन लोगों के रखरखाव देने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी, हालांकि उन लोगों का रखरखाव राज्य सरकार का सांवधानिक दायित्व कर कर दिया गया है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के दावों और मांगों को केवल बातों से पूरा नहीं किया जा सकता । इन्हें पूरा करने प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता है । आप राज्य सरकार के संवेधानिक्र अधिकारों को हथिया रहे हैं । आप को उन्हें सहमत करना चाहिए ताकि वे स्वयं यह महसूस करें कि वे उस योजना का अंग है और उन पर कोई बात लादी नहीं जा रही है । यदि आप राज्य सरकार की अवहेलना करेंगे, तो कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी । जैसाकि माननीय मंत्री को ज्ञात है कि दामोदर घाटी योजना के मामले में ऐसा हुआ है । उस योजना में भाग लेने वाले दो राज्य थे— पश्चिम बंगाल और बिहार । कई वर्षों से पश्चिम बंगाल और बिहार के मुख्य मंत्रियों की बैठक नहीं हुई है हालांकि इसका उपबन्ध हैं । किसी मामले में उनकी सलाह नहीं ली जाती है और न ही यह समझते हैं कि दामोदर घाटी योजना अधिनियम का क्रियान्वयन उनका दायित्व है । केन्द्रीय सरकार कहती है कि यह हमारा दायित्व है और ऊर्जा मंत्री दामोदर घाटी योजना की ओर से उत्तर देते हैं ।

इस लिए मेरा निवेदन यह है कि एक समुचित विकास योजना बनाई जाए । भूमि संरक्षण और भूमि अपरदन की समस्या से निबटना होगा : मैं सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता । इस लिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह विकास की एक समेकित परियोजना बनाए और राज्य सरकारों को महसूस कराये कि वे इस परियोजना के कार्यान्वयन में बराबर के साझीदार हैं अन्यथा यह विधेयक केवल एक कागजी कार्यवाही बन कर रह जाएगा ।

सभापति महोदय : श्री अर्जुन सेठी । **(व्यवधान)**

इस याद विवाद को 6 बजे तक पूरा करना है । अभी सात सदस्यों के नाम और हैं ।

श्री नवल किशोर शर्मा : यह बहुत महत्वपूर्ण निधेयक हैं। इसे कल तक स्थगित किया जा सकता है, ताकि वक्ताओं को समय दिया जा सके ।

श्री केदार पाण्डे : मुझे भी कोई जल्दी नहीं है । यह महत्वपूर्ण विधेयक है ।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक के लिए दो घंटे का समय और दिया जाए ।

सभापति महोदय : बहुत अच्छा । मैं भी आप से सहमत हूं ।

श्री भागवत झा आजाद : फिर कल वाद विवाद में कल और सदस्य भाग लेंगे ।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : सभापति महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा विचार के लिए रखे गए विधेयक का समर्थन करता हूं । महोदय, यह विधेयक सही दिशा में एक सही कदम और इस से इस क्षेत्र में, विशेषकर आसाम में, लोगों को बाढ़ और हानि से संरक्षण प्राप्त होगा ।

महोदय विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने विधेयक की यह कह कर आलोचना की है कि यह एक व्यापक विधेयक नहीं है । मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी ने कहा है कि बोर्ड में राज्यों का प्रतिनिधि पर्याप्त नहीं है । मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी ने कहा है कि बोर्ड में राज्यों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है । मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि विधेयक में इस बात की व्यवस्था है कि बोर्ड में राज्य के प्रतिनिधि होंगे और उनसे यह निर्णय करने में सलाह ली जाएगी कि ब्रह्मपुत्र घाटी के लिए कैसी मास्टर प्लान तैयार की जाए । कुछ माननीय सदस्यों ने विधेयक की इस आधार पर आलोचना की गई हैं कि ब्रह्मपुत्र की समस्याओं की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है । मैं सभा का ध्यान धारा 18 की ओर दिलाना चाहता हूं, जिस में स्पष्ट उल्लेख है :—

"केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा,

विधि द्वारा इस निमित्त किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात् बोर्ड को ऐसी धनराशियों

को संदाय कर सकेगी जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे ।"

उपर्युक्त उपबन्ध का उल्लेख करने का मेरा आशय यह है कि इस घाटी की समस्याओं को हल करने के लिए यह उपबन्ध पर्याप्त है : मैं समझता हूं कि इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय करना है, उस सम्बन्ध में उसे संसद के समक्ष आना पड़ेगा और माननीय सदस्यों को, चाहे वह सत्ताधारी पक्ष के हों या विपक्ष के अपनी बात कहने के पूरा मौका मिलेगा तथा वे तर्क वितर्क कर सकेंगे कि सरकार को इस समस्या के लिए अधिक राशि क्यों चाहिए ।

जहां तक सामान्य रूप से बाढ़ नियंत्रण का सम्बन्ध है यह एक भारी समस्या है और इस देश को बहुत अधिक हानि होती है । अब तक बाढ़ नियंत्रण पर जो राशि खर्च की गई है वह पर्याप्त नहीं है और यदि इस कार्यक्रम को शीघ्रता से क्रियान्वित न किया गया, तो प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में बाढ़ पर नियंत्रण करने में 20 से 30 वर्ष लगेंगे ।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि परियोजनाओं पर विचार करने में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में बहुत अधिक समय लगता है और इस अवधि में लागत बहुत बढ़ जाती है । जो क्या 100 करोढ़ रुपए से हो सकता था, उस की लागत 200 करोड़ रुपए हो जाती हैं ।

बाढ़ नियंत्रण एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और जहां तक पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों का सम्बन्ध है वहां फसलों, संचार और मकानों को बहुत अधिक हानि होती हैं । ऊड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के पास कई परियोजनायें भेजी हैं । मुझे खुशी है कि केन्द्रीय सरकार ने यह महसूस कर लिया है कि राज्य सरकारों की मदद की जानी चाहिए, ताकि बाढ़ नियंत्रण

कार्यक्रम को समय पर क्रियान्यित किया जा सके। इस लिए केन्द्रींय सरकार और योजना आयोग को राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई योजनाओं पर शीघ्र विचार करना चाहिए और उन का शीघ्र निबटारा किया जाना चाहिए ताकि बाढ़ों द्वारा की रही तवाही से बचा जा सके।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बाढ़ नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पभावी ढंग से कार्यक्रम लागू करे तथा केन्द्रीय कोष को होने वाली हानि को कम से कम किया जा सके।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीम नगर) : सभापति महोदय, श्री केदार पांडे जी जो ब्रह्मपुत्र बोर्ड बिल लाये हैं, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इससे पहले वर्मा साहब ने अपनी बात कहते हुए यह कहा था कि 33 साल में आपने कुछ नहीं किया और इसके बाद कहते हैं कि यह बिल ऐसा लाये हैं, आप जल्दी क्यों करते हैं, बाद में इसको ठीक करके लाइये। इन्होंने कंट्राडिक्टीस्टेटमैंट अपना दिया है। अगर एक दो साल के बाद बिल ठीक करके लायेंगे तो उसके बाद कहेंगे कि 35 साल में कुछ नहीं किया।

इसके साथ यह भी कहते हैं कि यह बिल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, आंखों में धूल डालते के लिए आये हैं। यह बिलकुल गलत बात है। जो भी स्टैप लिया गया है, यह गुड बिगनिंग है। मैं आपसे सहमत हूं।

जो कुछ रवीद्र वर्मा जी ने कहा है कि 13 करोड़ रुपये सालाना का प्रावधान जो किया गया है, यह बहुत कम है। यह बिल फ्लड कंट्रोल के वास्ते नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी नदी के लिए ऐसी नदी के लिए है जो दुनिया की 5 बड़ी नदियों में से एक है। अपने देश में गंगा से भी बड़ी नदी है। बड़ी ही नहीं बल्कि फेरोशस नदी है। 13 करोड़ रुपये से काम नहीं चल सकता है। इस काम के लिए थाउजेंड्ज आफ करोर्ज रुपये की जरुरत है। अगर प्लानिंग कमीशन ने इस योजना के लिए पूरा पैसा दिया, तो पुत्र नदी से नार्थ-इस्टर्न रिजन की स्टेट्स—आसाम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर—को ही नहीं, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान को बिजली सप्लाई की जा सकती है। इसलिए इस नदी की पोटेण्शेलिटी को एक्सप्लायट करना चाहिए। इसके लिए जितने पैसे की जरुरत है वह लगाना चाहिए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एक कालिंग एटेन्शन नोटिस का जवाब देते हुए बताया था कि फ्लड कंट्रोल लिए इस साल 600 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। हर साल करोड़ों रुपये बाढ़ की रोक-थाम के लिए खर्च किये जाते हैं। इससे अच्छा है कि केवल ब्रम्हपुत्र ही नहीं, बल्कि गंगा, यमुना, नर्वदा, महानदी, गोदावरी कृष्णा और कावेरी वगेरह देश की सभी बड़ी-बड़ी नदियों के पानी को हारनेस और एक्सप्लायट करने के लिए प्रोजेक्ट बनाई जाए। उससे फ्लड-कंट्रोल होगा और साथ ही इरिगेशन फैसिलिटीज भी ज्यादा होंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी ज्याद पैदा की जा सकेगी। सब डिपार्टमेंट की ऐनुअल रिपोर्टस् में हम पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन में जो शार्टफाल है, जिसकी रीजन शार्टेज आफ पावर बताई जाती है। पावर एक ऐसा बेस है, जिसपर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री खड़े हैं। उसके बिना कोई भी इक्टिविटी नहीं चल सकती है। एक साइंटिस्ट ने बताया है कि अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी को एक्सप्लायट करें, तो हम पूरे हिन्दुस्तान ही नहीं, पूरे एशिया को पावर सप्लाई कर सकते हैं।

इसलिए पावरफुल रियर की पोटेंशेलिटी को यूटिलाइज करना चाहिए। सिर्फ बोर्ड बना देनाही काफी नहीं है।

श्री जार्ज फर्नाडीज ने कहा है कि बोर्ड में सेंटर और स्टेट्स दोनों के प्रतिनिधि होंगे, लेकिन बिल में यह नहीं बताया गया है कि उनकी रेसपांसिबिलिटीज क्या क्या होंगी, इसलिए कनफ्यूजन होगा। श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कि ज्यादा प्रतिनिधि सेंट्रल गवर्नमेंट के रखे गये हैं और स्टेट गवर्नमेंटस को ज्यादा जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। वे चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट् को को ज्यादा जिम्मेदारी देनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि सैंट्रल गवर्नमेंट की रेसपोसी-विलिटी ज्यादा है, जहां तक फिनांसिज का सवाल है। लेकिन प्लान्ज के इम्पलीमेंटेशन एक्सी-क्यूशन और मेंनेजमेंट का जहांतक सवाल है, यहाँ बैठकक सुपरविजन नहीं किया जा सकता है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स को ज्यादा इनवाल्व करना चाहिए उनसे ज्यादा काम करवाना चाहिए। पिछले 33 सालों से पूरे नार्थ-ईस्टर्न रिजन को नेग्लेक्ट किया गया है। वहां पर कोई डेवेलपमेंट नहीं हुआ है। श्री जार्ज फर्नान्डीस ने कहा है कि बैंक डिपाजिट्स का र्फि 20 परसेंट वहां इनवेष्ट किया जा रहा है। यह पैंसा किन लोगों का है? दूसरे लोगों का है, जो राजस्थान तथा दूसरी स्टेट् से वहां गये हैं। वहां के प्लान्टेशन्ज, जूट, प्लाइवुड और आयल भी दूसरे लोगों के हाथ में हैं सारा पैसा भी ऊन लोगों के हाथ है। 90 परसेंट लोगों के पास कुछ नहीं है—इतना पैसा भी नहीं कि वे जी सकें। उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाना नहीं है, कपड़े नहीं हैं। वे बैंक की बात सोच भी नहीं सकते हैं। बैंकों की शक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट्स के हाथ में है। यह शक्ति उनके हाथ में नहीं रहने देनी चाहिए। सरकार को यहां के गरीब लोगों की उन्नति के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। जितने भी आप के फ्यूचर प्लान बनने हैं उन प्लान्स के अन्दर लोगों को दृष्टि में रख कर यह भी बहुत जरूरी चीज है इसको आप को करना चाहिए।

दूसरी बात ब्रह्मपुत्र ही नहीं बल्कि जैसा मैंने पहले कहा, यहां इससे पहले जब डा० के० एल० राव साहब इर्रीगेशन मिनिस्टर थे तो उनका एक अच्छा प्लान था। उन्होंने यह स्कीम दी थी कि ये फ्लड जो हो रहे हैं इनको रोकने के लिए दो काम कर सकते हैं। एक तो फ्लड कट्रोल करना और दूसरा यह कि जहां ड्राउट एफैक्टेड एरियाज हैं, जहां बिल्कुल इर्रीगेशन फैसलिटीज नहीं हैं, जहां नदियां नहीं हैं वहां इसके पानी को ले जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा गंगा; कावेरी को लिंक करो। लेकिन गंगा, कावेरी को नहीं, इस दरमियान में कुछ आपकी जो कान्फरेंस हुई थी उसमें आपने शायद फैसला लिया है कि गंगा, कावेरी को तो नहीं, लेकिन गंगा, यमुना, महानदी और नर्मदा आदि जो नजदीक-नजदीक में हैं उनको लिया जाय: नर्मदा को लेकर गोदावरी में मिलाइए। गोदावरी से कृष्णा, कृष्णा से कावेरी और कावेरी से दूसरी-दूसरी नदियां हैं उनको मिलाइए। एसे एक-एक नदी को लिंक करते हुए और दरम्यान में प्रोजैक्ट्स बनाते हुए ले गए तो जिन लोगों को आज पानी नहीं मिल रहा है उनको पानी भी दे सकते हैं और लाखों नहीं करोड़ों एकड़ भूमि इन प्रोजैक्ट्स के अन्दर ला सकते हैं। इससे आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, लोगों की गरीबी दूर होगी और एम्पलायमेंट पाटेंशियलिटीज आपकी बढ़ जायेंगी। इन सारी प्राबलम्स के ऊपर आपको सोचना चाहिए। यह आपकी इर्रीगेशन मिनिस्ट्री इतनी इम्पार्टेंट है कि

शायद आपको भी इसकी इम्पार्टेंस का पता नहीं होगा। केदार पांडे साहब तो अभी आए हैं, इसके पहले वह मुख्य मंत्री रह चुके हैं, उनको मालूल होगा कि स्टेट के अन्दर मुख्य मंत्री के बाद अगर कोई इम्पार्टेंट पोर्टकोलियो है तो वह इर्रीगेशन है। यहां भी यह बहुत इम्पर्ट्रेंट पोर्टफोलियो है। इसलिए आप ज्यादा दिलचस्पी लेकर जब तक हैं उस टाइम में कम से कम यह प्लान तो शुरू कीजिए।

श्री केदार पांडे : इसी साल में शुरू होगा।

श्री एम० सत्यनारायण राव : हम तो शायद उसे पूरा होते हुए नहीं देख सकेंगे, हमारी जिन्दगी के जो भी ख्वाब हैं, या जो भी हम बोल रहे हैं ये हमारी जिन्दगी में शायद पूरे न हों। लेकिन इन सारी नदियों का कनेक्ट करने का काम आप शुरू तो कर दीजिए। सारी नदियों का एक कनेक्शन दीजिए और ब्रह्मपुत्र नदी पर मल्टी परपज प्रोजैक्ट बनाइए उससे इर्रीगेशन फैसिलिटी दीजिए। एलैक्ट्रिसिटी जैनरेट कीजिए, वहां लोगों की हालत अच्छी कीजिए। आप कम से कम उसकी फाउंडेशन स्टोन डालिए, बुनियाद बनाइए, उसके बाद जो लोग आते हैं, फर्नान्डीस साहब के लोग अगर आए तो वे शायद उसको पूरा करें आप बुनियादी उपाय कर रखेंगे तो आपके बाद में आने वाले उस पर कुछ काम कर सकेंगे।...... (व्यवधान)

यह जो बोर्ड बनेगा उसके लिए 13 करोड़ रुपये रखे हैं यह कोई मजाक तो नहीं है न। कम से कम यह स्टार्टिंग तो है, कम से कम इन्होंने इसको स्टार्ट तो किया। आप तो ढाई साल रहे, आपने तो उसको बिलकुल नेग्लैक्ट कर दिया। यह आपके जमाने की आपकी कारगुजारी है जो आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा यह सब आज जल रहे। क्या किया आपने? हमें आए तो अभी सिर्फ छ महीने ही हुए हैं। 11 महीने पहले आपने कुछ किया? इसके पहले पांच महीने आपकी गवर्नमेंट थी, उस पांच महीने में आपने कुछ किया? उसी समय से ये सब जल रहे थे, आज इतने जल गए कि तंग होकर वह आ रहे हैं। आपने कुछ भी नहीं किया। आपकी स्पीच सुनने से ऐसा मालूम होता है कि कुछ नहीं किया, यह एजीटेशन अभी चलना था, आप ऐसे मेजर्स ला कर लोगों को केवल मुतमईन कर रहे हैं, इससे आप को कुछ नहीं मिलेगा। शायद वह आपके दिल में है। लेकिन फर्नान्डीश साहब के लिए मैं इतना तो नहीं कहूंगा, वह भी बहुत अच्छे सेशनलिस्ट हैं और लोगों के हित में काम करना चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी थोड़ा पालिटिक्स की वजह से वह ऐसा कुछ करते हैं। अब जरा वह भूल जाइए। इससे पहले जब तक आपने जिम्मेदारी नहीं ली थी उस समय तक यह सब ठीक था। लेकिन ढाई साल इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर आप रह चुके हैं और वह रहने के बाद आपको मालूम हो गया होगा कि क्या क्या उसमें मुश्किलात हैं। क्या आपने स्वयं देखी भी हैं, स्ट्राइक की वजह से क्या होता है? ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक और दूसरी जितनी स्ट्राइक्स होती हैं उससे कितना नुकशान होता है यह आपको अब पता है। आप जानते हैं स्ट्राइक और शार्टेज आफ पावर इन दो चीजों की वजह से सारी डेवलपमेंट ऐक्टीविटीज स्टैंडस्टिल हो गई थीं। तो अब यह सब देखने के बाद कम से कम जिम्मेदारी महसूस कीजिए और हम लोगों के साथ कोआपरेट करके जितने भी अच्छे काम हैं उनमें हाथ बटाइए। आपजो सुझाव देना चाहते हैं वह जरूर दीजिए। यह कहिए कि 13 करोड़ रुपए कम हैं और यह तो बोर्ड बन रहा है इसके

बजाय वहां डैयलपमेंट के लिए मल्टी परपज प्रोजेक्ट बनना चाहिए। छसे सजेश्चन दीजिए। लेकिन यह मत कपिए कि लोगों को हुडविंक करने के वास्ते या और कुछ इस तरह से बनाने के वास्ते हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मत बोलिए। मैं मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करता हूं कि आइन्दा और सोच समझ कर वहुत अच्छा काम करने के लिए वह प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, ब्रह्मपुत्र बोर्ड विधेयक जो आज यहां पर आया है, वस्तुतः यह सराहनीय है। विरोधी दल में रह कर हमें इस का विरोध ही करना है, ऐसी बात नहीं है। हम इस समर्थन करने के लिये यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह जो ब्रह्मपुत्र बोर्ड बना हैं, इस के द्वारा ही ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ का नियन्त्रण करना है। ब्रह्मपुत्र नदी 6-7 राज्यों में से हों कर बहती है, जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा,, मिजोराम, अरुणाचल प्रदेश। इन सभी राज्यों में इस का प्रभाव क्षेत्रों का विकास इस के साथ जु ा है। पहले भी बंगाल और विहार प्रदेशों हैं बाड़ नियन्त्रण कार्यक्रम की भावना से ही डी०वी०सी० की योजना बनाई गई थी। इस के द्वारा अन्य काम जैसे बिजली उत्पादन, भू-संरक्षण, वन रोपण, आदि भी करने ये। उस के द्वारा वे काम हुए भी हैं, लेकिर कारगर कार्यवाही एक ही निगम के द्वारा हो सकी है, हालांकि उस में भी खामियां रही हैं और अपेक्षाकृत लाभ नहीं हो सका है। लेकिन यहां तीन स्तर पर आप का काम करने का विचार है। एक तो ब्रह्मपुत्र बोर्ड होगा जो केद्रनीय सरकार की ओर से कार्य करेगा। इस ब्रह्मपुत्र बोर्ड की कल्पना 1970 में की गई थी और उस के परिणाम स्वरुप यह कार्य शुरु किया गया और आज इस का विधेयक आया है यानी 10 वर्षों के बाद। अगर उसी समय से काम शुरु किया गया होना तो शायद शाज प्रग ते के शिखर पर होते और ये आन्दोलन भी नही होते, जिस प्रकार से आज उत्तर-पुर्वी भारत में हो रहे हैं।

इस के साथ-साथ ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्रण आयोग जो असम गवर्नमेन्टे ने बनाया है और असम सरकार आज से नहीं, सन 1970 के पहले से ही भारत सरकार से निवेदन करती रही है कि हमारी शक्ति और हमारी अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत यह सम्भव नहीं हो सकता है, लेकिन दिनों तक उस की उपेक्षा की गई। खैर, आज वर्तमान सरकार ने यह किया है इस के लिए वे वधाई के पात्र हैं।

उस के साथ ही ब्रह्मपुत्र तकनीकी परामर्श बोर्ड की व्यवस्था भी की गई है। ब्रह्मपुत्रबोर्ड विधेयक के सैक्शन 4 को यदि हम देखें तो उस में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा भारत सरकार के जितने तकनीकी विभाग के लोग हैं उन सभी के मेम्बर उस में रहेगें। आप ने टेकनीकल बोर्ड फिर अलग से बना दिया, केन्द्रीय सरकार के कृषि, सिंचाई, वित्त, विद्युत परिवहन मंत्रालयों से सम्बद्ध प्रतिनिधि भी उस में होगें। केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान, सभी के प्रतिनिधि भी उस में होगें।

अभी आप 13 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, लेकिन यह रुपया केवल इन पधिकारीयों के रख-रखाव पर ही खर्च हो जायगा जमीन पर क्या लगेगा? 10 वर्ष का समय तो बैने ही गुजर गया हो सकता है आने 30 वर्ष तक यह योजना और चले। हमारे सिंचाई मंत्री और कृषि मंत्री जी ने

बताया था कि बाढ़ नियन्त्रण के लिये 6 अरब रुपये रखे गये हैं-इस प्रकार प्रविर्व 6 परब रुपये तो बाढ़ पर ही लग जाते हैं।

6 अरब रुप्या कोई साधारण धनराशि नहीं है, जो हर साल बाढ़ मे बह जाती है। यदि इसका सही रूप में इस्तेमाल होता तो इसके भी बहुत अच्छे परिणाम निकल सकते थे, परन्तु इस इस पैसे से तीन-तीन बोर्डों का निर्माण कर रहे हैं। एक असम गर्वनमेंट के तीनों स्तरों पर काम करेगा, योजना का प्रक्कलन करेगा, निरुपण करेगा और प्रारूप बनाएगा, फिर दूसरा परामर्श के लिए जाएग, फिर असाम उसके लिए बहूद्देश्यीय योजना बनाएगा, फिर टेकनीकल बोर्ड को कां जाएगा, अगर इन तीनों में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो⋯⋯

सभापति महोदय : श्री वर्मा, आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार 6 अगस्त, 1980/15 श्रावण, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई :

मुद्रक : सबीना प्रिंटिंग प्रेस, फरीदाबाद